राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अंक 3] सप्तम् विधान सभा के तृतीय सत्र का 10वां दिवस [संख्या 3

1 2

बुधवार,

दिनांक 23 सितम्बर, 1981

विधान सभा की बैठक म. पू. 11-00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष पदासीन

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न, श्री भैरूलाल मीणा ।

केसरियाजी का मन्दिर, उदयपुर का ट्रस्ट

186. श्री भैरूलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण) : क्या देवस्थान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) उदयपुर के केसरिया नाथ जी के मन्दिर के ट्रस्ट में कितनी दुकानें, कितने मकान एवं कितनी धर्मशालायें हैं ? इनसे कितनी आय होती है?

(2) मन्दिर के कौन-कौन से मदों से प्रतिमाह आय कितनी होती है एवं किस-किस मद में खर्च होती है ? कृपया, आय-व्यय का विवरण सदन की मेज पर रखें ?

(3) मन्दिर के सुरक्षा कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार से कितना वेतन दिया जाता है ? क्या इन कर्मचारियों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के बराबर वेतन दिया जाता है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार ट्रस्ट को इन्हें न्यूनतम वेतन देने हेतु बाध्य करेगी ?

राज्य मन्त्री, देवस्थान (श्री घासीराम यादव): (1) मन्दिर श्री रिखभदेवजी (केसरियानाथजी) देवस्थान विभाग द्वारा प्रबंधित एक राजकीय आत्म-निर्भर श्रेणी का मन्दिर है । इस मन्दिर में सात धर्मशालायें, 23 मकान व 94 दुकानें हैं । इनसे प्रति माह लगभग 5,500 रुपये किराये की आय होती है ।

(2) इस मन्दिर की आय के स्रोत किराया, भेंट, कृषि भूमि, विनियोजित राशि का ब्याज तथा केसर व इत्र इत्यादि के विक्रय से प्राप्त लाभांश हैं । प्रत्येक माह में विभिन्न मदों में आय-व्यय घटता बढ़ता रहता है । वर्ष 1980-81 में उक्त स्रोतों से मन्दिर में लगभग 7, 17, 665.00 रुपये की आय हुई । इस आय से प्राप्त राशि को मन्दिर के कर्मचारियों के वेतन व अन्य प्रशासनिक व्यय, मन्दिर से भोगराग उत्सव, बिजली, पानी, मरम्मत धर्मशालाओं पर होने वाले अनुरक्षण (मेन्टेनेन्स) तथा मन्दिर के भण्डारियों

(2)

(श्री घासीराम यादव)

का पावन पांति आदि में व्यय किया जाता है। वर्ष 1980-1 में 3, 21, 726-00 रु० का व्यय हुआ।

(3) मन्दिर में कार्यरत सुरक्षा कर्मचारियों को वर्तमान में निम्न प्रकार निश्चित वेतन चुकाया जाता है:—

1) जमादार 200) रुपये मासिक
2) हवलदार 180) रुपये मासिक
3) सिपाही 160) रुपये मासिक

राजकीय आत्म-निर्भर श्रेणी के मन्दिरों में कायरत कर्मचारियों का वेतन मन्दिर में प्राप्त होने वाली आय पर निर्भर करता है। इस कारण मन्दिर में कार्यरत सुरक्षा कर्मचारियों को वेतन राज्य सरकार के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के समान नहीं दिया जाता है।

(4) विगत वर्षों में मन्दिर की आय में वृद्धि होने के फलस्वरूप इन कर्मचारियों की नवीन वेतन श्रृंखलायें निर्धारित की गई है। नवीन श्रृंखलाओं के अनुसार सुरक्षा कर्मचारियों का वेतन निम्न है:—

1) जमादार व हवलदार 140-5-165-8-245 तथा 50 रुपये महंगाई भत्ता प्रति माह।

2) सिपाही 130-5-155-8-235 तथा महंगाई के 50 रुपये प्रति माह।

इन कर्मचारियों पर राजस्थान न्यूनतम वेतन नियम तथा राज्य सरकार के वेतन नियम लागू नहीं होते हैं।

श्री भैरूलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, यह पुराने जमाने से चले आ रहे हैं। अब इस समय 160 रुपयें प्रति माह से एक मजदूर का क्या होता है? हमारी सरकार में जो दूसरे मजदूर लोग हैं उनको मिनिमम वेज 8 रुपय रोज दिया जाता है और आज भी उसको बढ़ाने की कोशिश हम कर रहे हैं तो क्या यह मिनिमम वेज नियम इन पर लागू नहीं होता? क्या राज्य सरकार वहां के कर्मचारियों के लिये दूसरे मजदूरों की तरह मिनिमम वेज लागू करने की कार्यवाही करना चाहेगी?

श्री घासीराम यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने उत्तर में पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि यह आत्म-निर्भर मन्दिर है। इसमें जो आमदनी होती है वह बराबर नहीं होती है। यह घटती बढ़ती है। मैं आप को आंकड़े बताना चाहूंगा। सन् 77-78 में 3 लाख 32 हजार रुपये की वार्षिक आय हुई। सन् 78-79 में तीन लाख 87 हजार रुपये की आय हुई। 79-80 में 6 लाख 33 हजार रुपये की आय हुई और वर्ष 80-81 में सात लाख 17 हजार 665 रुपये की आय हुई। इस प्रकार वहां की जितनी आय होती है, उसी के अनुसार बजट बनता है। इसमें आय बढ़ती रहती है। वर्ष 1980-81 में आय बढ़ी है तो बाद में वहां के कर्मचारियों का वेतन भी बढ़ाया है। वैसे दूसरे जो देवस्थान के आत्म निर्भर मन्दिर हैं, उनके कर्मचारियों की तनख्वाह को देखते हुए, यहां के कर्मचारियों की तनख्वाह ज्यादा है। अब जैसे चारभुजा का मन्दिर है वहां के कर्मचारियों की तनख्वाह कम है

श्री मोहनलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, क्या यह बात सही है कि वहां पर एक रिटायर्ड व्यक्ति को 500-700 रुपये दिया जाता है जो कि वहीं पर नौकर है ? वह लोग जो वहां मन्दिर में 24 घन्टे ड्यूटी देते हैं, मन्दिर की सुरक्षा करते हैं, उन लोगों को कम वेतन दिया जाता है, और उस रिटायर्ड व्यक्ति को 500 रुपया दिया जाता है। क्या इस प्रकार इन लोगों को अधिक तनख्वाह नहीं दी जा रही है ?

श्री घासीराम यादव : अध्यक्ष महोदय, वह रिटायर्ड डीवाई.एस.पी. है और उन सभी कर्मचारियों का हैड है इसलिये उसको इतना रुपया दिया जाता है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है।

श्री अध्यक्ष : श्री देवेन्द्र कुमार।

श्री देवेन्द्र कुमार (सराडा) : अध्यक्ष महोदय, आज एक साधारण लेबर को भी सात रुपया दिया जाता है तो क्या उन लोगों का सात रुपये से कम तनख्वाह में काम चल सकता है ? अध्यक्ष महोदय, वह लोग वहां पर 24 घण्टे काम करते हैं तो क्या सरकार उनको राज्य सरकार के दूसरे कर्मचारियों की तरह मिनिमम वेज दिलाने का विचार रखती है ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा, जैसा मंत्री महोदय ने यह बताया कि वर्ष 80-81 में सात लाख रुपये की आय हुई और उसके पहले 6 लाख रुपये की आय हुई थी उसके पहले इससे कम और इस प्रकार हर साल हम देखते हैं कि वहां आय बढ़ी है तो क्या राज्य सरकार वहां के कर्मचारियों के वेतन जिस प्रकार मन्दिर की आय बढ़ती है उसी के अनुपात में बढ़ायेगी ? जैसे-अगर आय दुगुनी हुई तो क्या उन कर्मचारियों की तनख्वाह दुगुनी कर दी जायेगी, तिगुनी आय होगी तो तिगुनी तनख्वाह कर दी जायेगी ? मन्दिर की आय जिस प्रकार बढ़ी, क्या उसके अनुपात में उन कर्मचारियों की आय बढ़ायी है ? इसके अलावा वहां के मन्दिर की व्यवस्था ठीक नहीं है और व्यवस्था ठीक नहीं होने के कारण वहां के मन्दिर के नीचे जो धर्मशालायें और दुकानें हैं उनको वहां पर परमानेन्ट किराये पर दे रखा है। वहां पर लोगों को दो-दो, तीन-तीन रुपये में वह किराये पर दे रखी है और लोग वहां पर पिछले दस-दस और बीस-बीस सालों से रह रहे हैं और इस प्रकार...

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं होगा, माननीय सदस्य।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैं भाषण नहीं दे रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपको स्थिति स्पष्ट कर रहा हूं। यह एक अहम प्रश्न है जो पहले भी विधान सभा में उठ चुका है। मेरा निवेदन है कि वहां के कर्मचारियों को राज्य सरकार मिनिमम वेज देने के लिये कार्यवाही करेगी ? या फिर जिस प्रकार उनकी आय बढ़ती है, उसी तरह कर्मचारियों की आय भी उसी अनुपात में बढ़ायेगी ?

(4)

श्री घासीराम यादव : अध्यक्ष महोदय, यह तो सम्भव नहीं है क्योंकि जो मन्दिर की आय है वह हमेशा घटती बढ़ती रहती है। अगर वहां कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ते हैं और आय कम हो जाती है तो फिर उनकी तनख्वाह को कम तो किया नहीं जा सकता है। इसके अलावा माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है कि मन्दिर की व्यवस्था ठीक नहीं है वह एक अलग से प्रश्न है। उसका मूल प्रश्न से कोई संबंध नहीं। इसलिये मेरा निवेदन है, मन्दिर को आय जैसा कि मैंने निवेदन किया है कि वह भेंट आदि से होती है, वह कोई परमानेन्ट सोर्स नहीं है। वह कम ज्यादा भी हो सकती है। अभी वहां के कर्मचारियों की तनख्वाएं बढ़ायी हैं 20-20 रुपये। इस तरह वहां का हर साल बजट बनता है और अगर आय हर साल बढ़ती रही तो उनके बारे में भी ध्यान रखा जायेगा।

श्री भैरुलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, वहां की आय तो हर वर्ष बढ़ती है। जो मन्त्री महोदय ने आय बतायी है, उससे ज्यादा आय होती है। इन्होंने जो आय बतायी है, वह बिलकुल गलत बतायी है।

श्री कमला भाई मीणा (लसाड़िया): अध्यक्ष महोदय, वहां के एरिया के लोग ज्यादातर हरिजन हैं और आदिवासी लोग हैं। उन लोगों ने अपना सारा जीवन मन्दिर की सुरक्षा करने में ही बिताया है। उनको इतना कम वेतन दिया जाता है जिससे वहां के कर्मचारी दुखी हैं, वह लोग भूखों मर रहे हैं, उनके बच्चों के पहनने के कपड़े नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, यह मेरे निर्वाचन-क्षेत्र का प्रश्न है। वह लोग भूखों मर रहे हैं, उन गरीब लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। तो मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह निवेदन है कि क्या राज्य सरकार उन कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाने का विचार कर रही है ?

श्री अध्यक्ष : श्री मेघराज तावड़।

श्री घासीराम यादव : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले सवाल के उत्तर में बताया है कि मन्दिर आत्म-निर्भर है और मन्दिर की जो आय है वह हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, वह बराबर नहीं रहती है और घटती बढ़ती रहती है। अगर मन्दिर की आय बढ़ेगी तो इस पर विचार किया जा सकता है।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि वहां के जो कर्मचारी हैं उनको जो दूसरे सरकारी कर्मचारी हैं उनके अनुसार मिनिमम वेज क्यों नहीं मिलता है ? क्या मंत्री महोदय, यह महसूस कर सकते हैं कि इतनी सी तनख्वाह में इन लोगों के परिवार वालों का पालन हो सकता है ? अगर नहीं हो सकता है तो क्या सरकार उनका वेतन बढ़ाने के बारे में कदम उठायेगी ?

श्री घासीराम यादव : अध्यक्ष महोदय मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि उनकी तनख्वाह दूसरे राज्य सरकार के कर्मचारियों के मिनिमम वेज से कम है पर इसका क्या उपाय है ? वह मन्दिर आत्म-निर्भर है और मन्दिर की आमदनी के अनुसार ही तनख्वाह दी जा सकती है मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि चारभुजा

(श्री घासीराम यादव)
मन्दिर जी कि उसी क्षेत्र का है, मैं वहां गया हूं और मैंने वहां देखा है कि वहां के जो कर्मचारी हैं, उनकी तनख्वाहें इससे भी आधी हैं क्योंकि वहां के मन्दिर की आय कम है। जो मन्दिर की आय होती है उसी के अनुसार उनकी तनख्वाहें हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, केसरिया नाथ जी का जो मन्दिर है वह बहुत धनी टेम्पल है। उसके कर्मचारियों की तनख्वाहें बहुत कम हैं। उन लोगों के साथ बहुत ही ज्यादती होती है। उस मन्दिर में काफी सोना है। उसमें से हजार तोला सोना तो गायब है। लोगों ने यह बतला दिया किन्तु उसकी जांच नहीं करेंगे। गरीबों के ऊपर ही बला उतार रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, वह बहुत बड़ी सम्पत्ति वाला मन्दिर है और उसमें करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति है। वहां के गरीब आदमियों को भूखों मारने के लिये क्यों मजबूर किया जाय ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर, अगला प्रश्न।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय भेंट आती है उसके आंकड़े नहीं बताये।

श्री घासीराम यादव : वह भी बताये हैं। जो भेंट आई है इसमें 1977-7 में 2 लाख 19 हजार की आई है, 1978-79 में 2 लाख 19 हजार की आई है, और 1979-80 में 3 लाख 9 हजार की आई है। 1981-82 में 3 लाख 91 हजार की भेंट आई है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न, श्री भंवरलाल शर्मा।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, जो भेंट आ रही है वह दर्ज नहीं हो रही है, मैं आज कह रहा हूं। आरती करने की चांदी की आई है, वह छूटी है और निल बताया है। इस तरह से सामान दर्ज नहीं होता है। राजस्थान की सबसे ज्यादा सम्पति का मन्दिर है, जहां इतनी आमदनी होती है। करोड़ों रुपयों की सम्पति है और लाखों रुपया भेंट में आता है, जिसको दर्ज तक नहीं किया जाता।

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : आप गरीबों के ऊपर क्यों बला उतार रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री भंवरलाल शर्मा ।

जयपुर में निरन्तर हो रही चोरियों की रोक-थाम के प्रबन्ध

187. सुश्री पुष्पा जैन (आमेर), एवं श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल जयपुर) की अनुपस्थिति में]: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या दिनांक 1-9-81 को व्यापारियों का एक शिष्ट मण्डल जयपुर में लगातार हो रही चोरियों को रोकने तथा अपराधियों को पकड़ने की मांग को लेकर मंत्रिमण्डल के एक माननीय सदस्य से मिला था ? क्या इस पर शिष्ट मण्डल को यह आश्वासन दिया गया था कि चोरी की घटनाओं की रोकथाम के लिए पुलिस के प्रबन्ध को कड़ा किया जायेगा ?

(2) यदि हां, तो इस आश्वासन के पश्चात् पुलिस प्रबन्ध को कड़ा करने के

(6)

(सुश्री पुष्पा जैन)
लिए क्या-क्या कदम उठाये गये तथा इन कदमों के आधार पर सरकार किस परिणाम की आशा करती है ?

राज्य मंत्री, गृह (श्री प्रद्युम्नसिंह) : (1) जी नहीं। माननीय राज्य मंत्री स्वायत्त शासन ने जौहरी बाजार में हुई चोरी के घटना स्थल पर स्वयं गये थे तब घटना स्थल पर मौजूद व्यक्तियों को यह आश्वासन दिया गया था कि इन घटनाओं की रोकथाम के लिए पुलिस का समुचित प्रबन्ध कराने को व्यवस्था की जावेगी।

(2) इस क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस दल रात व दिन में गश्त करने हेतु लगा दिया गया है। उच्चाधिकारी भी समय-समय पर नगर के प्रमुख बाजारों में रात व दिन गश्त कर रहे हैं। पुलिस द्वारा उठाये गये कदमों के फलस्वरूप जौहरी बाजार में दिनांक 31-8-81 व 1-9-81 की मध्य रात को हुई नकबजनी के गिरोह को पकड़ा भी जा चुका है, जिनसे कुछ माल भी बरामद हो गया है। भविष्य में घटनाओं को रोकने हेतु सभी प्रयास किये जा रहे हैं।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी ने आश्वासन दिया। मैं पूछना चाहूंगी कि क्या उन्होंने इस मुतालिक गृह मंत्री महोदय को कोई नोट लिख कर भेजा था या स्वयं अपनी जिम्मेदारी पर ऐसा आश्वासन दे दिया ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : मंत्री मण्डल की संयुक्त जिम्मेदारी होती है। उन्होंने जब टेलीफोन पर सूचना दी थी तो नोट भेजने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहती हूं कि इस वाक्ये के बाद जयपुर में लगातार चोरियों, नकबजनी और डकैतियों की वारदातों में कमी हुई या बढ़ोतरी हुई ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन माननीय सदस्या करती तो मैं उसका उत्तर देता। मेरे पास तुलानात्मक आंकड़े हैं जयपुर के। अगर आपकी आज्ञा हो, तो मैं बता दूं।

सुश्री पुष्पा जैन : इस घटना के बाद, जैसा मंत्री महोदय ने फर्माया कि स्पेसिफिक क्वेश्चन होता तो आप फर्माते। मंत्री महोदय, मेरा क्वेश्चन स्पेसिफिक है। आपने कहा कि स्वायत्त शासन मंत्री के आश्वासन देने के बाद आपने अपराधों की रोकथाम के लिए प्रबंध किये। आपने अभी कहा कि रात को पहरा भी लगाया और कुछ और भी बताया। लिहाजा मेरा पूछना स्वाभाविक है और बड़ा रेलेवेन्ट सवाल है कि आपकी इतनी कड़ी व्यवस्था के बाद इन अपराधों में कमी हुई या बढ़ोतरी हुई ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : जहां तक मेरी जानकारी है, इस बारे में मैंने आंकड़े इकट्ठे नहीं किये हैं लेकिन अध्यक्ष महोदय, सभी लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा कि पुलिस ने इस नकबजनी की घटना के बाद, जौहरी बाजार की घटना के बाद एक काफी बड़े गिरोह को गिरफ्तार किया है, जिसमें छोटी उम्र के लड़के थे जिन्होंने चार-चार और पांच-पांच

(श्री प्रद्युम्न सिंह)
साल पुरानी चोरियां भी बताई हैं और अभी हाल की चोरी की घटना के बारे में सुराग मिला है, काफी माल भी बरामद हुआ है। मैं इसको पुलिस की उपलब्धि ही कहूंगा और इस आधार पर कहूंगा कि पुलिस की सक्रियता के आधार पर इतने बड़े गिरोह को पकड़ने में पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अखबारों का हवाला दिया तो अखबार में हमने यह जरूर पढ़ा। 18 तारीख को 25 हजार की चोरी हुई और अभी तक इसके बारे में कोई मालूमात नहीं हुआ। दूसरे, अखबार में पढ़ा कि देना बैंक के पास कल दिन दहाड़े 7,250 रुपये निकाल लिये गये। अखबार में यह भी पढ़ा है कि सी-स्कीम मे एक मकान की बाउण्ड्री तोड़कर कार निकाल कर ले गए और ऐसी ही और भी कई बातें पढ़ी हैं। लिहाजा मंत्री महोदय बतायें कि उस वारदात के बाद आपने कड़ा पहरा किया तो इस तरह की वारदातों में कमी हुई है या बढ़ोतरी हुई है?

एक माननीय सदस्य : विधायकों को भी ले जा रहे हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह तो नहीं कहा कि चोरियों की वारदातें बिलकुल बन्द हुई हैं। इसलिए मैंने मुनासिब समझा था कि अगर आपकी आज्ञा हो तो सदन में 1980-81 का विवरण दे दूं, जिससे कुछ स्थिति साफ हो सकेगी आप अलाउ नहीं करेंगे, तो देने में असमर्थ हूं

सुश्री पुष्पा जैन : मंत्री महोदय साहब, अलाउ नहीं करवाना चाहें तो अच्छा तरीका है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : कमाल है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न-श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत।

श्री भैरूंलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, यह परम्परा बन गई है कहने की कि इसके लिए कार्यवाही करेंगे। मैं यह चाहता हूं कि चोरियां होती है उनको रोकने के लिए उचित कदम उठाने की व्यवस्था होगी?

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

प्रश्न संख्या 188

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत।

(अनुपस्थित : कृपया, आगे देखें।)

प्रश्न संख्या 189

श्री ज्ञानसिंह।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें।)

प्रश्न संख्या 190

श्री दीपेन्द्र सिंह।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें।)

श्री हीरालाल आर्य।

ग्राम पंचायत इटावा (कोटा) में हुए गबन एवं घोटालों की जांच

191. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा

(श्री हीरालाल आर्य)
करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत इटावा, जिला कोटा में गबन एवं घोटालों की जांच हेतु वहां के पंचों द्वारा प्रार्थना-पत्र उच्च अधिकारियों को दिया गया था।

(2) यदि हां, तो क्या उक्त मामले की जांच कराई गई? यदि हां, तो किसके द्वारा तथा जांच के क्या परिणाम निकले एवं कौन व्यक्ति दोषी पाया गया? उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? कृपया, पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि जांच हेतु गये अधिकारियों ने रोकड़ में 10,123रु. कुछ पैसे कम पाये जाने पर तिजोरी को सील किया था तथा बाद में उसे बिना किसी को सूचना दिये तोड़ दिया गया?

(4) यदि हां, तो उक्त रकम के कम पाये जाने का क्या कारण है? इस मामले में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

राज्य मंत्री, पंचायत (श्री शीशराम ओला):

(1) जी हां।

(2) जिला स्तर से प्राप्त सूचना के आधार पर जिलाधीश ने पंचायत प्रसार अधिकारी द्वारा उक्त मामले की जांच कराई है। जांच के तथ्यों के आधार पर सरपंच को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाकर उत्तर मांगा गया है।

(3) जिलास्तर से प्राप्त सूचना के आधार पर तिजोरी में रकम नहीं होने से सील की गई। सरपंच द्वारा 10,123 रु. कैश संभालने पर तिजोरी की सील तोड़ी गई है।

(4) जिलास्तर से प्राप्त सूचना के आधार पर कैश बुक के अनुसार सरपंच द्वारा पूर्ण रकम जमा करा दी गई, इसलिये कमी का प्रश्न नहीं उठता। राशि पंचायत में अथवा बैंक में नही रखने के लिए सरपंच को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अग्रिम कार्यवाही नियमानुसार जिलाधीश के यहां से मुकम्मिल प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर की जावेगी।

श्री हीरालाल आर्य: माननीय अध्यक्ष महोदय, तिजोरी को सील लगी और जिन लोगों के हस्ताक्षर थे, उनको बुलाकर यह नहीं किया, चुपचाप तोड़ी गई और राशि लाकर जमा करा दी। वह राशि कहां थी और क्या यह गबन नहीं था? वह राशि क्यों ले जाई गई इधर उधर गांवों से बटोर कर? तहसीलदार उप-निदेशन और पंचायत प्रसार अधिकारी आये थे उनकी मिलीभगत से तिजोरी में पैसा रख दिया। तो चुपचाप सील को तोड़ना और पैसा इधर उधर से लाकर बटोर कर रख देना, क्या गबन नहीं है?

श्री शीशराम ओला: अध्यक्ष जी, मैंने माननीय सदस्य को कहा कि रकम तिजोरी में अथवा कैश बुक में नहीं पाये जाने पर सरपंच को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। कलेक्टर

(श्री शीशराम ओला)
इसकी जांच कर रहा है और जांच के तथ्य सामने आने पर ही यह बात कही जा सकती है।

श्री हीरालाल आर्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, जांच के लिए तो तहसीलदार व उपनिवेशन अधिकारी को वहां भेजा था। उन्होंने जांच की और पैसा कम पाया और तभी तिजोरी सील की थी, क्या यह तथ्य है ? गबन हुआ, मंत्री महोदय, उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री शीशराम ओला : उनकी जांच आ गई। तिजोरी को बन्द किया। तिजोरी को बन्द करने के बाद सरपंच से कहा कि 123 रुपये जमा करवायें। उसके बाद सील तोड़ी गई। उसके लिये उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसकी कलक्टर जांच कर रहे हैं। वहां की रिपोर्ट आने के बाद कार्यवाही होगी।

श्री हीरालाल आर्य : जांच आने के बाद राज्य सरकार सरपंच को निलम्बित करेगी ?

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : प्रश्न यह है कि तिजोरी क्यों तोड़ी गई ? सील क्यों लगाई गई ? सील क्यों तोड़ी गई ? एक तरफ सरपंच को बर्खास्त किया गया है और दूसरी तरफ सरपंच को छोड़ दिया गया है। यह 10 हजार रुपये खा गये।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने नोटिस में दिया है....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि केवल 10 हजार, 33 रुपये थे, वहां तिजोरी में पाये गये। गबन उन्होंने स्वीकार कर लिया है। आपने जांच की है। उस सरपंच को सस्पेंड करवायें। उस पर गबन का मामला है, उसको सस्पेंड किया जाना चाहिये।

श्री शीशराम ओला : मैंने कोई गबन स्वीकार नहीं किया है। मैंने तो कलक्टर से जो रिपोर्ट आई है, वह सरकार को दी है। आपको जानकारी के लिये रखी है। कलक्टर साहब की जो दूसरी रिपोर्ट आ रही है, जो जांच चल रही है उसके आधार पर यदि वास्तव में वह गबन के दोषी पाये गये तो सरपंच को ही नहीं, कलेक्टर को भी सस्पेंड किया जा सकता है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : केवल सरपंच को सस्पेंड कर रहे हैं। मंत्री महोदय, तिजोरी में पैसा नहीं, पैसा खा गये। जिस तरह की आपकी रिपोर्ट है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। तथ्य सामने आ गया है....

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : सरकार ने सरपंच को निलम्बित नहीं किया है। बिन कारण के ही....

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई और जो दूसरी

(श्री मेघराज तावड़)
पार्टी, विरोधी पार्टी के सरपंच हैं, उनको निलम्बित किया गया है।

श्री शोशराम ओला : आप चाहते हैं कि बिना जांच हुए इस सरपंच को निलम्बित किया जाये और जो भ्रष्टाचारी हैं उनको रखा जाये।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मंत्री महोदय, जान बूझकर यह आरोप लगा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री शोशराम ओला : तो उसको निश्चित रूप से जाना पड़ेगा। हम और कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : मैं यह पूछना चाहता हूं कि आप यह मानने के लिए तैयार हैं कि इसमें किसी तरह की अनियमिततायें हैं, क्या यह बात सही है कि अनियमिततायें हीं थीं ?

श्री अध्यक्ष : इसमें मंत्री महोदय ने स्वयं स्वीकार किया है कि अनियमितता इसलिए इसको कारण बताओ नोटिस दिया गया है और फौजदारी कानून का भी यह मत है कि बिना जांच हुए निलम्बित नहीं किया जा सकता। कार्यवाह हो रही है। आगे यदि ढील दी जाती है तो इस प्रश्न को अन्य तरीके से उठाया जा सकता है। इस प्रश्न को यहीं समाप्त किया जाये।

श्री बाबूदयाल जोशी : कारण बताओ नोटिस जारी किया जाये। 5-7 महीने से जांच चल रही है।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य सदन की कार्यवाही में बाधा उपस्थित न करें।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक प्रश्न पूछना है।

श्री अध्यक्ष : मैं प्रश्न की इजाजत नहीं दे रहा हूं। जो उत्तर दिया गया है, वह पर्याप्त है।

(व्यवधान)

श्री हीरालाल आर्य : वह पर्याप्त नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। वह पर्याप्त है, कृपया स्थान ग्रहण करें। कोई प्रश्न पूछने की इजाजत नहीं है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : इसमें जो रूलिंग दिया है वह शिरोधार्य है।

श्री अध्यक्ष: अगर शिरोधार्य है तो बैठ जायें।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (बारची) : अगर शिरोधार्य है तो खड़े क्यों हैं ? बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): क्यों बैठ जायें।

श्री देवीसिंह भाटी: मैं तो अकेला हिम्मत रखता हूं बोलने की।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर: क्योंकि यह भैरूंसिंह गुर्जर कह रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): आप चुप रहें।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : आप चुप रहें। ढाई साल ही राज करके बैठ गये। आपने ढाई साल में राजस्थान की × × ×

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, यह हाउस का अपमान कर रहे हैं।

श्री मेघराज तावड़ी : यह गलत शब्द हाउस में प्रयोग में ला रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न पर पर्याप्त चर्चा हो गई है

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे बात कर रहा था, आप कह रहे थे, लेकिन बीच में माननीय सदस्य खड़े हो गये।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, इनको बिठायें × × × एक शब्द भी नहीं सुनने दिया।

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : इनके शब्द वापस लिये जायें।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था आपकी तरफ से होनी चाहिये। आप इन्हें समझायें।

(व्यवधान)

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : मंत्री कैसे रहे ढाई साल तक?

(व्यवधान)

यहां तो चुने हुए प्रतिनिधि है। आपसे तो जनता ने फैसला कर लिया, आप कभी सत्ता में आ ही नहीं सकते।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): × × ×

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : × × ×

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, माफी मांगनी चाहिये, माननीय सदस्य को।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आसन पैरों पर है ......

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : इन्होंने भी शब्द बोले है।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : यूं क्या हम में भी दम है, माफी मांगो।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न पुकार लिया, माननीय सदस्य।

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अभिव्यक्ति अपलोपित की गई।

(12)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : इस पर क्या व्यवस्था देना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष : मैंने कुछ सुना ही नहीं, क्या क्या हुआ ?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : आप कार्यवाही से जान लें।

श्री अध्यक्ष : मैं सहयोग के लिये प्रार्थना करता हूं।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : XXX

श्री अध्यक्ष : अगर अनपार्लियामेंट्री शब्द कोट किया गया है तो ...

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : आप यह चाहते हैं कि हम भी इस तरह के शब्द प्रयोग करें।

एक माननीय सदस्य : आप कर रहे हैं। आसन पैरों पर है, और आप खड़े रहते हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : माफी मंगाई जाये।

श्री भैरूंसिह गुर्जर : कोई माफी नहीं मांगूंगा, मैं।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है मेरा।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य ने कहा है, इन्हें सदन से बाहर निकाला जाये।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह (गुढ़ा) : ट्रेनिंग की जरूरत है XXX

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक): सदन में हर एक माननीय सदस्य है और उन सब की हर एक की जिमेदारी है कि इज्जत दें और इज्जत से सम्बोधन करें। मुझे नहीं मालूम भैरूंसिह जी ने कौनसा शब्द कहा है ? मैं तो दूर बैठा हूं। अगर इन्होंने कहा बैठ जाओ और अगर ये यह कह देते कि बैठ जाय, तो शायद यह बात नहीं होती.....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : विधान सभा में खड़े होकर कह रहे हो, तो तो...

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : मेहरबानी करके नियम पढ़कर आये।

(व्यवधान)

आप बैठ जाइये, मैं यह निवेदन करूंगा। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं, हम किसी के लिये किसी प्रकार से कोई भी ऐसा शब्द प्रयोग में नहीं लाना चाहते हैं जिससे किसी की आत्मा को दुख हो और जिनको दुख हुआ है तो मैं उनकी तरफ से क्षमा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष : जैसा माननीय सदस्यों को मैंने निवेदन कर दिया था.....

(व्यवधान)

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री अध्यक्ष)

आर्डर प्लीज ।

अगर कोई असंसदीय शब्दों का प्रयोग माननीय सदस्य ने किया है, मैं सदन की कार्यवाही देखूंगा और उन्हें हटा दूंगा ।

(व्यवधान)

अब मैं इजाजत नहीं दूंगा, माननीय सदस्य ।

(व्यवधान)

किसी प्रश्न की इजाजत नहीं दूंगा, माननीय सदस्य ।

श्री हीरालाल आर्य: आपने जो व्यवस्था दी है मेरे प्रश्न के बारे में कि सरपंच को सुनवाई का मौका देना चाहिये, निश्चित रूप से देना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : फिर आप बाधा उपस्थित कर रहे हैं ।

श्री हीरालाल आर्य : भ्रष्टाचार की रिपोर्ट साबित हो चुकी है ।

एक माननीय सदस्य: प्रश्न संख्या 210 है मेरा, उसका भी जवाब दिलवा दें ।

श्री अध्यक्ष : श्री मानसिंह देवड़ा ।

मानसिक रोग चिकित्सालय, जोधपुर का भवन

192. श्री मानसिंह देवड़ा (सरदारपुरा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मानसिक रोग चिकित्सालय, जोधपुर के भवन को राजस्थान सशस्त्र पुलिस को बेचा गया था और इसके बदले में मानसिक चिकित्सालय का नया भवन अन्यत्र निर्माण किया जाना था ?

(2) नये भवन के निर्माण के कार्य में देरी क्यों की जा रही है ? सरकार इस भवन का निर्माण कार्य कब तक पूरा करने जा रही है ?

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री सी. एल. कंवरिया): (1) जी हां।

(2) मानसिक रोग चिकित्सालय, जोधपुर के नये भवन का निर्माण कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रारम्भ किया जा चुका है। कार्य दिसम्बर, 1982 तक पूर्ण होने की सम्भावना है । निर्माण कार्य में विलम्ब नहीं हो रहा है ।

श्री मानसिंह देवड़ा : अध्यक्ष महोदय, भवन निर्माण हेतु पिछले वर्ष कितना रुपया स्वीकृत किया गया ? स्वीकृत राशि का उपभोग हुआ या लैप्स हुई ?

श्री सी. एल. कंवरिया : पिछले वर्ष निर्माण कार्य के लिये 3 लाख रुपया मंजूर हुआ था। इस वर्ष 8 लाख मंजूर हुआ है और यह भवन दिसम्बर, 82 तक पूर्ण होने की सम्भावना है। पिछले वर्ष 3 लाख रुपया स्वीकृत हुआ था लेकिन टेण्डर वगैरह आमन्त्रित करने में देरी हुई है । इसकी स्वीकृति 16-7-79 को हुई थी और बी. एस. एफ. ने इसका रुपया 6-9-80 को जमा कराया है । इस प्रकार जमा कराने में देरी हुई है । उसके बाद स्वीकृति हुई । स्वीकृति होने के बाद संक्शन निकाली गई । अब यह कार्य चालू

(14)

(श्री सी.एल. कंवरिया)
हो गया है और दिसम्बर, 82 तक पूरा होने की सम्भावना है।

श्री मानसिंह देवड़ा : क्या आप यह बतायेंगे कि इस समय मानसिक चिकित्सालय के मरीजों को और कहीं रखा जा रहा है? कृपया यह भी बतायें कहां-कहां रखा गया है?

श्री सी. एल. कंवरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है कि इस वक्त रोगियों को कहां कहां रखा गया है? जो टीचिंग हास्पिटल है, उसी के वार्ड में रखे गये हैं। कन्स्ट्रक्शन का काम तेजी से हो रहा है। जब भवन निर्माण हो जायेगा तो उनकी समुचित व्यवस्था हो जायेगी।

श्री मानसिंह देवड़ा : मानसिक चिकित्सालय के रोगियों को आईसोलेशन वार्ड में रखा गया है, जहां आदमियों को जाने की मनाई है, क्या यह सही है?

श्री सी० एल० कंवरिया : विभाग की सूचना के अनुसार उनको टीचिंग हास्पिटल में रखा गया है।

श्री माधोसिंह दीवान (सौजत) : क्या यह जरूरी नहीं था कि उनको आइसोलेशन वार्ड में न रखकर अन्यत्र रखा जाता? जब रकम जमा हो जाती है और ट्रान्सफर डीड हो जाता है तो फिर दिक्कत क्या आ रही थी?

श्री सी० एल० कंवारिया : वहां रोगियों के लिये समुचित व्यवस्था है। उनको टीचिंग हास्पिटल में रखा गया है। कोई व्यवस्था वहां नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

बाढ़ में क्षतिग्रस्त उद्योगों को प्रदत्त ऋण

193. श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि सन् 1978 में भरतपुर में बाढ़ आने पर क्षतिग्रस्त उद्योगों को 2 प्रतिशत ब्याज की दर से ऋण दिया गया और सन् 79 में बालोतरा जिला बाड़मेर में बाढ़ आने पर भी 2 प्रतिशत ब्याज की दर से उद्योगों को ऋण दिया गया? यदि हां, तो कुल कितने उद्योगों को दिया गया?

राज्य मंत्री, उद्योग (श्री प्रद्युम्न सिंह): सन 1978 में भरतपुर में बाढ़ आने पर क्षतिग्रस्त उद्योगों को 2 प्रतिशत की ब्याज दर पर कोई ऋण उपलब्ध नहीं कराए गये थे। वर्ष 1979 में बालोतरा, जिला बाड़मेर में बाढ़ आने पर 233 औद्योगिक इकाइयों को 2 प्रतिशत ब्याज की दर पर ऋण स्वीकृत किये गये थे।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : क्या यह सही है 1979 में 2 परसेन्ट की जगह 9 परसेन्ट ऋण वसूल करने के आदेश निकले?

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह बात सही है।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : तो इसका कारण क्या था?

श्री प्रद्युम्नसिंह : इसमें आई. डी. बी. आई. की स्पेशल स्कीम आयी थी कि

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

जिन लघु उद्योगों को दैवी विपदा के कारण नुकसान हुआ, उन्हें सस्ती दर पर ब्याज देकर उनका रिहेबिलिटेशन करने की उनकी योजना थी, 25 हजार की रकम पर 2 प्रतिशत और 25 हजार से ऊपर 7 प्रतिशत दर थी। यह सही है कि आई. डी.बी. आई. द्वारा राजस्थान फाइनेन्शियल कारपोरेशन को रिफाइनेन्स करा था। प्रश्न आने पर मैंने जानकारी की और हमने तय किया कि जिन उद्यमियों को ऋण दिया गया था, उसमें गलती नहीं थी उन्होंने इसी आधार पर ऋण लिये थे कि रिहेबिलिटेशन में 2 प्रतिशत पर कर्जा दिया जायेगा। अब 9 प्रतिशत की दर पर कर्जा वसूल करने की कार्यवाही की जा रही है, जो सरकार गलत मानती है। मैंने कल ही मुख्य मंत्री जी से बात की, तो उन्होंने आदेश दिया था कि राजस्थान फाइनेन्शियल कारपोरेशन को सरकार निर्देश देगी कि 2 प्रतिशत की दर पर ही कर्जा वसूल किया जाय।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री अमराराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इसमें कितना अनुदान और कितना ऋण दिया?

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैंने आपसे कहा अनुदान का प्रश्न नहीं था, आदेश था, 9 प्रतिशत की रेट पर कर्जा दिया गया था।

श्री अमराराम चौधरी : बाढ़ग्रस्त किसानों को जो कर्जा दिया गया, वह किस रेट पर दिया?

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता। बैठे बैठे बातें नहीं करें।

राजकीय चिकित्सालय, नौगावा (अलवर) के चिकित्सक की हत्या

194. **श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर)**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि दो माह पूर्व नौगांवा (अलवर) के सरकारी अस्पताल के डाक्टर उम्मेदी लाल की हत्या की गयी थी?

(2) क्या यह सही है कि इस हत्या और लूट की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करायी गई थी? यदि हां, तो क्या इसकी तफतीश की जा रही है?

(3) क्या यह सही है कि अभी तक पुलिस हत्यारों का पता नहीं लगा सकी है?

(4) क्या यह सही है कि रात को एक बजे यह वाकया हुआ और डाक्टर उम्मेदी लाल इस घटना के बाद बार बार यह कहता रहा कि उसको नौगांवा से अलवर अस्पताल मे पहुंचाया जावे, मगर मृतक की बात पुलिस और स्थानीय डाक्टर ने नहीं सुनी और उसको 6 बजे सुबह अलवर पहुंचाया गया और रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई?

(5) क्या यह सही है कि उसकी धर्मपत्नी को उसके साथ जीप में नहीं बैठाया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

(6) क्या यह सही है कि अधिकारियों की नेग्लीजेन्सी से डाक्टर उम्मेदी लाल की मृत्यु रास्ते में ही हो गई?

(7) क्या सरकार इसकी जांच शीघ्र करायेगी और हत्यारों का पता लगाने की कोशिश करेगी?

राज्य मंत्री, गृह (श्री प्रद्युम्नसिंह) :

(1) जी हां ।

(2) जी हां ।

(3) जी हां ।

(4) जी नहीं । मृतक डाक्टर श्री उम्मेदी लाल, जो होश में थे, के निर्देशानुसार दूसरे डाक्टर श्री मीणा उनका प्राथमिक उपचार करते रहे । कोई वाहन न उपलब्ध होने के कारण उन्हें तत्काल अलवर नहीं भेजा जा सका । प्रातः 5 बजे वाहन उपलब्ध होने पर जब उन्हें अलवर ले जाया जा रहा था तो रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई ।

(5) घायल डाक्टर की देखभाल हेतु उस जीप में उनके एक दोस्त सहित डॉक्टर मीणा एवं कम्पाउण्डर बैठे थे । स्थानाभाव के कारण उनकी पत्नी को दूसरी जीप में, जो पीछे-पीछे चल रही थी, बैठाया गया था ।

(6) अभी अनुसंधान जारी है ।

(7) राज्य सरकार के आदेश से इस अभियोग का अनुसंधान गुप्तचर विभाग की अपराध शाखा द्वारा किया जा रहा है । हत्यारों का पता लगाने के पूर्ण प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय इस वाकये के बाद मैं मौके पर गया था। मैंने पुलिस से पूछा कि रात को एक बजे वाकया हुआ और सुबह 5 बजे तक अलवर क्यों नहीं ले गये ? अध्यक्ष महोदय, नौगांवा चैक पोस्ट है। सारी गाड़ियां वहां चैक होती हैं । 8 गाड़ियां निकलती हैं। वहां के आदमियों ने बतलाया कि वहां एक बस हमेशा खड़ी रहती है। वेहीकल्स हर समय रहते हैं । वहां उस समय प्राइवेट गाड़ी खड़ी हुई थी । जीप को तो बुलाया गया लेकिन उसके साथ-साथ जीप आने के बाद उसको काम में नहीं लिया गया । एक बजे बाद उसको आगे ले जाकर रोक दिया गया । डाक्टर के बार-बार कहने पर भी उसको अलवर नहीं पहुंचाया गया। यह रिकार्ड की बात है । गाड़ी हर समय खड़ी रहती है । यह चैक पोस्ट है और 23 मील दूर है। इंतजाम नहीं करना, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। यातायात मन्त्री जी से पूछिये, मैं स्वयं अलवर गया था, इसके कारण भूख हड़ताल हुई, जो कि डाक्टरों ने की । रिप्रजेंटेशन हुआ । जो जीप थी उसमें उसकी मृत्यु हो गयी उसकी वाइफ को उसमें नहीं बैठने दिया गया जबकि और आदमी बैठा दिये गये। डाक्टर ने बार-बार कहा था कि मैं उनको पहचानता था। इस डर से कि वह बता न दे कि कौन थे । उसकी वाइफ को जीप में नहीं बैठने दिया गया। मौके पर लाश पहुंची तो डाक्टर ने कहा कि एक घण्टे पहले आ जाते अलवर पहुंच जाते तो इलाज हो सकता था । डाक्टर सारी बात बता देते, यह मृत्यु मेडिकल अधिकारियों और पुलिस की नैगलीजेंसी की वजह से हुई है । डाकूमेंट हैं, बिलकुल साफ बात है । इसलिए मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा, और मुख्य मंत्री जी भी मौजूद हैं, यह मामला सीरियस है । सारे अलवर के डॉक्टर सीज्ड हैं। इसको रोक दिया गया

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)
और दवा दिया गया। यह बात ठीक है कि मन्त्री महोदय इसको देखेंगे किन्तु इससे नतीजा क्या निकलता है? उसको पता लगाने का कोई परिणाम नहीं निकला, मुझे पता है कि······

श्री चाव खां (कामां) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में···

श्री अध्यक्ष : उत्तर आने दीजिए, उसके बाद में आपको अवसर दूंगा।

श्री चाव खां : एक मिनट, मुझे कुछ नहीं कहना है, मैं सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि मैं जब भी सफर करता हूं, नौगांवा होते हुए ही सफर करता हूं। वहां हर 15 मिनट में गाड़ी आती रहती है। वहां गाड़ी नहीं मिलने की बात गलत है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, जो मेरे पास तथ्य उपलब्ध थे वह मैंने सदन की जानकारी में लाये। जो माननीय सदस्य श्री बद्रीप्रसाद जी ने कहा नौगांवा चैक पोस्ट के ऊपर एक बस हमेशा खड़ी रहती है और बस आती रहती हैं, वहां के इस फैक्ट को भी मैं सी. आई. डी. की क्राइम ब्रांच के जो अधिकारी जांच कर रहे हैं, उनको भेज दूंगा कि इस तथ्य को भी, इस पहलू को ध्यान में रखकर जांच करें, पहली बात। दूसरी बात, जो कुछ माननीय सदस्य ने कहा है मैं उनकी पत्नी के बयान पढ़ रहा था उन्होंने संक्षेप में बयान दिया था। यह सब बातें कही है। पुलिस इस बारे में पूरी तरह सीज्ड है। उनके वकील साहब मुझसे स्वयं मिले थे। मैंने कहा था कि आप इस बारे में मुझसे क्या मदद चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि इस आफिस को तफतीश दे दी जाये। जैसा मैंने पूर्व में कहा था, उसी आफिसर को तफतीश के लिए लगा दिया गया। दूसरी बात, एस. पी. सी. आई. डी., जिनका अजमेर ट्रान्सफर हुआ है, वह भी मौके पर गये और जो अलवर में नयी पोस्टिंग की है महर्षि की, उनसे मैंने व्यक्तिगत रूप से कहा है कि आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। इसके अन्दर तरह-तरह की धांधली और शक हो रहा है। सबसे बड़ा शक है कैसेट। उन्होंने कहा कि उनकी धर्मपत्नी का बयान है कैसेट में, इससे कुछ लगता है कि संदिग्ध मामला है। और दूसरी चीज छोड़कर कैसेट ले गये, रुपया और अंगूठी को छोड़ दिया। मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि इससे अपराधी चौकन्ने हो जाएंगे। जिस किस्म की बातें कल माननीय सदस्य ने मुझे बतायी थीं, उनके पिताजी ने बतायी थीं, तो उनका हवाला देकर सी. आई. डी. क्राइम ब्रान्च द्वारा पूरा प्रयत्न किया जायगा जांच करके अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवायी जाय यही व्यवस्था करने का विश्वास दिलाकर मैं चलना चाहता हूं।

श्री मेहरसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, एक पूरक प्रश्न।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह था कि जिन अधिकारियों की इसमें नेगलीजेंसी रही है, जिन्होंने अपनी ड्यूटी को नेग्लेट किया है उनकी जांच होनी चाहिये। उनकी ड्यूटी थी नौगांवा से अलवर पंहुचने की,

(श्री हरीप्रसाद गुप्ता)

उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की मेरा निवेदन है कि नौगांवा से आठ गाड़ी रोज चलती हैं, यह रिकार्ड पर है। हर चार चार घण्टे बाद वहां से गाड़ी जाती है। उसके बाद भी आप कहते हैं कि गाड़ी नहीं मिली फिर उनको चैक पोस्ट पर रोक दिया गया, जान बूझकर उनको आने नहीं दिया गया जिसके कारण वह समय पर अलवर नहीं पहुंच सके और रास्ते में ही डैथ हो गई। इसलिए उन अधिकारियों के खिलाफ जांच होनी चाहिए। वहां पर दूसरे डाक्टर थे, कम्पाउण्डर थे। वह स्वयं यह कहते रहे कि मुझे अलवर भेजो। अगर वह अलवर पहुंच जाते तो उनका डाइंग डिक्लेरेशन हो सकता था और सारी स्थिति सामने आ जाती। यह सारी कार्यवाही एविडेंस को खत्म करने की साजिश है। क्या मंत्री महोदय इस बात की जांच करेंगे कि वहां से गाड़ियां जाती हैं या नहीं? यह तो रिकार्ड पर मौजूद है।

श्री दुलाराम (रायसिंह नगर) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरूसिंह गुर्जर।

श्री भैरूसिंह गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, इस हत्या के सम्बन्ध में स्थानीय पुलिस के आदमी नाजायज तरीकों से अन्य व्यक्तियों को तंग करके पैसा बटोर रहे हैं, क्या यह सही है?

श्री दुलाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकर्ता ने जिस तरीके से पुलिस पर इल्जाम लगाया है, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आज तक की तफतीश के अन्दर क्या पुलिस को दोषी पाया गया है?

श्री अध्यक्ष : श्री जीतमल जैन।

श्री जीतमल जैन (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार माननीय सदस्य ने सारी स्थिति का वर्णन किया है, उसके बारे में मुझे भी जानकारी है, क्योंकि मैं स्वयं भी अलवर का रहने वाला हूं। मृतक के पिता अच्छे वकील हैं वह भी मुझसे मिले थे। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जिस प्रकार की पुलिस अधिकारियों ने और मेडिकल अधिकारियों ने लापरवाही बरती हैं क्या सरकार उनके खिलाफ कार्यवाही करने की मंशा रखती है?

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, जिन पहलुओं को यहां पर उठाया गया है उन पहलुओं को भी रेफर कर दिया जायेगा जिससे मालूम हो सके कि किसकी नेगलीजेंसी रही है? नौगांवा से बसेज पास होती है, तो क्यों नहीं बसेज को रोका गया? और भी कर्मचारी थे, दूसरा डाक्टर था, कम्पाउण्डर था, पी.एच.सी. के अन्य कर्मचारी थे उन्होंने क्या किया? पूरी छानबीन की जाएगी? मैं विश्वास दिलाता हूं कि किसी को बचाने का कोई इरादा नहीं है।

श्री दुलाराम : अभी तक की जांच से दोषी पाये गये है क्या?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, स्थगित प्रश्न।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : अध्यक्ष महोदय, अभी से स्थगित प्रश्न

(श्रीमती विद्या पाठक)
क्यों लेते हैं ? प्रश्नों का कण्टीन्यू करवा लें।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न, श्री छीतर लाल आर्य, श्री हीरालाल आर्य।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 16 सितम्बर 1981)

बलवीर सागर तालाब का निर्माण कार्य

68. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति इटावा को ग्राम पंचायत सलाव में बलवीर सागर तालाब का पंचायत समिति द्वारा ठेके पर कार्य कराया गया है ?

(2) यदि हां, तो क्या कार्य कराया गया तथा कितने रुपये का ? इस कार्य के लिए किन-किन ठेकेदारों ने आवेदन किया था ? किस ठेकेदार से इस कार्य को कराया गया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इस कार्य का मूल्यांकन कराया गया तथा पूर्ण जानकारी के बाद ही पेमेन्ट किया गया ?

(4) क्या यह भी सही है कि इस कार्य में गबन हुआ है ? यदि हां, तो इसके लिए दोषी कौन है तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

राज्य मन्त्री, पंचायत (श्री शीशराम ओला) : (1) जी हां।

(2) काजवे (रपट) का कार्य करवाया गया था। जिसमें 20,059.40 व्यय हुआ है। इस कार्य के लिए निम्न तीन ठेकेदारों ने आवेदन किया था :

(1) श्री बद्रीलाल शर्मा इटावा (2) श्री भगवतीप्रसाद, इटावा तथा (3) श्री विजय कुमार, कोटा।

श्री विजयकुमार, कोटा से यह कार्य कराया गया।

(3) जी हां। इस कार्य का मूल्यांकन, कार्य पूर्ण होते ही करा दिया गया तथा मूल्यांकन के बाद ही भुगतान किया गया है।

(4) जी नहीं।

श्री हीरालाल आर्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो ठेकेदार थे बद्रीलाल, भगवतीप्रसाद और विजयकुमार, जिन्होंने यह काम किया है, यह तीनों एक ही परिवार के सदस्य हैं। ठेका नियमानुसार नहीं हुआ। यह भी बतायें कि उनको ठेका किस तारीख को दिया गया ?

श्री शीशराम ओला : माननीय सदस्य मेहरबानी करके जो भी प्रश्न पूछें वह वेग में न पूछा करिये। ठेका हुआ है और यह विजयकुमार कोटा का बताया गया है। आप हर बात में बहुत उत्तेजित हो जाते हैं। मैं एक बात बताना चाहूंगा कि पिछली बार पीपल्दा की पुलिया निर्माण कार्य के लिए यहां कहा था कि इसमें ठीक से रिपोर्ट नहीं आई। मैंने हाउस के समक्ष कहा था कि दोषी पाये जाने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने बी. डी. ओ. को कल ही सस्पेंड कर दिया है। अगर इसमें भी गड़बड़ी पाई गई तो उसको भी

(20)

(श्री शीशराम ओला)
मैं नहीं बख्शूंगा।

(व्यवधान)

पहले आपके प्रश्न का उत्तर दे देने दीजिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : एक मिनट, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय को सुनिये।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : प्रद्युम्नसिंह जी को भी ऐसे ही समझायें।

श्री शीशराम ओला : पंचायत समिति, इटावा की ग्राम पंचायत, तलाव में नाला बलवीर सागर पर काजवे (रपट) के निर्माण कार्य हेतु कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा 13960) रु. का एस्टीमेंट दिनांक 25-12-76 को प्रस्तुत किया। इस पर पचायत समिति, इटावा द्वारा 15-1-77 को टेण्डर मांगे गये। निम्नांकित ठेकेदारों ने इस सम्बन्ध में टेण्डर प्रस्तुत किये। श्री भगवतीप्रसाद, इटावा ने जो पी.डब्ल्यू.डी. की रेट्स हैं उनसे 66 प्रतिशत अबाउ दिया। दूसरा बद्रीलाल, इटावा है जिसने 65 प्रतिशत अबाउ रेट दी और श्री विजयकुमार, कोटा। इसमें लिखा हुआ है, मैं किसी के पास जाकर नहीं आया हूं, कलेक्टर ने यह लिख कर भेजा है, कि उसने 55 पर्सेन्ट अबाउ दिया है। इस प्रकार से तीनों के बीच में सबसे नीचा टेण्डर विजयकुमार का था। उनको यह कार्य दिया गया है। सबसे कम टेण्डर इनका होने से कार्य का आदेश दिनांक 27-1-77 को दिया गया। ठेकेदार द्वारा यह कार्य दिनांक 31-1-77 को प्रारम्भ करके दिनांक 12-6-77 को पूर्ण किया। कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा इस कार्य का मूल्यांकन दिनांक 12-6-77 को 20,059.40 का किया। तदनुसार ठेकेदार को दिनांक 5-7-77 को भुगतान किया गया। इस कार्य में कोई गबन नहीं हुआ और न कोई अनियमितता ही बरती गई है। इस मामले में कोई शिकायत अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपके ही राज में हुआ है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री भैरूसिंह गुर्जर।

ग्राम सेवकों के सेवा नियम

80. श्री भैरूसिंह गुर्जर (खारची) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ग्राम सेवकों को पदोन्नति देने के क्या नियम हैं ?

(2) पदोन्नतियां करने में अनुसूचित जाति व जन-जाति के कर्मचारियों का क्या प्रतिशत है एवं क्या पिछले पांच वर्षों में इस प्रतिशत के आधार पर पदोन्नतियां दी गई हैं ?

(3) क्या एडहाक पदोन्नति हेतु जन-जाति के ग्राम सेवक को पदोन्नति दिए जाने मे प्राथमिकता है ? क्या इसमें ज्यादा शिक्षित को प्राथमिकता है ?

राज्य मंत्री पंचायत (श्री शीशराम ओला) : (1) सामुदायिक विकास एवं पंचायत विभाग में ग्राम सेवकों को पंचायत प्रसार अधिकारी के पद पर पदोन्नति दी जाती है, जिसके

(21)

(श्री हीरालाम प्रोला)

लिए राजस्थान पंचायत अधीनस्थ सेवा नियम, 1973 लागू हैं। इसी प्रकार कृषि विभाग में ग्राम सेवकों को सहायक कृषि अधिकारी के पद पर पदोन्नति देने के लिए राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा नियम, 1978 लागू हैं। इसके अतिरिक्त ग्राम सेवकों को वरिष्ठता के आधार पर 20 प्रतिशत पदोन्नति वरिष्ठ वेतन श्रृंखला में दिये जाने का प्रावधान है, जो जिला कर्मचारी वर्ग समिति द्वारा दी जाती है।

(2) अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को क्रमश: 16 प्रतिशत एवं 12 प्रतिशत पदोन्नति देने का प्रावधान है। पिछले पांच वर्षों में पदोन्नतियां वरिष्ठता, योग्यता एवं अनुसूचित जाति तथा जन-जाति के कर्मचारियों की उपलब्धता के आधार पर दी गई है।

(3) जी नहीं।

श्री भैंरूंसिंह गूजर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि गत पांच वर्षों में जो पदोन्नतियां दी गई, उनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति का कोटा पूरा किया गया है या नहीं ?

श्री शीशराम ओला : इसमें कोटा पूरा नहीं हुआ। कोटे से कम पदोन्नतियां दी गई हैं। इसका कारण यह है कि जो शुरू में ग्राम सेवकों की भर्ती की गई थी उसमें वह भर्ती नहीं हो पाये थे। शुरू में जो ग्राम सेवक रिक्रूट किये गये थे उनको 50 से 70 रु. माहवार देकर ट्रेनिंग करवाई जाती थी। उसमें अनुसूचित जाति और जन-जाति के लोग नहीं जा पाये थे, इस कारण से शुरू-शुरू की भर्ती में दूसरे लोग ज्यादा चले गये, जिससे पदोन्नति में उस रेश्यो से नम्बर नहीं आ सका। इसको हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। निश्चित रूप से कोटा में कमी ही है, उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे।

श्री भैंरूंसिंह गूजर : अध्यक्ष महोदय, इससे सम्बन्धित ही एक प्रश्न है। जो पिछले समय, ढाई साल तक नाकारी सरकार आ गई थी उसने अनियमिततायें कर दी, तो क्या वह अनियमितता हमारी सरकार मिटा सकेगी ?

श्री अध्यक्ष : दुबारा पूछिये।

श्री भैंरूंसिंह गूजर : मेरा यह निवेदन करना है कि पिछले पांच साल में से ढाई साल के लिए जो नाकारी सरकार आ गई थी जिसके कारण ये सारी अनियमिततायें हुई हैं, वह अनियमिततायें हमारी सरकार दूर करेगी ?

श्री शीशराम ओला : यह अपन ठीक करेंगे।

श्री मेघराज तावड़ : मंत्री महोदय, जो रोस्टर प्रणाली लागू है....

श्री अध्यक्ष : श्री नन्दलाल मीणा।

श्री नंदलाल मीणा (प्रतापगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा जैसा वे कहते हैं कि "जो वह कहते हैं, वही करते हैं" तो क्या शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का इस विभाग का जो शैक्षणिक कोटा है, वह भरा

(श्री नन्दलाल मीणा)

गया है ? अगर नहीं भरा गया है, तो क्या उस बैकलॉग को पूरा करना चाहते हैं ?

श्री शीशराम ओला : जरूर करना चाहते हैं।

श्री नन्दलाल मीणा : उसके समय की परिधि क्या होगी ? कितने समय में कर देंगे ?

श्री शीशराम ओला : समय के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। जितना जल्दी होगा करेंगे।

श्री नन्दलाल मीणा : मैं पूछना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से कि विभाग में कर्मचारियों का जो प्रमोशन होता है, वह सीनियोरिटी के आधार पर होता है या कन्फर्मेशन के आधार पर होता है ?

श्री शीशराम ओला : यह अलग से प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्न

सहकारी समितियों/बैंकों/संघों में अध्यक्षों को परिलब्धियां

188. श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत (भीम) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सहकारी समितियों, सहकारी बैंकों एवं सहकारी संघ आदि राजकीय प्रतिष्ठानों में जो अध्यक्षों की नियुक्तियां हुई हैं उनको आजकल कितना कार अलाउन्स तथा यात्रा एवं दैनिक भत्ता दिया जा रहा है ?

(2) पहले जो चुने हुए प्रतिनिधि अध्यक्ष होते थे उनको तथा गैर सरकारी मनोनीत अध्यक्षों को कितना कार अलाउन्स यात्रा एवं दैनिक भत्ता दिया जाता था ?

उत्तर

(1) सहकारी संस्थाओं में मनोनीत अध्यक्षों को कार अलाउन्स, यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता के बारे में अभी विचार चल रहा है। केवल राजस्थान राज्य सहकारी संघ और राजस्थान राज्य सहकारी बुनकर संघ के मनोनीत अध्यक्षों को विधान सभा सदस्यों के समान यात्रा व दैनिक भत्ता देने का निर्णय लिया गया है।

(2) सहकारी संस्थाओं में चुनाव के जरिये आने वाले अध्यक्षों को सिटिंग फीस एवं उपनियमों में निर्धारित यात्रा भत्ता देय होता है। पूर्व में कुछ शीर्ष सहकारी संस्थाओं में गैर सरकारी मनोनीत अध्यक्षों को मंत्रियों के समान सुविधायें दी गई थीं जिनमें मंत्री के अनुसार कार अलाउन्स यात्रा और दैनिक भत्ता एवं चिकित्सा सुविधायें थीं।

गंगानगर में कृषि निर्भर उद्योगों का विकास

189. श्री मानसिंह चौधरी (भादरा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा

(श्री मानसिंह चौधरी)

करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कृषि प्रधान जिला गंगानगर में कृषि निर्भर उद्योगों के विकास की विपुल संभावनाएं हैं ?

(2) जिला गंगानगर में गन्ना, तिलहन, कपास तथा चावल का प्रतिवर्ष कितना उत्पादन होता है ?

(3) इस जिले में सार्वजनिक, निजी और सहकारिता के क्षेत्र में, कितने–कितने कारखाने हैं ?

(4) कुल कारखानों में कितने श्रमिकों को नियमित एवं सीजनल कार्य मिल रहा है ?

(5) सार्वजनिक और सहकारिता के क्षेत्र में कितने कारखाने लगाने की सरकार की योजना है ?

(6) क्या सरकार जिला गंगानगर को औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ घोषित करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) गत पांच वर्षों के उत्पादन के विवरण की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) गंगानगर जिले में निजी क्षेत्र में 784, सार्वजनिक क्षेत्र में 19 तथा सहकारिता क्षेत्र में 11 करखानें हैं।

(4) इन कारखानों में 15,273 श्रमिक कार्यरत हैं जिनमें 7,033 सीजनल व 8,240 नियमित हैं।

(5) सहकारिता क्षेत्र में 5 कारखाने और लगाये जाने की योजना है। सार्वजनिक क्षेत्र में कारखाना लगाया जाने का कोई प्रस्ताव फिलहाल राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(6) औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले भारत सरकार के योजना आयोग द्वारा घोषित किये जाते हैं। राज्य सरकार द्वारा सम्पूर्ण राज्य को पिछड़ा घोषित करने हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव भेजे गये हैं, वे उनके विचाराधीन हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट. 2 देखें)

बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता

190. श्री दीपेन्द्रसिंह (श्री माधोपुर): क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में अगस्त, 1981 तक शिक्षित व प्रशिक्षित बेरोजगारों की संख्या क्या है ? कुल जनसंख्या का यह कितने प्रतिशत है ?

(2) यह संख्या गत वर्षों में घट रही है अथवा बढ़ रही है ? परिवर्तन का प्रतिशत क्या रहा ?

(3) उक्त समस्या के समाधान के लिये राज्य सरकार के पास ठोस नीति क्या है ?

(4) बेरोजगारी की समस्या पर कब तक काबू पाया जा सकेगा ?

(श्री दीपेन्द्रसिंह)

(5) रोजगार उपलब्ध न कराने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता देने के सम्बन्ध में क्या सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो इसे अन्तिम रूप कब तक दिया जा सकेगा ?

उत्तर

(1) राज्य के विभिन्न नियोजन कार्यालयों में जून, 1981 के अन्त में 3.77 लाख आशार्थी पंजीकृत थे जो राजस्थान की 1981 की कुल जनसंख्या (341.03 लाख) का 1.11 % है। इनमें कुल 2.11 लाख यानि कुल जनसंख्या का 0.62 प्रतिशत अशिक्षित व 1.66 लाख यानि 0.49 प्रतिशत शिक्षित आशार्थी थे।

(2) पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या गत वर्षों में बढ़ी है। परिवर्तन का प्रतिशत गत वर्षों में घटता बढ़ता रहा है।

(3) राज्य सरकार की नीति बेरोजगारों व अल्प रोजगारों में कमी करने के लिये जन शक्ति का यथोचित विकास एवं रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराना है। इस उद्देश्य से राज्य की छठी पंचवर्षीय योजना में विभिन्न श्रम प्रधान योजनाओं/कार्यक्रमों के लिये यथोचित वित्तीय प्रावधान किया गया है।

(4) इस हेतु कोई तिथि निश्चित नहीं की जा सकती है।

(5) वर्तमान में ऐसी कोई योजना वित्तीय कठिनाइयों के कारण राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

द्वितीय श्रेणी आशुलिपिकों को वेतन वृद्धि

139. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन): क्या मुख्य मंत्री (कार्मिक) यह बताने कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान मंत्रालयिक सेवा नियमों में आंशिक संशोधन किये जाकर समय-समय पर द्वितीय श्रेणी के आशुलिपिकों को बगैर राजस्थान लोक सेवा आयोग की परीक्षा उत्तीर्ण किये उनको देय वेतन वृद्धियां पूर्ववर्ती तिथियों से दी जाती रही हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि जिन आशुलिपिकों को वेतन वृद्धियां स्वीकार की गई हैं उन्होंने एक ही भाषा (हिन्दी अथवा अंग्रेजी) में राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से परीक्षा उत्तीर्ण की है ?

(3) क्या यह भी सही है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा द्वितीय श्रेणी के आशुलिपिकों के लिये एक भाषा की आशुलिपि (हिन्दी/अंग्रेजी) में परीक्षा उत्तीर्ण करना पर्याप्त मान लिया गया है ? यदि हां, तो वर्ष 1972 के पश्चात् नियुक्त हुये आशुलिपिक, जो निरन्तर आशुलिपिक के पद पर कार्य कर रहे हैं और जिन्होंने राजस्थान लोक सेवा आयोग से प्रथम अवसर में परीक्षा उत्तीर्ण करली है, क्या उनको अब वेतन वृद्धियां मूतलक्षी प्रभाव से देने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(मुख्य मंत्री)

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम, 1957 में समय समय पर संशोधन कर दिनांक 31-7-77 तक शीघ्रलिपिक द्वितीय श्रेणी अथवा आशुटंकक के पदों पर कार्यरत व्यक्तियों को, जो वांछित योग्यता रखते थे, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित शीघ्रलिपिक विषयक परीक्षा उत्तीर्ण करने से मुक्त किया जाकर, स्थाई रूप से नियुक्त किये जाने के संबंध में प्रावधान सम्मिलित किये गये हैं। ऐसे व्यक्तियों को वेतन वृद्धि दिये जाने हेतु कार्मिक विभाग द्वारा आवश्यक आदेश परिचालित किये जा चुके हैं।

(2) जी हां।

(3) दिनांक 23-5-79 से पूर्व दोनों भाषाओं (हिन्दी एवं अंग्रेजी) की आशुलिपि में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य था परन्तु नियमों में किये गये संशोधन के अनुसार दिनांक 23-5-79 से शीघ्रलिपिक द्वितीय श्रेणी के पद पर नियुक्ति हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित हिन्दी शीघ्रलिपि अथवा अंग्रेजी शीघ्रलिपि किसी एक में परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। वर्ष 1972 के बाद तथा दिनांक 23-5-79 के पूर्व आशुलिपिकों ने राजस्थान लोक सेवा आयोग से केवल एक भाषा में परीक्षा उत्तीर्ण करली है उन्हें इस आधार पर वेतन वृद्धियां स्वीकार करने का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है।

फतेहपुर (सीकर) में दुकानों का जलाया जाना

140. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा), एवं श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जून, 1981 में फतेहपुर, जिला सीकर में कुछ लोगों द्वारा करीब 20 दुकानों को जला दिया गया था ?

(2) यदि हां, तो क्यों तथा इसमें कौन कौन व्यक्ति दोषी पाये गये तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) साम्प्रदायिक तनाव के कारण। इस घटना के सम्बन्ध में पंजीबद्ध अभियोगों में अनुसंधान सी. आई. डी. (अपराध शाखा) द्वारा किया जा रहा है। तत्पश्चात् ही दोषी व्यक्तियों के बारे में निश्चय हो सकेगा।

पुलिस लाइन्स, जयपुर में तैनात बार्बर का पेन्शन प्रकरण

141. श्री मालाराम (खेतड़ी): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री राम किशन वल्द श्री सूरजभान, कौम बार्बर, तैनात पुलिस लाइन्स, जयपुर की मृत्यु दिनांक 27-12-1978 को हो गयी थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि उसकी मृत्यु हो जाने के बाद उसका पेन्शन केस तैयार किया जाकर उसकी पत्नी को पेन्श

(श्री मालाराम)

देने के आदेश जारी किये गये थे ? यदि हां, तो क्या यह पेन्शन मृतक श्री राम किशन की पत्नी श्रीमती प्रेमलता को दी जा रही है ? यदि नहीं, तो अब तक नहीं दिये जाने का क्या कारण है ?

(3) अब कब तक पेन्शन का चुकारा मृतक की विधवा को कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1.) जी नहीं। श्री रामकिशन बाबेर की मृत्यु दिनांक 26-2-78 को हुई थी।

(2) जी, हां। पेन्शन पेमेन्ट आदेश हो जाने के उपरान्त मृतक की पत्नी द्वारा पेन्शन लेने हेतु कोषाधिकारी के समक्ष उपस्थित न होने के कारण पेन्शन नहीं दी जा सकी।

(3) मृतक की पत्नी द्वारा मुख्य पेन्शन धिकारी से पेन्शन पेमेन्ट आदेश प्राप्त कर कोषाधिकारी के समक्ष उपस्थित होने पर पेन्शन का चुकारा हो सकेगा।

कोटा डिवीजन में अपहरण के मामले

142. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) कोटा डिवीजन में 1980-81 में अपहरण के कितने मामले दर्ज कराये गये ? कृपया सूची जिला व थाना सहित सदन के पटल पर रखे ?

(2) इन मामलों में कितने दिन में पुलिस द्वारा बरामदगी की कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) वांछित सूचना संलग्न है।

(2) वांछित सूचना संलग्न है।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

ग्राम उदासर, जिला बीकानेर में 50 बुनकरों के लिए बुनकर बस्ती

143. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जिला बीकानेर के ग्राम उदासर में 50 बुनकरों के लिए बुनकर बस्ती बनाई गई थी ? यदि हां, तो इस बस्ती के लिए कितना अनुदान एवं ऋण मंजूर किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि इस बस्ती के मकान किसी भी बुनकर को आवंटित नहीं किये गये ?

(3) क्या यह सही है कि इस बुनकर बस्ती के मकान आवंटन न होने से जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पड़े हैं ?

(4) क्या सरकार इस बस्ती के लिए और अनुदान एवं ऋण मंजूर करके इन मकानों की मरम्मत कराने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या सरकार बुनकरों को विशेष योजना बनाकर ऋण देकर काम देने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(उद्योग मंत्री)

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि ग्राम उदासर, जिला बीकानेर में बुनकरों की बस्ती बनाई गई थी। बुनकरों की इस बस्ती को बनाने हेतु सरकार द्वारा 1,87,500/- रु. का ऋण एवं 60,600/- रु. की राशि अनुदान के रूप में उदासर हाथ कर्घा वस्त्र उत्पादक सहकारी समिति, बीकानेर को वर्ष 1962-63 में स्वीकृत की गई थी।

(2) इस योजना के अन्तर्गत मकान सहकारी समिति द्वारा बनाये गये थे तथा मकानों का आवंटन भी इसी सहकारी समिति द्वारा किया जाना था। मकानों के आवंटन की सूचना इस विभाग को समिति द्वारा नहीं दी गई।

(3) मकान जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं।

(4) जी नहीं। सरकार का इस बस्ती के लिये और ऋण स्वीकृत कर इसकी मरम्मत करने का कोई विचार नहीं है। समिति वर्ष 1971 में ही अवसायन में आ चुकी है और यह मामला जन मांग अधिनियम के तहत दिया हुआ है तथा उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर द्वारा इन मकानों की नीलामी 21 से 23 सितम्बर, 1981 निर्धारित की हुई है।

(5) जी नहीं। बुनकरों के उत्थान हेतु चालू योजनाओं के माध्यम से ही अधिक से अधिक बुनकरों को लाभान्वित करने के प्रयास किया जा रहा है।

टोंक जिला उद्योग अधिकारी द्वारा उद्योगों को माल का प्रदाय

144. श्री महावीरप्रसाद जैन (टोंक): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

टोंक जिला उद्योग अधिकारी द्वारा सन् 1980-81 व 1981-82 में कितना कच्चा माल प्राप्त किया तथा किन किन उद्योगों को क्या-क्या कितना कितना माल दिया गया?

उत्तर

जिला उद्योग अधिकारी, टोंक के द्वारा सन् 1980-81 व 1981-82 में जिन उद्योगों को कच्चे माल का वितरण किया गया उन उद्योगों के नाम, माल की किस्म तथा मात्रा की सूची अ, ब, स व द संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

गांव ओडन (नाथद्वारा) को औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया जाना

145. श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नाथद्वारा विधान सभा क्षेत्र के गांव ओडन को औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया गया है? यदि हां, तो क्या इसका विकास किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) अब कब तक इस क्षेत्र का विकास किया जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां। जिलाधीश, उदयपुर द्वारा 15 बीघा भूमि पर 28 भू-खण्ड नियोजित किये गये थे। जिनमें से 17 भू-खण्डों की अविकसित भूमि विभिन्न उद्यमियों को आवंटित की गई थी। आवंटित भू-खण्डों में से 10 भू-खण्डों पर उद्योग

(20)

(उद्योग मंत्री)

स्थापित हो चुके हैं, जो उत्पादनरत हैं। चूंकि भूमि अविकसित आवंटित की गई थी अतः आवंटित अविकसित भूमि को विकसित करने का उत्तरदायित्व उद्यमियों पर ही है।

(2) क्योंकि इस क्षेत्र का विकास स्वयं उद्यमियों द्वारा ही किया जाना है' अतः इस क्षेत्र का विकास उद्यमियों पर ही निर्भर करता है।

सीमेंट पोल बनाने वाली फैक्ट्रीज को सीमेंट का आवंटन

146. सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : एवं श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) दिनांक 1 अप्रैल, 1980 से अब तक राज्य में सीमेंट पोल बनाने वाली किन किन फैक्ट्रीज को कब-कब कितनी कितनी सीमेंट का आवंटन किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि विभाग के पास इस बात की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं कि कई सीमेंट फैक्ट्रीज ने आवंटित सीमेंट को कालाबाजार में विक्रय कर दिया है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किन-किन फैक्ट्रीज के खिलाफ कब-कब क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) दिनांक 1 अप्रैल, 1980 से सीमेंट पोल बनाने वाली इकाइयों को आवंकिये गये सीमेंट की सूची संलग्न है।

(2) जी हां। विभाग के पास अप्रेल, 80 के बाद 4 सीमेंट आधारित उद्योगों के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने पर 2 इकाइयों के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई थी तथा दो इकाइयों के विरुद्ध विभागीय जांच की गई थी। इनमें से एक इकाई के विरुद्ध अभी पुलिस विभाग में जांच कार्य चल रहा है तथा एक इकाई के विरुद्ध दुरूपयोग सिद्ध नहीं होने पर पुलिस द्वारा अन्तिम रिपोर्ट दे दी गई है। एक इकाई के विरुद्ध विभागीय जांच जारी है तथा एक का सदुपयोग पाया गया। इकाईवार विवरण निम्न प्रकार है :-

1. **मैसर्स केदार तेल इण्डस्ट्रीज फुलेरा:** उक्त इकाई के विरुद्ध जिला रसद अधिकारी द्वारा जुलाई, 81 में 200 बोरी सीमेन्ट के दुरुपयोग के विरुद्ध पुलिस विभाग में एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है। इस प्रकरण में विभाग द्वारा जांच कार्य जारी है।

2. **मैसर्स कासलीवाल इण्डस्ट्रीज साहीपुरा, जिला जयपुर :**

इकाई द्वारा 22 टन आवंटित सीमेंट के दुरुपयोग की शिकायत प्राप्त होने पर विभाग द्वारा 20-10-80 को पुलिस में एफ. आई. आर. दर्ज कराई गई थी परन्तु पुलिस द्वारा जांच किये जाने पर दुरुपयोग सिद्ध नहीं होने के कारण एफ. आई आर. दी गई तथा विभाग द्वारा भी जांच कार्य समाप्त कर दिया गया है।

3. **जैन पाइप फैक्ट्री सागड़ीवाला साहीपुरा, जमवा रामगढ़ जिला जयपुर:** इस इकाई के विरुद्ध 10 टन सीमेन्ट के दुरुपयोग की शिकायत प्राप्त होने पर विभागीय

(उद्योग मंत्री)
जांच करवाई गई परन्तु दुरुपयोग सिद्ध नहीं हो पाया ।

4. श्री रूम सीमेन्ट उद्योग, झालावाड़: दिनांक 20-7-81 को जिला उद्योग केन्द्र झालावाड़ द्वारा इकाई के अस्तित्व में नहीं होने की रिपोर्ट प्राप्त होने पर विभागीय जांच प्रारम्भ कर दी गई है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

अनुसूचित जाति तथा जनजाति के व्यक्तियों को मकान बनाने हेतु अनुदान

147. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) एवं श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सरकार अनुसुचित जाति के तथा जन-जाति के व्यक्तियों को मकान बनाने हेतु अनुदान प्रदान कर रही है ?

(2) यदि हां, तो पंचायत समिति इटावा एवं सुलतानपुर में कितने व्यक्तियों को अनुदान की कितनी राशि कब-कब प्रदान की गई

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) सूची संलग्न है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा सिंचाई हेतु निर्माण कार्य

148. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या कृषि (विशिष्ट योजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सिंचाई कार्यों के निर्माण हेतु प्रयत्नशील है ?

(2) यदि हां, तो पीपल्दा तहसील के इटावा का तालाव तथा नायव तहसील इन्द्रगढ़ की ग्राम पंचायत चाणदा कलां में सिंचाई करने हेतु डोवरली लिफ्ट स्कीम, जिनका कि पूर्व में सर्वे किया हुआ है, पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के आदेश कब तक प्रदान कर दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जिला ग्रामीण विकास अभि-करण द्वारा पीपल्दा तहसील के इटावा के तालाव तथा नायव तहसील इन्द्रगढ़ की ग्राम पंचायत, चाणदा कलां में सिंचाई हेतु डोवरली लिफ्ट स्कीम का जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा कोई सर्वे नहीं किया गया है ।

बीकानेर शहर में बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों को सीमेंट का वितरण

149. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) बीकानेर शहर में बाढ़ के उपरान्त 16-7-1981 से 20-8-1981 तक कितने व्यक्तियों को कितनी-कितनी सीमेंट वितरित की गई ?

(३०)

(श्री देवीसिंह भाटी)

(2) क्या यह सही है कि प्रत्येक बाढ़ पीड़ित परिवार को जरूरत के अनुसार सीमेंट आवंटित नहीं की गई? यदि हां तो उन्हें मकान की मरम्मत हेतु पर्याप्त सीमेंट कब तक उपलब्ध करा दी जावेगी ?

उत्तर

(1) बीकानेर शहर में बाढ़ के उपरान्त दिनांक 16-7-81 से 20-8-81, तक 4,829 व्यक्तियों को 28,997 थैले सीमेंट वितरित की गई। सूची अत्यधिक लम्बी होने से प्रस्तुत करने में असमर्थता है।

(2) बाढ़ पीड़ित के 1,385 परिवारों को नगर विकास न्यास के तकनीकी कर्मचारियों द्वारा मौके की जांच में बताई गई मात्रा के अनुसार कुल 11,777 थैला सीमेंट उपलब्ध कराई गई। अभी विचाराधीन 234 आवेदकों को बाढ़ हेतु आवंटित 700 टन सीमेंट संबंधित फैक्ट्रियों से प्राप्त होने पर उपलब्ध करा दी जावेगी।

जिला झालावाड़ में आवश्यक वस्तुओं के वितरण हेतु नियत दुकानें

150. **श्री बालचन्द्र आर्य वीर (डग): एवं श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन): क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—**

(1) जिला झालावाड़ में आवश्यक वस्तुओं की कितनी दुकानें किन-किन स्थानों पर खुली हुई हैं ?

(2) इनमें कितनी दुकान सहकारी समितियों के पास तथा कितनी निजी व्यक्तियों के पास हैं ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) 98 दुकानें सहकारी समिति एवं 143 दुकान निजी व्यक्तियों के पास है।

(3) निर्धारित मापदंड के अनुसार खोली गई सभी दुकान चालू हैं। यदि कोई दुकानदार कार्य करने में असमर्थ रहता है अथवा अनियमितता बरतता है तो नजदीक की अन्य दुकान के साथ उक्त दुकान की वितरण व्यवस्था की जाती है। चीनी, मिट्टी का तेल, डीजल, सीमेंट आदि आवंटन के अनुपात में उपलब्ध कराया जाता है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

नाथद्वारा में कृषि उपज मण्डी निर्माण हेतु जमीन का अधिग्रहण

152. **श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—**

(1) क्या यह सही है कि नाथद्वारा में कृषि उपज मण्डी निर्माण हेतु प्रस्तावित जमीन को अधिग्रहीत करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है ?

(2) यदि हां, तो क्या अविलम्ब अधिग्रहण करने के लिये धारा 17 (4) की कार्यवाही की जायेगी ?

(श्री सी. पी. जोशी)

(3) कृषि उपज मण्डी का निर्माण किस सन् में प्रारम्भ किया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां ।

(3) भूमि अधिग्रहण होने के पश्चात् तथा मण्डी समिति द्वारा भूमि का कब्जा प्राप्त कर लेने पर मण्डी विकास परियोजना के अनुसार निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायगा ।

कृषि उपज मंडी, सीकर के निर्माण में अनावश्यक विलम्ब

153. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि कृषि उपज मंडी, सीकर के निर्माण में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इसके अब तक निर्माण न होने से किसानों और व्यापारियों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है ?

(3) योजना के अन्तर्गत कब तक इसका निर्माण कार्य पूर्ण होगा एवं कितनी लागत आयेगी ? अब तक इस पर कुल कितना खर्च हो चुका है ?

(4) क्या सरकार इसको शीघ्र पूर्ण करने हेतु अनुदान देने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो इस वित्तीय वर्ष में कितना अनुदान दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) यह कुछ हद तक सही है कि मण्डी के निर्माण न होने तथा उसमें व्यापार स्थानान्तरण न होने तक किसानों और व्यापारियों को कुछ असुविधा रहती है ।

(3) स्वीकृत परियोजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य 1981-82 तक पूर्ण होना है । इसकी कुल लागत 70.75 लाख रुपये है । अब तक इस मण्डी के निर्माण कार्यों पर लगभग 28 लाख रुपये व्यय हो चुके हैं ।

(4) जी नहीं । राज्य सरकार द्वारा इन निर्माण कार्यों पर अनुदान देने का कोई प्रावधान नहीं है ।

राजस्थान गौ सेवा संघ बीकानेर के दूध में फैट का प्रतिशत

154. **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत): क्या डेयरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) दिनांक 25-7-1979 की सुबह की पारी में राजस्थान गौ सेवा संघ, बीकानेर का कुल कितना दूध आया ?

(2) नियमों के अनुसार किस फैट का दूध फेल माना जाना था ? क्या 25-5-1979 को सुबह की पारी में सेम्पल नं. 88 राजस्थान गौ सेवा संघ का था ? क्या इस सेम्पल की फैट 3.5 प्रतिशत की थी ?

(3) क्या इस फैट प्रतिशत का दूध

(श्री देवीसिंह भाटी)

फेल माना जाता था ? यदि हां, तो 3.5 प्रतिशत फैट के दूध का भुगतान किस दर से किया जाता था ?

(4) क्या सेम्पल नं. 88 के दूध को बाद में गुण नियन्त्रण अधिकारी द्वारा 3.6 प्रतिशत फैट देकर पास किया गया ? यदि हां, तो पास दूध का किस दर से राजस्थान गौ सेवा संघ, बीकानेर को भुगतान किया गया ?

(5) क्या दिनांक 25-5-79 को 3.5 प्रतिशत के कारण अन्य 15 गरीब किसानों का दूध फेल हो रहा था उसको भी पास किया गया ? यदि नहीं, तो सेम्पल नं. 88 राजस्थान गौ सेवा संघ का ही दूध कैसे पास किया गया था ?

उत्तर

(1) दिनांक 25-5-79 को सुबह की पारी में राजस्थान गौ सेवा संघ का कुल 5,238 किलो दूध आया था।

(2) नियमानुसार 3.5 प्रतिशत व उससे कम फैट वाले दूध को फेल माना जाता था। दिनांक 25-5-79 को सुबह की पारी में सेम्पल नं. 88 राजस्थान गौ सेवा संघ के दूध का था जिसकी प्रथम जांच पर फैट 3.6 प्रतिशत पाई गई थी। परन्तु पुनः जांच पर फैट 3.6 प्रतिशत पाई गई थी।

(3) 3.5 प्रतिशत व उससे कम फैट वाला दूध फेल माना जाता था, व इसका भुगतान 1.5 रु. किलो फैट की दर से किया जाता था।

(4) यदि दूध देने वाली संस्था/समिति प्रथम जांच से सन्तुष्ट नहीं हो तो 24 घंटे में पुनः जांच के लिये अनुरोध कर सकती है, सेम्पल नं. 88 की प्रथम जांच पर 3.5 प्रतिशत फैट थी, किन्तु गौ सेवा संघ के अनुरोध पर पुनः जांच करने पर 3.6 प्रतिशत पाई गई व इस दूध का भुगतान 1.25 रुपये प्रति लीटर की दर से किया गया।

(5) उरमूल द्वारा दूध उत्पादक सहकारी समितियों के माध्यम से दूध क्रय किया जाता है दिनांक 25-5-79 को सुबह की पारी में 8 समितियों का दूध 3.5 प्रतिशत से कम फैट होने के कारण फेल किया गया चूंकि राजस्थान गौ सेवा संघ के दूध का फैट 3.6 प्रतिशत था अतः इसे फेल नहीं किया गया।

पीपल्दा तहसील के खातोली कस्बे के पशु चिकित्सालय में डॉक्टर का रिक्त पद

155. **श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा):** क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पीपल्दा तहसील के खातोली कस्बे में पशु चिकित्सालय में कब से डाक्टर का पद रिक्त पड़ा हुआ है तथा क्यों ?

(2) क्या सरकार उक्त स्थान को शीघ्र भरने का आदेश प्रदान करेगी ?

उत्तर

(1) पीपल्दा तहसील के खातोली पशु चिकित्सालय में प्रभारी पशु

(पशुपालन मंत्री)
चिकित्सक का पद, पशु चिकित्सकों की कमी कारण अगस्त, 1978 से रिक्त था परन्तु अब सहायक शल्य पशु चिकित्सक का पद स्थापन कर दिया गया है।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

सीकर के श्री कल्याण अस्पताल का स्टॉफ

156. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या श्री कल्याण अस्पताल, सीकर में अस्पताल की श्रेणी के अनुसार स्टाफ नहीं है? यदि हां, तो किस-किस पद के कितने स्थानों पर कर्मचारी नहीं हैं तथा यह कमी कब तक पूरी कर दी जायेगी?

(2) क्या सरकार श्री कल्याण अस्पताल, सीकर में विद्युत् उत्पादन हेतु जनरेटर लगाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार कर रही है? यदि हां, तो इसके क्रियान्वयन में कितना समय लगेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। स्टॉफ की कमी तालिका में अंकित कर सदन के पटल पर रख दी गई है। वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर अतिरिक्त आवश्यक पद सृजित किये जाने सम्भव होंगे।

(2) जी हां।

वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर। (तालिका के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें।)

आयुर्वेद विभाग द्वारा प्लास्टिक के डिब्बों तथा गोखरू की खरीद में हुए घोटालों की जांच

158. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि आयुर्वेद मंत्री द्वारा गत विधान सभा सत्र में वित्तीय वर्ष 1979-80 में आयुर्वेद विभाग द्वारा प्लास्टिक के डिब्बों तथा गोखरू की खरीद में हुये घोटालों की जांच का आश्वासन दिया था?

(2) यदि हां, तो क्या उक्त मामलों में जांच पूरी हो गई है? उनमें किन-किन विभागीय अधिकारियों व अन्य व्यक्तियों को दोषी पाया गया है। उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) मामले में जांच की जाकर सम्बन्धित अधिकारी को शो काज नोटिस दे दिया गया है। उत्तर प्राप्त होने पर आगे की कार्यवाही की जावेगी।

देलवाड़ा (नाथद्वारा) के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में रिक्त पद

159. श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नाथद्वारा विधान सभा क्षेत्र के गांव देलवाड़ा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में कर्मचारियों के पद खाली हैं?

(श्री सी. पी. जोशी)

(2) यदि हां, तो कौन-कौन से पद खाली हैं ?

(3) इन पदों पर नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) सूची संलग्न है ।

(3) परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायक के पदों को भरने हेतु भारत सरकार द्वारा प्रतिबन्ध लगा हुआ है । अतः प्रतिबन्ध के हटने पर नियुक्ति करना संभव हो सकेगा । दिनांक 1 अप्रेल, 1981 को कनिष्ठ लिपिकों को पदोन्नत कर 8 (आठ) व्यक्तियों को जिला उदयपुर में लगाया गया था परन्तु पदोन्नति पर एक जिले से दूसरे जिले में प्रायः नहीं जाते हैं । अतः स्थान खाली है । वाहन चालक का पद स्थानान्तरण के कारण रिक्त है । पद शीघ्र भर दिया जायेगा ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें ।)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 16 सितम्बर, 1981)

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, कोटा, बून्दी एवं झालावाड़ में धारा 302 के निर्णीत मुकद्दमें

50. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन): क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) न्यायालय सत्र न्यायाधीश, कोटा, बून्दी व झालावाड़ में जनवरी, 1980 से अगस्त, 1981 तक धारा 302 के कितने मुकद्दमों का फैसला किया गया ? कृपया, सूची पूर्ण विवरण सहित सदन के पटल पर रखें ।

(2) क्या उक्त अवधि में धारा 302 के निर्णीत मुकद्दमों में सम्बन्धित खाद के अन्तर्गत राख, हड्डी, खून तथा अन्य अवयवों अथवा वस्तुओं का फारेन्सिक साइंस लेबोरेट्री से जांच कराई गई थी? यदि हां, तो किन-किन मुकद्दमों में ?

(3) क्या सभी मुकद्दमों के अन्तर्गत कराई गई सम्बन्धित जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई ? यदि हां, तो किन-किन मुकद्दमात की ? यदि नहीं, तो किन-किन मुकदमात की ? कृपया, कारण सहित सूची सदन के पटल पर रखें ।

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है (परिशिष्ट 'क')।

(2) 1-1-80 से 31-8-81 तक जिन जिन मामलों की फारेन्सिक साइन्स लेबोरेट्री से जांच कराई गई थी उनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है (परिशिष्ट 'ख')।

(3) प्रश्न 2 में बताई गई सूची में से जिन जिन मुकद्दमों की जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है उन्हें परिशिष्ट 'ख' के कॉलम 4 में बताया गया है और जिन जिन मुकद्दमों की जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है उनको परिशिष्ट 'ख' के कॉलम 5 में बताया गया है ।

(सूचियों के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें ।)

जिला आयुर्वेदिक अधिकारी, भरतपुर द्वारा नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

56. **श्री सोहनलाल बंशीवाल** (दौसा) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला आयुर्वेद अधिकारी, भरतपुर ने अपने पत्र क्रमांक 1688-91, दिनांक 28-4-1980 द्वारा सर्व श्री बेगला राम तथा हनुमान सहाय की नियुक्ति चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद पर की थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर ने अपने पत्र क्रमांक 27180-83 दिनांक 6-9-1980 द्वारा उक्त नियुक्तियां निरस्त कर दीं ?

(3) क्या यह भी सही है कि निदेशक द्वारा निरस्त की गई उक्त दोनों व्यक्तियों की नियुक्तियों को उप-निदेशक, आयुर्वेद, जयपुर द्वारा पुनः बहाल कर दिया गया ?

(4) नियुक्ति, निरस्त एवं पुनः बहाली का क्या औचित्य व अनौचित्य था? कृपया, तीनों आदेशों की प्रतिलिपियां सदन के पटल पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) निदेशालय, अजमेर के पत्र संख्या 17389-92, दिनांक 23-5-80 द्वारा नियुक्तियां निरस्त कर दी गयी थीं क्योंकि आयोजना भिन्न पदों पर नियुक्ति पर प्रतिबन्ध था ।

(3) जी हां । प्र. शा. पत्र संख्या एफ 5 (3) एम०पी०एच०/80, दिनांक 17-7-80 के प्रकाश में पुनर्रक्षित किया जाकर पुनः नियोजित किया गया है । प्रत्याशियों का चयन विधिवत चयन समिति द्वारा किया गया है ।

(4) नियुक्ति निरस्त करने का कारण आयोजना भिन्न पदों पर नियुक्ति पर प्रतिबन्ध होना था । आदेशों की प्रतिलिपियां सदन के पटल पर रख दी गई हैं । बाद में 17-7-80 के प्रकाश में यह आदेश हो गये कि प्रतिबन्ध तदर्थ नियुक्ति के लिये होगा–विधिवत चयन के लिये नहीं ।

(आदेशों की प्रतिलिपियों के लिए कृपया, परिशिष्ट 11 देखें ।)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री घनश्याम तिवाड़ी : व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था का प्रश्न बाद में आवेगा ।

(व्यवधान)

विचारणीय विषय नहीं है । पहले जो स्थगन प्रस्ताव दिये हैं उन पर व्यवस्था दूं, उसके बाद पूछ लेना ।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था ।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

(1) सर्वश्री ललितकिशोर चतुर्वेदी, भंवरलाल शर्मा, छीतरमल आर्य, नन्दलाल

(श्री अध्यक्ष)

मीणा, वीरेन्द्रप्रताप सिंह, चन्द्रवीरसिंह, डॉ. उजला अरोड़ा, श्री गोपाल पचेरवाल, श्री यदुनाथ सिंह, श्री मेघराज तावड़ व श्री त्रिलोकसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान शिक्षक संघ द्वारा गत 21 सितम्बर से राज्य के समस्त जिला केन्द्रों पर स्थानान्तरण की नीति को लेकर दिये जा रहे धरने के विषय में।

(2) श्री रामकंवार बैरवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम मोहनपुरा राजावताम, पुलिस चौकी ग्राम नीमेड़ा, थाना फागी, जिला जयपुर के श्री नारायण बैरवा की पिटाई व पुलिस द्वारा उसे आतंकित किये जाने के विषय में।

(3) श्री हीरालाल आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा जिले के मांगरोल कस्बे में हायर सैकण्डरी स्कूल खोलने की मांग को लेकर गत 14 सितम्बर से नागरिकों द्वारा किये जा रहे आन्दोलन के विषय में।

(4) श्री रामकिशोर मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से वर्तमान प्रशासन द्वारा मीणा जाति को अनुसूचित जनजाति से निकालने की आशंका के विषय में।

(5) श्री मोहनलाल शर्मा, सदस्य विधान सभा की ओर से निदेशक, स्वायत शासन विभाग, राजस्थान का कार्यालय जयपुर शहर में काफी दूरी पर स्थित होने से उत्पन्न कठिनाई के विषय में।

(6) श्री बालचन्द्र आर्यवीर व श्री अनंतकुमार जैन, सदस्य, विधान की ओर से झालावाड़ में सिंचाई हेतु कुओं पर विद्युत कनेक्शन नहीं देने के विषय में।

(7) श्री हंसराज शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से थाना हिण्डौन व गंगापुर जिला सवाईमाधोपुर में एक नव दम्पति को लूटने की कोशिश व युवक की मृत्यु के विषय में।

(8) श्री महावीर प्रसाद जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 24 जून को विधायक, श्री भैरूंसिंह गुर्जर को अज्ञात लोगों द्वारा जान से मारने की धमकी के विषय में।

(9) श्री हाजी चाव खां, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला भरतपुर की तहसील कामां व नगर में कस्टोडियन द्वारा हस्तान्तरित सम्पत्ति एवं भूमि को भूमिहीनों में आवंटित न करने के सम्बन्ध में।

(10) श्री जीतमल जैन व श्री दाऊ दयाल जोशी, सदस्य, विधान सभा की ओर से दिनांक 12 सितम्बर की रात्रि को श्री किशोर गिरी, निवासी ग्राम लबेट, पचायत कठूमर थाना की अज्ञात कारणों से मृत्यु के संबंध में।

(11) श्री कनकराज मेहता, सदस्य, विधान सभा की ओर से सांचौर में 60 व्यक्तियों द्वारा लघु उद्योग हेतु रुपये जमा कराने के बावजूद भूमि का आवंटन न करने के विषय में।

(12) श्री भूपालसिंह व श्री बंसीलाल पटवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य के विभिन्न डिप्लोमा इंजीनियरों की पदोन्नति न करने से उत्पन्न असंतोष के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(13) श्री कैलाश मेघवाल व श्री रघुवीरसिंह कौशल, सदस्य, विधान सभा की ओर से ब्यावर के छात्रों को पुलिस द्वारा जबर्दस्ती पकड़ लेने व उन पर लाठी चार्ज करने के संबंध में।

(14) श्री देवीसिंह भाटी, सदस्य, विधान सभा की ओर से बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग की खाई की मरम्मत नहीं होने के कारण एक मेटाडोर चालक की मृत्यु हो जाने के विषय में।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

श्री महाराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से नागौर तहसील के कुछ गांवों के कुओं पर सिंचाई की व्यवस्था न होने के संबंध में।

यह अविलम्बनीय लोक-महत्व का विषय नहीं है और मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

निम्न स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से तथ्यात्मक सूचना प्राप्त हो गई है :-

(1) श्री जीतमल जैन—लक्ष्मण गढ़, जिला अलवर के थानेदार श्री प्रेमचन्द द्वारा कस्बे के एक संभ्रांत नागरिक के साथ दुर्व्यवहार। सरकार ने सूचना दी है कि उक्त थानेदार के विरुद्ध प्राप्त परिवादों की जांच करने पर अधिकांश झूठे पाये गये व एक में जांच चल रही है।

(2) श्री अनंगकुमार जैन—झालावाड़ जिले की फसलों में ईली नामक बीमारी लगने के विषय में। राज्य सरकार ने बताया है कि कीटनाशक नियंत्रण का कार्य प्रगति पर है।

(3) श्री चुन्नीलाल—सवाई माधोपुर में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियन्ता की लापरवाही से डामर के ड्रमों पर रेलवे को डेमरेज चुकाये जाने के विषय में : राज्य सरकार ने बताया है कि डेमरेज सवाई माधोपुर में जुम्बों रेक के लिए प्लेट फार्म की सुविधा न होने के कारण लगा है। रेलवे विभाग से इस विषय में पत्र-व्यवहार किया जा रहा हैं।

(4) श्री गुलाबचन्द कटारिया—फतेहनगर, जिला उदयपुर में ए.एस.आई., श्री गणेशमल चौधरी द्वारा श्री लालचन्द, पिता सूरजमल की गिरफ्तारी। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि इस मामले में की गई जांच के पश्चात् संबंधित ए.एस.आई. को निलम्बित कर दिया है और विभागीय जांच प्रारम्भ कर दी गई है।

अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों की स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(1) श्री बंसीलाल पटवा: राज्य बीज निगम द्वारा वितरित कपास के बीज की किस्म घटिया होने के विषय में।

इस विषय पर सदन में विस्तृत चर्चा हो चुकी है तथा मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं। चर्चा नहीं करेंगे।

जिन माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव मैंने अस्वीकृत कर दिये हैं वे सदा जिस तरह दो-दो मिनट बोलते हैं, वह

(38)

(श्री अध्यक्ष)
बोलेंगे क्योंकि आज की कार्य-सूची बहुत लम्बी है, समय की कमी है।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री महाराम चौधरी!

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : मेरा एक स्थगन प्रस्ताव था...

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव का हिसाब-किताब में यहां देने में असमर्थ हूं। यदि आप जानकारी लेना चाहें तो मुझ से चैम्बर में मिलने का कष्ट करें।

श्री दाऊदयाल जोशी : आम चर्चा है कि जैसलमेर...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इस पर चर्चा नहीं होगी। इसका संबंध राज्य सरकार से नहीं है।

श्री दाऊदयाल जोशी : लोक सभा में भी चर्चा हुई है, और गंभीर चर्चा हुई है। स्वयं प्रधान मंत्री इस बात से चिंतित हैं कि जैसलमेर में पाकिस्तान बम विस्फोट कर रहा है। यह तो राजस्थान से संबंधित है ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज...

एक माननीय सदस्य : आसन पैरों पर है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, जो स्थगन प्रस्ताव मैंने राज्य सरकार के पास भेजे हैं, जिसको हमने महत्वपूर्ण समझ कर भेजा है और बराबर कोशिश की जा रही है कि राज्य सरकार से जल्दी से जल्दी, उत्तर प्राप्त किये जायं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : पाइन्ट ऑफ आर्डर।

अध्यक्ष महोदय, परसों के दिन इस अधिवेशन का आखिरी दिन है। 3-4-5 दिनों से जो स्थगन प्रस्ताव आपके पास आये हैं, आपने उनमें से बहुत से राज्य सरकार के पास जानकारी के लिए भेजे हैं। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि कल 24 तारीख है और 25 तारीख को आखिरी दिन है। इसलिए जिनके जवाब आ जाते हैं, उनको उत्तर भेजे जायं, बाकी रिजेक्ट कर दिये जायं ताकि सब पर चर्चा हो जाय, वर्ना वह इस सत्र में वैसे ही चले जायेंगे। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो जानकारी के लिये भेजे हैं, उनके लिए सरकार को आगाह करें। जो आवश्यक हैं उनकी जानकारी करें। अगर सरकार इतनी अयोग्य है कि उत्तर भेजने की स्थिति में नहीं है, तो उन पर अनुमति दें, बोलने की।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री रामकंवार बैरवा।

श्री राम कंवार बैरवा (फागी) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि स्थगन प्रस्ताव सरकार के पास आपने जानकारी के लिए भेजे हैं, मेरे स्थगन प्रस्ताव में नजीम मोहम्मद पुलिस से मिलकर पैसे पुलिस को देता है और खुद खाता है। जबरन नारायण पहलवान की जेब में से 75) रु. पकड़ कर के...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सरकार का उत्तर आने दीजिए। जब यह आशा हो जाय कि सरकार का उत्तर आने वाला नहीं है तो उस स्थिति में...

श्री रामकंवार बैरवा : वह पैसों का क्या करें, 75 रुपये कहां जमा करावें ? उनका क्या करें ? जब बाढ़ के सताये लोगों को ग्राम पंचायत द्वारा आबाद न होने दें, तो उसके सन्दर्भ में मेरा निवेदन है कि आप...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज । जिन स्थगन प्रस्तावों को मैंने सूचना प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार को भेजा है, उन पर चर्चा नहीं होगी । जिन स्थगन प्रस्तावों की सूचना राज्य सरकार से प्राप्त हो जाती है, वह मैं आपके समक्ष निवेदन करता हूं, अन्य के बारे में इन्तजार कीजिये । जैसा कि चतुर्वेदी जी ने पाइन्ट ऑफ ऑर्डर उठाया, हालांकि वह पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर की तारीफ में तो नहीं आता, आपने सुविधा की दृष्टि से मांग रखी है । मेरी कोशिश यह रहती है कि सरकार से स्थगन प्रस्तावों के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाय ।

जितने आप निराश लगते हैं, उतना मैं नहीं हूं । मैं देख रहा हूं कि जो स्थगन प्रस्ताव सरकार के पास भेजे जाते हैं उनमें कुछ न कुछ कार्यवाही होती है । अगर दोषी अधिकारी है तो निलंबित होता है । कीटनाशक दवायें छिड़की जाती हैं। इसलिये इनकी कुछ उपयोगिता है और इन स्थगन प्रस्तावों के महत्व को समझते हुए अपन बात कर लेंगे कि इसमें क्या व्यवस्था करनी है । अब जो आपने स्थगन प्रस्ताव दिये हैं, उन पर मेरे से सवाल जवाब नहीं होगा ।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मोशन दिया था उसके बारे में मैं आपकी व्यवस्था चाहती हूं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप स्वयं जानती हैं कि मैं कितना व्यस्त हूं और कितनी किताबें मैंने रात-रात में पढ़ी हैं । आपका भी मेरे ध्यान में है ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : जब विधान सभा स्थगित हो जायेगी, उसके बाद व्यवस्था थोड़े ही देंगे ?

श्री अध्यक्ष : विधान सभा अवसान होने पर भी मुझे आसन की तरफ से देखने का अधिकार है, लेकिन यथासंभव मैं आपके मामले में उसको भी आपके समक्ष ही प्रस्तुत कर देता हूं ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव भेजा था उस पर कल माननीया मंत्री महोदया कमला जी ने वक्तव्य दिया था, उसमें मैंने विशेषाधिकार का प्रश्न.......

श्री अध्यक्ष : आपका ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का प्रश्न है । उसको मैं अध्ययन कर रहा हूं । मैंने अध्ययन के लिये भेजा है, मैं अध्ययन करूंगा ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नियमों के अन्तर्गत....

श्री अध्यक्ष : नियमों का भी मुझे ध्यान है, माननीय सदस्य । बहुत से ज्यो-वृद्ध सदस्य विराजमान हैं । उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मुझे तीन बातें कहने दीजिये । डाकूमेंट्स के आधार पर जो बिलकुल गलत है ।

(40)

श्री अध्यक्ष : बाद में जब विचारार्थ लिया जाय तो ।

श्री महाराम चौधरी ।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है जिन गांवों के अन्दर अकाल है यों तो पूरे राजस्थान में भंयकर अकाल है लेकिन विशेषतौर पर नागौर तहसील के कुछ गांव ऐसे हैं जिनमें एक छांट भी वर्षा नहीं हुई । उन गांवों में पिवाई की व्यवस्था के लिए सरकार से स्वीकृति कराने के लिए यह स्थगन प्रस्ताव दिया था, अध्यक्ष महोदय, जो आपने अस्वीकार कर दिया । आपने लोक महत्व को नहीं समझा । मैं निवेदन करूंगा कि पानी से जरूरी कौनसा लोक महत्व का विषय है ? गांवों की यह हालत है कि पशु बिल्कुल कमजोर है । जब तक सरकार इन खेतो को जुताने के लिए, पिवाई की व्यवस्था नहीं करती है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं ? कई कुओं पर 15-20 आदमी इकट्ठे होकर चरस से पानी निकालते हैं, जिस से उनके हाथों में छाले पड़ गये हैं । बड़े दुख की बात है । इसलिए मैं आपकी मार्फत सरकार से निवेदन करता हूं कि यह गांव सुर्वा, बिलोटा, साथीड़ा, हथेड़ा, पाचोड़ी, आदि ऐसे हैं जहां कुएं 300-350 फुट तक गहरे हैं । उनका जल स्तर भी बहुत नीचे चला गया है । मैं आपकी मार्फत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उन कुओं पर तुरन्त पिवाई की व्यवस्था करावें । सरकार को आप इस तरह के आदेश दे सकते हैं, ताकना भी दे सकते हैं । तो पानी जैसे मामलों को लोक महत्व को समझते हुए आप एक आदेश तो जरूर दे ।

श्री अध्यक्ष : आपकी और मेरी समस्या एक ही है । इसलिए मेरे चुनाव क्षेत्र में करूंगा, तो आपकी बात भी ध्यान में रखूंगा ।

श्री महाराम चौधरी : जी हां । यह तो बिलकुल ठीक है लेकिन आपके कहने से पहले मेरी बात कहूँ । आपके लिये तो शासन को आदेश नहीं दे सकता, लेकिन मेरे क्षेत्र के लिए कहते वक्त तो आप आदेश भी दे सकते हैं कि इन गांवों में पानी की भंयकर कमी है । इसलिए इन गांवों में पानी की तुरन्त व्यवस्था की जाय ।

श्री अध्यक्ष : श्री जीतमल जैन ।

श्री जीतमल जैन (अलवर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, लक्ष्मणगढ़ के अन्दर प्रेमचन्द, थानेदार के पद पर नियुक्त है । उनके संबंध में इतना ही कहना चाहता हूं कि वह अपने आपको एस. पी. आई. जी से कम नहीं समझते । उस इलाके में जिस प्रकार का आतंक उन्होंने फैला रखा है, उससे सारे लक्ष्मणगढ़ कस्बे में बड़ा आतंक फैला हुआ है । मैं स्वयं वहीं गया था । मैंने वहां के नागरिकों से मालूम किया है । इस संबंध में सभी को शिकायत है कि इनके जो तौर तरीके हैं, वह किसी तानाशाह से कम नहीं हैं । एक घटना मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं जिसका उल्लेख मैंने अपने स्थगन प्रस्ताव में किया है । सुभाष नामक व्यक्ति ; जो एक होटल भी चलाते हैं, उसके साथ ही साथ, आइस कैंडी की मशीन भी लगा रखी है । थानेदार को गर्मी के दिनों में बर्फ में दूध जमानी थी । तारीख 7-7-81 को उन्होंने अपने सिपाही को साथ इस आइस कैंडी के मालिक के पास दूध जमाने के लिए

(श्री पीतमल जैन)

हुआ। बिजली की जैसी कमी राजस्थान में है, कभी आती है कभी नहीं आती है। उस समय बिजली नहीं आ रही थी। तो उन्होंने कहा कि बिजली नहीं आ रही है, दूध जमाना सम्भव नहीं है। यह भी कहा कि इसमें समय लगेगा, जब बिजली आयेगी तो जमा दूंगा। इस पर सिपाही ने थानेदार साहब को जब यह सब कुछ कहा तो प्रेमचन्दजी को अपना होश नहीं रहा।

(12.15 म.प.)

(श्री अहमद बक्श सिंधी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

सायंकाल के समय आइस कैण्डी के मालिक प्रेमचन्द को घसीटकर दफ्तर में ले आये और उसकी पिटाई शुरू कर दी। उनका जो मेडिकल व्यक्तिगत रूप से करवाया गया था, वह मेरे पास मौजूद है। वह इस बात का प्रमाण है कि उनके काफी चोटें आयीं। उनकी काफी पिटाई की गयी और पिटाई करने के बाद इस प्रकार से कोतवाली के अन्दर उसके साथ अभद्र व्यवहार किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस प्रकार मैं तुमको झूठे मुकदमें में फसाऊंगा कि तुम सबको छठी का दूध याद दिला दूंगा, और वास्तव में हमारे थानेदार साहब जो कुछ भी कहते हैं वह करते हैं। 24-4-81 को प्रेमचन्द के खिलाफ सुभाष चन्द ने इस्तगासा पेश कर दिया है। यह कोई पहला इस्तगासा नहीं है, इस थानेदार के खिलाफ भी कई इस्तगासे पेश कर दिये गये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस थानेदार के खिलाफ किसी की भी हिम्मत नहीं है कि वह इस्तगासा दायर करे। जब आदमी काफी मजबूर हो जाता है और उससे आतंकित हो जाता है, फिर इस प्रकार का इस्तगासा दायर करता है। पहले जैसा मैंने निवदन किया कि वह अपनी बात का धनी है। 26-6-81 को उसने दो व्यक्तियों को होटल में भेजा वह आदमी होटल चलाता है। उनको शराब की बोतल रखने के लिये भेजा और उनको वहां से बरामद करवाया, बरामद करने में गवाही जिन व्यक्तियों की ली गयी, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, मंत्री महोदय, कि वह लक्ष्मणगढ़ के रहने वाले नहीं हैं। वह किसी मुकदमे में फंसे हुए हैं और दूसरे किसी पास के गांव के रहने वाले हैं। उनको लेकर उसने गवाह के रूप में प्रस्तुत किया उस व्यक्ति के खिलाफ सुभाषचन्द के खिलाफ एक झूठा मुकदमा दायर करवाया। इससे कुछ लोग, जो वहां के प्रतिष्ठित लोग हैं उनमें वहां के सरपंच भी हैं, जयनाराण जी, वह मेरे पास आये। मैं उनको लेकर के हमारे तत्कालीन जिला एस. पी. से मिला। उस एस. पी. का व्यवहार बड़ा अजीब सा था। ऐसा लगता था कि प्रेमचन्द और उनके बीच में कोई रिश्ता है वह उनको बचाना चाहते हैं। आम चर्चा वहां पर पुराने एस. पी. के बारे में यह है कि उनकी इस प्रकार की स्थिति क्रिएट की हुई थी। हर महीने रुपया उनके पहुंचता था। हर थानेदार कहने लगता कि यहां हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हम महीने का हिस्सा देते हैं, एस. पी. को। हमने एस. पी. से कहा कि आप उसके बारे में जानकारी करें और कम से कम इन्क्वायरी करें जब तक ठीक प्रकार से तथ्य सामने आ सके, इसके लिये आप उस थानेदार का तबादला कर दें। एस. पी. इस बात को

(श्री जीतमल जैन)

टालते रहे। फिर मैं उनसे दो बार मिला लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। इस संबंध में सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने उस समय के हमारे महानिरीक्षक पुलिस को पत्र दिया 25-8-81 को। मुझे दुख है कि आज दिन तक मुझे उसका एकनॉलेजमेंट तक नहीं मिला है। उस पर कार्यवाही करने या न करने की बात तो दूर रही, उसका एकनॉलेजमेन्ट तक नहीं मिला है। किसी विधायक के साथ जब इस प्रकार का व्यवहार हो कि उसके पत्र का जवाब तक सरकारी दफ्तरों से नहीं मिले तो आम आदमी की क्या स्थिति हो सकती है यह आपके और हमारे सोचने की बात है। इस संबंध में थानेदार का तबादला नहीं हुआ और जो डेपुटेशन मेरे साथ वहां के एस. पी. से मिलने गया था, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दायर कर दिये गये, जो झूठे मुकदमे दायर किये हैं वह सब बेकार हैं। जो डेपुटेशन पर आये थे, उनको तंग करना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं वहां के एक हैबीचुअल अफेण्डर हैं श्री सुखलाल, उनकी छुट्टी कर दी है और उनके पीछे लगा दिया है कि वह तंग करें उनको, जो कि डेपुटेशन पर आये थे, उनको रास्ते में चलते हुए तंग करे ......

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बस, इसको मैं एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं। उसने इस प्रकार का आतंक फैला रखा है। उपाध्यक्ष महोदय, आपने इस मामले को लोक महत्व का नहीं लिया है। लेकिन इस प्रकार की जो कार्यवाही वहां पर की गयी, उसको लेकर लक्ष्मणगढ़ में सारी पार्टियों की एक आम सभा की गयी तथा तरह-तरह के वक्तव्य दिये गये थे जो सभी अखबारों में प्रकाशित हुए थे। उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं लेकिन इस थानेदार ने बड़ा आतंक फैला रखा है। इसलिये मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस सारे मामले में सरकार ने कह दिया है कि जितने भी चार्जेज लगाये गये हैं, वह सभी झूठे पाये गये हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि आप किसी निष्पक्ष आदमी को भेजें, जो वहां के नागरिकों से मिले। जो तथ्य और सूचना पुलिस विभाग ने सरकार को दी है, वह उसके विपरीत पायेंगे आप। इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप आतंक की स्थिति को समाप्त करने के लिये थानेदार का स्थानान्तरण करके इन्क्वायरी करें और इन्क्वायरी करने पर अगर वह दोषी पाया जाय तो उसको दण्ड दिया जाय। इतना ही निवेदन करना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अनंगकुमार जैन झालावाड़ जिले की फसलों में ईली नामक बीमार लगने के विषय में।

श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सारा विकास कृषि के ऊपर आधारित है। राजस्थान की 80 प्रतिशत जनता कृषि पर आधारित है। झालावाड़ जिला इस वर्ष अकाल की चपेट में आया हुआ है। इस वर्ष जो फसल खेतों में बोयी हुई है वह 80 फीसदी ईली नामक रोग

(श्री अनंगकुमार जैन)

से ग्रस्त हो गयी है। मैंने जो स्थगन प्रस्ताव रखा था, उसके माध्यम से राज्य सरकार से जो जानकारी आयी है, उसमें जैसा एक सैट उत्तर होता है कि इस प्रकार का प्रयास किया जा रहा है, उसी तरह से कहा गया है। जबकि दो माह पूर्व ही लिखा जा चुका है। सरकार को वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा विभाग के द्वारा और वहां की जनता के द्वारा, वहां काश्तकारों ने भी लिखकर दे दिया है कि इस बारे में मदद पहुंचायें, उसके लिये दवाइयां दें स्प्रे करवायें लेकिन दो माह से लगातार कोई ध्यान नहीं दिया गया है। यहां से स्थगन प्रस्ताव दिया गया। कई बार जब सरकार से पूछा जाता है कि यह कार्यवाही कब शुरू की गयी? तो मंत्री महोदय उत्तर देते हैं कि आपका स्थगन प्रस्ताव आने के बाद तुरन्त अधिकारियों को आदेश दिये गये हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो स्थगन प्रस्ताव देते हैं तो अध्यक्ष महोदय की तरफ से व्यवस्था दी जाती है कि यह अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है, जबकि वह सारी आम जनता से संबंध रखते हैं। सरकार तब चेतती है। जब कि यहां स्थगन प्रस्ताव दिया जाता है। इसलिये तो इस प्रकार से स्थगन प्रस्ताव उठाये जाते हैं। सौभाग्य से हमारे जिले के मंत्री कृषि मंत्री हैं वह हमारे जिले के दौरे पर पधारी थीं। उनको कृषि विभाग के लोगों ने घेर रखा था, वहां पर एक प्लाट दिखाने के लिये। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, जिस प्लाट के ऊपर कृषि विभाग के अधिकारियों ने खास तौर से ध्यान देकर कृषि करवायी थी उसमें अच्छी फसल हुई थी, वह वह प्लाट था। कांग्रेस के लोगों ने और विरोधी दल के लोगों ने इस बात की चर्चा कृषि मंत्री से की कि जो प्लाट दिखाया जा रहा है, वहां पर सुनियोजित ढंग से खेती हुई है। इसलिए वह आपको दिखाने जा रहे हैं, माननीय कृषि मंत्री, प्रदेश का विकास कृषि पर आधारित है। सारे लोग इस बात की बराबर शिकायत कर रहे थे कि इस बीमारी में विभाग की ओर से कोई मदद नहीं दी गई है इसलिये इस प्लाट के अलावा दूसरे लोगों के खेतों का भी मुलाहिजा करें इससे आप को सही स्थिति का पता चल जायेगा। लेकिन वह भी सिर्फ कृषि विभाग का प्लाट देखकर ही वहां से वापस पधार गई। हमनें उनको इसके बारे में लिख कर दिया है और उनके अधिकारियों ने भी लिखकर दिया है कि जो बीमारी लग चुकी है इससे वहां की 80 प्रतिशत फसल नष्ट हो चुकी है। इसके बावजूद वहां पर कोई फायदा नहीं पहुंचाया गया है, कोई मदद नहीं दी गयी है। मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा, सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां भयंकर बीमारी फैली हुई है। उसमें जिन अधिकारियों ने लापरवाही बरती है, उनके खिलाफ तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिए। जो काश्तकार झालावाड़ जिले के हैं, उनको तुरन्त मदद पहुंचाई जाय और जो भी सरकार की तरफ से दवाइयां आदि वितरित करनी चाहिए, वह की जानी चाहिए, ताकि जो कुछ भी बची खुची फसल है, वह बची रहे।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी मंत्री नहीं है और माननीय सदस्य अपनी बात कर रहे हैं।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) : यह हमारे जिले की समस्या है।

श्री उपाध्यक्ष : आप कहना क्या चाहते हैं ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट ऑफ आर्डर एक भी केबिनेट मंत्री नहीं है।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : अभी जो माननीय सदस्य अनंगकुमार जैन, ने निवदन किया उसी के बारे में कुछ कहना चाहता हू।

श्री उपाध्यक्ष कहिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : कोई भी केबिनेट मंत्री नहीं है, जो है, वह नोट नहीं कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजें। जो मंत्री है वहीं ठीक हैं।

(व्यवधान)

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : हम हमारे जिले की समस्या रख रहे हैं और कृषि मंत्री जी यहां पर नहीं हैं।

श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन) : कृषि मंत्री जी तो क्या, खाद्य मंत्री जी भी नहीं हैं। उनको तो हमारे सेन्ट्रल के खाद्य मंत्री जी ने सर्टिफिकेट दिया है कि उनके कारण से ही राजस्थान में आज अकाल है। उनकी लापरवाही के कारण ही यह हुआ है।

(व्यवधान)

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : . . . लेकिन हमारा यह दुर्भाग्य है कि कृषि मंत्री जी यहां पर नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी मेरे क्षेत्र के अलावा दूसरे क्षेत्र झालावाड का भ्रमण करके आया हूं, वहां पर फसल ईली नामक बीमारी से ग्रस्त है सारी की सारी फसलें नष्ट हो चुकी हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, कृषि विभाग द्वारा किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की जा रही है कि उस बीमार को नष्ट किया जाय और किसानों को राहत दिलाई जाय। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, उसकी जांच करवाकर किसानों को राहत दिलाई जाय, यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल सवाई माधोपुर में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियंता की लापरवाही से डामर के ड्रमों पर रेलवे को डेमरेज चुकाये जाने के विषय में।

(अनुपस्थित)

श्री गुलाबचन्द कटारिया। फतेहनगर जिला उदयपुर में ए.एस.आई. श्री गणेशमल चौधरी द्वारा श्री लालचन्द पिता सूरजमल की गिरफ्तारी के विषय में।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : मेरे स्थगन प्रस्ताव देने के पश्चात्, उसको सस्पेण्ड कर दिया। इसलिए मेरा परपज सर्व हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष : Thank you. श्री बन्शीलाल पटवा ! राज्य निगम बीमा द्वारा वितरित कपास के बीज की किस्म घटिया होने के विषय में ।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा स्कूल के बारे में स्थगन प्रस्ताव था, वहां हड़ताल हो रही है । मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं दो मिनट ।

श्री उपाध्यक्ष : इस सिलसिले में सरकार से फैक्ट्स मंगाये हैं, उसके बाद में···

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कस्बे में हड़ताल चल रही है कामर्स कॉलेज के उपाध्यक्ष को हड़ताल करते हुए 11-12 दिन हो गये हैं । सारा कोटा जिला सुलग रहा है । माननीय सदस्य को बोलने दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करिये यह आप कैसे इजाजत दे रहे हैं ?

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : दो मिनट बोलने दिया जाय···

श्री हीरालाल आर्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, आपके माध्यम से सरकार से···

(व्यवधान)

वहां हड़ताल चल रही है

श्री उपाध्यक्ष : श्री परसराम मदेरणा सिंचाई मन्त्री।

श्री दाऊदयाल जोशी : माननीय उपाध्यक्ष, परसों यह सरकार यहां से चली जायेगी ।

एक माननीय सदस्य : सरकार कहीं नहीं जायेगी ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी :

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, जो सवाल पीपल्दा से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाया है, मेरा आप से विनम्र निवेदन है, अपील है उस बात को आप अलाउ कर दीजिये इसलिए कहना चाहता हूं या तो इसको रिजेक्ट कर दीजिये ताकि दो मिनट बोल सकें । कारण यह है कि न केवल कोटा में अपितु सारे हाड़ौती क्षेत्र में स्थिति आज ऐसी बनती जा रही है, आज ब्यावर का किस्सा भी उससे जुड़ गया है । मैं चाहता हूं सरकार के ध्यान में उनकी बात आवे । आप उनका मोशन रिजेक्ट कर दें और उनको बोलने का अवसर दें, मेरी अपील है आपसे । दो मिनट में वह सारी बात कह देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : I am sorry.

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आप पुर्नविचार करें । आप काफी दयालु हैं ।

श्री दाऊदयाल जोशी : आप बड़े उदार हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार नहीं सुनने वाली है, आपको सुनना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : दो मिनट ।

श्री हीरालाल आर्य : धन्यवाद । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांगरोल कोटा जिले का बहुत बड़ा कस्बा है । वहां नगरपालिका है । बड़ा पुराना सैकण्डरी

(46)

(श्री हीरालाल आर्य)

स्कूल वहां पर 1955 से चल रहा है। आस-पास कोई हायर सैकण्डरी स्कूल नहीं है। यहां पर हायर सैकण्डरी खुले। इस मांग को लेकर वहां के विद्यार्थी और सारी शिक्षण संस्थायें बन्द रही, वहां हायर सैकेण्डरी स्कूल हो। हायर सैकेण्डरी स्कूल खोलने के लिए सम्पूर्ण मांगरोल 17 तारीख को बन्द रहा। वहां पर हायर सैकेण्डरी स्कूल हो, इसके लिये वहां के विद्यार्थियों ने, संघर्ष समिति ने शिक्षा मन्त्री, शिक्षा सचिव और जिला अधिकारियों को सब को सूचना दी लेकिन उनको किसी ने कोई बात समझाई नहीं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत पुराना स्कूल है, बहुत बड़ी जगह, वहां पर हायर सैकण्डरी स्कूल का होना अत्यन्त आवश्यक है। वहां गरीब लोग हैं। शिड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं। बड़ी दूर पढ़ने जाना पड़ता है। बड़ी असुविधा होती है। वहा के नागरिकों ने और जो विद्यार्थी हैं, उन्होंने तय किया है कि जब तक वहां हायर सैकण्डरी स्कूल नही होगा तब तक सम्पूर्ण शिक्षण संस्थाये बन्द रहेंगी और आन्दोलन चलता रहेगा। मैं नही चाहता कि इस इलाके में अशान्ति हो। विद्यार्थियों की मांग को लेकर केवल मांगरोल ही नहीं, सम्पूर्ण हाडौती क्षेत्र सुलग रहा है। विद्यार्थियों की मांग पर ध्यान नहीं देते। यह सरकार सोई पड़ी है। वहां की स्थिति उग्र न हो जाय, इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है, आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री महोदय से, कि मांगरोल में निश्चित् रूप से हायर सैकण्डरी स्कूल खोलें नहीं तो योजना बनायें। उनकी वाजिब मांग हैं। वहां पर हायर सैकण्डरी स्कूल खोला जाय इसके आदेश प्रदान करें। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सम्बोधित किया था, आपने समय दिया, निगम के सवाल को लेकर, आपने आज्ञा दी हैं – सूची में नाम है मेरा।

श्री उपाध्यक्ष : इस पर काफी चर्चा हो चुकी है।

श्री बंसीलाल पटवा : इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है, बाजरे पर हुई है, यह कपास का बीज है, काटन सीड्स।

श्री उपाध्यक्ष : बोलिये, दो मिनट।

श्री बंसीलाल पटवा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल बाजरे के बीज पर चर्चा हुई थी। मेरा स्थगन प्रस्ताव कपास के बीज, कोटन सीड्स पर है। आज यदि प्रभारी मंत्री जी उपस्थित रहते, तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि कपास का जो बीज 80–81 में निगम द्वारा कृषकों को वितरित किया गया है, वह एक ऐसा बीज था, जिसका पहली बार बोने के बाद अंकुरण हुआ ही नहीं। यह गवर्नमेन्ट रिपोर्ट है जिसके आधार पर यदि उस काटन सीडस का किसान द्वारा बोने के बाद अंकुरण हुआ, तो दस प्रतिशत, इससे अधिक नहीं हुआ। गवर्नमेन्ट की रिपोर्ट है उसके बाद भी आज दिन तक इस सम्बन्ध में सरकार बिलकुल कुम्भकरण की नींद में सोई हुई है। किसानों को खराब बीज दे दिया गया, जिसका अंकुरण नहीं हुआ। किसानों ने बोया तो सारी फसल उनकी चौपट रही। दूसरी फसल बो नहीं

(श्री बंशीलाल पटवा)

सके । अंकुरण हुआ नहीं यह अलग-अलग संस्थाओं द्वारा वितरित किया गया। आज किसानों में हजारों रुपया बकाया है । उसकी वसूली की जा रही है, जबकि जो कुछ बीज दिया गया है उसका अंकुरण हुआ ही नहीं उस स्थिति में किसानों से पैसा वसूल किया जाना नितान्त ही गलत है । जिन किसानों ने कैश देकर, नकद देकर काटन सीड्स, जो कि शंकर बीज है, खरीदा और उसका अंकुरण नहीं हुआ उन किसानों द्वारा निरंतर मांग की जा रही है कि उनका पैसा लौटाया जाय लेकिन सरकार उस पैसे को लौटाने के लिए तैयार नहीं है और न ही निगम अलग-अलग संस्थाओं द्वारा जो बीज वितरित किया गया, उसकी वसूली के लिए ग्राम सेवकों को निरन्तर आदेश दिये जा रही हैं । कहा जा रहा है, वसूली करो । हमारा देश किसानों का देश है, गरीबों का देश है और यह सरकार किसानों के हित की बात करती हैं लेकिन कल के दिन जो बाजरे का जिक्र हुआ, उसकी खरीद में घोटाला हुआ और इसी तरह काटन सीड्स जो कि निगम द्वारा वितरित किया गया, उसका अंकुरण नहीं हुआ । कहने का अर्थ यह है कि हमारी राजस्थान सरकार में जो बीज निगम है वह बिलकुल ही अपने काम में फैल्योर हुआ है । किसान के हितों की बात की जाती है लेकिन किसान विरोधी कार्य हो रहे हैं । इस बारे में सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिये । यदि विचार नहीं किया गया, लंकूनाज इसी तरह चलते रहे और घटिया स्तर की व्यवस्था चलती रही तो आगे जाकर किसानों का क्या भला होगा । इस पर विचार कर लीजिये । किसानों का इसके सिवा कोई अहित नहीं हो सकता । आज अकाल के लिये, अकाल में लोगों को राहत की बात की जाती है लेकिन फिर भी उनको दुखी किया जा रहा है । वसूली की जा रही है कपास के शंकर बीज की । इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि बीज निगम को सख्त चेतावनी दी जाय और राज्य सरकार की ओर से इसकी व्यवस्था की जाय । निगम आखिर में साइंटिफिक तौर-तरीके, सभी प्रकार की टेस्टिंग करने के बाद जो बीज सप्लाई करता है । आपको बताऊं कि निगम बीज सप्लाई करता है, कृषि विभाग सप्लाई करता है, लेकिन कृषि विभाग के जो ए. ई. ओज गांवों में जाते हैं, उनका वास्तव में किसानों से कोई संबंध नहीं है और न ही उनका सम्पर्क हो पाता है ए. ई. ओज. गांव के बाहर होता है, वहां कुछ ऐसे रोंग एलीमेन्ट्स होते हैं, उनसे ही सम्पर्क करके चले आते हैं। कृषि विभाग, जो कि किसानों के हितों के लिये बनाया गया है वह बीज निगम से बीज लेकर सप्लाई करता है, सारा फैल्यार हुआ है । किसानों के हितों की बात तो करते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, पर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ व्यवस्था कृषि विभाग और उसके साथ-साथ बीज निगम करता है उस बारे में गम्भीरता से विचार किया जाय । उनको चेतावनी दी जाय या कोई ऐसी अन्य व्यवस्था की जाय । कृषि विभाग व बीज निगम बिलकुल फैल्योर हुए हैं । इस तरह बीज की खरीद में घोटाला किया जाता है । कल यहां बाजरे के बीज के लिये कहा गया । आज काटन सीड्स के बारे में कहता हूं कि उसका अंकुरण नहीं हुआ । यह किस आधार पर खरीद कर

(48)

(श्री बंसीलाल पटवा)

लिया गया ? इस तरह जिन अधिकारियों की वजह से यह हुआ, उसके लिये उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय। क्यों नहीं उनको सजा दी जाती है और उनके खिलाफ कार्यवाही की जाती है ? इस तरह अगर व्यवस्था नहीं की जाती है तो मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि वहां के प्रभारी-मंत्री और उनका आपस में मेलजोल है। इस तरह से यह एक षड्यन्त्र है जो किसानों पर थोपा जा रहा है। इस संबंध में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय कि सरकार द्वारा चेतावनी दी जाय और किसानों के हितों के बारे में व्यवस्था की जाय। अच्छा बीज देवें। जो गलत तरीके से बीज दिया गया है जिसका कि अंकुरण तक नहीं हुआ, उसकी जांच की जाय। जांच में जो दोषी पाया जाय उस अधिकारी को सख्त से सख्त सजा दी जाय। यही मेरा आपके माध्यम से विनम्र निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोविन्द सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे निवेदन किया था। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार के उद्योग मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं यह भी चाहता हूं कि जयपुर से संबंधित एक मंत्रीजी यहां पर बैठे हैं, वह श्रीमान् मुख्य मंत्रीजी को अपनी पूरी रिपोर्ट दे देंगे और वह उस पर अविलम्ब कार्यवाही करेंगे। जयपुर मेटल्स और इलेक्ट्रिकल्स की कमानी बन्धुओं के पास में फैक्ट्री थी। आपस में परिवार में मतभेद हो गया। झगड़ा हो गया। आर्थिक स्थिति कमजोर हो गयी। उन्होंने मई, 77 में इस फैक्ट्री को लिक्वीडेट करने की घोषणा कर दी। फैक्ट्री में लॉक आउट हो गया।

एक माननीय सदस्य : क्या मई सन् 77 में ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : जी हां। मई, 77 में कैसे लॉक आउट हुआ ? राज्य सरकार सामने आई। उस समय की तत्कालीन जनता सरकार ने उस लॉक आउट को अवैध करार घोषित कर दिया। 16-7-77 को शेयर होल्डर्स की मीटिंग हुई उन्होंने भी राज्य सरकार से अपील की, इस पर विचार किया कि आप इसको हस्तगत करलें। रिलीफ अन्डरटेकिंग एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही शुरू हो गयी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार और आई. एफ. सी. आई. द्वारा बकाया राशियों, जो इसकी बकाया राशि थी, को कम्पनी के शेयर में बदलने की प्रक्रियां शुरू हो गयी। कम्पनी के शेयर 51 प्रतिशत से अधिक राज्य सरकार या आई. एफ. सी. आई के हैं। 51 प्रतिशत शेयर हैं। काम शुरू हो गया जो घाटा होता था, जो नुकसान होता था, वह धीरे-धीरे कम होना शुरू हो गया। आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इस वर्ष में 8 लाख 41 हजार 937 रुपये का प्रॉफिट हो गया। लिक्वीडेशन करना चाहते थे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपस का झगड़ा था। धीरे धीरे तीन साल के प्रयत्नों से घाटा कम हो गया। इस वर्ष लाभ होगा। आज लार टपकने लगी है, जीभ लपलपाने लगी है फिर

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

वही प्रक्रिया चालू हो गयी। मैं आपके माध्यम से उद्योग से संबंध रखने वाले मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उस समय लगातार जिस दिन से इसको लिया गया था, राज्य सरकार को इस फैक्ट्री को अपने अधिकार में कर लेना चाहिये था। मैं जानता कि यह काम केन्द्रीय सरकार करती है, किन्तु केन्द्रीय सरकार को हमा ी राज्य सरकार द्वारा ही रिकमण्डेशन करनी पड़ती है। 1951 के एक्ट के तहत एक रामास्वामी कमेटी बनी थी। उस रामास्वामी कमेटी ने केन्द्रीय सरकार को इसकी रिपोर्ट भेजी। उन्होंने रिपोर्ट सबमिट कर दी और रिपोर्ट सबमिट करने के बाद जो तत्कालीन उद्योग मंत्री थे उन्होंने अप्रैल, 1979 में लोक सभा में यह घोषणा की थी कि जयपुर मैटल्स को अधिग्रहण करने की कार्यवाही शुरू कर दी है। हमने इस प्रकार की निर्देश भेजा है। उस समय के तत्कालीन जनता पार्टी के उद्योग मंत्री श्री सूर्यनारायण चौधरी ने 24 जनवरी, 1979 को इस प्रकार की चर्चा की। लेकिन यहां पर इस प्रकार की चर्चा है कि 1-8-80 के पश्चात् जबसे नयी सरकार आयी है, कांग्रेस सरकार आई है, वहां पर घाटा होने की प्रक्रिया शुरू हो गयी हैं, लाभ उसमें न हो उसकी प्रक्रिया शुरू हो गयी है। इस प्रकार की चर्चा शुरू हो गयी है, इस प्रकार के प्रयत्न शुरू हो गये हैं कि उस फैक्ट्री को वापस कमानी बन्धुओं को सौंप दिया जाय। यह राजस्थान की जनता के साथ साजिश है। मैं यह बात क्यों कहना चाहता हूं? मैं इसलिये यह बात आपके सामने कहना चाहता हूं कि वहां जो प्रबन्धक पर्सोनल है, वह राजस्थान सरकार के उप आयुक्त हैं। वह प्रबन्धक पर्सोनल उन लोगों को शील्ड कर रहा है। वह ऐसे तत्वों को शील्ड कर रहे हैं जो उत्पादन कम करना चाहते हैं उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करने देना चाहते हैं। एक तरफ तो भारतीय मजदूर संघ की यूनियन वहां पर प्रयत्न कर रही है कि वहां पर प्रॉफिट हो, लाभ करा रहे हैं दूसरी तरफ वहां के प्रबन्धक पर्सोनल महोदय यह कोशिश कर रहे हैं कि उत्पादन ठीक नहीं हो। इस प्रकार की वह कार्यवाही करने लगे हैं। उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा हैं। उनके विरुद्ध कार्यवाही करने की चर्चा की जा रही है। सारे मजदूरों में चर्चा है कि नई सरकार इसको नहीं लेगी। यह वापस कमानी इलैक्ट्रिकल्स के कमानी बन्धुओं को वापिस सरेन्डर की जा रही है। यह चर्चा बहुत जोरों से चल रही है। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि समाजवादी कहलाने वाली, समाजवाद का दा ा करने वाली कांग्रेसी सरकार लगातार डेढ़-पौने दो साल से यह क्या करने की कोशिश कर रही है?

एक माननीय सदस्य : शान्ति से बोलें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : शान्ति से ही बोल रहा हूं। जयपुर कें हो, इसलिये दर्द तो होगा ही आपको। मैं जानता हूं कि उनसे वसूल करते हैं चन्दे में, इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उद्योग मंत्रीजी को यह नि ेदन करना चाहता हूं कि यह घाटे में चल रही है। क्योंकि थोड़े दिन पहले एक फोटो छपा

(58)

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

या उनका। बाढ़ सहायता के नाम पर सहायता दी गई, पांच लाख रुपये का चैक चान्दी की थाली में रखकर राजस्थान के मुख्य मंत्री जी को, जो समाजवाद की घोषणा करते है, बाढ़ में सहायता दी गयी। बड़ी अच्छी बात है। बड़ी प्रसन्नता है। लेकिन इसके पीछे कोई दूसरी बात तो नहीं हैं ? समाजवादी मुख्य मंत्री जी और जो यहां प्रभारी मंत्री महोदय है, जिनके फोटो बहुत अधिक छपते हैं, मैं उनसे जो निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि कोई यह शतरंजी चाल तो नहीं चल रहें हैं ? इस बात पर मत जाइये, आप इस पर ध्यान दीजिये। जितने नेशनलाइज्ड प्रोजेक्ट हैं वह सभी घाटे में चलते हैं। लेकिन यहां मजदूरों की मेहनत की वजह से मजदूरों के प्रयत्नों से उनके खून पसीने की कमाई से यह लाभ हुआ। अब राज्य सरकार ने इस तरह के प्रक्रिया को कर दिया और वह समाप्त हो गया। इसलिये मेरा निवेदन है कि चाहे सवाई-माधोपुर की सीमेन्ट फैक्ट्री हो, चाहे जयपुर मेंटल्स का सवाल हो, इन दोनों विषयों पर समाजवादी सरकार दूर रह कर घोषणा करे।

मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। आप इस फैक्ट्री को अधिग्रहीत करिये और वहां के मजदूरों को प्रोत्साहन दीजिये। ऐसा एलीमेंट जो उत्पादन को बढ़ाने में बाधा पहुंचाता है, ऐसे पिछलगू प्रबन्धक पर्सोनल को तुरन्त वहां से हटाइये। मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगन प्रतावों पर चर्चा समाप्त हुई।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इसके बारे में कुछ कहना है। मैंने इस पर स्थगन प्रस्ताव दिया था, लेकिन दुर्भाग्य से मेरा नम्बर नहीं आया। जयपुर मेटल्स के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज, श्री गोविन्द सिंह

(व्यवधान)

आसन पांवों पर है।

श्री मेघराज तावड़ : मजदूरों के ऊपर

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री मेघराज तावड़ : आज वहां के मजदूर एक महीने से हड़ताल पर बैठे हैं और सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। आज वह घाटे में जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य को मालूम नहीं है, भाषण की कोई सीमा नहीं है। आसन पांवों पर है और आप बोले जा रहें हैं। Pleas sit down.

श्री परसराम मदेरणा : कोटा जिले के इन्द्राणी बांध टूट जाने के बारे में वक्तव्य देंगे।

श्री परसराम जी।

श्री मेघराज तावड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में बोलना चाहता हूं। एक तरफ तो आपने रिलीफ कानून बनाकर मजदूरों के साथ कुठाराघात किया है। न तो मदूजर अधिकार से सकते हैं न बोल सकते हैं और

(श्री मेघराज तावड़)
न कानून उनके ऊपर लागू हो सकता आज मजदूरों के साथ ....

श्री उपाध्यक्ष : इस पर माननीय सदस्य चर्चा हो चुकी है ।

श्री मेघराज तावड़ : सरकार को भी और मजदूरों को भी दोनों को नुकसान हो रहा है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज माननीय सदस्य ने यह कहा ....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज ।

श्री मेघराज तावड़ : कमानी सेठ का आदमी यहां आकर बैठा है और साजिश के जरिये ...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री मेघराज तावड़ : मुझे बोलने का मौका दीजिये । मैं आपके हुकम का पालन करूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : I am sorry,

(व्यवधान)

जो बोलें, अंकित नहीं किया जाये ।

श्री मेघराज तावड़ : X X X ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपकी स्पीच अंकित नहीं की जा रही हैं, क्या फायदा है ?

श्री मेघराज तावड़ : X X X

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मुझे बाध्य न कीजिए । मुझे मजबूर न कीजिए, नाम से पुकारने के लिए । बैठ जाइये ।

श्री मेघराज तावड़ : X X X ।

श्री बंसीलाल पटवा : मेरा निवेदन है कि, कल आसन की ओर से मुझे व्यवस्था दी गयी थी मूर्तियों की चोरी के बारे में कि आज विचार विमर्श होगा । कल व्यवस्था दी गई थी ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं अध्यक्ष महोदय से पूछ कर जवाब दूंगा । मैं कल मौजूद नहीं था ।

श्री बंसीलाल पटवा : सक्रेटरी साहब से पूछ लीजिए । कन्फर्म कर लीजिए, कल व्यवस्था दी गयी थी ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह केवल चतुर्वेदी जी के बाबत था । आपके बाबत नहीं था ।

श्री बंसीलाल पटवा-नहीं, नहीं । मेरे बाबत था । कल व्यवस्था दी थी ।

श्री उपाध्यक्ष : सूचना मांगी गयी हैं

श्री परसराम मदेरणा ।

शासकीय वक्तव्य

भारी वर्षा से कोटा जिले का इन्द्राणी बांध टूट जाना

श्री परसराम मदेरणा (सिंचाई मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, कोटा जिले की इन्दरगढ़ नामक तहसील में इन्द्राणी लघु सिंचाई योजना के बांध का निर्माण कार्य जनवरी, 1980 में प्रारम्भ किया गया था । इस योजना की अनुमानित लागत 41 लाख 74 हजार रुपये है । इस योजना से 575 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होनी थी ।

X X X माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(श्री परसराम महेरणा)

इस योजना के अन्तर्गत 3010 फीट लम्बे बाँध का निर्माण किया जाना था। जिसमें से जुलाई, 1981 तक लगभग 500 फीट लम्बाई के भाग को छोड़कर शेष का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका था। मध्य के 500 फीट लम्बाई में मिट्टी का कार्य 509 फीट की लेवल तक जुलाई, 1981 में कर दिया गया था।

480 फीट लम्बा बांध के उगाल का भाग (ओवरफ्लो) डिजाइन लेवल से 3 फीट नीचे, यानी 505 के लेवल पर था।

दिनांक 20-7-81 की प्रातः चार बजे से 8 बजे के मध्य 170 मिलीमीटर की अभूतपूर्व वर्षा, के कारण लगभग 13 हजार क्यूसेक्स बाढ़ का पानी इन्द्राणी बांध में आया। इन्द्राणी बांध के लिए डिजाइन 7868 क्यूसेक्स था। सांयकाल 5½ बजे के करीब 150 फीट लम्बाई में मिट्टी का बांध टूट गया। जिससे लगभग 2 लाख 18 हजार रुपये के कार्य की हानि हुई। बांध टूटने से नाले के दोनों किनारे की जमीन को और कुछ कच्चे मकानों को क्षति पहुंची है।

बांध के टूटने के पहले संबंधित उप अभियंता एवं अधिशाषी अभियंता बांध स्थल पर पहुंच चुके थे एवं हर सम्भव प्रयत्न इसकी सुरक्षा के लिये किये।

राज्य सरकार के परिपत्र संख्या एफ. 4(24)सि./57, दिनांक 20 जुलाई, 1975 एवं एफ.23(10)सि./75 दिनांक 30 जनवरी 1976 के निर्देशानुसार बांध के टूटने की जांच के लिए समिति का गठन दिनांक 15-8-81 को कर दिया गया है। समिति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए 3 माह का समय दिया गया है।

अग्रिम कार्यवाही जांच समिति के प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् की जायेगी।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, इन्द्राणी का जो यह बांध टूटा है ....

श्री उपाध्यक्ष : आप कहना क्या चाहते हैं ? ठीक है, मैं बोलने का मौका दे रहा हूं।

श्री हीरालाल आर्य. ।

श्री हीरालाल आर्य : मैं ही तो हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक 20-7-81 को यह बांध टूटा। इसके टूटने का कारण तकनीकी खामियां, अधिकारियों और ठेकेदार की लापरवाही था। 15 जून, 1981 तक जो मुख्य पाल है वह बन जानी चाहिए थी। लेकिन वह बांधी नहीं गयी। इसको कुल 515 फीट बांधना था, लेकिन जैसा कि मंत्री महोदय ने फर्माया कि इसको कुल 509 फीट तक ही बांधा गया। यह कार्य अधूरा रहा। करीब 6–7 फीट अधूरा रहने की वजह से यह पानी निकला। यदि अधूरा नहीं रहता तो इस बाँध के टूटने का कोई कारण नहीं था ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य भाषण नहीं, सवाल कीजिये।

श्री हीरालाल आर्य : सवाल ही कर रहा हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। इसके टूटने का कारण यह रहा कि इसको समय पर नहीं बांधा गया, अधिकारियों और ठेकेदार की लापर-

(श्री हीरालाल आर्य)
वाही के कारण। दूसरे जो वस्टवेयर है, जिससे पानी निकलना था, वह 505 फीट पर बनना था। मुख्य द्वार तो बना ही नहीं और इसके पहले वेस्टवेयर को बांध दिया। इसलिए इसमें जो पानी भरा, वह निकल नहीं सका•••

श्री उपाध्यक्ष : आप क्लेरीफिकेशन के सवाल कीजिए। इस भाषण से कोई मतलब नहीं निकलेगा।

श्री हीरालाल आर्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यही प्रश्न है••••

श्री उपाध्यक्ष : जो वक्तव्य मंत्री महोदय ने दिया है, उस पर आप क्लेरीफिकेशन मांगिये।

श्री हीरालाल आर्य : जिस समय बांध टूटा, उस समय कोई भी जिम्मेदार अधिकारी इन्द्रगढ़ में नहीं था, बांध पर नहीं था। दूसरे, इसमें अधिकारियों ने जो लापरवाही बरती इस कारण से बांध टूटा। तीसरे, आपने फर्माया कि 2 लाख और समथिंग का नुकसान हुआ है। मैं होकर आया हूं, इस बांध के टूटने से करीब एक करोड़ का नुकसान हुआ है••••

श्री उपाध्यक्ष : It is a statement of fact.

श्री हीरालाल आर्य : इस नुकसान में 25 किसानों के खेत बह गये। 4-5 कुएं बह गये। लोगों के मकान आदि बह गए और चूने के भट्टे आदि थे उनमें नुकसान हुआ है। सड़क वगैरह बह गयी। उसमें जो नुकसान हुआ है वह करीब एक करोड़ का है। मेरे खयालत से इन लोगों को पर्याप्त सहायता नहीं दी गई। सिचाई विभाग की लापरवाही से बांध टूटा है। इसलिये इन लोगों को जो नुकसान हुआ है, उसकी क्षतिपूर्ति विभाग को करनी चाहिये। क्या मंत्री महोदय इसका जवाब देंगे कि इसकी क्षतिपूर्ति की जायेगी? यही मेरा निवेदन है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद जब मेरा नम्बर आयेगा मैं अगर सवाल करने की आवश्यकता होगी, तो मैं जरूर बताऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री परसराम मदेरणा : मैंने स्टेटमेंट दे दिया है। इनको जो भी प्रश्न पूछने हैं वह पूछ लें, उसके बाद में जवाब दूंगा।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं एक मिनट चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : Without my permission you cannot speak.

श्री दाऊदयाल जोशी : जानकारी मुझे दे दी जाय। क्या इस सारे घटनाक्रम••

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिये।

I have already called Mr. Chaturvedi and not your name. Please sit down.

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष, मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि इसकी एफ. सी. एल. और मैक्सिमम वाटर लेवल क्या है? इस इन्द्राणी बांध की 515 फीट तक जो यह दीवार बननी थी, जो डैम की ऊंचाई बननी थी

(54)

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

वह उसके बजाय 500 फीट में बनी। यह 15 फीट कम बनी। सामने मानसून को देखते हुए इसके कौन जिम्मेदार हैं? 19-7-81 को कौन अधिकारी उसका इंस्पेक्शन करने वहां गया था? बांध टूटने से पहले उसने अपनी रिपोर्ट क्या दी? इस सारे केस में इमिजियेट सस्पेंशन किया गया है, या दोषी पाया गया है, उसका क्या कारण है? वहां से इस सारी जानकारी को किसने और कोटा के किस उच्च अधिकारी को किस-किस समय दी? वहां के सुपरिटेंडेंट द्वारा अपनी प्रारम्भिक रिपोर्ट जो बनाई गयी है, उस प्रारम्भिक रिपोर्ट में क्यों और किस अधिकारी को सस्पेंड करने की चर्चा की है? उच्च लोगों तक उसके पहुंचने से पहले उसको बदल कर कुछ वांछित लोगों का नाम सस्पेंशन में से काटा गया है। इन सवालों का जवाब मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा जिससे स्थिति स्पष्ट हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दाऊदयाल जोशी !

श्री दाऊदयाल जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो प्रश्न करना चाहता हूं यह बांध ठेकेदार द्वारा कब तक पूरा किया जाना चाहिये था? क्या निश्चित अवधि तक यह बांध पूरा कर दिया है? यदि नहीं किया गया तो विभाग ने ठेकेदार के संबंध में क्या कार्यवाही की? क्या इस बांध के टूटने की जिम्मेदारी एकमात्र जो फोर्थ ग्रेड का आदमी है उसकी है उसको सस्पेंड कर दिया। उसने बार-बार श्रीमान की सेवा में बहाल करने के लिये अपना प्रार्थना-पत्र दिया। तीसरा, माननीय मंत्री महोदय, वहां जो गांवों को हानि हुई है, जो इस बांध के टूटने के कारण डूब गये हैं तो क्या राज्य सरकार उन व्यक्तियों की हानि की भी क्षतिपूर्ति करने पर विचार करेगी?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय उत्तर दें।

श्री परसराम मदेरणा : मैं निवेदन कर रहा था कि कुछ मुद्दे कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाये हैं। उन्होंने मुझ से पूछा है कि यहां पर क्षति बहुत हुई। जैसा कि मैंने अपने वक्तव्य में कहा है कि बांध से 2 लाख 18 हजार रुपये की क्षति हुई है। पीपल्दा से आने वाले सदस्य कह रहे हैं कि एक करोड़ की क्षति हुई है।

श्री दाऊदयाल जोशी : आपने पूरी क्षति नहीं बताई।

(1.03 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री परसराम मदेरणा : मैं वही बात बता रहा हूं। जो मुझे अभी जानकारी मिली है, उस जानकारी के आधार पर जो ग्राम उसकी चपेट में आये उसकी क्षति बताई गयी है वह 3 लाख, 52 हजार 5 सौ रुपये है। इसलिय कुल मिलाकर हम देखते हैं तो 4 लाख और कुछ हजार की क्षति आंकी गयी है जिसमें बांध की क्षति भी सम्मिलित है। यहां पर यह भी कहा गया है कि अधिकारियों और ठेकेदारों की लापरवाही से यह बांध टूटा है। इसी संबंध में कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने किस ने किसको इत्तला दी

(श्री परसराम मदेरणा)

कितने बजे दी, कितने मिनट पर दी यह बात भी मुझ से पूछी है। इसी तरह दूसरे माननीय सदस्य ने भी पूछा कि ठेकेदार को काम कब तक पूरा कर लेना चाहिये था? उसको उन्होंने तब तक किया या नहीं? यह कार्य जून, 81 तक हो जाना चाहिये था, लेकिन वह कार्य हो नहीं सका। इसमें किसी की लापरवाही नहीं है। बांध के टूटने के बाद जो बाढ़ आई और गांवों को नुकसान हुआ वह 20 लाख से ऊपर है। इसकी जांच करने के लिये जो कमेटी बनाई है, उस कमेटी में चीफ इन्जीनियर होंगे, दोनों ही पी. डब्ल्यू. डी. और इरिगेशन के। एक अधिकारी भी होगा। क्योंकि कमेटी बना ली गयी है वह सब जगह जायेगी। ठेकेदार के काम को देखेगी। उसकी गलती थी या जो स्टाफ था उसके सुपरविजन की नेलीजेंसी की वजह से हुआ। यह जो कारण है बांध टूटने के, इसके संबंध में दोनों चीफ इंजीनियर पी. डब्ल्यू. डी., इरिगेशन के और उन अधिकारियों की कमेटी इस बात को देखेगी। उसे देखने के बाद वह रिपोर्ट सरकार के सामने आयेगी। उसके आधार पर कुछ कार्यवाही की जा सकेगी। यहां पर मैं यही बात कहूंगा। मुझ से यह पूछा गया कि आप यह बतायें कि इस बन्धे का मैक्सिमम वाटर लेवल क्या है? इस बन्धे का मैक्सिमम वाटर लेवल 511 फीट है। इसका जो एफ.सी. एल. है वह 508 है।

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : एक और पूछा है कि दीवार कितनी बननी चाहिये थी? जो कोट सहित बनी है, वह पूछी थी।

श्री परसराम मदेरणा : बात यह है कि दीवार-विवार से तो मैं समझा नहीं, टाप लेवल आप कह देते····

(व्यवधान)

आप बैठिये। आप टाप लेवल कह देते तो मैं समझ जाता – दीवार का मतलब आपका मशीनरी वर्क से था क्या? जो टाप लेवल की बात कह रहे हैं उसकी हाइट 515 फीट है। इसलिये क्योंकि यह बन्धा 505 फीट बना था और उधर जो आपका मशीनरी वर्क हो रहा था, ओवर फ्लो वाला वह 505 फीट बनी थी। उसको बनना 508 फीट चाहिये था, लेकिन चूंकि डैम बना नहीं था और एक साल तक जो एफ.सी. एल. 508 है उसको नहीं बनाया गया, तीन फीट। होता भी यह है कि एक साल पानी रुकने के बाद किया जाता है। यह सोचा गया था कि वह ठीक है या नहीं? अब चूंकि बरसात ज्यादा आ गई और जहां डैम बनना था वह ओवर फ्लो हो गया। वहां पर एक्स.ईएन. सब इंजीनियर मौजूद थे। उन्होंने काफी कोशिश की, बोरियां लगाकर इसको रोकने की, लेकिन पानी का बहाव अधिक था। बन्धा बनने का जैसा मैं पूर्व में निवेदन कर चुका हूं कि बन्धे का पूरा भराव 7,868 क्यूसेक्स था, वहां 13 हजार क्यूसेक्स पानी आया है। ज्यादा बरसात होने की वजह से और ओवर फ्लो होने की वजह से बन्धा बह गया।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : अब इस पर चर्चा नहीं होगी····।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : चर्चा तो नहीं होगी लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सामान्य जानकारी के आधार पर जैसा माननीय मंत्री महोदय ने कहा 515 उस बन्धे की टाप लेवल है····

श्री अध्यक्ष : सरकार इसमें जांच कर रही है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : इसमें जांच का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। एक सामान्य चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है, उसको सस्पैन्ड कर दिया। मैं आपकी रिपोर्ट पढ़ रहा हूं सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर की····

(व्यवधान)

यह सारी जानकारी मंत्री महोदय के सामने आ जाय...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इन्क्वायरी से सब चीज सामने आ जायेगी।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि अगर यह तथ्य मंत्री महोदय के सामने नहीं आये, क्योंकि उन्होंने सुना भी नहीं हैं ... 19-7 को··

श्री अध्यक्ष : जानकारी कर रहे····

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर। वक्तव्य दे दिया।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं कहता हूं कि 515 फीट बनना था, उसमें इन्क्वायरी की बात ही नहीं है। वहां ए.ई.एन. था, जे.ईएन. था, एक्स.ईएन. था, सुपरवाइजर और स्टाफ था–सब ड्यूटी पर थे, और सस्पेण्ड किया गया है एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को··

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, समाप्त करें। इन्क्वायरी सरकार करवा रही है...

(व्यवधान)

सभी तथ्य सामने हैं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : एसी एक घटना कोटा में पहले हो चुकी है··

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इस पर भाषण नहीं होगा। इन्क्वायरी से मामला साफ हो जायगा··।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : कुछ ऐसे तथ्य हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय मंत्री महोदय के सामने आना आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं किसी प्रश्न की इजाजत नहीं दूंगा। आर्डर प्लीज। इस प्रश्न को देखते हुए आप और मंत्री जी, आप और हम यहां बैठे-बैठे सन्तुष्ट हो जाय, यह सम्भव नहीं है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : हम 15 साल से कोशिश करते रहे हैं। लेकिन यह

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)
बांध नहीं बन पाया। यह बांध जनता पार्टी की सरकार ने शुरू किया। सरकार की नेग्लीजेन्सी है, जिन्होंने जाकर कभी नहीं देखा, और जो ए. ईएन. है वह कहते है...

(व्यवधान)

19 तारीख की रिपोर्ट यह है...

(व्यवधान)

और 20 तारीख की रिपोर्ट यह है कि बचारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लगातार वायरलैस लगाने की कोशिश कर रहा है पर वह सफल नहीं हो रहा है...

(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : आप शान्ति से तो फरमायें कि कोई बात समझ में आये। आप कोई बात शान्ति से तो कहें, आप तो जैसे युद्ध कर रहे हैं। कोई बात आपकी समझ में तो पड़े। आप अपने आप ही समझ रहे हैं, कोई समझे या न समझे। आप जोर-जोर से कहे जा रहे हैं...

श्री अध्यक्ष : श्री गोविन्द सिंह। वन राज्य मंत्री।

(व्यवधान)

अंकित न हो।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : × × ×

श्री दाऊदयाल जोशी : 19 तारीख की शाम को 5 बजे इस गरीब आदमी ने इत्तला दी कि टाप लेवल पर पानी बह रहा है। कृपा करके, आप पधारें। अध्यक्ष महोदय, 20 तारीख को 7 बजे से 8 बजे तक कोई जिम्मेदार अधिकारी वहां नहीं पहुंचा। 19 तारीख की शाम को इत्तला दी...

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री दाऊदयाल जोशी : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप आसन के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। चर्चा समाप्त हुई।

श्री दाऊदयाल जोशी : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो, अंकित न हो।

श्री दाऊदयाल जोशी × × ×

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर, : वन मंत्री

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, मैं इजाजत नहीं दूंगा।

सूचना प्राप्ति प्रश्न

मुख्यमंत्री के एसकोर्ट की गाड़ी व ट्रक की टक्कर

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, अभी-अभी सूचना मिली है कि मुख्य मंत्री जी की कार से कोई एक्सीडेन्ट हो गया। कुछ आदमी मर गये, मुख्य मंत्री जी के साथ में जो एसकोर्ट की गाड़ी थी, उससे एक्सीडेण्ट हुआ है और उसमें कुछ आदमी मरे हैं। राज्य मंत्रीजी यहां बैठे हैं, मुख्य सचेतक महोदय यहां बैठे हैं—वस्तु स्थिति क्या है, इसकी जानकारी सदन को दें दें।

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो संक्षिप्त जानकारी मेरे पास इस वक्त अवेलेबल है, वही मैं दे सकता हूं, डिटेल मैं नहीं दे सकता। माननीय मुख्य मंत्रीजी रात को दिल्ली जा रहे थे तो करीब 12.00 बजे शाहजहांपुर के पास से जब उनकी एसकोर्ट की गाड़ी जा रही थी, तो एक ट्रक सड़क पर खड़ा था। उसमें कुछ खराबी थी और कुछ काम हो रहा था। उधर दिल्ली की तरफ से एक ट्रक आ रहा था, उससे टक्कर हुई है। यह बात सही है कि सात जवान पुलिस के घायल हुए हैं। वे हास्पिटल में एडमिट हैं। एक क्लीनर और कार्यकर्ता जो ट्रक के ऊपर काम कर रहा था उसकी मृत्यु हो गई है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सी. एम. साहब की कार . . . ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सी. एम. साहब की कार पहले निकल चुकी थी।

श्री अध्यक्ष : एक स्टेटमेंट और है। आज तैयारी है क्या ? मैंने मंत्री महोदय को कहा, तैयारी है तो दे दीजिये वक्तव्य।

माही बांध परियोजना

श्री परसराम मदेरणा : माही नदी पर बांसवाड़ा के समीप एक बांध का निर्माण किया जा रहा है। इस बांध से जल-विद्युत् पैदा होगी तथा बांसवाड़ा जिले में सिंचाई भी होगी। सिर्फ कुछ पानी विजली उत्पादन के उपरान्त नदी में छोड़ दिया जायेगा तथा वह पानी कडाना से सिंचाई के काम में आयेगा। उपरोक्त बांध पर पावर हाउस नं. एक से सभी सम्बन्धित कार्य निर्माण हेतु मैसर्स गुजरात स्टेट कन्स्ट्रक्शन कार्पोरेशन को दिनांक 15-10-78 को आवंटित किये गये थे। इन कार्यों की अनुमानित लागत रुपया 601 लाख थी, परन्तु पावर हाउस की डिजाइन बेस लोड से पीकलोड हो जाने से इन्हीं कार्यों की व्ययार्थ राशि लगभग रुपया 972 लाख आंकी गई है। बढ़े हुए कार्य के अनुसार भी यह हमारे कार्य जून, 1980 तक पूर्ण हो जाने थे। इनमें इनटेक का कार्य सबसे महत्वपूर्ण है। चूंकि इस कार्य की नींव के लिये सही चट्टान पहले से अनुमानित गहराई पर न मिलने से इनटेक की डिजाइन में जल आयोग, दिल्ली की राय पर फेर बदल करना आवश्यक हो गया था तथा मैसर्स गुजरात स्टेट कन्स्ट्रक्शन कार्पोरेशन द्वारा भी इन कार्यों पर संतोषजनक प्रगति नहीं हो पाई, इसलिये विभाग के लिये कोफर डैम बनाना आवश्यक हो गया था। अस्तु, पावर हाउस नं. एक के कार्यों तथा बांसवाड़ा शहर को माही नदी की वर्ष 1981 की संभावित बाढ़ से सुरक्षा के लिये इनटेक के ऊपर की तरफ मिट्टी का कोफर डैम बनाया गया, जिसकी ऊंचाई 275 मीटर स्तर पर इस वर्ष की बाढ़ की अनुमानित ऊंचाई 272.5 मीटर स्तर को ध्यान में रखकर रखी गई है। इस कार्य को विभागीय स्तर पर निर्मित किया गया है और इस पर अभी तक रुपया 12 लाख खर्च हुआ है। कोफर डैम के व्यय के बंटवारे का निर्णय माही नियंत्रण मण्डल करेगा। मुख्य बांध का निर्माण कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही किया गया है। न तो कोफर डैम की वजह से इसकी प्रगति को रोका गया है और न ही इस कारण से कोई नुकसान हुआ है। वर्ष 1981-82 में ही माही मुख्य बांध का निर्माण कार्य, निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार

(श्री परसराम मदेरणा)
किया जावेगा। किन्तु कोफर डैम की ऊंचाई इस वर्ष, आवश्यकतानुसार रखी जावेगी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, मेरे कुछ प्रश्न हैं, मैं चाहूंगा कि मन्त्री महोदय उनका जवाब दें। आज जहां कोफर डैम बना हुआ है, क्या यह सच है कि वहां पहले पहाड़ियां थीं और वे इसी हाइट की थीं? चैनल बनाने के लिए पहले इसको डिप किया गया और बाद में ये पावर हाउस समय पर तैयार नहीं होने के कारण इनको फिर से बन्द किया गया? मिट्टी से उसी लेवल पर आप लायें? तीसरा, जैसे ही पावर हाउस बनेगा, वापस इसी कोफर डैम को तोड़कर के फिर से चैनल बनायेंगे, इस प्रकार तीसरा खर्चा लगेगा? इसमें कुल कितना व्यय हुआ? एक बात।

दूसरा यह जो कोफर डैम आपने बनाया है, इसका जो डिजाइन, टैक्निकल सैंक्शन और इसकी रिपोर्ट बनी है वह सदन के पटल पर रखिये। कब बनी थी? किस अधिकारी के द्वारा और किस को सैंक्शन लेकर इस कोफर डैम की सैंक्शन दी गई थी? तीसरा, श्रीमान् क्या यह सच है कि ऐसा कन्स्ट्रक्शन मुख्य अभियन्ता ने एक पत्र सी. ई. ए. मए. वन/ए. सी./सेकण्ड/2418, दिनांक 22-2-81 के दिन लिखा था और उन्होंने आग्रह किया था कि इनटेक का कार्य समय पर नहीं हुआ तो नगर को कोफर डैम के बैक वाटर से खतरा है? यह चिट्ठी उनकी थी?

श्री परसराम मदेरणा: किसकी चिट्ठी?

श्री गुलाबचन्द कटारिया: एस. सी. माथुर, जो मेन डैम का काम कर रहे हैं। उन्होंने लिखा था कि आप इसको कम्पलीट करें अन्यथा इसका जो बैक वाटर है, वह सारे बांसवाड़े को बहा ले जायेगा। चौथा इसके कारण से उन्होंने यह भी कहा, मेन डैम की हाइट 275 पर रोकनी पड़ी, वह इसी कारण से रोकनी पड़ी कि कोफर डैम की हाइट उससे अधिक आप बढ़ा नहीं सकते थे। उसके कारण उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि कितने का खर्चा होगा? इसी तरह से जो पीरियड था, वहां चीफ इंजीनियर काम कर रहे थे, उन्होंने डी. ओ. लैटर सी माली/टी-23-1/53 डेटेड 27-2-81 को लिखा, एस. सी. श्री शमशेर सिंह जी को। उसमें उन्होंने साफ निर्देश दिया कि कोफर को पूरी ऊंचाई तक ले जायं नहीं तो, चेतावनी भी लिखी, उन्होंने कहा कि मेन डैम समय पर नहीं बनेगा तो लगभग 1.7 करोड़ अर्थात 107 लाख हमारा अतिरिक्त खर्चा पड़ेगा। समय के कारण मंहगाई बढ़ेगी। उसके कारण जो मजदूर और कर्मचारी काम कर हैं, उनको बैठे हुए तनख्वाह देनी पड़ेगी। उसका 40 लाख रुपया लगेगा। जो मशीन है, उनको हटाने का और वापस ले जाने का दस लाख रुपये का खर्च है। ठेकेदार छोड़कर चले जाएंगे तो फिर से हमको ठेके करने पड़ेंगे। बढ़ी हुई कास्ट के कारण उन्होंने सारे अनुमान लगाकर लिखा है, ढाई करोड़ अधिक लग सकता है, यह सवाल है। पावर हाउस समय पर बनना था श्रीमन् ये 3 हिस्सों में काम बटा हुआ है। 3 अलग अलग ठेकेदार काम कर रहे थे। चैनल का काम एक ठेकेदार ने किया। उसने पूरा कर दिया। पावर हाउस का काम आपने जी. एस. सी. सी. गुजरात स्टेट वाली जो कम्पनी का कहा, उसने समय पर

60

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

पावर हाउस का कार्य प्रारम्भ ही नहीं किया। उसमें आपने लिखा है कि इनटेक जिनको बनाया है, तो उसने जो आब्जेक्शन रेज किया, आपने अपने एग्रीमेन्ट में लिखा था।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैन स्टॉप्स, जो आपके डिपार्टमेन्ट को तैयार करके देना था, वह समय पर तैयार नहीं किया। मैंने देखा, आज की तारीख तक तैयार स्थिति में नहीं दिया। इस कारण कन्सट्रक्शन कंपनी ने शुरू नहीं किया तो श्रीमन् नगली-जैन्सी किस अधिकारी की है? जिसके कारण से हमारा इरिगेशन दो साल पीछे हो गया। जो इरिगेशन हमको अगले साल मिल जाना चाहिये था, वह अब तीन साल पीछे चला गया। जो हाईट, मेन डेम की 286 मीटर जानी चाहिए थी, वह अब 285 पर रुकी हुई है। अब इस सीजन में जो आपने कुछ दिन पहले काम शुरू किया यह सोचकर कि बारिश नहीं आयेगी, लेकिन श्रीमन् मैं कह रहा हूं, यह जो डेम बनाया है, इसकी डिजाइन ठीक नहीं है। यहां तो भगवान की कृपा रही है कि बारिश तेज नहीं आयी। कुछ पानी आया, उसको तो उन्होंने कोशिश करके रोक लिया, नहीं तो मोरवी की जो स्थिति बनी थी वह की वह स्थिति बांसवाड़ा की बनने वाली थी। सारा का सारा डेम, मगर दो दिन वर्षा हो जाती तो निश्चित रूप से इस सारे डेम को बहा कर ले जाती और बांसवाड़ा तबाह हो जाता। एक दिन पानी ओवरफ्लो था, उसे बोरे लगाकर रोका। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि टैक्निकल सैक्शन के बारे में जो सारा खर्चा हुआ, वह बतायें।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह उदयपुर से आने वाले सदस्य मानते हैं अगर यह डेम नहीं बनता तो बांसवाड़ा शहर को खतरा था। बांसवाडा शहर को खतरा भी नहीं था कि जहां पर कोई स्ट्रक्चर कन्स्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, इससे खास तौर से जो अप्रोच चैनल के मुंह के ऊपर है, अप्रोच चैनल बनेगी। अप्रोच चैनल के बारे में इनटेक बनेगा। उसके बाद मैन स्टाप्स और उसके बाद में टरबाइन से पानी होकर बिजली का उत्पादन करेगा। तो यह बात सही है कि कोफर डेम नहीं बनता तो आगे के स्ट्रक्चर न तो इनटेक का कन्स्ट्रक्शन चल सकता है और न आगे पावर हाउस के कन्सट्रक्शन का काम ही प्रारम्भ रखा जा सकता है। कॉफर डेम में अब प्रश्न यह रहा कि अगर आप अप्रोच चैनल को मान लो नहीं खोदते, तो कोफर डेम बनाने की आवश्यकता नहीं होती। यह प्रश्न आपने उठाया। अभी और वक्तव्य मैंने एग्जामिन किया है कि अगर अप्रोच चेनल नहीं बनाते तो कोफर डेम की आवश्यकता नहीं होती? मैं इस प्रश्न की जांच करवाऊंगा कि क्या है और क्या नहीं है? क्योंकि कुछ नये मुद्दे यहां उठाये हैं। दूसरी बात, आपने कही कि जिस शिड्यूल में काम होना चाहिए था, उसमें काम नहीं हुआ। यह बात सही है, मैं अपने वक्तव्य में भी यह बात कह चुका हूं। गुजरात स्टेट कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन का शिड्यूल समयावधि में करना चाहिए था। वह समय में नहीं कर सका। उन्होंने कुछ क्लेम प्रस्तुत

(श्री परसराम भारद्वाज)

किये हैं और वह क्लेम दो मुद्दों पर किए हैं। एक मुद्दा मैंने कहा है कि इनटेक के नीचे चट्टान में जिस गहराई में आनी चाहिए थी, उसकी वजह से देरी हुआ है, एक बात तो उन्होंने यह कही है।

दूसरा, जैसा कि मैं अभी माननीय सदस्य को बता चुका हूं, यह कहा कि क्योंकि वेस लोड से पीक लोड का डिजाइन बदल दिया। इसका मतलब यह है कि उसमें पानी का रेगूलर फ्लो रहेगा और बिजली का उत्पादन होगा। पीक लोड का मतलब यह है कि पानी उसमें रोका जायेगा और रोकने के बाद में जब भी आवश्यकता होगी, तब बिजली का जनरेशन होगा। दोनों की डिजाइन में भारी अन्तर है, इसकी क्षमता को देखते हुए क्षमता के साथ-साथ, बिजली का जनरेशन रेगूलर फ्लो के ऊपर, पानी पर डिपेंड नहीं करना चाहिए लेकिन लोड के पानी को रोक करके आवश्यकतानुसार पूरे के पूरे पावर हाउस का डिजाइन बदलना चाहिए। पूरे के पूरे पावर हाउस के डिजाइन की बात है। यह सब कुछ सैण्ट्रल पावर कमीशन एण्ड सैन्ट्रल वाटर कमीशन की टैक्निकल क्लियरेंस के ऊपर और उनकी डिजाइन के ऊपर हुआ है। अब यह कहना कि आपको कोफर डैम बनाना ही नहीं चाहिए था। कोफर डैम बनाने की बात सन् 1979 के फरवरी के अन्दर जब इरिगेशन मिनिस्टर वहां गए हुए थे, उनके साथ में दूसरे इरिगेशन सैक्रेटरी और हमारे इरिगेशन सैक्रेटरी यहां के और चीफ इंजीनियर, जनरल मैनेजर जी. एस. सी. सी. भी साथ थे। उन्होंने फरवरी, 1979 में यह निर्णय लिया था, यह कोफर डैम बनना चाहिए। उस कोफर डैम की हाइट उन्होंने कम रखी थी। उसकी लागत भी कम रखी थी लेकिन माही कन्ट्रोल बोर्ड की स्टेंडिंग कमेटी ने बाद में यह निर्णय लिया, क्योंकि गुजरात स्टेट कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन की इसमें देरी हुई है और डिजाइन चेंज करने में स्टेट को बेस नहीं मिलने की वजह से देरी हुई है इसलिए यह क्लेम कर रहे हैं, उस एग्रीमेंट में यह बात है वह फरदर क्लेम करेंगे तो मामला आर्बीट्रेशन को रेफर होगा। इसलिए सैण्ट्रल वाटर कमीशन के मिस्टर त्रिवेदी और कथूरिया को आर्बीट्रेटर दोनों ही पार्टीज ने मुकर्रर कर दिया है जो किस्म के बारे में देखेंगे। उसके बाद में स्टेंडिंग कमेटी ने निर्णय लिया कि कोफर डैम की हाइट नहीं हुई तो निश्चित तौर पर शहर को खतरा हो सकता है। माही का बांध बन रहा था, इसलिए इसकी हाइट को बढ़ाना पड़ा। अब यह बात आप कह रहे हैं कि खर्चा हो गया है वह फलित हुआ है। 79 में जो मीटिंग इरिगेशन मिनिस्टर, गवर्नमेंट आफ इंडिया के चेयरमैनशिप में माही के बांध के डाक बंगले में हुई थी, उसमें यह निर्णय लिया गया था कि कोफर डैम का खर्चा कौन भुगतेगा, कौन वहन करेगा? क्योंकि जी. एस. सी. सी. की देरी करने से, कंस्ट्रक्शन समय पर नहीं करने की वजह से हुआ है। इसलिए उन्होंने कहा था कि इसकी कास्ट के सम्बन्ध में निर्णय लेगा वह माही कण्ट्रोल बोर्ड लेगा और अब यह मामला माही कण्ट्रोल बोर्ड के विचाराधीन है। क्योंकि उन्होंने जो क्लेम पेश किया है वह टेक्निकल मुद्दों और टेक्निकल बिन्दुओं के आधार पर किया है। इसलिए इस मामले के अन्दर एक कमेटी बैठी हुई है। दूसरी कमेटी इसकी कास्ट के, वर्क के इन्क्रीज और

(62)

(श्री परसराम मदेरणा)

कास्ट की इन्क्रीज के सम्बन्ध में सेंट्रल वाटर कमीशन के सदस्य की चेयरमैनशिप में गठित हुई है। दोनों ही चीफ इंजीनियर हैं। जी. एस. सी. सी. के चीफ इंजीनियर और हमारे चीफ इंजीनियर दोनों ही उसके मेम्बर हैं। इस सम्बन्ध में वह देख रहे हैं। वास्तव में देरी हुई है। देरी होने से डिजाइन के चेंज होने से काम इन्क्रीज हुआ। काम इन्क्रीज हुआ, तो वह पहले एग्रीमेंट से ज्यादा कौन सा है ? और इस सम्बन्ध में क्या रेट रहनी चाहिए ? इसलिए दो प्रकार की कमेटियां, एक आर्बीट्रेशन की और दूसरी सेंट्रल वाटर कमीशन के मेम्बर की चेयरमैनशिप में है। वह सब मामलों को देखेंगे और देखने के बाद इसकी कॉस्ट को वहन कौन करेगा और कितनी करेगा ? और जी. एस. सी. सी. की नेग्लीजेंस रही, यह सभी मामले जो हैं, वह माही कण्ट्रोल बोर्ड को निर्णय लेना है।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई, कृपया स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, दस करोड़ का.......

श्री अध्यक्ष : टेक्निकलीटी और कौन-सी कमी रही, इसमें इतना समय नहीं है.... माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट का समय तो आप दीजिए, ऐसी क्या बात है ? दस करोड़ का नुकसान हम भुगत रहे हैं। कृपा करके, मेरे उठने के कारण इसको मत लीजिए, आप स्वयं मौके पर जाइये।.....

श्री अध्यक्ष, आर्डर प्लीज।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, दस करोड़ रुपया कोकट में...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अधिकारियों की गलती के कारण चूक गया राजस्थान...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अब ज्यादा कार्यवाही थोपने की कोशिश नहीं करें। समय दे दिया है, आपको।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : आप इतना लाइटली ले रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आता....

श्री अध्यक्ष : कोई लाइटली नहीं ले रहे हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैं आपसे और कुछ नहीं चाहता हूं। मैं तो यह चाहता हूं, मंत्री महोदय, आप स्वयं जाकर एक बार मौके पर देखें। आपको आंखों के सामने आ जाएगा कि अफसरों की नेग्लीजेंस के कारण दस करोड़ रुपया राजस्थान का हमने खोया है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मंत्री महोदय जायेंगे या नहीं ?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैं आपके सामने लाया हूं एक चीज। मैं स्वयं यह

(श्री मूलचन्द कटारिया)
पर गया हूं, अपनी आंखों से देख कर आया हूं। आप कृपा करके, भगवान के लिए, मेहरबानी करके जाइये और जाकर देखिये। बड़ी भारी भूल हुई है, इतनी बड़ी गलती हुई है।

सांचौर तहसील स्थित सरदारपुरा बीड के लाखों हरे व सूखे पेड़ों का वन विभाग के अधिकारियों की साजिश से सफाया

श्री अध्यक्ष : श्री गोविन्दसिंह गुर्जर, वन राज्य मंत्री सांचोर तहसील स्थित सरदारपुरा बीड के लाखों हरे व सूखे पेड़ों का वन विभाग के अधिकारियों की साजिश से सफाया कर देने के सम्बन्ध में वक्तव्य देंगे।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (राज्य मंत्री, वन): अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा की पालना में मेरा वक्तव्य यह है, जालोर जिले की तहसील सांचोर के ग्राम सरदारपुरा के पास वन विभाग का एक जोड़, जो कि भवातड़ा जोड़ के नाम से अभिलेख में अंकित है एवं जिसका क्षेत्रफल लगभग 3089 एकड़ है, आरक्षित वन क्षेत्र है, जिसमें प्राकृतिक रूप से उपजे विलायती बबूल (प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा) की बहुतायत है।

उक्त जोड़ का मौका मुआयना वन संरक्षक, जोधपुर द्वारा दिनांक 15-4-81 को एक शिकायत के संदर्भ में किया गया। मौका मुआयना के समय उप वन संरक्षक, जालोर, क्षेत्रीय वन अधिकारी सांचौर एवं ग्रामवासी भी मौजूद थे। उक्त निरीक्षण एवं प्रारंभिक जांच से यह विदित हुआ कि विगत कुछ महीनों अर्थात इसी वर्किंग सीजन में उक्त जोड़ में पेड़ों की भारी कटाई की गई है एवं कोयला तैयार किया जाकर निकास हुआ है। मौके की कार्यवाही के पश्चात् उप वन संरक्षक जालौर को विस्तृत प्रारम्भिक जांच के आदेश दिए गए।

उप वन संरक्षक जालौर ने मामले की जांच कर जांच प्रतिवेदन दिनांक 8-5-81 को वन-संरक्षक, जोधपुर को प्रेषित किया। उक्त जांच के अनुसार वर्ष 1980-81 में हुई वर्षा के बाद 4756 भिन्न-भिन्न गोलाई के वृक्षों का तथा वर्षा से पूर्व विगत एक वर्ष में 5305 भिन्न-भिन्न गोलाई के वृक्षों का कटान होना एवं इस वर्ष के 369 कोयले की भट्टियों के तथा गत वर्ष के 245 कोयले की भट्टियों के निशान पाये गए, जिनके आधार पर उप वन संरक्षक जालौर द्वारा कुल 8916 बोरी कोयला बना कर निकास होना अनुमानित किया, जिसका मूल्य 27,000) रु. आंका गया। उक्त जांच से श्री भवानीसिंह, उप क्षेत्रिय (क्षेत्रिय वन अधिकारी, सांचौर) श्री मोहन लाल, सहायक वनपाल, भवातड़ा एवं श्री देवीसिंह सहायक वनपाल, भवातड़ा, उक्त जोड़ में हुए अवैध कटाव व कोयला बना कर अवैध निकासी के सम्बन्ध में दोषी पाये गए एवं श्री मोहनलाल, सहायक वन पाल, भवातड़ा को इस मामले में निलम्बित किया गया।

इसी क्रम में जांच सही नहीं होने बाबत दो शिकायतें वन संरक्षक, जोधपुर को को प्राप्त होने से उन्होंने मण्डल वन अधिकारी, जोधपुर को इस मामले की जांच के आदेश दिए, जिनसे विस्तृत जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर जोड़ भवातड़ा में भारी संख्या में मुख्यतः विलायती बबूल के

(64)

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)
पेड़ों का अवैध कटाव का कोयला बना कर निकाल लिया जाना प्रकट हुआ और 2914 ताजा भट्टियों के निशान पाये गए तथा 2,07,000) रुपये का नुकसान होना दर्शाया गया। उक्त जांच के आधार पर निम्नांकित अधिकारी, कर्मचारी दोषी पाए गए :-

श्री अटलबिहारी सक्सेना, तत्कालीन उप वन संरक्षक, जालौर,

श्री भवानीसिंह, उप क्षेत्रीय, सांचौर (क्षेत्रीय वन अधिकारी, सांचौर)

श्री पदमाराम, उप क्षेत्रीय, सांचौर रेंज,

श्री मोहनलाल, सहायक वनपाल, भवातड़ा,

श्री देवीसिंह, तत्कालीन वनपाल, भवातड़ा,

निदेशक, मरुस्थल वनारोपण एवं चरागाह विकास, जोधपुर द्वारा इस मामले में दिनांक 1-5-81 से श्री भवानीसिंह, उप क्षेत्रीय को निलम्बित किया गया एवं विस्तृत जांच प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रेषित किया गया।

राज्य सरकार ने उपरोक्त पांचों अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध राजस्थान असैनिक सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं पुनरावेदन) नियम, 1958 की धारा 16 के अन्तर्गत विभागीय जांच किये जाने का निर्णय लेकर श्री अटल बिहारी सक्सेना, तत्कालीन उप वन संरक्षक जालौर, श्री पदमाराम, उप क्षेत्रीय सांचौर रेंज एवं श्री देवीसिंह, तत्कालीन सहायक वनपाल भवातड़ा को भी निलम्बित कर दिया गया है एवं उनके विरुद्ध विभागीय जांच की जा रही है। साथ ही उपरोक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के अतिरिक्त पूर्व के नियुक्त अधिकारी का इस अवैध वृक्ष कटान एवं अनियमित कोयले बनाई में किस सीमा तक हाथ था, जांच कर आवश्यक कार्यवाही प्रस्तावित करने हेतु निर्देश अतिरिक्त वन संरक्षक, जोधपुर को दे दिये गए हैं। जोड़ भवातड़ा में हुए अवैध कटान आदि के संबंध में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु एक रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक, जालौर को दिनांक 29-9-81 को उप वन संरक्षक, जालौर द्वारा प्रेषित की गई थी; जिसमें पुलिस द्वारा तफतीश की जा रही है। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि पुलिस में दर्ज कराये गए मामले में निष्पक्ष एवं तत्परता से जांच कराये जाने हेतु स्थानीय पुलिस के स्थान पर सी. आई. डी. पुलिस से जांच करवाई जाये। तदनुसार महानिरीक्षक, आरक्षी को जांच हेतु लिखा गया है।

उपरोक्त तथ्यों से प्रकट है कि राज्य सरकार राज्य वन सम्पदा की सुरक्षा के प्रति पूर्ण जागरूक है एवं इस विषय में दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा की गई उपेक्षा अथवा दायित्वहीनता के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने के लिए कृत संकल्प है।

श्री कनकराज मेहता (सांचौर): इस सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहता हूं। मेरा निवेदन है कि मंत्रीजी खुद मानते हैं कि वन कटने का क्रम दो साल से चल रहा है फिर श्री इन्क्वायरी वन विभाग को दी गई। क्या यह मामा जा सकता

(श्री कनकराज मेहता)

है कि उससे कोई इंसाफ मिल सकता है? दूसरी बात यह है कि यह सबसे मोटा डाका राजस्थान की वन सम्पदा पर इन वन विभाग वालों ने डाला है। वन विभाग वाले रक्षक की जगह भक्षक बन गये हैं। इस तरह का उन्होंने जो कृत्य किया है, मेरे ख्याल से जघन्य अपराध है। इनके खिलाफ पीनल चार्जेज लगाये जाने चाहियें। ऐसे कई सेक्शन आपके आई. पी. सी. में मिल सकते हैं जिससे दंडित किया जा सकता है। विभागीय कार्यवाही की जाती है तो मेरे ख्याल से उससे कोई निष्कर्ष निकलने वाला नहीं है। करोड़ों रुपयों की वन सम्पदा को नष्ट कर दिया गया है। इससे जो आमदनी होने वाली थी उससे स्टेट को वंचित होना पड़ा है। यह करोड़ों रुपयों की हानि का सवाल है। एक-एक दरख्त पांच सौ रुपये का होता है और यदि टिनेन्सी एक्ट के नीचे दरख्त को काटा जाता तो उसके ऊपर 50 से ढाई सौ रुपया जुर्माना होता है। लाखों दरख्त काटने का सवाल है। इस मामले में वन अधिकारी से इसकी जांच की जायेगी तो मेरे ख्याल से कोई निर्णय निकलने वाला नहीं है। कुछ समय तक वह लोग सस्पैण्ड रहेंगे और नतीजा कुछ निकलने वाला नहीं है। जो स्टेट का नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति होने वाली नहीं है। साथ में मेरा निवेदन है कि इन वन अधिकारियों ने अपने आपको बचाने के लिए वहां के निवासियों के ऊपर क्रिमीनल चार्जेज लगाकर उन लोगों का चालान कराया है, जो कि तीन महीने पहले का वकाया बताकर कराया है। जब आप मानते हैं कि यह कार्यक्रम दो, ढाई, तीन साल से चल रहा है तो क्या औचित्य है कि दो महीने का वाकया बनाकर ग्रामीण लोगों के खिलाफ एफ.आई.आर. लोज की है? क्या यह उनकी साजिश नहीं है? वन विभाग वालों के बचाव के लिए ग्रामीण लोगों पर यह आफेन्स लगा कर उनको परेशान करने के लिए, उनको तबाह करने के लिए क्या उनकी साजिश नहीं है? इस संबंध में मैं वक्तव्य चाहूंगा जो उस समय अधिकारी थे, जिन्होंने सैकड़ों रुपया टी.ए.,डी.ए. का उठाया है, कई यहां पर ट्रैक्टर घूमे हैं, कई जीपें घूमी हैं, क्या यह सब लोगों ने आंखें मूंदकर कार्यवाही की है? अब जाकर चौथे-पांचवें महीने में यह बात खुली है। जब आप खुद मानते हैं कि ढाई वर्ष से वन काटने का क्रम चल रहा है, तो मेरे ख्याल से यह अफसोस की बात है और सरकार के लिए भी निन्दनीय है। इस तरह की वारदात होती है और ग्रामीणों को अपने बचाव के लिए फंसाना चाहते हैं। इस प्रकार का जघन्य अपराध करते हैं। मेरे ख्याल से उनको उचित दंड दिया जाना चाहिये। उनका कोई उचित दफा के नीचे चालान किया जाना बहुत आवश्यक है। जो विभागीय कार्यवाही चल रही है, उससे कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। जो भारी हानि हुई है उसकी पूर्ति होने वाली नहीं है क्योंकि जंगल इतना बड़ा है, जिसके ऊपर लाखों पशुओं का भरण पोषण होता था और लोगों को मेहनत मजदूरी मिलती थी। काफी ईंधन मिलता था, और खजड़ी की यहां पैदावार होती थी, जिससे अकाल के अन्दर पशु निर्वाह करते थे लेकिन यह सारी सम्पदा नष्ट कर दी गई है। आ.. इस वन का हाल देखा जाये तो पोलो ग्राउन्ड बना रखा है। आपने यह

(श्री कनकराज मेहता)

कहा कि दो सौ, ढाई सौ भट्टी है । मगर मैं याद दिलाकर कहना चाहता हूं, मौजूदा हालत में तीन हजार भट्टियां मौजूद हैं और उनकी जांच रिपोर्ट में भी बात आ चुकी है। इस तरह से जो इन्क्वायरी हुई है, उसके अन्दर कोई समन्वय नहीं है। एक अधिकारी जाता है, इन्क्वायरी करता है, दूसरा और करता है। इसके लिए उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनायी जाय और इसकी पूर्णतया जांच करायी जाकर दोषी व्यक्तियों के ऊपर क्रिमिनल चार्जेज लगाकर उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये, अन्यथा इस तरह से वन सम्पदा को नष्ट कर दिया गया, तो मेरे ख्याल से राजस्थान की वन सम्पदा एक दिन बचने वाली नहीं है। राज्य सरकार कहती है हम वन लगाने की कोशिश करते हैं। एक तरफ वन इस तरह से जघन्य अपराध करके काटे जाते हैं तो दूसरी तरफ वन लगाये जाते हैं, इसका क्या औचित्य है ? लाखों करोड़ों सूखे और हरे पेड़ काट डाले गये हैं और यह अपनी उपलब्धि बता रहे हैं कि वनों में हमने इतने दरख्त लगाये लेकिन दरख्त कटने के कोई आंकड़े इनके पास मिलते नहीं हैं। जो दरख्त लगाये गये हों, उनमें से कितने पनपे और कितने नहीं पनपे इसका आंकड़ा देखने में नहीं आता है । सैंकड़ों वर्षों पुराने, दरबार के टाइम के, स्टेट के टाइम के वन हैं, उनको निर्भयता से उजाड़ दिया गया। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा जघन्य अपराध कोई नहीं होगा। यह बेमिसाल अपराध इस समय का है। इसकी पूरी जांच की जानी चाहिये और दोषी व्यक्तियों को नहीं बख्शा जाना चाहिये। मेरा यही निवेदन है।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, जो रक्षक भक्षक बन गये हैं, उनके खिलाफ मैंने माननीय सदस्यों को अभी बताया है कि सस्पेण्ड कर दिये गये हैं। उनको चार्ज शीट दी गई है, चार्ज शीट देने के बाद जो किसी भी प्रकार की जांच करने का तरीका है, उस तरीके के अनुसार जांच पूरी करने के बाद यदि वह दोषी पाये गये तो उनको अवश्य सख्त से सख्त सजा दी जा सकती है। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सख्त से सख्त सजा अवश्य दी जायगी। जहां तक एक बात मेरे को माननीय सदस्य ने बतायी थी कि कुछ निर्दोष व्यक्तियों को इस केस में फंसाने के लिये पुलिस में रिपोर्ट की गई है, उसके ऊपर मैंने यह मुनासिब समझा कि इस सारी जांच में अगर सरकारी कर्मचारी के अलावा कोई अन्य व्यक्ति इस तरह के कांड में शामिल हैं तो मैं समझूंगा माननीय सदस्य मेरी इस बात से सहमत होंगे कि उसे भी सजा मिलनी चाहिये। इसलिये आम आदमी को तकलीफ नहीं हो, सी. आई. डी. के द्वारा यह जांच कराई जायेगी, जो आदमी दोषी हैं, वह बच न पायें, उनको ज्यादा से ज्यादा सजा मिले। मैं विश्वास दिलाता हूं कि कहीं भी इस तरह के केस में किसी भी कर्मचारी को बख्शा नहीं जायेगा।

श्री कनकराज मेहता : अध्यक्ष महोदय, इन्क्वायरी कितने समय में कम्पलीट करली जायेगी ताकि लोगों में विश्वास बढ़ सके कि वास्तव में सरकारी कर्मचारी जो ऐसा कृत्य करने वाले हैं उनको दंड भी दिया जा सकता है ? निश्चित अवधि बताने की कृपा करें ताकि हम लोगों को संतोष हो ?

नियम 295 के अन्तर्गत उठाया गया विषय श्री अजय कुमार गुप्ता की गुमशुदा बहिन मंजू की तलाश

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, कई दिनों से मैं चेष्टा कर रहा था, एक अनजाने फरियादी की फरियाद आप तक पहुंचाने का नियम 295 में, मैं स्टेटमेंट देना चाहता था, अगर आप आज्ञा दें तो मैं जिक्र कर रहा हूं एक श्री अजयकुमार गुप्ता का, जिसने करुणा भरे शब्दों में अपनी गाथा कही है। उस विषय में निवेदन है कि वह अपनी गुमशुदा बहिन की तलाश में है। उनका कहना है कि मेरी बहिन मंजू दिनांक 19-8-81 बुधवार को दिन के बारह बजे अपने ससुराल गणगौरी बाजार से झोटवाड़ा के लिये रवाना हुई थी, लेकिन उसका बीच में ही अपहरण कर लिया गया है। इसकी रिपोर्ट छोटी चौपड़ कोतवाली में भी करा दी गई थी लेकिन बड़े ही दुख की बात है कि पुलिस के पास गरीब की सुनवाई नहीं हुई। मेरा आपसे सविनय निवेदन है कि आप इस बात को पहुंचायें सरकार तक, इसीलिये सदन में उठायी है। अजयकुमार गुप्ता पुत्र श्री रतनलाल जी खण्डेलवाल, इसका सारा पता है। मैं इसको टेबल पर रखूंगा। लेकिन प्रार्थना करूंगा कि ऐसे निस्सहाय लोगों की जो रिपोर्ट करते हैं, पुलिस में कोई सुनवाई नहीं होती। मैं खास तौर से गृह राज्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं क्या उसकी कोई सुनवाई नहीं है ? कोई पुकार नहीं है ? ऐसे और भी कई थानों में, कोतवाली में तब इंस्पेक्टर ने काफी मारपीट की। एक पत्रकार जो आज भूख हड़ताल पर है....

श्री अध्यक्ष : विषयान्तर हो रहे हैं।

श्री राजबहादुर : उदाहरण दे रहा हूं, कोई सुनवाई नहीं होती है।

श्री अध्यक्ष : इसका उदाहरण आप दूसरी घटना से दे देंगे तो वह बहुत लम्बा हो जायगा।

श्री राजबहादुर : मैं आपकी व्यवस्था को स्वीकार करता हूं। मैंने कहा इसलिये ऐसी घटनाओं में अनदेखी नहीं होनी चाहिये, पुलिस को टाइट होना चाहिये।

याचिका का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष : याचिकाओं का उपस्थापन।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : मैं वीरेन्द्र प्रताप सिंह सदस्य विधान सभा याचिका देने वाले दो व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित

(1) बी श्रेणी के मंजूर शुदा ग्राम मावता से गुढ़ा, वाया मणकवास सड़क के बन्द शुदा कार्य का चालू करवाने संबंधी।

(2) बिलाड़ा (जोधपुर) के बाणगंगा नामक तीर्थ स्थान को लूणी नदी से बचाने संबंधी।

(3) ग्राम पंचलंगी, तहसील उदयपुर वाटी, जिला झुंझुनू में एलोपैथिक डिस्पेंसरी खुलवाने हेतु याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं।

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन राजस्थान सहायता उपक्रम, (विशेष उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, 1981

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य। श्री शिवचरण माथुर, प्रभारी मंत्री राजस्थ

(श्री अध्यक्ष)
सहायता उपक्रम (विशेष उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करेंगे ।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राज्य मंत्री गृह): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) (संशोधन) विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) (संशोधन) विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करने के लिये आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं, अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से राजस्थान सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) (संशोधन) विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करता हूं ।

राजस्थान लोक मांग वसूली (संशोधन) विधेयक, 1981

श्री अध्यक्ष : श्री चंदनमल वैद, प्रभारी मंत्री, राजस्थान लोक मांग वसूली (संशोधन) विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करेंगे ।

श्री चंदनमल वैद (वित्त मंत्री) : मैं राजस्थान लोक मांग वसूली (संशोधन) विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान लोक मांग वसूली (संशोधन) विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री चंदनमल वैद : मैं राजस्थान लोक मांग वसूली (संशोधन) विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करता हूं ।

राजस्थान नर्स दाई स्वास्थ्य वीक्षिका तथा नर्स दाई रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 1981

श्री अध्यक्ष : श्री सी. एल. कंवरिया, प्रभारी मंत्री, राजस्थान नर्स दाई स्वास्थ्य वीक्षिका तथा नर्स दाई रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे ।

श्री सी.एल. कंवरिया (चिकित्सा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान नर्स दाई स्वास्थ्य वीक्षिका तथा सहायक नर्स दाई रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान करने के लिए प्रस्ताव करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नर्स दाई स्वास्थ्य वीक्षिका तथा सहायक नर्स दाई रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री सी. एल. कंवरिया : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान नर्स दाई स्वास्थ्य वीक्षिका तथा सहायक नर्स दाई रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 1981 को पुरः स्थापित करता हूं।

विधेयक पर विचार

राजस्थान मद्य निषेध अधिनियम निरसनकारी विधेयक, 1981

श्री अध्यक्ष : विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक। राजस्थान मद्य निषेध अधिनियम निरसनकारी विधेयक, 1981।

संवैधानिक प्रश्न पर महाधिवक्ता की सम्मति

राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 का पुनर्प्रवर्तन

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक पर कल जब चर्चा हो रही थी, तो कल कुछ संवैधानिक मुद्दे इस सदन में उठाये गये, जिन पर आपने व्यवस्था देते हुए कहा कि एडवोकेट जनरल इस सदन में उन मुद्दों पर अपने विचार प्रस्तुत करें, ऐसी आपने व्यवस्था दी। इस संबंध में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि एडवोकेट जनरल अपनी ओपिनियन दें, इसके पहले माननीय सदस्य इस संबंध में क्या चाहते थे। इस संबंध में थोड़ी जानकारी उनको करा दी जाय तो ज्यादा उचित होगा। इस आधार पर कल भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने· · ·

श्री चंदनमल बैद (वित्त मंत्री) : यह जानकारी अध्यक्ष महोदय के मार्फत करानी चाहिए या दूसरे सदस्यों के माध्यम से ?

श्री अध्यक्ष : आसन के माध्यम से। यह जानकारी तो हमने करा दी।

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : प्रोसिडिंग्स पढ़ ली है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : प्रोसिडिंग्स पढ़ ली होंगी, यह तो बिलकुल सही है।

श्री चंदनमल बैद : यह रूलिंग है कि अध्यक्ष महोदय के मार्फत जानकारी करानी चाहिए, जो कराई जा चुकी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि जब एडवोकेट जनरल अपनी ओपिनियन देंगे, उसके बाद क्वेश्चन या जानकारी सब कुछ करने का हमको अधिकार होगा, इसलिए मैं कह रहा था।

श्री खेतसिंह राठौड़ : वह तो होगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसीलिए मैं कह रहा था कि बोलने में कोई आपत्ति न उठावें।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, जो जानकारी उनको चाहिए, वो मिल चुकी होगी। आपने करादी होगी, रिकार्ड से देख ली होगी, लेकिन मुद्दे क्या थे। मुद्दे उठाने वाले ज्यादा कह सकते हैं, मैं विनती करूंगा अगर मुद्दों को संक्षेप में कह सकें।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में कहने की इजाजत देता हूं, लेकिन समय ज्यादा नहीं लें।

श्री परसराम मदेरणा : जैसा कि मुझे जानकारी मिली है, एडवोकेट जनरल ने प्रोसिडिंग्स को तो पढ़ लिया है, और अब

(70)

(श्री परसराम मदेरणा)

प्रोसिडिंग्स को पढ़ लिया है तो भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो भी लीगल मुद्दे उठाये हैं, वह एडवोकेट जनरल के ध्यान में हैं।

श्री राजबहादुर : I submit that I will co-operate. It was for his benefit that I wanted to speak. I am in your hands.

श्री अध्यक्ष : मेरे ख्याल से जब आप संक्षेप में अपनी बात कर रहे हैं, तो साफ हो गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जब वह कह रहे हैं कि प्रोसिडिंग्स देख ली सब कुछ देख लिया तो बोल दें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : फिर भी अध्यक्ष महोदय ने आज्ञा प्रदान कर दी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह तो ठीक हैं, लेकिन एक बार एडवोकेट जनरल बोल जाय, बता दें, तो हमें बोलने की आवश्यकता ही नहीं हो। हमें संतोष हो गया तो समय बच जायेगा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : वह संतोष आपको कभी नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : पहले आप फर्मा दीजिए क्योंकि उसके बाद में ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, बाद में जो क्वेरी करनी होगी, वह कर लेंगे।

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, उनके बोलने के तुरन्त बाद हमें प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे, वह तो फिर भी होगी।

श्री अध्यक्ष : मुख्य सचेतक जी का सोचना यह है कि वह भूल गये हैं कि कल क्या बोला ? इसलिए क्योंकि आपने ही प्रस्ताव रखा था आज्ञा के लिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरे प्रस्ताव को तो आपने मंजूर नहीं किया। मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ था, उस पर मुख्य सचेतक जी खड़े हुए कि सब जानकारी आपके माध्यम से दे दी गई है। अब मुख्य सचेतक जी कह रहे हैं कि मैं तो सब कुछ भूल गया, तो अध्यक्ष महोदय, ऐसे मुख्य सचेतक से सदन का काम नहीं चल सकता।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मेरा यह मतलब नहीं है। शायद आपके पास कुछ नये मुद्दे हों, जैसा कि भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि हम संक्षेप में ऐसे मुद्दे रखना चाहते हैं, तो रखने दीजिए क्या दिक्कत है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं समझता हूं कि एक बार हाउस के सामने जो मैटर है, वह आ जाय उस पर एडवोकेट-जनरल ओपिनियन दें। उससे अगर संतोष नहीं होगा तो निश्चय ही प्रश्न पुट अप किये जायेंगे और एडवोकेट जनरल उत्तर देंगे तो व्यवस्था आपको देनी है।

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता अगर बोलना नहीं चाहते तो ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ऐसा नहीं है, अध्यक्ष महोदय, मैं खड़ा हुआ था बोलने के लिये, आप एक्सक्लूड कैसे कर रहे हैं ? मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ जिस पर

(श्री भैरोंसिंह शेखावत) :
आप ही को आपत्ति हो गई ।

श्री अध्यक्ष :—मैंने अनुमति दे दी थी फिर अनुमति देता हूं आप पहले बोल लीजिये ।

श्री जयकृष्ण शर्मा (राज्य मंत्री, यातायात) : × × ×

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के लिये यह बहुत ही दुर्भाग्य का दिवस होगा, यदि यह विधान सभा जिस प्रकार का विधेयक उसके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, उस विधेयक को पारित करे । मैं एडवोकेट जनरल से इस संबंध में कुछ विषयों में कुछ जानकारी करना चाहूंगा और खास तौर पर डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स के मामले में एडवोकेट जनरल इस सदन को किस प्रकार एडवाइस करते हैं ? यह उसके ऊपर डिपेण्ड करेगा अध्यक्ष महोदय, चेप्टर 4 में, जैसा कि आपने सारी रात अध्ययन किया है, चेप्टर 4 के "डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स" का अध्ययन किया है— इस आर्टिकल 47 में नशाबंदी के संबंध में विवरण दिया गया है, वह आर्टिकल 47 मैं पढकर सुनाना चाहता हूं ।

"The State shall regard the raising of the level of nutrition and the standard of living of its people and the improvement of public health as among its primary duties and, in particular, the State shall endeavour to bring about prohibition of the consumption, except for medicinal purposes of intoxicating drinks and drugs which are injurious to health."

47 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि 47 में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, उनको इम्पलीमेंट करने के लिये 69 में एक प्रोहिबिशन एक्ट उस समय की सरकार की ओर से रखा गया और उसको पारित कराया गया। अब आप का रिवाइवल का प्रश्न आता है अध्यक्ष महोदय, रिवाइवाल के पोर्शन के साथ यदि हम कॉन्स्टीट्यूशन का आर्टिकल 37 पढ़े, तो 37 में लिखा है :—

"The provisions contained in this part shall not be enforceable by any court, but the principles therein laid down are never the less fundamental in the governance of the country and it shall be the duty of the State to apply these principles in making laws."

यह तो मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट्स आज फण्डामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में कोई कानून बनाता है, तो न तो पार्लियामेंट और न ही विधान सभा, उस पर कानून बनायेगी और कहीं पर भी अगर फण्डामेंटल राइट्स का ब्रीच होता है, तो लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इसके प्रोटेक्शन के लिये जाते हैं और उनको वह प्रोटेक्शन मिलता है । सवाल यह उठता है कि डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फण्डामेंटल राइट्स में अन्तर कितना है ? डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स को एक्जीक्युट करने के लिए कानून बना अध्यक्ष महोदय, कानून बनने के बाद में उसकी पोजीशन क्या रहती है ? इसके

×××अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
संबंध में अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन जो कुछ मैं देख पाया हूं उसके संबंध में यह निवेदन करना चाहूंगा कि डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फण्डामेंटल राइट्स के बारे में ए. आई. आर., 1978 पेज 311···

श्री अध्यक्ष : 78

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जी हां 78। इसमें ए. वी. चन्देल दिल्ली यूनिवर्सिटी का यह केस है, इस में जजेज ने क्या फील किया है। इसमें जजमेंट में ओपिनियन क्या दी गयी है···

श्री अध्यक्ष : किस अदालत का है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : देहली हाई-कोर्ट का है।

"In drafting the Constitution of India also, initially rights embodied in part III and part IV of the Constitution were all listed as fundamental rights."

कहने का मतलब यह है कि जिस समय इस संविधान का ड्राफ्ट बना था और जिन महात्माओं ने इसका ड्राफ्ट बनाया था, उस समय डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स और फण्डामेंटल राइट्स दोनों को एक ही चैप्टर में रखा था। आज यह दोनों दो चैप्टर्स में है–तीन और चार में उस समय डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स और फण्डामेंटल राइट्स, दोनों की स्थिति वही थी, एक ही थी। जिस समय संविधान ड्राफ्ट किया, एक अनुमान लगाया जा सकता है कि कान्स्टीट्यूशन मेकर्स का दिमाग इस तरफ जा रहा था कि वे फण्डामेंटल राइट्स और डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स में कितना अन्तर करके चल रहे हैं इस बात को समझना है, तो एक जजमेंट में यह बात लिखी है। मैं समझता हूं कि एडवोकेट जनरल इसमें सारी भूमिका बतायेंगे कि आखिर डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स में और फण्डामेंटल राइट्स में किस प्रकार का अन्तर है? और उसके कारण क्या हैं? यदि कोई इसके विपरीत आचरण करता है, तो इसको इस प्रकार रखा जा सकता है।

"Later they were changed into two for the same reasons. However, once the State......"

आप अब ध्यान से सुन लें।

"However, once the State takes action by legislation or otherwise to make right to education available to every eligible person, all the statutory rights or statutory facilities should stand in practice, if not in theory, on the footing of the fundamental rights."

यह मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि फण्डामेंटल राइट्स और डारेक्टिव प्रिन्सिपल्स जिस समय कान्स्टीट्यूशन ड्राफ्ट किया तो कान्स्टीट्यूशन बनाने वालों के दिमाग में यह था कि अगर डायरेक्टिव प्रिन्सिपल्स को कोई स्टेट एग्जिक्यूट कर ले और करने के बाद कभी भी उन्होंने कल्पना नहीं की होगी कि कोई स्टेट ऐसा भी कर सकता है कि एक बार कानून बना कर उस कानून को वापस लाये कभी कल्पना नहीं की होगी।

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

मैं समझता हूं कि उन्होंने यह कल्पना नहीं की होगी और उन्होंने भारत की भावी पीढ़ी के ऊपर विश्वास किया कि हम चाहे जस्टिफीयेबल नहीं बनाये डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स को, लेकिन कोई लेजिस्लेचर इस प्रकार डेरोगेटरी वर्क नहीं करेगी। अपने आपको इतना-डाउन वर्क नहीं करेगी कि कान्स्टीट्यूशन में दिये गये डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट में विधान सभा में कानून पास करके आचरण करने के अधिकार प्राप्त करलें। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सबसे बड़ा इम्पोर्टेन्ट खड़ा होता है कि क्या सरकार डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स को एक्जीक्यूट करने के बाद में, कोई स्टेट लीगली इस प्रकार भी हो सकता है परन्तु मोरल ग्राउन्ड पर भी हो कि उसको वापस ले लें और लागू कर दें।

अध्यक्ष महोदय, मैं इसी सरकार के दो उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं—सवाईमाधोपुर जिले में बामनवास में एक स्कूल था। उस स्कूल को इस सरकार ने विथड्रा कर लिया, या यह कहें कि इस स्कूल का स्थानान्तरण कर दिया। लोग हाई कोर्ट में गये और उन्होंने कोर्ट में यह बात रखी कि एक बार स्कूल खोल दिया तो सरकार के पास अब उसको बंद करने का अधिकार नहीं है। स्कूल खोला है, लोगों को एजूकेशन देने के पाइन्ट आफ व्यू से। डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स के अन्तर्गत स्कूल खोला है। इसलिये स्कूल को बंद नहीं किया जा सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट के केस का जो विवरण दिया वह भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का इस प्रकार का ही था।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा): आपने क्या किया जनता राज में . . .

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, रतना राम जी भी बोलना चाहते हैं, उनको भी सुनें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसी प्रकार से सीकर जिले में आलोदा ग्राम में कोई डिस्पेंसरी थी। उसको खाटू में स्थानान्तरित कर दिया। उसके लिये भी लोग हाई कोर्ट में गये और हाईकोर्ट में आर्ग्यूमेंट दिया कि हमारी सर्विस के लिये गवर्नमेंट ने कमिटमेंट किया है, स्कूल खोला है, डिस्पेंसरी खोली है, उसको समाप्त नहीं कर सकती है सरकार। वहां पर भी गवर्नमेंट ने मात खायी। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर गवर्नमेंट ने लोगों के वेलफेयर मेजर्स किये है, डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स में एमबोडीड है, इन डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लेजिस्लेचर के थ्रू इम्पलीमेंट कर दिया, तो गवर्नमेंट उसको वापस नहीं ले सकती है यही नहीं, मैं समझता हूं कि लीगली एडवोकेट जनरल कुछ भी कह लें, मगर मोरली ग्राउन्ड्स के ऊपर, विश्वास के नाते और कान्स्टीट्यूशन के लेटर ऑफ स्प्रिट में लागू करने की दृष्टि से वापस नहीं ले सकती है।

अध्यक्ष महोदय, इसके सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक कोर्ट में डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स का महत्व क्या है, यह बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स लि. V/S. यूनियन आफ इंडिया, ए.आई. आर. 1980, पेज 1791:

"The Indian Constitution is founded on the bedrock of the

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

balance between Parts III and IV. To give absolute primacy to one over the other is to disturb the harmony of the Constitution, this hermony and balance between fundamental rights and directive principles is an essential feature of the basic structure of the Constitution. The goals set out in Part IV have to be achieved without the abrogation of the means provided for by Part III. It is in this sense that Part III and IV together constitute the core of our Constitution and combine to form its conscience. Anything that destroys the balance between the two parts will *ipso facto* destroy an essential element of the basic structure of our Constitution."

अध्यक्ष महोदय, इससे पोजीशन और भी स्पष्ट हो जाती है कि हमारे संविधान बनाने वालों ने पार्ट थर्ड और पार्ट फोर्थ के बीच में किस प्रकार का बैलेन्स मेन्टेन किया। उनकी यह मन्शा रही कि इस बैलेन्स को किसी भी रूप में डिस्टर्ब न किया जाय। यहां तक संकेत दिया है कि इस बैलेन्स को यदि किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब किया जाता है, तो दोनों के बीच का बैलेन्स ड्राप होते ही एक आदमी के फण्डामेन्टल राइट्स के ऊपर एन्क्रोचमेन्ट होगा। मैं इस सम्बन्ध में ज्यादा न कहते हुए एडवोकेट जनरल से यह जानना चाहूंगा कि क्या राजस्थान की सरकार, जिसने 1969 में और वह 1969 हिन्दुस्तान के इतिहास में एक ऐतिहासिक वर्ष था। गांधी शताब्दी मनाई गई। उस शताब्दी के वर्ष में एक कानून बनाया प्रोहिबिशन एक्ट। 1969 से लेकर 1981 तक 12 वर्ष तक लगातार हम उस कानून के ऊपर अमल करते रहे। 12 वर्ष तक लगातार हम उस कानून के आगे चले, हम आगे बढ़े हैं। क्या हम इस तरह का फोर्सली अमेन्डमेन्ट लाकर डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स के अगेन्स्ट में ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि हमें वापस 12 वर्ष पहले जाकर 1969 की रफ्तार में खड़ा कर दिया जाय और इस कानून को बिलकुल स्क्रेप कर दिया जाय? मैं इसलिए आपके माध्यम से, एडवोकेट जनरल से यह जानकारी चाहूंगा, आप यह कह सकते हैं और मुझे लगता है कि आप यह कहेंगे कि डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स का यदि कहीं ब्रीच होता है, तो यह जस्टिशियेबल नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं कोई कानून का जानकार नहीं हूं। लेकिन मैंने प्रयत्न किया, इस प्रकार की कोई रूलिंग नहीं मिली, जिस रूलिंग से मैं यह प्रूव कर सकूं कि जस्टिशियेबल है। लेकिन मैं इतना जानता हूं, आखिर तीस वर्षों तक मैं भी विधायक रहा हूं। विधायक के नाते मैं कह सकता हूं, आन मोरल ग्राउण्ड्स राजस्थान की विधान सभा, यदि 13 वर्ष पहले जो काम किया, महात्मा गांधी के आदर्श और डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स को . . .

श्री चन्दनमल वैद : नाम तो निकला।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नाम तो, आप हत्या कर रहे हो उनकी, इसलिए नाम निकल रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स और महात्मा गांधी के जन्म शताब्दी में जो कांग्रेस पार्टी ने कार्यक्रम अपनाया और जो प्रमुख कार्य था, शराबबन्दी का, उस सम्बन्ध में जो कानून बनाया था, अध्यक्ष महोदय, मैं समय नहीं लेना चाहूंगा। 1969 में जब यह

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कानून बना, उस समय वित्त मन्त्री थे मथुरादासजी माथुर। वह कानून भी आर्डिनेन्स से पेश हुआ। वह आर्डिनेन्स इसलिए पेश किया गया कि 2 अक्टूबर सन् 1969 को हम राजस्थान में शराबबन्दी का कानून लाना चाहते हैं, 2 अक्टूबर जन्म शताब्दी का सौवां वर्ष होगा और यह एक ऐतिहासिक वर्ष है। यह गांधीजी की इच्छा थी, उसकी पूर्ति के उद्देश्य से हम यह लाना चाहते हैं। इसलिए वहां भी आर्डिनेन्स इश्यू किया। आज भी गांधीजी की इच्छा को खत्म करने के लिए सरकार ने आर्डिनेन्स इश्यू किया। उसमे किसी प्रकार का अन्तर नहीं किया। 1969 में आर्डिनेन्स इश्यू करके प्रोहिबिशन एक्ट लागू किया। आज 1981 के अन्दर आर्डिनेन्स इश्यू करके प्रोहिबिशन एक्ट को खत्म किया। इसलिए मैं पहला क्वेश्चन, एडवोकेट जनरल से जानकारी हेतु पूछना चाहूंगा कि आप लीगल ग्राउण्डस पर यह कह सकेंगे कि यह जस्टिशियेबल नहीं है? मैं यह पूछना चाहता हूं आप विधान सभा के मेम्बर की हैसियत से यह बतावें कि राजस्थान की विधान सभा के अन्दर जो 12 वर्ष पहले कानून बनाया, जो कानून डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स को इम्पलीमेन्ट करने के लिए, एक्जीक्यूट करने के लिए बनाया उस कानून को यदि वापस लेते हैं, तो नैतिक धरातल पर राजस्थान की विधान सभा कहा खड़ी होती है? इसके बारे में एडवोकेट जनरल के रूप में तो बतायें हो, पर आप इस सदन के सदस्य हैं, एडवोकेट जनरल के नाते, उस सदस्य के रूप में आपको राय देनी चाहिये कि उसमें कहां पर किस जगह खड़े हैं? अध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रश्न मैं रखना चाहूंगा कल जनरल क्लाजेज एक्ट के मामले में यहां काफी चर्चा हुई। मैं समझता हूं, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य उसके ऊपर काफी चर्चा करेंगे। लेकिन मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि एडवोकेट जनरल इस पर भी अपनी ओपिनियन देंगे कि आपको रिवाइव करने का अधिकार तो जनरल क्लाजेज एक्ट में मिल गया, लेकिन क्या रिवाइव करने का एक ही तरीका है? क्या आप रिवाइव केवल इसी प्रकार कर सकते हैं कि जो कानून आपने एक्साइज एक्ट, जो खत्म किया है, या स्टेप किया, उस कानून को रिवाइव करने के लिए दो लाइनें लिख दें कि अमुक तारीख से यह कानून रिवाइव होगा? मैं मानता हूं कि आपको अधिकार है, मैंने उसको कोई चैलेन्ज नहीं किया। मैं ऐसा मानता हूं जनरल क्लाजेज एक्ट को लागू करते, लेकिन अध्यक्ष महोदय, एक बात तो समझनी पड़ेगी कि जनरल क्लाजेज एक्ट हम हर किसी के अन्दर जोड़ें, इसकी आवश्यकता नहीं है। और जो कानून में कोई बात हो, उसे इम्पलीमेन्ट करने में कोई डिफिकल्टी आ रही हो, उस डिफिकल्टी को कैसे रिमूव किया जाय? उस वक्त हम जनरल क्लाजेज एक्ट की मदद लेते हैं। वहां से हमें मदद मिलती है। लेकिन जनरल क्लाजेज एक्ट का मतलब यह कभी नहीं हो सकता कि आर्टिकल 208 में जो राजस्थान की विधान सभा ने अपने कार्य संचालन के नियम बनाये हैं, उन नियमों की पूर्णतया अवहेलना की जाय। मैं समझता हूं कि कोई अवहेलना का अधिकार नहीं होगा। आप एक्साइज एक्ट को रिवाइव करना चाहते हैं। एक्साइज एक्ट जो पहले था, उसको संशोधित रूप में लाना चाहते हैं, तो

(76)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

संशोधन करके या उसी रूप में विधान सभा में यदि इण्ट्रोड्यूस करना चाहे तो कर सकते हैं। उसको कोई रोकने वाला नहीं है। यह ठीक है कि टेक्निकली आपको रिवाइव का अधिकार कानूनन मिल जायेगा। लेकिन विधान सभा अध्यक्ष को इस बात का फैसला करना पड़ेगा कि रिवाइवल की जगह यदि इस प्रकार का बिल पेश कर दिया जाता, तो मैं समझता हूं, ज्यादा उचित होता और कानून संगत भी होता। इसका किसी प्रकार का कोई विरोध भी नहीं होता।

तीसरा, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आर्टिकल 77 में इस बात की परिभाषा है कि मनी बिल कौनसे होते हैं? साथ ही इस बात की भी व्यवस्था है कि 207 में कोई भी मनी बिल होगा तो उसके साथ फाइनेन्शियल मेमोरेण्डम होगा। इसके साथ कोई फाइनेन्शियल मेमोरेण्डम नहीं है। मैं एडवोकेट जनरल से यह जानना चाहता हूं कि पहले तो यह बतायें कि एक्साइज एक्ट मनी बिल है या नहीं? एक्साइज एक्ट, यदि मनी बिल है, तो इस रिवाइवल के साथ जो हम एक्साइज एक्ट को रिवाइव करना चाहते हैं, एक फाइनेन्शियल मेमोरेण्डम की आवश्यकता होगी? यह अध्यक्ष महोदय, इसलिए कहता हूं, आवश्यकता इसलिए होगी कि आज के एक वर्ष पहले राजस्थान में there was no Excise Act. कोई एक्साइज एक्ट नहीं था। जिस समय एक्साइज एक्ट हमने खत्म किया, प्रॉहिबिशन एक्ट के लागू होने से आटोमेटिकली खत्म होता है। जिस समय प्रॉहिबिशन की वह धाराएं लगाईं, नोटिफिकेशन इश्यू हुआ और इश्यू होने के बाद लिकर से सम्बन्धित जो धारायें थीं, वह सारी की सारी विलोपित हो गईं। एक्साइज एक्ट खत्म हुआ। उन धाराओं के इम्पलीमेन्टेशन में जो खर्च होता था, वह खर्चा करना बन्द हुआ। उन धाराओं के विलोपित होने से जो राज्य सरकार को आय होती थी, वह आय होना बन्द हो गई। मतलब एक साल से पहले जो 1960 में कानून बना था, वह एक साल पहले डिस्कन्टीन्यू हो गया। हम बिल्कुल वेक्यूम में हैं। 1960 से लेकर आज तक कोई एक्साइज एक्ट राजस्थान में नहीं था, तो खर्चा नहीं हुआ न खर्चा हुआ न आय हुई। अब यह रिवाइवल होता है, तो इसके सम्बन्ध में खर्चा होगा। रिवाइवल होता है, उसके सम्बन्ध में आय होगी। इसलिए नया खर्चा होगा, नई आय होगी और यह दोनों ही बातें, स्टेटमेन्ट आफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में हमारे मंत्री महोदय ने भी स्वीकार की हैं।

चौथी बात, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि इस सारे बिल में जिस समय बजट पेश किया गया था, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बजट भाषण में केवल एक ही बात कही कि बजट में कोई प्रावधान नहीं है। बजट में न आय का प्रावधान है। एक्साइज से हमें कितनी आय होगी? न बजट में एक्साइज से एडीशनल एक्सपेण्डीचर होगा, उसका किसी प्रकार से प्रावधान है, न आय दिखाई गयी है, न खर्चा दिखाया गया है। इसलिए मैं कहता हूं जिस दिन से यह कानून लागू होगा, नई शक्ल में, नये रूप में राजस्थान में लागू होगा और नये रूप में जब लागू होगा तो खर्च भी नये रूप से होगा। अब खर्च और आय नये रूप से होगी तो

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

फाइनेन्सियल मेमोरेण्डम निश्चित रूप से आना चाहिये।

अब, अध्यक्ष महोदय, एक बात कही जा सकती है और वह कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में 1975 में एक मुकदमे का निर्णय हुआ, जिसमें यह हो गया कि फीस यदि फीस के रूप में कहीं वसूल की जाती है, तो वह कोई इनकम नहीं है, कोई खर्च नहीं है और शराब की बिक्री से यदि कोई आय होती है, तो किसी प्रकार की आय नहीं है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, बजट नहीं है, तो मनी बिल नहीं है और मनी बिल नहीं है तो फाइनेन्सियल मेमोरेण्डम की आवश्यकता नहीं है। मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि इसमें केवल फीस का प्रश्न नहीं है। इसमें ऑक्शन का जो हम सामान बेचते हैं, इसका ही नहीं है, इस सामान के ऊपर सेल्स टैक्स लगता है, इस सामान के ऊपर चुंगी लगती है, ऑक्ट्राई लगती है और भी टैक्स लगते हैं, उसके अलावा कोई कीमत हम वसूल करते हैं किसी भी वाइन की नहीं, गंगानगर शुगर फैक्ट्री को इसकी इनकम होती है। आखिर कोई इससे इनकम होती है, तो वह सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से किसी भी रूप में कवर नहीं होगी। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, यह उस दृष्टि से भी मनी बिल है।

और अन्त में मैं आपसे कहना चाहूंगा, एडवोकेट जनरल की राय किसी भी रूप में इस सदन में बाइण्डिंग नहीं है। एडवोकेट जनरल एक सदस्य के रूप में हमें सलाह दे सकते हैं, लेकिन आपको इस बात का फैसला करना है, अध्यक्ष महोदय, कि कान्स्टीट्यूशन की जहां अवहेलना हो, जहां किसी भी प्रकार की मान्यता नहीं हो, रूल्स की किसी भी प्रकार की कदर नहीं हो, उस समय आप इस सदन के अन्दर एक प्रकार का ऐतिहासिक दिन बना दें कि राजस्थान की सरकार यदि असेम्बली को बाईपास करना चाहती है, तो जब तक पूनमचन्द विश्नोई इसके अध्यक्ष हैं, असेम्बली को बाई पास नहीं किया जा सकता।

श्री अध्यक्ष : श्री राजबहादुर।

श्री राजबहादुर : विपक्ष के नेता महोदय ने एक मौलिक प्रश्न पूछा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, निदेशात्मक सिद्धांत जो हैं, उनका संविधान में क्या प्रभाव है, उनका औचित्य क्या है, उनका लक्ष्य क्या है, उनके बारे में वैधानिक मन्तव्य क्या होना चाहिये? मैं इस प्रश्न के ऊपर सदन में विचार प्रकट करूंगा। अभी तो मैं सुनना चाहूंगा कि जो हमारे एडवोकेट जनरल साहब हैं, वह इस विषय पर क्या कहेंगे। मैंने जो कुछ मुद्दे उठाये थे, इस विषय पर संक्षेप में निवेदन करना चाहूंगा कि जो प्रश्न उठा है, जो इश्यूज उठे हैं, उनका निराकरण होना चाहिये। पहले मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लाइट हार्टेडली या किसी हल्के तौर से मैंने इन्हें नहीं उठाया है। मैंने उन्हें मात्र एकेडेमिक प्रश्न को लेकर नहीं उठाया है। जैसे कि इनका कोई मात्र एकेडेमिक संबंध है, इसलिए उठाया है यह नहीं मान लिया जावे, बल्कि यह मौलिक सवाल है; और मौलिक सवाल यह है। कल जो क्लॉज फोर मैंने पढ़कर सुनाया था उस से स्पष्ट हो गया होगा। क्लॉज फोर जो बिल में है उसमें लिखा है वह निम्न प्रकार है :—

(श्री राजबहादुर)

"Revival of the Rajasthan Excise Act, 1950-Upon the commencement of this Act, the Rajasthan Excise Act, 1950 (Rajasthan Act No. 2 of 1950) shall in relation to liquor, revive and extend to the whole of the State of Rajasthan."

मैंने कल बार-बार आग्रह किया कि जो एक्साइज एक्ट है वह सारा का सारा रिवाइव नहीं किया जाय। बल्कि उसमें कुछमुद्दे ही, कुछ प्रोविजन्स जिनको कि पहले रिपील कर दिया गया था उनको रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। मैंने बहुत चेष्टा की कल और आज भी। पहला सवाल मैं यहां यह करना चाहता हूं कि इस एक्साइज एक्ट में जो मैंने देखा है, मैंने भी इसमें कुछ समय लगाया था, सारी रात तो नहीं जागा पर थोड़ा बहुत जागा हूं लेकिन इसमें क्लॉज (1) से लेकर क्लॉज (6) तक और प्रिएम्बल तक यह मेरी समझ में नहीं आया कि वह लिकर से संबंधित कौन से हैं; और कौनसे लिकर से संबंधित नहीं हैं। यानि कोई प्रोविजन ऐसा बिल में नहीं है जिसको आप या जिनके बारे में आप यह कह सकते हैं कि वह लिकर से संबंधित होने की परिभाषा में नहीं आता। आप पहले स्पेसिफाई करलें; अगर आप इस मन्तव्य को मानते हैं कि पुराने एक्ट के कुछ प्रोविजन्स है वह रिवाइव हो रहे है तो जिन प्रोविजन्स को रिवाइव कर रहे हैं। पहले आप यह बताइये कि पहले कौन कौन से प्रोविजन्स को आपने रिपील किया था या उस रिपीलिंग एक्ट के वह कौन से प्रोविजन्स हैं जिनको आप आज रिपील कर रहे हैं उसमें। आपने खुले रूप से, स्पेसिफिक रूप से, स्पेसिफिकली पाइन्ट आउट किया था एक्साइज एक्ट के ये प्रोविजन्स लिकर से संबंधित है, वह यह है अथवा पहले वाले एक्ट में प्रोविजन्स इन रिलेशन टू लिकर कौन से है? आपको बताना होगा कि वह कौन से प्रोविजन्स हैं, कौनसे सैक्शन हैं जो रिपील हुए थे? क्या उनकी गिनती या ब्योरा उसमें दिया गया था? आज भी क्या आप उनका ब्योरा देने को तैयार हैं? मुझे आज यह भी बतावें कि जो परिभाषाएं इसमें आई है, इसमें एक परिभाषा है, प्रोहिबिशन एक्ट में लिकर की परिभाषा दूसरी है। मैं इस विषय में नहीं जाऊंगा क्योंकि प्रोहिबिशन एक्ट की परिभाषा, शायद प्रोहिबिशन एक्ट की विशेष बात है। लेकिन यह निश्चित बात है कि लिकर भी इन्टोक्सिकेटेड आर्टिकल में आती है। दोनों परिभाषा इसमें मौजूद हैं। इसलिये दोनों परिभाषा में आती है, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि सारा का सारा एक्साइज एक्ट लागू होता है। अब सवाल दूसरा मेरा जो है यह तो पहला सवाल मैंने किया था कि कौन-कौन सी धारायें, कौन कौन से प्रोविजन्स है, जिनको आपने रिपील किया था, जिनको आप रिवाइव कर सकते है बिलकुल ही अद्भुत तरीके से।

दूसरा सवाल यह है कि यही प्रोविजन्स है जिनको आप रिवाइव कर सकते हैं। क्या कोई इम्पोज्ड हैं? क्या कोई ड्यूटी भी लागू होती हैं कि नहीं होती है? मंत्री जी गरदन हिला रहे हैं। मैं फिर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैंने फिर आपको देखा है गरदन हिलाते। मैं

(श्री राजबहादुर)

आपका ध्यान सेक्शन 28 की तरफ दिलाना चाहूंगा। अब इसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने गरदन हिलाई है. अगर नहीं हिलाते तो शायद नहीं पढ़ता। समय कम रहा है, गरदन हिला रहे हैं....

(व्यवधान)

जी नहीं, इनके अभी गर्दन हिलाने का वक्त नहीं आया है। इसमें है —

"In relation to liquor"—what are the definitions.

तीन पढ़ा। सेक्सन 28 में है :

"Duty on excisable articles"—An excise duty (or a countervailing duty) at such rate or rates as the Government shall direct, may be imposed either generally or for any specified local area on any excisable article imported or exported or transported or manufactured . . .

अब इसमें एक्साइजबल आर्टिकल है उसकी परिभाषा आप चाहे तो मैं पढ़ कर सुनाऊं। लिकर की परिभाषा एक्साइजेबल आर्टिकल में आती है। इस आर्टिकल में दिया है –

"Any excisable article imported or exported, or transported or manufactured, cultivated or collected under any licence granted under this Act or manufactured in any distillery, pot still or brewery established or licensed under this Act."

Duty may be imposed under this section at different rates according to the places to which any excisable articles to be removed ....

एक बात की मैंने और कोशिश की पढ़ने के बाद कि गवर्नमेंट का इस संबंध में नोटिफिकेशन निकला।

Notification No. F. 1 (2) SR/53, dated March 23, 1955 published in Rajasthan Gazette, dated 28-3-19-55, Part IV C,p-1017.

By that Notification excise duty on manufacture and counter vailing duty on import was imposed on (1) Indian Made Foreign Liquor and spirit (2) Indian made Foreign Fermented liquors, (3) Indian made Cherry, Madina, Porter, Light sparking wine and vermeuth (4) Indian made Beers and ciders (5) Denatured spirit at the rates mentioned therein in term of s. 28 Rajasthan Excise Act.

मतलब यह है कि 28, 29 और 30, तीनों ही प्रोविजन्स जो है वह है लिकर के ऊपर जिसके अन्तर्गत इंपोजीशन हैं। कल यह कोशिश की गई थी और आज कहा जा रहा था कि हम तो फीस लेते हैं, हम टैक्स नहीं लगाते हैं। इसमें तीन एक्सप्रेशन्स हैं। इस बारे में मेरे ख्याल से एडवोकेट जनरल साहब भी शायद सपोर्ट करेंगे मुझे,

Fee is for the service rendered. जहां ड्यूटी का ताल्लुक है duty is imposed.

(श्री राजबहादुर)

और इम्पोज्ड डेफिनेशन में आता है। 199 के अन्तर्गत। Do have I to read it?

उसमें क्लीयर है। 199 में है, imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax.

तीसरी चीज है टैक्स इम्पोजीशन की 199 में duty is not for service rendered. Duty and fees are synonimous. Duty goes to the consolidated fund of the Government.

इम्पोजीशन और ड्यूटीज जो है। Duty goes to the consolidated fund of the Government.

इसलिये मेरी दूसरी क्वेरी में आपसे निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि आपका इस संबंध में क्या मन्तव्य है, कौन कौन से प्रोविजन्स ऐसे है जो ड्यूटी लगाते हैं, जो ऐसी हैं Do they not make the Bill a money Bill?

फिर आया टैक्सेशन बैंक डोर से हो सकता है क्या? टैक्सेशन इसके जरिये से आप इम्पोज कर रहे हैं, Is it is possible? इसके बाद में पाइन्ट चार पर आता हूं। यह मुद्दे जो मैं बोल रहा हूं why are we making a daparture from the established practice and constitutional direction? Can we not bring a separate Bill? क्या जरूरत है इस प्रकार के बिल पास करने की या एक रिपील्ड लॉ को इनेक्ट करने की? क्या सेपरेट बिल नहीं आ सकता था? क्या प्रेसटिज का सवाल आपने खुद ने बनाया है? स्टडी किया है आपने, हम मानते हैं लेकिन फिर भी अगर कोई गलती हो गई है तो उस गलती को सुधारने का प्रयास करना है या उस गलती पर इनसिस्ट करने का? गलती को सुधारने का तरीका गलत है, तो उसको देखिये, आब्जेक्टिवली देखिये, सोचिए, क्या होता है। मैं निवेदन करूंगा कि जनरल क्लाजेज एक्ट की बात आती है। सेक्शन 8 के तहत कर सकते हैं यह कहा गया है। सेक्शन सात, सेक्शन 6, सेक्शन 9 भी जो जनरल क्लाजेज एक्ट के हैं उसके अन्तर्गत हैं। क्या एक रिपील्ड एक्ट फिर से रीइनेक्ट re-enact किया जा सकता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि what is the purpose, or the objective of having enacted the general clauses act? Whether it can take place of a substantive law? I think, it can not. इस बारे में मेरी राय होगी एक्चुअली वही जो उनकी राय हो सकती हैं पर दो एक केसेज के हवाले देता हूं कि चीफ इन्सपेक्टर वर्सेज कर्मचन्द थापर का वह जजमेंट है जो कि ए.आई.आर. 1961 सुप्रीम कोर्ट, 838 पेज पर है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो राय दी है कोटेशन यह है।

It will be profitable to remember that the purpose of the General Clauses Act is to place in the one single statute different provisions, as regards interpretation of words and legal principles which would otherwise have to be epecified separately in many

(श्री राजबहादुर)

different acts and regulations. It is not a substantive Act.

इस जनरल क्लाजेज एक्ट का उपयोग इन्टरप्रिटेशन के लिये या जहां पर इन्टरप्रिटेशन क्लियर नहीं हो वहा हो सकता है। लेकिन जहां इन्टरप्रिटेशन साफ है, जहां जरूरत नहीं हो। वहां कैसे काम आयेगा जनरल क्लाजेज एक्ट ? और इन्टरप्रिटेशन भी क्या होगा, किस चीज का होगा ? सब्सटेन्टिव प्रोविजन का नहीं होगा सिर्फ वर्डस का होगा जहां लीगल प्रिन्सिपल का प्रश्न आता हैं सामने कि किसी किसी सब्सटेंटिव प्रिन्सिपल का मतलब क्या होगा। इसके लिए यह एप्लाई कहां हो सकता हैं। वहां जो प्रोविजन हैं। उसके शब्दों से जाना जायेगा। एक प्रोविजन हैं सेक्शन 4 जनरल क्लाजेज एक्ट का उसकी ओर मैं ध्यान दिलाऊंगा। कृपया; जनरल क्लाजेज एक्ट का सेक्शन 4 देखें। Kindly have a look at it and I request the Advocate General to have a look at it because it is very material :.

Unless otherwise expressly provided..

जो एप्लीकेशन है इसका कि जनरल क्लाजेज एक्ट कहां एप्लाई करेगा और कहां एप्लाई नहीं करेगा, किन लाज पर एप्लाई करेगा। किन लाज पर एप्लाई नहीं करेगा, इसकी परिधि में क्या आता है और क्या नहीं आता है, यह इससे क्लियर हो जाता है :

"Unless otherwise expressly provided or unless the context otherwise requires, the provisions of this Act shall apply :-

(i) to this Act.

(ii) to all Rajasthan laws in force the pre-reorganisation State of Rajsathan made after the commencement of this Act.

(iii) to all Central Acts."

This is material, on which I am relying upon :-

"(iii) To all Central Acts adapted to Rajasthan from time to time, by the Rajasthan State Legislature."

बाकी चीजें ऐसी हैं इसमें। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सेन्ट्रल एक्ट का उल्लेख किया है। किन्तु सेंट्रल एक्ट की डेफिनेशन क्या है इसका जो सेक्शन 32 है उसका सब सेक्शन 7 है। If I am not mistaken, सेण्ट्रल एक्ट की जो डेफिनेशन है 32 (7) में वह यह है :

"Central Act" shall mean an act of parliament and shall include :-

(a) an Act of the Dominion Legislature or of the Indian Legislature passed before the commencement of the constitution, and

(b) an Act made before such commencement by the Governor General in

(श्री राजबहादुर)

Council or the Governor General acting in a legislative capacity."

इसमें constitution का कोई मेन्शन नहीं है। यह इसलिए क्योंकि constitution is a fundamental laws. It was not enacted by the Parliament. It was enacted by the Constituent Assembly. Therefore, General Clauses Act not apply to the Constitution. The Constitution is self contained organ and self contained organ which depends upon its own definitions. And the application of the General Clauses Act cannot be extended to the Constitution by implication.

जब सेण्ट्रल एक्ट की डेफिनेशन है "Laws made by Parliament."

तब Constitution Central Act की definition में नहीं आता। स्थिति यह है कि Parliament was a creation of the Constituent Assembly. The Constituent Assembly created the constitution. Under that Coustitution 'Article 208' जो मेन्डेटरी है उसके अन्तर्गत हम ने रूल्स बनाये हैं। इसलिए यह रूल्स भी संवैधानिक है They have also the same force as Constitution itself.

आर्टिकल 208 में क्लाज (2) है। वह सिर्फ मेन्डेटरी ही नहीं है बल्कि it makes it obligatory that we shall follow the Rules For the sake of ready reference. I would refer to that also. That would be proper because there should remain no doubt about this matter. प्रश्न है कि How far are the rules are applicable.

Rules आर्टिकल 208 के अन्दर बनते हैं और 208 में वह मेन्डेटरी है। इसलिए I am sorry. 208 कान्स्टीट्यूशन का ही वर्चस्व रहना चाहिए। मैं यह कहता हूं कि General clauses Act does not apply to theConstitution, does not apply to the Rules of Procedure. Let the Advocate General clear it whether it is so or not. मैं सारी बातें, जो मुझे अर्ज करनी हैं, उनको कहने में ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन जो मोटी मोटी बातें हैं, वह तो कहनी ही हैं। इस संदर्भ में article 208 को देखिये :–

"A House of the Legislature of a State may make rules for regulating subjects to the provisions of this Constitution, its procedure and the conduct of its business.

Until rules are made under clause (1), the rules of procedure and standing orders in force immediately before the commencement of this constitution with respect to the legislature for the corresponding Province...." Kindly read that line :-.."shall have effect in relation to the legislature of State.."

जो इसमें लागू होता है, वह क्लाज (1) में लागू होता है। मेन्डेटरी प्रोविजन है। इसलिए इन रूल्स से बाहर की कोई और चीज नहीं जा सकती। इसलिए आप और नया बिल लाते हैं, नया एक्ट बनाते हैं, उसके लिए अन्य कोई चीज

(श्री राजबहादुर)

रिलेवेंट नहीं है। जनरल क्लाजेज एक्ट के सेक्शन 8 को भी एक बार फिर पढ़िये:

It does not lay down the procedure for legislation or for introduction or passing of bills. It only says that you can revive but for reviving any old law or enactment what you have got to do, what procedure or procedural rules you have to follow is not indicated. So I will just refer to section 8 of the General Clauses Act. It reads :-

"In any Rajasthan laws made after the commencement of this Act, it shall be necessary for the purpose of reviving, either wholly or partially, any enactment wholly or partially repealed expressly to state that purpose. इस सेक्शन के द्वारा purpose state करना अनिवार्य है। जो भी लॉं बनायेंगे आप, in any Rajasthan law आपको पर्पज बताना होगा। किन्तु जो लॉं बनाने की प्रक्रिया है, प्रोसिजर है, वह तो पूरा करनी होगी, उससे आप वर्जित नहीं होते। law enact करना है, तो स्थापित प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यह नहीं है कि बाई एनी लॉं करने मात्र से लॉं इनेक्ट हो जाता है। If the words were "by law" enacted in Rajasthan the revival of an old enactment is done or effected that would have been something different. "But In any law" प्लेन और सिम्पल मीनिंग अंग्रेजी का है, वह तो यही है कि किसी भी लॉं में अगर रिवाइव करते हैं तो रिवाइविंग की बात देखनी पड़ेगी कि क्या फलां सेक्शन को, फलां-फलां एक्ट को रिपील किया था और उसको हम रिवाइव कर रहे हैं, यह लिखना पड़ेगा और बिल पास करने की समस्त प्रक्रिया पूरी करनी होगी। फिर money bill:—Any law that imposes duties "Imposts, makes a contribution to the Consolidated Fund of India" के लिए एक निश्चित प्रक्रिया है procedure है वह पूरा करना ही होगा। इसलिए मैं विनती करूंगा कि आपका जो मतलब है, उद्देश्य है, उसको हासिल करने के लिए अर्थ का अनर्थ नहीं किया जाये। मैं एडवोकेट जनरल महोदय से प्रार्थना करूंगा कि इस संबंध में जो उनका मंतव्य है, वह जरूर दें। मैं जनरल क्लाजेज एक्ट के बारे में फिर यह निवेदन करूंगा कि मेरे सामने जो इश्यु है वह यह है कि क्या जनरल क्लाजेज एक्ट कोई अन्य अथवा नये रूल बनाता है? Does it create any rules? Or does it lay down any new and different set or rules of procedure. The General Clauses Act does not and cannot create any rules. It does not lay down any procedure for enactment or re-enactment of bills or laws. This is not the thing. It is neither substantive law nor procedural law. The General Clauses Act is not such thing, इसलिए न तो यह सब्सटेंटिव लॉं है और न ही प्रोसीजरल ला है।

दूसरा क्वेश्चन इस संबंध में यह है कि it cannot be conceived that this provision in the General Clause act, section 8 abrogates or in any

(श्री राजबहादुर)

other manner or to any extent revises or mitigates the rights and authority of the Parliament or the Legislature. Does it abrogate the fundamental law in regard to the procedure prescribed for the passage of Bills and adaption of Bills ? Can it do that ?

सैक्शन 8 जनरल क्लाजेज एक्ट का मेरा क्लियर क्वेश्चन यह है एडवोकेट जनरल महोदय से कि Can we interpret it in a manner that it abrogates the Constitution, Article 208 of the Constitution and Article 196 of the Constitution, the rules framed under Article 208 ? It cannot. Therefore, the simple proposition that emerges is that this particular Bill, which is before the House cannot be taken into consideration, because it does not follow the Rules of procedure prescribed by our own legislature, that have the same force as the provisions of our constitution.

आखिर में जो मैन बिल के मुद्दे हैं, उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि बहुत कुछ सदन के विपक्ष के नेता हैं उन्होंने कहा है। लेकिन जो प्रश्न मैंने किये हैं जो मोटे प्रश्न मेरे सामने आयें और जिनको कल मैंने रखा था, मैं एडवोकेट जनरल महोदय से कहूंगा कि आखिर हमारा उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है ? Here we are serving a much higher and nobler cause, what should be the law, what should be the procedure for any enactment ? The rule of law must not be curbed or destorted to suit the convenience of the occasion and whatever opinion we offer such opinion must not be biased. I am sure of that. मैं आशा करता हूं एडवोकेट जनरल साहब से कि इम्पार्शियल राय मिलेगी और ऐसी राय मिलेगी कि पार्लियामेन्टरी डैमोक्रेसी को आगे बढायें, मजबूत करें। I am sure he will create a new history by giving an objective opinion in this matter; because in my views no other interpretation of the law on this question is possible. I will only say that let this House, this particular meeting of the House, create a history and set a precedent for legislatures. . . .

श्री अध्यक्ष : History by deciding? what you want ?

श्री राजबहादुर : नहीं, बिलकुल नहीं है। I am sorry you are imputing motives to me which are far from my mind, remotest from my mind. I am not that low in your estimation I may be low, but not that low. I am not that unscrupulous. I will never ask you to do such a thing. please do not judge me by your standards or yard stick. I have only put before you the position that appears to me correct in law. Your interpretation of law may be absolutely indefensible, So far as this particular provision is concerned, your aim

(श्री राजबहादुर)

evidently is that you are going to or you propose to revive and renact a repealed enactment by the process of just mentioning the word "Reviving" the single clause of a bill. It is an impossible position. It denies me an opportunity to say anything in regard to the taxation measures involved. It denies me an opportunity of motions for amendments as I do not know what in fact are the specific provisions of the law sought to be revived or re-enacted. अगर खुदा के वास्ते यह हो गया, इस तरह यह कानून यह रिवाइव कर रहे हैं, तो क्या रिवाइव कर रहे हैं यह तो सब अंधकार में है, अंधकार में। आखिर हम रिवाइव क्या कर रहे हैं ? यह तो बतावें। That is not here. No one can State or define it. Not even the Treasury benches.

श्री अध्यक्ष : और कोई नहीं बोलेंगे ।

श्री खेतसिंह राठोड़ : माननीय विरोधी दल के नेता ने नैतिक धरातल की बात कही थी और इसका उदाहरण भी दिया था कि जो स्कूल खोले थे, उन्हें बाद में बन्द कर दिया और हाई कोर्ट से आर्डर हुए कि वह स्कूल खुलने चाहिए । मैं पूछना चाहूंगा कि हमने 77 में 900 स्कूल खोलने की इजाजत दी थी, लेकिन उसके बाद इनका नैतिक धरातल कहां गया ? स्कूल खुले थे और आर्डर हो गये थे, लेकिन इन्होंने आकर बन्द कर दिये ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसके लिए मैं एडवोकेट जनरल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने खेतसिंह जी को नैतिक धरातल बता दिया है ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ऐसा लगता है कि इनकी साठ साल की उम्र हो गई...

श्री अध्यक्ष : एडवोकेट जनरल बोलेंगे।

श्री महाधिवक्ता : अध्यक्ष महोदय, माननीय विरोधी दल के नेता नें फन्डामेन्टल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल आफ स्टेट पालिसी के इण्टर रिलेशन और इण्टर कनेक्शन के आधार पर अपना वक्तव्य दिया। जिस समय कान्स्टीट्यूशन फ्रेम हो रहा था उस समय बहुत से ऐसे प्रोविजन्स थे जो आज फन्डामेन्टल राइट्स के अन्दर है । वह उस समय डायरेक्टिव प्रिंसिपल में थे और जो कुछ प्रोविजन आज डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल में हैं, उस समय वह फण्डामेन्टल राइट्स में थे आज का आर्टीकल 14 आफ कान्स्टीट्यूशन है वह उस समय डायरेक्टिव प्रिन्सीपल आफ स्टेट पालिसी में था । मगर फण्डामेंटल राइट्स नहीं था डायरेक्टिव प्रिन्सीपल में था । यह तो कान्स्टीट्यूएन्ट असेम्बली की बात है, कि उसने किस चीज को कहां रख दिया इसके ऊपर तो मैं ज्यादा नहीं कह सकता सिवाय इसके कि जिसको उन्होंने फंडामेंटल राइट्स रखें वह फण्डामेंटल राइट्स हुआ और जिसको डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल रखा है वह डायरेक्टिव प्रिंसिपल रहेगा और अपने संविधान के अनुसार जो बनाया हुआ दायरा है वह दोनों उसी दायरे के अन्दर काम करेंगे, उससे बाहर काम नहीं कर सकेंगे। अब सवाल यह पैदा होता है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल आफ स्टेट पालिसी है वह स्टेट पर कितने बाईंडिंग है कहां तक फालो करना चाहियें और कहां तक हम फालो नहीं कर रहें हैं उनको ? मेरा

(श्री महाधिवक्ता)

सबमिशन यह है, मैं रेफ़ेंस करूंगा कान्स्टीट्यूशन के चैप्टर (4) को पहले आपके सामने, उसमें आर्टिकल 47 को आपने रेफर किया था : Duty of the State to raise the level of nutrition and the standard of living and to improve public health: The State shall regard the raising of the level of nutrition and the standard of living of its people and the improvement of public health as among its primary duties and, in particular the State shall endeavour to bring about prohibition of the consumption except for medicinal purpose of intoxicating drinks and drugs which are injurious to health.

इसके अन्दर जो एक्सप्रेसशन यूज किया है वह यह है कि The State shall endeavour to bring about prohibition यह नहीं कहा है कि हर हालत के अन्दर ही आपको प्रोहिबिशन हीं लाना है। मैं इसके आगे सबमिट करूंगा, मगर इस वक्त यह बताना चाहता हूं कि सारे आर्टिकल जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल आफ स्टेट पालिसी, चैप्टर 4 में दिए हुए हैं, उनके अन्दर डिफरेंट टाइप के वर्डिंग हैं। जैसे आर्टिकल 38 के अन्दर उन्होंने कहा है : "The State shall strive to promote the welfare of the people by securing and protecting as effectively as it may a social order in which justice, social, economic and political, shall inform all the institutions of the national life". इसमें उन्होंने जो एक्सप्रेशन यूज किया है State shall strive to promote आर्टिकल 39 के अन्दर उन्होंने कहा है "The State shall, in particular, direct its policy towards securing". Then they have enumerated six or seven things in it. इसी तरह से आर्टिकल 39 (ए) के अन्दर उन्होंने कहा है The state shall secure that the operation of the legal system promotes justice, on a basis of equal opportunity and shall, in particular, provide free legal aid, by suitable legislation or scheme or in any other way, to ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic or other disabilities. प्रजेन्ट कान्टेक्स्ट के अन्दर मैं आपके सामने सबमिट करूंगा कि जो आर्टिकल 47 है, उसको हम फोलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे है आर्टिकल 47 सिर्फ यह कहता है Duty of the State to raise the level of nutrition & the standard of living and to improve public health. The State shall regard the raising of the level of nutrition and the standard of living of its people and the improvement of public health as among its primary duties and, in particular, the State shall endeavour to bring about prohibition of the consumption at except for medicnial purposes of intoxicating drinks and of drugs which are injurious to health.

(श्री महाधिवक्ता)

अब प्रजेंट पोजिशन क्या हुई कि 1969 के अन्दर प्रोहिबिशन एक्ट बनाया। उसमें प्रोविजन्स डाले गये, प्रोहिबिशन की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के रास्ते खुले। बाद में अब देखना यह है, हमको एन्डेवर यह करना है, standard of living, improvement of public health. It comes under public health. ज्यादा लोग शराब पीते हैं, हैल्थ खराब हो सकती है उनकी। मगर सवाल यह है कि अगर शराब बन्द कर देते हैं पिलाना, मगर फिर भी जाकर वह इल्लिसिट लिकर पीते हैं और उससे मरने की और ज्यादा नुकसान होने की सम्भावना होती है तो क्या उस समय भी आर्टिकल 47 का इन्टरप्रिटेशन यही है कि चाहे वह मरें तो मरे, चाहे उनको नुकसान हो तो हो, मगर प्रोहिबिशन तो करना ही है क्योंकि आर्टिकल 47 में लिखा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री महाधिवक्ता : अभी आपने अखबारों के अन्दर पढ़ा कि कर्नाटक के अन्दर, बॉम्बे के अन्दर और कई जगह सैकडों आदमी मर गये। हरियाणा, बॉम्बे, कर्नाटक, बहुत जगह कई मर गये पी पी कर खराब शराब। क्योंकि वहां पर इल्लिसिट लिकर पीते थे। तो ऐसी इल्लिसिट लिकर पिलाने से अच्छा तो यह है कि प्रोपर रेगुलेट करके ऐसी शराब दी जाये जिसको पीने से वह कम से कम मरे तो नहीं। तो सवाल यह है कि..

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एडवोकेट जनरल को यह मालूम होना चाहिये कि हिन्दुस्तान में जितनी मौतें हुई हैं वह ड्राई एरिया में कम हुई हैं और वेट एरिया में अधिक हुई हैं।

श्री महाधिवक्ता : यह तो साहब फैक्ट्स की बात है। वह वैरीफाईयों कर सकते हैं··

श्री भैरोंसिंह शेखावत : This fact has been verified by Government of India.

श्री एडवोकेट जनरल : मेरा सबमिशन यह है कि·

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : जिस वक्त विरोधी दल के नेता बोल रहे थे, हम बिल्कुल शांति से सुन रहे थे। आप उनको भी निवेदन कीजिये, कृपापूर्वक एडवोकेट जनरल को शांति से सुने।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हम गलत नहीं कह रहे हैं। हम संविधान की बात कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वाद-विवाद के नियमों से माननीय सदस्य परिचित हैं। कोई माननीय सदस्य बोल रहे हैं तो उसमें बाधा न डालें।

श्री राजबहादुर : मैं एक मुद्दे पर ध्यान दिलाना चाहता हूं। मुद्दा यह था

(श्री राजबहादुर)

कि प्रोहिबिशन समाप्त करने के बाद, मद्य निषेध कानून को समाप्त करने के बाद आप स्थगन प्रस्ताव रख सकते हैं क्या और उससे नतीजा क्या निकलेगा ।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य ।

श्री बृज सुन्दर शर्मा (विधि मंत्री) : आप इनकी राय भी मांग रहे थे और अब सुनना भी नहीं चाहते हैं ।

श्री महाधिवक्ता : माननीय सदस्य भरतपुर के यह क्यों समझते हैं कि मैं इस पाइन्ट का जवाब नहीं दूंगा । मैं सब पाइंटस पर जवाब दूंगा जो आपने कहे हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप अपनी गाइडेंस दें ।

श्री महाधिवक्ता : गाइडेन्स नहीं, साहब, मेरा तो आप लोगों को सबमिशन है । यह इन्होंने कहा कि आखिर जो कानून बनाते हैं, आर्टिकल 47 में लॉ बनाया 1969 के अन्दर

(2.48 म. प.)

(श्री अहमदबक्श सिन्धी, उपाध्यक्ष पदासीन)

श्री खेतसिंह राठौड़ : अब चाचा ठीक करेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ।

श्री महाधिवक्ता : प्रश्न यह उठाया गया है, आर्टिकल 47 के अन्दर जो कानून बनाया गया है उसको क्या हम वापस अनडू कर सकते हैं और प्रोहिबिशन के लिए काम हो रहा है उसको वापस खतम कर सकते हैं । उसके सिलसिले में उनकी दलील और मिनर्वा मिल्स के जजमेंट साइट किये गये । मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा कि जहां तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल आफ स्टेट पॉलिसी का सवाल है वह स्टेट में लेजिस्लेटिव पावर को किसी तरह प्रभावित नहीं करते हैं । जो लेजिस्लेटिव पावर हैं उनको स्टेट एक्सरसाइज करेगा और डायरेक्टिव प्रिंसिपल आफ स्टेट पॉलिसी की वजह से, उसकी कोई रोक नहीं हो सकती है । मैं आपके सामने ए. आई. आर. 1959 पेज 648 साइट करूंगा और मैं पेज 664 से पढ़ूंगा:

"The directive principles of the State Policy, which by article 37 are expressly made unenforceable by a Court, cannot override the provisions found in Part III which notwithstanding other provisions are expressly made enforceable by appropriate Writs, Orders or directions under Article 32. Basing his argument on the aforesaid two observations, it is contended that in the case of both the directive principles and the fundamental rights, it must be held that the infringement of either does not invalidate the law, but only makes the law unenforceable. This argument, if we may say so mixes up the constitutional invalidity of a statute with the procedure to be followed to enforce the fundamental rights of an individual. The Constitutional validity of a statute depends upon the existence

(श्री महाधिवक्ता)

of legislative power in the State and the right of a person to approach the Supreme Court depends upon his possessing the fundamental rigth, i.e. he cannot apply for the enforcement of his right unless it is infringed by any law. The cases already considered supra clearly establish that a law, whether pre-Constitution or post-Constitution, whould be void and nugatory in so far as it infringed the fundamental rights. We do not see any relevancy in the reference to the directive principles, for, the legislative power of a State is only guided by the directive principles of State policy. The directions, even if disobeyed by the State, cannot affect the legislative power of the State as they are only directory in scope and operation. The result of the aforesaid discussion may be summarised in the following propositions: (i) whether the Constitution affirmatively confers power on the legislature to make laws subjectwise or negatively prohibits it from infringing any fundamental right, they represent only two aspects of want of legislative power; (ii) the Constitution in express terms makes the power of a legislature to make laws in regard to the entries in the Lists of the Seventh Schedule subject to the other provisions of the Constitution and thereby circumscribes or reduces the said power by the limitations laid down in Part III of the Constitution; (iii) it follows from the premises that a law made in derogation or in excess of that power would be *ab initio* void wholly or to the extent of the contravention as the case may be and (iv) the doctrine of eclipse can be invoked only in the case of a law valid when made, but a shadow is cast on it by supervening constitutional inconsistency or supervening existing statutory inconsistency when the shadow is removed, the impugned Act is freed from all blemish or infirmity. Applying the aforesaid principles of the present case, we hold that the validity of the Act could not be tested on the basis of the Constitution (Fourth Amendment) Act, 1955 but only on the terms of the relevant articles as they existed prior to the amendment.

इसके अनुसार जो हमारी लेजिस्लेटिव पॉवर है, with reference to chapter four and Directive principle of the state policy that cannot be curbed. अब सवाल यह आता है कि क्या मोरली हमारे लिये ठीक था ? अब यह सवाल एसा है कि मोरली . . .

श्री उपाध्यक्ष : रूलिंग जो आपने कोट की है, उसको संक्षेप में बयान कीजिये हिन्दी में।

(व्यवधान)

श्री महाधिवक्ता : मान्यवर, रूलिंग के अन्दर यह कहा गया है कि जो डाइरेक्टिव प्रिंसिपल आफ स्टेट पॉलिसी है, उसको स्टेट को फॉलो करना चाहिए और

(श्री महाधिवक्ता)
उनको ध्यान में रखना चाहिये कोई लॉ बनाते वक्त। मगर इसका मतलब यह नहीं है कि अगर कोई स्टेट यह समझे कि कानून with there own wisdom, मान लीजिये, बनाना ही बनाना है, हो सकता है, दूसरों की राय में वह कानून गलत हो, मगर यह तो राय का सवाल हुआ, स्टेट अब यह तय करे कि लेजिस्लेटिव पॉवर को यूज करना है और कानून हमें बनाना ही बनाना हैं, तो डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स आफ स्टेट पॉलिसी उस कानून को बनाने में कोई रुकावट नहीं डाल सकते बल्कि पोजिटिवली सुप्रीम कोर्ट की ऑथोरिटी में कहा है कि डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी स्टेट की जो लेजिस्लेटिव पॉवर है, उसको इफेक्ट नहीं करते है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मगर लेजिस्लेचर के लिये क्या यह नैतिक है, यह पूछा है ?

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपने नैतिक नहीं पूछा था ।

(2.50 म.प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री महाधिवक्ता : अब प्रश्न यह है, जैसा आपने कहा कि क्या मोरली हमारे लिये ठीक है, मेरा इस सम्बन्ध में यह कहना है ...

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : अध्यक्ष महोदय, यहां लीगल ओपिनियन ली जावेगी। नैतिकता पर एडवोकेट जनरल की राय लेना ठीक नहीं है । वह अपनी राय अपने आप व्यक्त करेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपकी जानकारी के लिये कह दूं कि एडवोकेट जनरल इस सदन के सदस्य हैं। वह सदस्य केवल लॉ पाइन्ट पर ही बोलें, यह जरूरी नहीं है । और भी विषयों पर भाग ले सकते हैं और बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री हरिसिंह : क्वेश्चनपुट नहीं कर सकते । वह चाहे तो बोल सकते हैं लेकिन उन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता। Can he be compelled.

श्री अध्यक्ष : एडवोकेट जनरल, इस सदन के समक्ष जो विचाराधीन प्रश्न हैं, उसमें कानूनी दृष्टि से अन्य दृष्टि से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं। केवल उनको मतदान करने का अधिकार नहीं है ।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राज्य मंत्री, खनिज): अध्यक्ष महोदय, can be he compelled? क्या कम्पेल किया जा सकता है ? आप मेरी बात तो सुनिये ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं कम्पेल करने के बारे में कह सकता हूं। अगर आप नियम पढ़े तो सदस्यों से भी क्वेश्चन किया जा सकता है,। एडवोकेट जनरल भी इस हाउस के मेम्बर हैं, and I can put question to him.

श्री हरिसिंह : क्वेश्चन पूछ सकते है। लेकिन इसमें यह भी लिखा है कि कैसे

(श्री हरिसिंह)
क्वेश्चन पूछ सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो आपसे भी क्वेश्चन कर सकता हूं, ऐसी बात नहीं है, और उनसे भी कर सकता हूं।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर): यह नहीं पूछेंगे कि नैतिक है या अनैतिक है।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय प्रति पक्ष के नेता ने इस मुद्दे पर दो पहलू रखे हैं, कि जस्टीफिएबल है या नहीं और मोरली ठीक नहीं है। जस्टीफिएबल है या लेजिस्लेटिव पॉवर है····

(व्यवधान)

आप का जो क्वेश्चन था उसका उन्होंने जवाब दे दिया इसके अलावा एडिशनल कुछ कहना है तो एडवोकेट जनरल कहेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सरकार सारी बोलने लग गई, इससे ऐसा लगता है कि मामला गंभीर है।

श्री अध्यक्ष : विषय ही ऐसा गंभीर है कि सरकार को सतर्क रहना पड़ता है।

(व्यवधान)

कृपया शान्त रहें। आपस में बात न करें।

श्री महाधिवक्ता: जहां-तक मोरल ग्राउन्ड्स का सवाल है. मैं इनका भी जवाब दूंगा। पीछे नहीं रहूंगा उसके अन्दर मैं। सवाल यह है कि यह चीज मोरल है या नहीं है, यह कौन तय करेगा।

(व्यवधान)

इस हाउस को तय करना है कि एक चीज मोरल है या नहीं। स्पेशली बिल जो चल रहा है, वह मोरल है या नहीं। यह बॉडी अपने आप तय करेगी, क्योंकि दो व्यक्तियों के विचारों में फर्क हो सकता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बाधा उपस्थित न करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण):इस डिस्कशन में महात्मा गान्धी का····

श्री अध्यक्ष : डिस्कशन बाद में होगा। मैं आपको बाद में अवसर दे सकता हूं।

(व्यवधान)

शान्ति से सुनें। कृपया शान्ति से सुनें उसके बाद कोई बात हो, तो बता दें।

श्री महाधिवक्ता : अगर गवर्नमेंट एक चीज को ठीक समझती हो, पब्लिक इन्ट्रेस्ट में समझती हो अपने विचार से, तो उस विचार से चाहे कोई एग्री करे या न करे दूसरी विचाराधारा रखने वाले, यह सरकार को पूरा अधिकार है कि वह जिस चीज को खुद ठीक समझते हैं, मोरली समझें अपने हिसाब से, उसको वह करे। बिना इस बात की परवाह किये हुए कि दूसरी विचारधारा वाले क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यह कह रहा हूं, महात्मा गांधी जिस चीज को इम्मोरल कह गये, यह हाउस उसको इम्मोरल कहने को तैयार है या नहीं ?

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप तो उन का नाम लेने भी पसन्द नहीं करते थे।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप गांधी वादी कब से हो ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, स्थान ग्रहण कीजिए। ऑर्डर प्लीज। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा.....

श्री महावीरप्रसाद जैन (टोंक) : जिसको मोरल कहते हैं उसके बारे में क्या कहते हैं यह पूछना चाहते हैं।

श्री वीरेन्द्र प्रतापसिंह (गुढ़ा) : खेत सिंह जी, आप ज्यादा समझते हैं, मोरल वाली बात।

श्री भैरुलाल भारद्वाज (जमवारामगढ़): महात्मा गांधी को गोडसे ने जब गोली से उड़ाया था, तो बोलने वाले माननीय सदस्यों के मोरल का क्या फर्ज था ? क्या उन्होंने उस समय उस बात का विरोध किया था ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे मैं एक ही बात कहना चाहती हूं, मैं आपके विरोध में कहना चाहूंगी···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं आपसे एक बात निवेदन करूंगा, इस पेचीदा प्रश्न पर नहीं सुनना चाहे, तो मैं उस पर तैयार हूं अगर··

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों से कहें कि महात्मा गांधी का नाम नहीं लें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : बिना उठे बोल रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: सदन के समक्ष एक पेचीदा, कानूनी और संवैधानिक मसला आ गया था, इसलिए हमने एडवोकेट जनरल को यहां पर बुलाया ताकि उनकी राय से हम इस विषय को सुलझा सकें। यह एक अच्छी परम्परा नहीं है कि जब एडवोकेट जनरल बोल रहे हों, उसके बीच में प्रश्न पूछे जायें या किसी तरह की क्वेरी की जाय। इससे क्या है कि भाषण का प्रवाह टूट जाता है। इसलिए यह उचित है कि आप, एडवोकेट जनरल, अपनी बात कह लें उसके बाद यदि किसी कानूनी मसले पर किसी भी माननीय सदस्य को कुछ शंका हो तो मैं आपको अवसर दूंगा, एक दो प्रश्न कानूनी मसलों पर पूछ लें। एडवोकेट जनरल।

(व्यवधान)

ऑर्डर प्लीज। बोलें नहीं, माननीय सदस्य।

एक माननीय सदस्य : यह पीने वाले सबसे ज्यादा बोलते हैं।

श्री महाधिवक्ता : हमारे सामने राय के लिए एक प्रश्न यह है कि हमें क्या संवैधानिक अधिकार है कि हम इस एक्ट को रिवाइव कर सकते हैं। यह जो एक्साइज एक्ट, 1950 था, सैक्शन 76 आफ दि 1959 एक्ट के एक पार्ट के अन्दर शिड्यूल्ड के अन्दर लिखा हुआ है, जितना हिस्सा था, in respect to liquor उतना ही रिपील किया गया था उस सैक्शन से और

(श्री महाधिवक्ता)

उसे 1959 के एक्ट को हमने रिपील करते हुए उसके अन्दर रिवाइवल का एक क्लाज डाला था। यह हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसके दो ग्रास्पेक्ट्स हैं। एक तो यह है कि यह हम बगैर जनरल क्लाजेज एक्ट की मदद से कर सकते हैं। दूसरा यह है कि जनरल क्लाजेज के रिलेवेंट सेक्शन की मदद से कर सकते हैं। तो पहले कन्ट्रोवर्सी के लिए मैं एक उदाहरण के साथ अपनी राय जारी रखूंगा। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, कान्स्टीट्यूशन अमेंडमेन्ट एक्ट, 1947 से कुछ धाराओं को रिपील किया गया था। उसके बाद में कान्स्टीट्यूशन (44) अमेण्डमेन्ट एक्ट से कुछ धाराओं को फिर रिपील कर दिया गया था। उसके अन्दर न तो उन्होंने यह कहा कि हम इनको रिपील तो कर रहे हैं, वर्ड यूज किया उन्होंने ओमिट, मगर मैं आपके सामने यह कहूंगा कि शब्दों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। उनके बारे में मैं बतलाऊंगा आपको, मगर उन्होंने रिपील करते हुए यह नहीं कहा कि रिपील करते हुए रिवाइव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जबकि सारे सेक्शन रिवाइव हो गया, उसके अन्दर और ठीक हो गये कैसे हुए मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं आर्टिकल 100 कान्स्टीट्यूशन की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आर्टिकल 100 के अन्दर 3 सब-आर्टिकल्स हैं जिसमें थर्ड सब-आर्टिकलस है, उसको 47 अमेण्डमेन्ट से रिपील किया गया है।

100 (3) Until Parliament by Law otherwise provides, the quorum to constitute a meeting of either House of Parliament shall be one-tenth of total number of the House.

I will submit 2 aslo.

100 (2)—Either House of Parliament shall have power to act notwithstanding any vacancy in the membership thereof and any proceedings in Parliament shall be valid notwithstanding that it is discovered subsequently that some persons who was not entitled so to do sat or voted or otherwise took part in the proceedings.

Now the fourth is—

If at any time during a meeting of House there is no quorum it shall be the duty of the Chairman or speaker or person acting as such, either to adjourn the House or to suspend the meeting until there is quorum.

मैं सेक्शन 18 पढ़ रहा हूं। But Section 18 was just omitted by section 45 of the 44th Constitution (Amendment) Act. There is an amendment in the Constitution-Constitutional amend ment Act 46. Section 18 shall be omitted. They have said only Omitted.

इन दोनों के अन्दर समानता देखिये। हमने क्या किया कि 1950 का जो एक्ट है, उसको 1959 के एक्ट से बाई सेक्शन 76 पार्शल रिपील किया और 1981 के एक्ट से हमने जो पार्शल रिपील किया, उस प्रोवीजन को रिपील कर रहे हैं। आप इन्टेन्शन दे रहे हैं उसके अन्दर रिसाइटल है कि इसको हम रिवाइव कर रहे हैं। ऐसा इसमें कुछ नहीं था, फिर भी रिवाइव हो गया।

(८५)

(श्री महाधिवक्ता)

तो मैं यह बताना चाहूंगा कि जब Parliament is acting as a constituent power, एक्ट को रिपील करके दूसरे एक्ट से उसको रिपील करते हैं, बगैर किसी क्लाज के कि यह रिवाइव हो जायेगा, फिर रिवाइव होता है। इसी तरह से यह एक नहीं है, साहब, मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, आर्टिकल 191 देखिये आप--

191-Disqualifications for membership (1) A person shall be disqualified for being chosen as, and for being a member of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State—

(a) if he holds any office of profit under the Government of India or the Government of any State specified in the First Schedule, other than an office declared by the Legislature of the State by law not to disqualify its holders.

इसका क्लाज था। अमेण्डमेन्ट अन्दर यहां यह declared by the Legislature of the State आया है. उसकी जगह declared by law by Parliament कर दिया गया है। इसको 44 अमेण्डमेन्ट एक्ट से वापस रिपील कर दिया, तो वापस यह क्लाज रिवाइव हो गया इसके अन्दर सैक्शन 25 आफ दि कान्स्टीट्यूशन 44 अमेण्डमेण्ट एक्ट से और यह रेस्टोर हो गया। इसी तरह से सैक्शन 31 है, 42 कान्स्टीट्यूशन अमेण्डमेन्ट एक्ट से उसी हिसाब से सेम प्रोसीजर उन लोगों ने फॉलो किया है। ऐसे कई मामले मिल जायेंगे। मैं जो इम्प्रेस करना चाह रहा हूं यह एक पावर है, जसके बगैर जनरल क्लाजेज एक्ट की मदद लिये भी इस तरह से इसे रिवाइव किया जा सकता है। जनरल क्लाजेज एक्ट की मदद से तो किया ही जा सकता है, मैं अर्ज करूंगा, मगर बगैर जनरल क्लाजेज एक्ट की मदद लिये भी किया जा सकता है। जिसका उदाहरण मैंने आपके सामने अभी दिया है। अब सवाल यह आता है कि यह होता कैसे है? क्योंकि जब तक इन्टरप्रिटेशन एक्ट इंगलैण्ड में नहीं बना था, उससे पहले जो कोई भी इस तरह के प्रोविजन्स थे, कि ऑटोमेटिक रिवाइवल हो जायेगा

Act is repealed by another Act. मगर इन्टरप्रिटेशन एक्ट आने के बाद जनरल क्लाजेज एक्ट जैसे ही प्रोविजन हो गया सुप्रीम कोर्ट ने ए.आई.आर. 1956 केस 342 के अन्दर इस बात को लिया कामन लॉ के प्रिन्सीपल को एप्लाई करते हुए उन्होंने यह माना कि यह जब तक जिस सेक्शन या लॉ से उसको वापस रिपील कर रहे हैं। कान्ट्रेरी इंटेंशन नहीं आ रहा है। कान्ट्रेरी इंटेंशन के बिना वापिस रिवाइव नहीं हो सकता। उस स्थिति के अन्दर यह रिवाइवल रिपील होता हैं, तो हो जाएगा, क्योंकि पहले एक्ट के रिपीलिंग एक्ट के रिपील होते ही दूसरे एक्ट का ऑटोमेटिक रिवाइवल हो जाएगा। जैसा मैंने आपसे कहा वह 42 और 44 ऑफ दी कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट आपको बतलाया। अब मैं आपको A.I.R. 1955 Supreme Court page 362 पढ़ कर सुनाता हूं

"The result will be the same even if we proceed on the footing that the various Firmans issued

(श्री महाधिवक्ता)

by the Nizam were in the nature of legislative enactments determining private rights some what on the analogy of private Acts of Parliament. We may assume that the Firman of 26-6-1947 was repealed by the Firman of 24-2-1949, and the latter Firman in its turn was repealed by that of 7-9-1949. Under the English Common Law when a repealing enactment was repealed by another statute, the repeal of the second Act revived the former Act *ab initito*. But this rule does not apply to repealing Acts passed since 1850 and now if an Act repealing a former Act is itself repealed. The last repeal does not revive the Act before repealed unless words are added reviving it.

It may indeed be said that the present rule is the result of the statutory provisions introduced by the Interpretation Act of 1889 and as we are not bound by the provisions of any English statute, we can still apply the English Common Law rule if it appears to us to be reasonable and proper. But even according to the Common Law doctrine, the repeal of the repealing enactment would not revive the original Act if the second repealing enactment manifests an intention to the contrary."

अब मैं आपके सामने राजस्थान जनरल क्लॉजेज एक्ट पढ़ंगा। पहले सेक्शन 4 पढ़ूं जिसके अनुसार—

"Unless otherwise expressly provided or unless the context otherwise requires, the provisions of this Act shall apply :—

(i) to this Act,

(ii) to all Rajasthan laws in force in the pre-reorganisation State of Rajasthan made after the commencement of thfs Act."

इसके बेसिस पर कहा गया है यह लिखा है, सैक्शन 4 ग्रॉफ, राजस्थान जनरल क्लॉजेज एक्ट के अन्दर भी उसी तरह से लगता है। यह ठीक है। संविधान में भी धारा 367 में प्रोविजन है, जिसमें जनरल क्लॉजेज एक्ट को एप्लीकेबल किया है, अपने आप किया है, सैक्शन नहीं जोड़ा गया है। आर्टिकल 367 जनरल क्लॉजेज एक्ट में एप्लीकेबल करता है।

"Unless the context otherwise requires, the General Clauses Act, 1897, shall, subject to any adoptations and modifications that may be made therein under article 372 apply for the interpretation of this Constitution as it applies for the interpretation of an Act of the Legislature of the Dominion of India."

यह राजस्थान जनरल क्लोजेज एक्ट है वह सेंट्रल का जनरल क्लाजेज एक्ट है, उसके प्रिंसिपल भी वही हैं, जो यहां सक्शन 8 में है, कहीं 7 में है, वहीं, में है इसमें कोई फर्क नहीं है। जनरल क्लाजेन एक्ट के लिए कांस्टीट्यूशनल इण्टरप्रिटशन में

(96)

(श्री महाधिवक्ता)
यह कहा गया है—

Interpretation means only direction while considering the provisions of the Constituion, General Clauses Act is to be taken help of under Article 367.

तो जनरल क्लांजेज एक्ट के ऊपर यह नहीं लगता, संक्शन तो वही है उसका। प्रोविजन है कि किस तरह से रिवाइव हो सकता है संक्शन 8 में है। अब सवाल है कि जनरल क्लॉजज एक्ट का पर्पज क्या है जनरल क्लजिज एक्ट में कई ऐसी धारायें हैं, जो उन्होंने सभी एक्ट में एक साथ बना दीं, बजाय इसके कि हर एक्ट के अन्दर वह 10-12 धारायें रिपीट की जावें हर एक्ट में 20-25 संक्शन और हो जायेंगे। उसके अन्दर सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा कहा है– अलग कानूनों में लागू करने के बजाय, यह करना उचित है उन्होंने वह प्रोविजन एक जगह बना दिया और 61 ऑफ दी सुप्रीम कोर्ट ...

श्री अध्यक्ष : तो, यह मास्टर की है? मतलब, सभी में रख दी गई है, जो सब जगह काम आ जाएगी।

श्री महाधिवक्ता : मास्टर की है, जहां लगाना हो वहां लगा दें। अब मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य जो भरतपुर से आते हैं, यें रिवाइवल का पॉइन्ट उठाया है, ए. आई. आर. सुप्रीम कोर्ट का जो ...

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : मुंशीजी की पदवी ले लो।

(विराम)

श्री खेतसिंह राठौड़ : मुंशीजी ?

श्री महाधिवक्ता : The purpose of . . .

श्री खेतसिंह राठौड़ : म तो एम. ए., एलएल. बी. हूं, मुंशीजी तो रहा करते हैं, मेट्रीक्युलेट।

श्री भैरोंसिह शेखावत : इसलिए सुखाड़िया जी इनके मुंशी जी थे।

श्री चन्दनमल वैद : The report cannot be returned now.

श्री महाधिवक्ता : "In attempting to the answer this question, it, will be profitable to remember that the purpose of the General Clauses Act is to place in one Single statute different provioions as regard interpretation of words and legal principles which would otherwise have to be specified Separately in many different acts and regulations. Whatever the General Clauses Act says, whether as regards the meaning of words or as regerds legal principles, has to be read into every statute to which it applies.

अब संक्शन 8 आफ दी जनरल क्लॉजेज एक्ट कहता है, इसके अन्दर है:

"In any Rajasthan Law made after the commencement of this Act, it shall be necessary for the purpose of reviving, either wholly or partially, any enactment, wholly or partially repealed, expressly to state that purpose."

इसके अन्दर जो रेलेवट थिंग है, रेलेवंट चीज

(श्री महाधिवक्ता)

है, वह लॉ है जिसके तहत हम किसी चीज को रिपील कर सकें। जिस चीज को आज रिपील किया है, अगर वह पहले की भी है, 55 से पहले की है, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह रेफर करता है। जिस लॉ को हम रिपील कर रहे है और रिपील जिस एक्ट के अन्तर्गत किया जा रहा है वह 55 के बाद का है तो वह संक्शन तो लागू ही होगा, पर सिर्फ इसमें कंडीशन यह है, that when we are reviving it. We must say it expressly. खाली इससे काम नहीं चल सकता है। जनरल क्लॉजेज एक्ट के संक्शन 8 को खाली रिवाइव कर रहे हैं, साथ ही यह भी कहें कि इसको we are reviving तो we must clearly express इस एक्ट के अन्दर यह कहा गया है कि—

"To repeal the Rajasthan prohibition Act, 1969 and to revive the Rajasthan Excise Act, 1950."

Then Section 4 says :—

"Upon the commencement of this Act, the Rajasthan Excise Act, 1950 (Rajasthan Act No. 2 of 1950) shall, in relation to liquor, revive and extend to the whole of the State of Rajasthan.

तो इस संक्शन 8 की कन्डीशन, प्रिसीडेंट है, फोर दिस एप्लीकेशन, वह उसमें फुलफिल हो जाती है। क्योंकि इस एक्ट के अन्दर एक्सप्रेसली जो परपज हैं रिवाइवल का, वह इसमें स्टेट किया हुआ है और इसलिए किया हुआ है आपके सामने पहले 1974 आर.एन.डब्ल्यू और यह जो ऑथोरेटी मैंने बताई है, यह इस बात की है।

A. I. R. 1963, Andhra Pradesh page 459 :—

"It is argued that when the legislature repeals a repealing Act, the law as it existed under the Act repealed, is restored. The following passage from Maxwells Treatise on Interpretation of Statutes at page 402 is instructive :—

Where an act is repealed and the repealing enactment is repealed by another which manifests no intention that the original Act shall continue repealed, the common law rule was that the repeal of the second Act revived the first *ab in to* and not merely from passing of the reviving Act. But this rule does not apply to repealing Acts passed since 1850. Where an Act repealing a whole or any part of a former Act is itself repealed, the last repeal does not revive the Act or provisions before repealed unless word be added reviving them."

The above passage was quoted with approval by their Lordship of the Supreme Court in *Ammer-un-Nissa Begum vs. Mahboob Begum*, AIR 1955, Supreme Court, 352, page 362 where in it was observed as follows :—

"It may indeed be said that the present rule is the result of the statutory provisions intro-

(श्री महाधिवक्ता)

duced by the Interpretation Act of 1889 and as we are not bound by the provisions of any English statute, we can still apply the English common Law rule if it appears reasonable and r ››e."

"If it has expressed the intention of reviving, then the Act stands revived by such legislative device. If there is no intention to revive, then the section will not apply. Here it is expressly desired. The Bill gives the recital and gives the intention of reving the act which was repealed by the Act of 1969.

इसी तरह से है A. I. R. 1957, Punjab, page 266 :—

"Section 7 of the General Clauses Act lays down that if any enactment is repealed wholly or partially and if it is desired that any part of the repealed enactment be revived then it shall be absolutely necessary to state the fact specifically. It is, however well settled that this rule of construction does not apply to temporary or expiring statutes which lapse on a certain date or on the happening of certain contingency.

श्री अध्यक्ष : यह तो हम समझ गये आप अब मनी बिल है कि नहीं इसके बारे में समझा दीजिये ।

(व्यवधान)

श्री महाधिवक्ता : मैं उस पर आ रहा हूं, बिलकुल आ रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : पहले आप समाप्त कर देवें, फिर उसके पश्चात् ।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : आप कानून के धुरंधर हैं, इतनी किताबें पढ़ी हैं आपके पास । आप कहेंगे, वही होगा ।

एक माननीय सदस्य : साहब, बेचैनी का इलाज तो कर देंगे ।

श्री महाधिवक्ता : This is not a financial bill. Article 199 defines the money bill as under :—

"For the purpose of this Chapter, a Bill shall be deemed to be a money bill if it contains only provisions dealing with all or any of the following matters, namely :—

(a) the imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax;

(b) the regulation of the borrowing of money or the giving of any guarantee by the State, or the amendment of the law with respect to any financial obligations undertaken or to be undertaken by the State;

(c) the custody of the Consolidated Fund or the Contingency of the State, the payment of moneys into or the withdrawal of moneys from any such Fund;

(d) the appropriation of moneys out of the consolidated Fund of the State;

(e) the declaring of any expenditure to be expenditure char-

(श्री महाधिवक्ता)

ged on the Consolidated Fund of the State, or the increasing of the amount of any such expenditure;

(f) the receipt of money on account of the Consolidated Fund of the State or the public account of the State or the custody or issue or such money; or

(g) any matter incidental to any of matters specified in sub-Clauses (a) to (f).

(2) A Bill shall not be deemed to be a Money-Bill by reason only that it provides for the impositions of fines or other pecuniary penalties, or for the demand or payment of fees for licences or fees for services rendered or by reason that it provides for the imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax by any local authority or body for local purposes."

आखिर इसकी मंशा क्या है जो हम प्रोहिबिशन एक्ट को रिपील कर देते हैं। दुबारा से रिपील कर देते हैं, तो प्रश्न यह आता है कि आखिर इसका स्टेटस क्या है। जहां तक एक्साइज की नेचर का सवाल है, शराब का सवाल है, हमारे लिये यह स्पेशल सिगनिफीकेंस रखती है। अन्य चीजों के मुकाबले में यह हमारी मान्यता है कि जो हम काम करते हैं, उसके मुकाबले में इस का स्पेशल सिगिनफिकेन्स है। आखिर है क्या चीज ? ए. आई. आर 1975 सुप्रीम कोर्ट 1151 के अन्दर इसको इन्होंने डील किया है।

श्री अध्यक्ष : कौन सा जजमेंट है, यह 1975 सुप्रीम कोर्ट 1151 ?

श्री महाधिवक्ता : 1121 है, I am sorry.

"There is no fundamental right to do trade or business in intoxicants. The State, under its regulatory powers, has the right to prohibit absolutely every form of activity in relation to intoxicants, its manufacture, storage, export, import, sale and possession. In all their manifestations, these rights are vested in the State and, indeed without such vesting there can be no effective regulation of various forms of activities in relation to intoxicants. The wider right to prohibit absolutely would include the narrower right to permit dealings in intoxicants on such terms of general application as the State deems expedient. Since rights in regard to intoxicants belong to the State, it is open to the Government to part with those rights for a consideration.

The distinction which the Constitution makes for legislative purposes between a 'tax' and a 'fee' and the characteristics of these two, as also of 'excise duty' are well known. A tax is a compulsory exaction of money by public authority for public purposes enforceable by law

(100)

(श्री महाधिवक्ता)

and is not a payment for services rendered.

A fee is a charge for special services rendered to individuals by some Governmental agency and such a charge has an element in it of a *quid pro quo*. Excise duty is primarily a duty on the production or manufacture of goods produced or manufactured within the country.

The amounts charged to the licencees in the instant case are neither in the nature of a tax nor of an excise duty. The licence fee which the State Government charged to the licencees through the medium of auctions, or the fixed fee which is charged to the vendors of foreign liquor holding licences need bear no *quid pro quo* to the services rendered to the licencees. The word "fee" is not used in the Excise Act or the rules thereunder in the technical sense of the expression. By 'licence fee' or 'fixed fee' is meant the price or consideration which the Government charges to the licencees for parting with its privileges and granting them to the licencees. As the State can carry on a trade or business, such a charge is the normal incident of a trading or business transaction. The amount charged to the licencees is not a fee properly so called, nor indeed a tax, but is in the nature of the price of a privilege which the purchaser has to pay in any trading or business transaction."

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आज तो राजी हो रहे हैं, खेतसिंह जी ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : फायदा तो आप को ही होगा ।

श्री महाधिवक्ता : फाइनेंशियल बिल का आर्टिकल 207 में है—

"Special provions as to financial Bills-(1) A Bill or amendment making provision for any of the matters specified in sub-clauses (a) to (f) of Clause (1) of Article 199 shall not be introduced or moved except on the recommendation of the Governor, and a Bill making such provision shall not be introduced in a Legislative Council."

इसमें उन्होंने कहा - 199 के क्लॉज (1) के (एफ) में जो चीजें आती हैं वे खाली फाइनेंशियल बिल होंगी। यह (एफ) में नहीं आता है, यह आपको मैं सब्मिट कर ही चुका हूं। तो, ना तो यह मनी बिल है, ना फाइनेंशियल बिल है। इसलिये यह आर्गूमेंट स्टैण्ड नहीं करता। अब आपका कहना था कि क्या जनरल क्लॉजेज एक्ट के आर्टिकल 200 (8) को ओवर-राइड कर सकते हैं या रिपील कर सकते हैं या क्या पोजिशन है तो, Article 208 provides—

"A House of the Legislature of a State may make rules for regulating, subject to the provisions of this Constitution its procedure and the conduct of its business."

It has been held in AIR Patna 1970 Vol. II Gujrat Page 729 the

(श्री महाधिवक्ता)

it is a directive provision. It is not a maendatory provision.

In a case of Nagpur M.P—109 it was said that the business was conducted in violation of its rules and they went in High Court. It may be seen on page 208.

इसमें यह होल्ड किया कि it is for the Members present in the House if there is any irregularity. They are the masters of the House as well as for the transaction of business.

तो उसकी वजह से अगर ऐसा रूल भी होता, तो अलग-अलग क्लॉजेज में देता पड़ता, वह नहीं दिया । यहां भी रूल्स आफ प्रोसीजर में प्रोवाइड होता । मेरे सबमीशन में तो, रूल्स ऑफ बिजनेस बने हुए हैं, उनमें कहीं प्रोवाइडेड नहीं है, जो रिवाइवल करे, किसी एक्ट का । जैसा कि इसमें हो रहा है उस वक्त एक-एक क्लॉज करके आगे चल सकता है । ऐसा कोई रूल मैंने देखा नहीं ।

मगर मुझे नहीं मिला । जब तक वह नहीं होता, तब तक कुछ नहीं हो सकता—

It is the Members of House who are the masters of the House. It is for the House to decide. दूसरा आदमी क्या कर सकता है ?

If there is any irregularity in Section 8 of General Clause Act—

There is Section 9.

Section 9 says—"Construction of references to repealed enactments. Where any Rajasthan law repeals and re-enacts, with or without modification, any former enactment or any provision thereof, then references in any other enactment or in any instrument to the enactment or provision so repealed shall, unless a different intention appears, be construed as references to the enactment or provision, as the case may be, so re-enacted."

सेक्शन 9 एप्लाई करता है जब रिपील करने के बाद उसमें कोई अमेंडमेंट किया जाय और अमेण्डमेंट जब करेंगे, तो रिपील एंड रिइनेक्ट वर्ड आते हैं। इस कांटेक्स्ट में रेलेवेंट नहीं रहेंगे, जब तक कोई रीइनेक्ट, कोई अमेण्डमेंट नहीं कर रहे हैं। दूसरा प्रोवीजन नहीं बना रहे हैं, उस वक्त तक कोई फायदा नहीं हो सकता। इससे यह मतलब नहीं निकलता, साहब रीइनेक्ट वर्ड आ गया सेक्शन 9 में, तो आखिर रिपील क्यों कर रहे हैं ? रीइनेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं ? यह बिल्कुल डिफरेन्ट कंटिन्जेंसी है । इसके ऊपर लगता है, यह Section 9 applies here. इसको एक साथ पढ़ा जाना है—

repeal then re-enact. जब रिपील करें—It is not—repeal by one Act and re-enact by another Act. It is by the same Act.

इस सिलसिले में कुछ ऑथोरिटी, . . .

102

श्री अध्यक्ष : इस पाइन्ट पर तो हम क्लियर हो गये हैं। वित्त मंत्रीजी, कुछ कहना चाहेंगे, यह मनी बिल क्यों नहीं है ? यह समझा दीजिये आप ।

श्री चंदनमल बैद (वित्त मंत्री) : जी हां, क्योंकि यह बिल तो मैंने ही इंट्रोड्यूस किया है, इसलिये इस बात पर कुछ कहना चाहूंगा ।

श्री राजबहादुर : मैं कुछ क्वेश्चन करूंगा ।

श्री अध्यक्ष : चूंकि आपने प्रश्न उठाया है, इसलिये आपको अवसर देंगे, रिप्लाई के बाद ।

श्री चंदनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, जो बिल मैंने राजस्थान मद्य निषेध अधिनियम निरसनकारी विधेयक, 1981 प्रस्तुत किया उसके बारे में कुछ कानूनी ऐतराजात उठाये गये । पहला जो ऐतराज इसमें उठाया गया है, वह यह है कि हम किसी एक्ट का रिवाइवल नहीं कर सकते · · ·

श्री अध्यक्ष : रिवाइवल तो कर सकते हैं, लेकिन उस हालत में माननीय सदस्य का कहना यह था कि "हम तो भूल गये, 1950 में हुआ था, यह क्या रिपील कर रहे हैं हमें मालूम नहीं है । इसलिये सैक्शन आने चाहिये ।"

श्री चंदनमल बैद : इसी बात पर आ रहा हूं । पहले सवाल यह उठा कि रिवाइवल नहीं कर सकते हैं । दूसरा ऐतराज यह उठा कि रिवाइवल तो कर सकते हैं, लेकिन रिवाइवल करते वक्त हमारे जो विधान सभा के नियम हैं, उन नियमों का पालन हमको करना पड़ेगा, यानि क्लॉज बाई क्लॉज लाकर डिस्कस करें, फिर हम को पास करना पड़ेगा । मतलब यह था कि क्लॉज बाई क्लॉज पास करेंगे । रिवाइवल के लिये जनरल क्लॉजेज एक्ट में हमें इस बात को मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि एक रिपील एक्ट हम लागू कर रहे हैं । इन दोनों दलीलों के बारे में मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं । पहली दलील रिवाइवल के बारे में है । उसमें जनरल क्लॉजेज एक्ट का जो सैक्शन 8 है,

"Repeal or repealed enactment—In any Rajasthan Law made after the commencement of this Act, it shall be necessary for the purpose of reviving, either wholly or partially, any enactment, wholly or partially repealed, expressly to state that purpose."

अध्यक्ष महोदय, इसमें साफ लिखा है कि—

"In any Rajasthan Law made after the commencement of this Act....."

इस एक्ट के जारी होने के बाद जो भी हम कानून बनाना चाहते हैं रिवाइवल के लिये, पर्पज ऑफ रिवाइवल उसके लिये हो चाहे होल्ली और पार्शली रिवाइवल करना हो चाहे उसका पूरा रिवाइवल करना हो, चाहे कुछ अंश हो उसमें यह मेंशन करना पड़ेगा कि हम इसको रिवाइव कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय, हमने जो बिल पेश किया है, उसके सिलसिले में अर्ज करना चाहता हूं । राजस्थान मद्य निषेध अधिनियम, 1969 को निरसित करने के

(श्री चन्दनमल बैद)

लिये तथा राजस्थान आवकारी कानून, 1950 को पुन: प्रवृत्त करने के लिये विधेयक, है अगर उसमें यह वर्ड नहीं होता, तो उसके लिये यह कहना काफी होता कि 1969 में जो हमने प्रोहिविशन एक्ट के द्वारा एक्साइज एक्ट को निरस्त किया था, उस प्रोविजो को वापस ला रहे हैं। लेकिन चूंकि एक्सप्रेसली यह कहना जरूरी है कि इसका रिवाइवल करते हुए रिपील करना और रिवाइव करना दोनों जरूरी हैं, क्योंकि हम प्रोहिविशन एक्ट को रिपील कर रहे हैं और साथ-साथ एक्साइज एक्ट की धाराओं, जो प्रोहिविशन के द्वारा रिपील की गयी थीं, का पुन: प्रवर्तन कर रहे हैं। इसमें यह लिखना जरूरी था और यह लिखा गया।

दूसरी बात यह कही गयी कि अब हम रिवाइवल तो कर सकते हैं, हम होल्ड करते हैं, लेकिन हमारे विधेयक क्लॉज वाईक्लॉजे विचार के जो रूल्स आफ प्रोसिजर्र के नियम हैं, उसके अनुसार जाना पड़ता है, उसके लिये मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जनरल क्लॉजेज एक्ट का सैक्शन 9 है उसमें इनेक्टमेंट वर्ड है। रिवाइवल और इनेक्टमेंट वर्ड का मतलब यह होता कि क्लॉज वाई-क्लॉज आना है तो यह शब्द नहीं होता। इसमें रिपील और रिवाइवल है और रिपील और रिवाइवल और रिवाइवल इनेक्टमेंट में फर्क है। रिवाइवल का मतलब यह है कि मेंशन करके इस एक्ट को पार्शली और होल्ली रिवाइव कर लें, वह रिवाइव हो जायेगा। इनेक्टमेंट कर रहे हैं, मतलब कुछ जोड़ रहे हैं या जो रिपील किया उसमें से कुछ वापस ले रहे हैं। हम इनेक्टमेन्ट करेंगे तो रूल्स ऑफ प्रोसिजर में जो क्लॉज—वाई-क्लॉज लिखा गया है, वह आयेगा। अध्यक्ष महोदय, यह वहुत साफ हो गया है। मैं समझता हूं कि हमारे लर्नेड एडवोकेट जनरल ने काफी दलील देकर, काफी प्रिसीडेंस देकर, यह वलॉज है, उसको बता दिया है कि हम इस एक्ट को अथवा किसी भी एक्ट को जनरल क्लॉजेज एक्ट के नीचे रिवाइव कर सकते हैं। रीइनेक्टमेंट भी कर सकते हैं। अगर रिवाइवल का मतलब ही रिइनेक्टमेंट होता तो रिइनेक्टमेंट दुबारा काम में लाने की जरूरत नहीं थी। रिवाइवल और रिइनेक्टमेंट दोनों में फर्क है। इसी वास्ते रिवाइवल और एनेक्टमेंट दोनों शब्द काम में लिये गये हैं। और रिवाइवल का मतलब मेंशन करने से ही नहीं है, रिवाइवल मीन्स क्लॉज वाई-क्लॉज ट्रीट करें।

दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, मैं मनी बिल के बारे में कहना चाहता हूं। मनी बिल के बारे में मैं पूछना चाहता हूं कि बहुत-सी दलीलें और बातें हमारे एडवोकेट जनरल ने कही, वे बहुत काफी हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहता हूं। उन्होंने यह बता दिया है कि जो एक्साइज ड्यूटी, फीस आदि है, वह टैक्स नहीं है, वह तो सर्टेन प्रिविलेजेज ऑफ स्टेट है और स्टेट इन प्रिविलेजेज को दूसरे को हैंडओवर करती है, तो उसके बदले में कुछ चार्ज ले रही है, यह साफ हो गया है। लेकिन एक बात और अर्ज करना चाहता हूं कि जब प्रोहिबिशन एक्ट के द्वारा हमने इस एक्साइज एक्ट को रिपील किया so far as repeal is concerned. उस समय रिपील में एक सैक्शन 76,

(104)

(श्री चन्दनमल बैद)

है, उसमें लिखा है:-

"Provided that repeal sball not affect the levy of any duty or fee and the recovery of any duty and or fee under any such enactment...,

मतलब मेरा कहने का यही है कि इस रिपील के बाद भी जो ड्यूटी और फीस लगी हुयी थी, वह बदस्तूर जारी रही। उनका रिपीलिंग नहीं हुआ, क्योंकि क्लॉज 7 दिया हुआ है। इस वास्ते कोई नया मनी बिल...

श्री अध्यक्ष : यह कह रहे हैं कि 50 करोड़ रुपये के वित्तीय साधन वित्तीय स्थिति को अच्छा करने के लिये ले रहे हैं, खासतौर से उसको रिवाइव किया जा रहा है। 60 करोड़ रुपया वसूल करेंगे तो यह वित्तीय बिल या फाइनेंशियल बिल नहीं कहलायेगा क्या ?

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, यह तो फोर सर्टेन प्रिविलेजेज ऑफ स्टेट है। मान लीजिये कि सरकार की कोई जमीन है जयपुर शहर में और उस जमीन को सरकार बेच रही है। उससे सरकार को पैसा मिल रहा है, तो इससे क्या हम यह समझें कि इसके लिये विधान सभा में मनी बिल लाना पड़ेगा ? फिर वह पैसा जो कन्सोलिडेटेड फण्ड में आता है, उसके लिये विधान सभा में आने की जरूरत नहीं है, वह तो टैक्स अगर लगाते हैं या विधान सभा के कन्सोलिडेटेड फण्ड से ऐसे पैसे को लेते हैं, जिसके लिये प्रावधान हमारे बजट में नहीं था। तब तो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : कन्सोलिडेटेड फण्ड में कमी करते हैं तो भी जरूरत नहीं है। जमा कराते हैं तो फिर भी जरूरत नहीं है ?

श्री चन्दनमल बैद : टैक्स जमा कराते हैं यह तो सर्टेन प्रिविलिजज हैं, जो लाइसेंसिंग फीस वगैरह लगाकर लेते हैं और इससे कन्सोलिडेटेड फण्ड में जो पैसा आता है, उसके लिये यह जरूरी नहीं है। राजस्थान नहरी एरिया में जमीनों को बेच रहे हैं या शहरी भूमि को आबादी में कन्वर्ट करके पैसा ले रहे हैं या शहरी भूमि को प्रवर्तन द्वारा पैसा वसूल कर रहें हैं. तो उसके लिये मनी बिल की जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष : यह बिजनेस है, जो सरकार करती है। यही कहना चाहते हैं ?

श्री चन्दनमल बैद : जी हां, हम अपने प्रिविलेज को छोड़कर उस प्रिविलेज को किसी दूसरे को दे रहे हैं, उसके बदले में उनसे कुछ फीस चार्ज कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह शराब बिकेगी। उसके ऊपर सेल्स टैक्स लगायेंगे सैल्स टैक्स से इन्कम होगी, इससे इन्कम होगी या नहीं होगी। इसको लागू करने से शराब की बिक्री के ऊपर सैल्स टैक्स लगायेंगे तो इन्कम तो होगी ही।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा ही फॅलेसियस आर्गुमेन्ट है। सेल्स टैक्स तो ऑलरेडी लगा हुआ है, कोई नया सेल्स टैक्स तो लगा नहीं रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : उससे आमदनी हो गई तो ?

श्री चन्दनमल बैद : राजस्थान में जो आज चीज बिक रही है, अगर वह दुगुनी बिकने लग जाय और उससे टैक्स की आमदनी बढ़ जाये। वह 165 करोड़ के बजाय 300 करोड़ हो जाये उसके लिये आप कहें कि मनी बिल लायें, तो वह नहीं लाया जायेगा। वह तो कोई नया टैक्स लगाया जाये तो लाना होगा। मान लो, कोई नयी इण्डस्ट्रीज लग जाये और उसमें जो चीज पैदा हो रही है उस पर सेल्स टैक्स लगेगा। आमदनी बढ़ेगी नयी इण्डस्ट्री लगाने से और कन्सोलिडेटेड फण्ड में भी पैसा आयेगा। अध्यक्ष महोदय, इस वास्ते कहा जाये कि मनी बिल लाया जायेगा, तो नहीं लाया जायेगा, यह आर्गुमेंट ठीक नहीं है। नया टैक्स कोई लगावें, जनता से, कुछ कानून द्वारा वसूल करना चाहते हैं तो वह मनी बिल, फाइनेंशियल बिल लाना जरूरी है। लेकिन जो फीस लगायी गयी है, किसी चीज से फीस वसूल करते हैं, उस पर एक रुपये से बढ़ा कर चार रुपये कर देते हैं, तो क्या हमको विधान सभा में आना होगा? नहीं आना होगा। इसी तरीके से जो फीस हम लेते हैं तो हमारा जो प्रिविलेज है, उसको छोड़ते हैं। उसके बदले में कुछ पैसा वसूल कर रहे हैं। अगर इसको मान लो, मान भी लें, तो यह 7 क्लॉज इसमें मौजूद हैं। इसमें कोई नयी चीज नहीं है। यह पहले से मौजूद है। इस वास्ते कोई मनी बिल की जरूरत नहीं है। आमदनी तो बढ़ती रहती है, कम होती रहती है। खर्चा भी बढ़ता रहता है, कम होता रहता है। अध्यक्ष महोदय, इस सिलसिले में यह निवेदन करना चाहता हूं कि रिवाइवल के सिलसिले में और रीइनेक्टमेंट के सिलसिले में जो फर्क है, आपके सामने अर्ज किया है। इस विधान सभा को जनरल क्लॉजेज के नीचे रिवाइवल करने का अधिकार है। यह मनी बिल नहीं है। इसलिये इसके बारे में जो एतराज उठाये गये हैं, वह सही नहीं। डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात कही गयी है, अध्यक्ष महोदय, उसके बारे में साफ कर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : उसका जवाब तो खेतसिंह जी ने दे दिया है।

श्री चन्दनमल बैद : इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। कानून बनाने से नहीं रोक सकते हैं। नैतिकता की बात कही है, तो हमारे सदन के खेतसिंहजी और विपक्ष के नेता के बीच बात हो चुकी है। इस वास्ते मैं समझता हूं कि जो कानूनी आपत्तियां उठायी गई हैं, वह आप रद्द करें, यह निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री खेतसिंहजी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि असली मामला पचास करोड़ का है। सारा झगड़ा यही है। अगर यह पचास करोड़ के बजाय 20 करोड़ का होता तो यह हल्ला नहीं होता। क्योंकि 50 करोड़ पहले साल आयेगा, जो दूसरे साल 100 करोड़ हो जायेगा और इससे होगा राजस्थान का विकास और इनके कटेंगे पत्ते ...!

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंह।

(व्यवधान)

आर्डर, प्लीज।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : इस बिल को विचारार्थ लिए जाने के खिलाफ जो बहस

(श्री हरिसिंह)

की गयी हैं, उसमें तीन मुद्दे उठाये गये हैं। पहली बात तो यह कही गयी है कि यह संविधान के आर्टिकल के खिलाफ है, संविधान की मंशा के खिलाफ है, उसके वाइरस को चैलेंज किया गया है। दूसरी बात यह है कि मनी बिल को चैलेंज नहीं किया जा सकता। तीसरा यह कि जो नियम बने हैं धारा 208 के अन्तर्गत, उनका पालन नहीं किया गया है, इसलिए इसको रिजेक्ट कर देना चाहिए। जहां तक सवाल है किसी बिल के वाइरस का, जो संविधान के अनुकूल है अथवा विपरीत है, उसके ऊपर मैं बहुत ही विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं। आसन की ओर से कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। यह बात आसन के कॉग्नीजेंस के बाहर की बात है। अनेकों बार सैटल हो चुका है इस सम्बन्ध में मैं रेफर करना चाहता हूं। यह प्रैक्टिस एण्ड प्रोसिजर ऑफ पार्लियामेंट बाई कौल एण्ड शकधर के पेज 463 पर है:—

"It is the accepted practice in Lok Sabha that the Speaker does not give any ruling on a point of order raised whether a Bill is constitutionally within the legislative competence of the House or not. The House also does not take a decision on the specific question of vires of a Bill. It is open to members to express their views in the matter and to address arguments for and against the vires for the consideration of the House. The members take this aspect into account in voting on the motion for leave to introduce the Bill or on the subsequent otions on the Bill."

श्री अध्यक्ष : यह बात नहीं उठायी गयी। उन्होंने कहा कि जो हमारे प्रक्रिया के नियम हैं उनके अनुसार बिल को पारित नहीं करवाया जा रहा है। उन्होंने इतनी ही बात कही।

(व्यवधान)

श्री हरिसिंह : कान्स्टीट्यूशन के खिलाफ तो यह बिल नहीं, बिल के वाइरस को भी चैलेंज नहीं किया जा रहा है। फण्डामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में बात कही गयी थी, इसलिए मैं समझता हूं यह अच्छी बात है। आप मानकर चलिए इस बात को कि हमारा बिल आ रहा है, कान्स्टीट्यूशन के अनुकूल आ रहा है, कान्स्टीट्यूशन के विपरीत नहीं आ रहा है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के सदस्यों ने तो मेरे पर विश्वास करके किया है...

(व्यवधान)

वह यह जानते हैं कि बहुमत के आधार पर..

श्री हरिसिंह : दूसरा, मैं अर्ज कर रहा हूं कि जहां तक सवाल है कि यह मनी बिल के द्वारा हो अथवा नहीं। तो, राजस्थान में जो एक्साइज एक्ट, 1950, उस समय पारित किया गया था, हाउस में उस समय भी यही मनी बिल की प्रक्रिया अपनायी गयी थी।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : हाउस कहां था 1950 में ?

(व्यवधान)

श्री हरिसिंह : सन् 69 में या उसके बाद से लेकर आज तक कोई भी चैलेंज नहीं किया गया है। तीसरी बात, सैक्शन 208 की है। उसके मुताबिक जो बातें

(श्रीहरिसिंह)

बतायी गयी हैं, उसके सब प्रोवीजन होने चाहिए जिनको कि हम रिवाइव कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं। जिस समय डिलीट करते हैं, उस समय भी प्रोविजन नहीं लगायें जाते हैं, या जिस समय रिवाइव करते हैं उस समय भी प्रोविजन नहीं लगाये जाते हैं, वरना तो वह रीइनेंक्टमेण्ट की संज्ञा में आ जायेगा। रिइनेंक्टमेन्ट तो नहीं हो रहा है, रिवाइव हो रहा है। इसको हाउस के सामने लाना आवश्यक नहीं है

श्री अहमद बक्श सिंधी (उपाध्यक्ष) : अध्यक्ष महोदय, इनमें कान्स्टीट्यूशनल सवाल उठाया गया है, इसलिए मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं। सवाल सामने यह है कि कान्स्टीट्यूशन के चैप्टर 4 में डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स आफ स्टेट पालिसीज का बयान किया गया है। स्टेट को किस तरह से एक्ट करना चाहिए, वह डाइरेक्शन्स दिये गये हैं। उसका आर्टिकल 47 रेलेवेन्ट है। मैं पढ़ूंगा नहीं। खास बात यह है, to promote welfare of the people to, raise the level of nutrition and standard of living and improvement of public health—These are the duties.

यह स्टेट के कर्त्तव्य हैं. इन बिंदुओं को सामने रख कर कानून बनायें। अब हमारे सामने जो बिल आया है, वह है राजस्थान प्रोहिबिशन एक्ट, रिपीलिंग बिल, 1981। यह नाम ही गलत दिया हुआ है। राजस्थान रिवाइवल ऑफ एक्साइज एक्ट, 1950 रिलेटिंग टू लिकर यह इसका नाम होना चाहिए। यह गलतफहमी पैदा होती है कि प्रोहिबिशन एक्ट पास किया जा रहा है। दरअसल प्रोहिबिशन एक्ट पास नहीं किया जा रहा है। यह उस एक्साइज एक्ट, जो 1950 में आया, को रिवाइज किया जा रहा है। यह हवाला दे देना किसी बिल में कि जो प्रोविजन के मुताविक एक्साइज एक्ट, 1950 है उनको हम रिवाइज कर रहे हैं, यह काफी नहीं है। उन सैक्शन्स को जो एक्साइज एक्ट में हैं, लिकर के बारे में, को इन्ट्रोड्यूस करना चाहिए, इन्कॉरपोरेट करना चाहिए। यह उनकी तकदीर की बात है। यह हंसने की बात नहीं है, रोने की बात है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी (राज्य मंत्री, पर्यटन) : वह जो ग्रुप है, इतना इन्फ्लुएन्सिव है कि चाचा वहां बिराजे हुए हैं।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो डिप्टी स्पीकर साहब को माननीय सदस्य ने चाचा कहकर सम्बोधित किया है, मैं कहूंगा, यह सदन का अपमान है, माननीय सदस्य उन शब्दों को वापस लें।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : चाचा-भतीजे के बीच में कैसे आ रहे हैं आप ?

श्री अध्यक्ष : चाचा अपने आप में सम्मानसूचक शब्द है। वयोवृद्ध व्यक्ति होते हैं, उनके लिए यह कहा जाता है, तो हमारी विधान सभा के उपाध्यक्ष वयोवृद्ध व्यक्ति हैं।

श्री अहमद बक्श सिंधी : क्या ? वयोवृद्ध कहना मुझे मंजूर नहीं ? I am not old.

श्री अध्यक्ष : शांत रहिये। माननीय सदस्य, समय का ध्यान रखिये।

108

श्री अहमद बक्श सिंधी : डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स का एक चैप्टर है, फण्डामेंटल राइट्स । उसमें और इसमें अंतर है । फण्डामेण्टल राइट्स की बाबत तो कोई कानून बना ही नहीं सकते । आपको हालात को इन्फ्लुएन्स करना ही पड़ेगा । कुछ ऐसे हालात हो, जिसमें फण्डामेंटल राइट्स एक्सटेण्ड किये जा सकते हैं । डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स के लिये.....

(व्यवधान)

लेजिस्लेशन बनाते वक्त ।

व्यवस्था का प्रश्न
सदन में पानी पीने की अनुमति

श्री भैरोंसिंह शेखावत : प्वाइंट ऑफ आर्डर, सर । अध्यक्ष महोदय, लोक सभा हो या विधान सभा सदन में स्वास्थ्य की दृष्टि से किसी बीमारी के कारण दवाई भी ले सकते हैं और पानी भी पी सकते हैं । पहले भी सदन में कई माननीय सदस्यों को पानी पीने की इजाजत दी है । मैं निवेदन करूंगा,

(व्यवधान)

आज डिप्टी स्पीकर को इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है ?

श्री अध्यक्ष : पानी पी सकते हैं सदन में।

श्री अहमद बक्श सिन्धी : मैं निवेदन करना चाहूंगा . . .

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप इनको पानी पिलाते नहीं रहोगे ।

(व्यवधान)

राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 का पुनर्प्रवर्तन

श्री अध्यक्ष : राजस्व मंत्रीजी कुछ कहना चाहते हैं ।

श्री परसराम मदेरणा (सिंचाई मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी सदन के सम्माननीय सदस्य और उपाध्यक्ष महोदय ने यहां पर इस तरह के उद्गार प्रस्तुत किये कि फण्डामेण्टल प्रिन्सिपल्स के ऊपर कोई कानून नहीं बना सकते ।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अभी वह बोल रहे हैं ।

श्री परसराम मदेरणा : फण्डामेण्टल राइट्स के काण्ट्रेरी तो नहीं बना सकते, मैं समझता हूं, आप पानी पीने के बाद इस पर भी प्रकाश डालेंगे ।

श्री अहमद बक्श सिंधी : अध्यक्ष महोदय, फण्डामेण्टल राइट्स और डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स में बहुत अन्तर है। डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स के मुताबिक यह सदन कानून तो बना सकता है, लेकिन मेण्डेटरी प्रोविजन्स हैं । इसमें यह नहीं है कि यह चीज प्रोहिबिट की गई हो, यह डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स में है Whether you accept them or not, that is up to you.

श्री अध्यक्ष : But only you have accepted, whether you can withdraw it.....

श्री अहमद बक्श सिन्धी : सवाल यह है कि आर्टिकल 47 में जो क्वालिफाईंग क्लाजेज हैं promote health, to raise the level of nutrition, standard of living and to improve the public health

अगर कोई कानून ऐसा है, जिसके कारण लोगों को वह चीजें मिल जायें जिनसे उनकी हैल्थ खराब होती है या उनके स्टेण्डर्ड ऑफ लिविंग में फर्क पड़ता है या उनके वेलफेयर के विपरीत होता है, तो उस सूरत में इसका कानून बना सकती है। एक्साइज एक्ट, 1950 उस समय बनाया गया था, जब हाउस नहीं था। जब उसके रिवाइवल का सवाल आता है एक स्पेशल चेप्टर का, जो लिकर से सम्बन्ध रखता है, तो उसके लिये जरूरी है कि वह सेक्शन, जो डिलिट किया जाय उसको उसमें इन्कारपोरेट करके पास किया जाय, क्योंकि उस वक्त हाउस नहीं था। अतः वह गवर्नर या राजप्रमुख के ऑर्डिनेन्स से पास किया हुआ होगा। वह राजप्रमुख का था। राजप्रमुख का पास किया हुआ एक्ट वापिस लागू करना था। उस सेक्शन को लागू करना और यह रेफरेन्स देकर करना कि वह चेप्टर इसमें लागू होगा, रिवाइव किया जायेगा तो यह काफी नहीं है।

नम्बर 2, यह मान लीजिये थोड़ी देर के लिए कि वह सेक्शन इन्कारपोरेट हो गया। उस सूरत में यह नया एक्ट नहीं है। यह प्रोहिबिशन एक्ट नहीं है। जैसा कि इस बिल का नाम रखा गया है, यह ठीक नहीं है। इसको सिर्फ रिवाइव कर रहे हैं। प्रोहिबिशन को हटाने का सवाल नहीं है, इस पर जो कण्डीशन है ...

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मेरा बीच में निवेदन है, डिप्टी स्पीकर साहब की सीट इधर होनी चाहिये, अपोजीशन में न होकर, इधर होनी चाहिये।

(व्यवधान)

पानी बहुत पिला रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह गुर्जर : हमें तो शक है, इस पानी की जांच कराई जाय।

श्री अहमद बक्श सिन्धी : यह सीरियस बातें हो रही हैं, मजाक नहीं समझिये।

श्री भैरोंसिंह गुर्जर : क्या पता और कुछ नहीं हो।

श्री अहमद बक्श सिंधी : गवर्नमेन्ट को यह देखना पड़ेगा कि आया शराब खुली करने से जो शराब स्टेट खुद बनायेगी, प्राइवेट इण्डिविजुअल को इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि हमारा तजुर्बा है इतने सालों का कि प्राइवेट इण्डिविजुअल ने इल्लिसिट लिकर बनाई और जहरीली साबित हुई और सैकड़ों की तादाद में लोग मर गये। जिसको पीने की आदत है, वह कभी छूटती नहीं है, वह तो पीयेगा ही।

(व्यवधान)

आज शहरों में दुकानें न खोलकर जंगल में खोल दें, तो लोग जंगल में भी पहुंच जायेंगे। इसलिए पीने वाले तो पीयेंगे, पर कम से कम, उनको मरने म...

(श्री अहमद बख्श सिंधी)

दिया जाय । अगर स्टेट को ऐसी शराब बनाने दी जाय, जिससे लोग मर जाये, तो गलत होगा और शराब बनाई हुई है स्टेट की, वह काबिले जब्ती होगी, जैसे कि इल्लिसिट शराब काबिले जब्ती है । इसलिये यह खयाल कि 50 करोड़ का लाभ होगा, यह कन्सिडरेशन नहीं है और न होना चाहिये । यह तो इन्सि-डेण्टल है कि आया शराब को खुली करने से 50 करोड़ का रेवेन्यू बढ़ता है । यह एक एडिशनल कन्सिडरेशन है, जो सैकण्डरी है ।

अब बात है कि वेलफेयर आफ दी पिपुल और हैल्थ । अगर हैल्थ के खयाल से एक्साइज एक्ट बनाया गया होगा 1950 का, तो अब उसके बाद में प्रोहिबिशन कर दिया राजस्थान में इस ख्याल से कि शराब इन्सान को हैवान बना देती है और बीवी और बैल में तमीज नहीं रहती जब एक्सेस पी जाता है कोई आदमी । आग्यूमेन्ट दिया जाता है कि भाई रात को सोते वक्त एकाध पैग ले लेवें तो क्या हर्ज है ? शराब हर सूरत में खराब है, इसमें कोई शक नहीं है । इसलिए जो सोसायटी बनी हुई है उसमें गवर्नमेन्ट को लोगों को एनकरेज करना चाहिए ताकि वह लोगों में यह प्रचार करें कि शराब से इन्सान की हैल्थ खराब होती है, शराब से इन्सान हैवान बन जाता है । जैसे गोकुल भाई भट्ट कर रहे हैं और उनकी पार्टी कर रही है । ऐसा प्रचार जारी रखना चाहिये ताकि लोगों को प्रोत्साहन मिले । शराब बुरी है, उसको छोड़ना चाहिये । लेकिन फिर भी जो पीने वाले हैं वह तो छोड़ने वाले नहीं हैं, चाहे गोकुल भाई भट्ट पिट-पिट कर मर जावें, चाहे वह अपनी जान तक दे दें । लेकिन शराब पीने वाला कभी शराब छोड़ेगा नहीं । यह छूटती नहीं है, कमबख्त । एक दफा मुह के लगी कि छूटती नहीं है । यह नये एक्ट के साथ-साथ है और रिवाइवल है कि उन सैक्शन का जो इनको-र्पोरेट करना है, तो इसमे कोई हर्ज की बात नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : श्री राजबहादुर । मान-नीय सदस्य, शान्त रहें । माननीय सदस्य जो भी कहें, कानूनी मुद्दों पर कहें और संक्षेप में कहें । आर्डर आर्डर ।

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत ध्यान से एडवोकेट जनरल साहब को, मंत्रीजी और वित्त मंत्रीजी को सुना । मैं, रेले-वेन्ट और प्रासंगिक बात हूंगी, वही कहूंगा, अधिक नहीं कहूंगा । डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स के बारे में पहले एडवोकेट जनरल साहब ने कहा । मेरा कहना यह है कि डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स या पॉलिसी, सभी यह हम जानते हैं कि आर्टिकल्स को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है किन्तु जिस आर्टिकलस के अन्तर्गत मंत्रि मण्डल के सदस्य शपथ ग्रहण करते हैं और जो शपथ वह लेते हैं या विधान सभा के सदस्य शपथ लेते हैं, मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूं ।

"I, A. B., having been elected a member of the Legislative Assembly, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India."

कॉन्स्टीट्यूशन के बारे में शपथ लेते हैं कि कॉन्स्टीट्यूशन का पालन करेंगे । वह

(श्री राजबहादुर)

और इस प्रकार की कॉन्स्टीट्यूशन में जो चीजें हैं,. उनको इगनोर नहीं किया जा सकता है। 37 का हवाला सदन के विपक्ष के नेता महोदय ने दिया।

(4.11 म. प)

(श्री अहमद बक्श सिंधी, उपाध्यक्ष पदासीन)

उसको लाइटली नहीं लिया जा सकता है। इसमें बहुत ही मेन्डेटरी प्रोविजन्स हैं। इसमें जो चैप्टर फोर हैं, चैप्टर थर्ड है, वह इन दोनों का कोम्पलीमेन्ट्री हैं। हम सब यह जानते हैं। फण्डामेन्टल तथ्यों को कहने की जरूरत यहां नहीं है। डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है, जो लक्ष्य हैं, वहां तक पहुंचना है। और आर्टिकल 37 के अनुसार—It will be duty of the State to apply those principles in making laws.

अब सवेश्चन यह है, आपने कहा डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में कि उनको फोलो करते-करते तीस वर्ष हो गये। सन् 1950 में हमारा कॉन्स्टीट्यूशन बना और मद्य निषेध 19 जिलों में आप कर पायें, प्रोहिबिशन लगाया और उसके तीन साल बाद कुछ जिलों में जो रह गये थे, आपने लागू किया प्रोहिबिशन को। जब राष्ट्रपति शासन था पिछले चुनावों के बाद 1-4-80 को आपने यह लागू किया। पिछले तीस वर्षों से प्राप्त अनुभव और प्रगति को एक क्षण में नष्ट कर दिया, आपने उसको 1-4-80 को समाप्त कर दिया। मेरे ख्याल से सारे प्रदेश में नशाबन्दी लागू किये मात्र 16-17 महीने या 18 महीने हुए थे। 18 महीने भी नहीं ए और आपने इसको अब समाप्त कर दिया। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बिल में ऐसी कोई चीज नहीं है, कहीं कोई दलील नहीं है कि जो हमारे योग्य मित्र, लर्नेड एडवोकेट जनरल साहब ने यहां बतायी हो कि डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल के क्रियान्वयन की तरफ बढ़ने के बाद यह रिट्रोगेटिव स्टेप क्यों लिये जा रहे हैं। प्रोग्रेस के बाद रिट्रोग्रेशन भी हो सकता है। कदम आगे बढ़ाने के बाद वापस ले सकते हैं। पहला तो मेरा यही कहना है कि हम आशा करते थे कि कोई चीज ऐसी आवेगी जिससे कि हमें यह मालूम होगा कि डायरेक्टिव प्रिन्सिपल्स को क्यों रेपूडिएट (Repudiate) किया जा रहा है। बावजूद इस बात के कि प्रोहीबिशन के तीन जनरेशन्स और छः मुख्य मंत्रियों ने प्रोहिबिशन के वैधानिक प्रोविजन्स को लागू किया उसको आप समाप्त कर रहे हैं खैर, दूसरा पोइन्ट आपने कहा था कि we can re-enact by two processes. एडवोकेट जनरल साहब ने कहा कि यह तो रूल्स के मुताबिक, हमारा जो जनरल क्लाजेज एक्ट है, उसके मुताबिक है। मैंने तो पहले ही निवेदन यह किया था कि क्या हमारे जनरल क्लॉजेज एक्ट द्वारा हमारे कॉन्स्टीट्यूशन की धारायें हैं या हमारे रूल्स हैं जो स्वयं अपने में कॉन्स्टीट्यूशनल वेलिडिटी (constitutional validity) रखते हैं। स्टेट्यूट रूल्स हैं। क्या वे एब्रोग्रेट (abrogate) हो जाते हैं। अगर वो एब्रोग्रेट हो जाते है, या बाईपास हो सकते हैं तो क्या यह legally अथवा constitutionaly valid है? Can the rules be by passed? Is a short cut provided in the law any where? Is it contemplated

(श्री राजबहादुर)

by the Legislature ki that this can be done in the pretext of the General Clauses Act.

शॉर्ट कट करके आप रिवाइव कर देंगे । यह कैसे हो सकता है ? यह एक रेगुलर बिल है आपका । फुलफ्लैज्ड इसके पूरे प्रोविजन्स हैं । इसमें ड्यूटी रिवाइव करने का भी है । यह मनी बिल है क्या ? यह सब उचित है ? मुझे बहुत ही खेद के साथ कहना पड़ता है कि कोई मुझे संतोषजनक उत्तर इस बात का नहीं मिला । आखिरकार जो बिल पास हुआ था, जो एक चीज सामने आई थी, उसको आपने वापस ले लिया, वह अलग बात है । लेकिन जनरल क्लाजेज एक्ट की धारा, आपने सारी की सारी प्रक्रिया बदल दी और फिर इस विषय पर मैंने बहुत मोटी बात कही थी कि जब आप रिपील करने गये थे तो वह कौन-कौन से प्रोविजन्स थे उस कानून के और आप रिपील के बदले उनको रीइनेक्ट करना चाहते हैं तो वह कौन-कौन-से प्रोविजन्स हैं ? आपका इन सबका जवाब है, जनरल क्लाजेज एक्ट के सेक्शन आठ के जरिये आप कर सकते हैं । यह आपने करा क्या खूब ? मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपने तीन मिसालें दी हैं । मेरे पास वह पुस्तक नहीं है और न लाइब्रेरी की कोई ठीक व्यवस्था है कि जिससे मैं आपको यहां पर उनको कोट करता । लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि 3-4 प्रिसीडेन्ट्स जो बताये हैं वह कतई लागू नहीं होते हैं । मैं इस बात को लाइटली नहीं कह रहा हूं क्योंकि कॉन्स्टीट्यूशन अमेन्डमेन्ट के विषय में यह नहीं हुआ था और 44 वें कॉन्स्टीट्यूशन अमेण्डमेन्ट में यह हुआ था कि हर प्रोविजन के जो कि 44वें कान्स्टीट्यूशन अमेण्डमेन्ट आया, उसमें यह स्पष्ट और निश्चित हवाला दिया था कि 42 वें अमेण्डमेन्ट को रिपील किया गया था और उसको बदल कर पुराना प्रोविजन रेस्टोर किया जाता है । उसके बाद में बिल पास हुआ था । वह सुओ मोटो या इप्सो फैक्टो नहीं हुआ था । ऐसा नहीं हुआ कि यह बिल रिवाइव कर दिया जाता है ।

एक बात और भी है उसी मेटर में

(4.16 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष पदासीन)

कि अगर मान भी लिया जाय कि सुओ मोटो रिवाइव हो सकता है तो जो प्रकिया व प्रोसीजर के रूल्स हैं, उनको माना जाय कि

It is a provision, replacing anomalous provision.

इसमें एक कानून प्रोहिबिशन एक्साइज एक्ट से सम्बन्धित है । एक्साइज एक्ट तो रिवाइव हो जाता पर प्रोहिबिशन एक्ट नहीं होता । फिर आप स्पेसिफाई भी नहीं करते कि कौनसे प्रोहिबिशन को आप रिवाइव करना चाहते हैं और कौनसे आइटम पर फिर ड्यूटी लागू करना चाहते हैं । दूसरा सवाल जो मैंने किया था, उसके लिए जो उत्तर मिला, वह मेरे ख्याल से कोई साफ उत्तर नहीं मिला है । जो प्रिसीडेन्ट cite किये हैं they relate to one piece of Legislation, that is the Constitution and not a multiple jumbling of

(श्री राजबहादुर)
more than one piece of laws or enactments.

उसके बाद तीसरा सवाल जो मैंने पांइन्ट आउट किया था जो इसके उत्तर दिये हैं उनका मतलब यह है कि *ipso facto* the old enactment stands revived. By mere mention they stand revived. यह एक अद्भुत और अजीब नजीर होगी या प्रीसीडेन्ट होगा। मेरे ख्याल से ला इण्टरप्रिटेशन जनरल क्लाजेज एक्ट को सपोर्ट नहीं करता है और by the mere word of "revive", the Act can not be revived. The prescribed procedure laid down specifically for the passage of bills and enecting laws must be followed. अब उसको अगर आप पढ़ते हैं सेक्शन 6 में, तो इसमें बिल्कुल क्लीयर है।

श्री अध्यक्ष : यह तो आपने कल बहुत ही क्लीयर कह दिया था। "Open Seaseme" and it opens . . .

श्री राजबहादुर : वो तो मैंने कह दिया।

श्री अध्यक्ष : That ..is apt description.

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, क्या जो रिप्लाई माननीय सदस्य दे रहे हैं; उसमें वही चीजें रिपीट करेंगे ?

श्री राजबहादुर : मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : ऐसी कोई चीज उस जवाब से निकलती हो, जो नयी चीज है, तो जवाब दें आप। लेकिन अगर आप आर्गूमेन्ट्स को वापिस रिपीट करना चाहते हैं, तो युक्ति संगत नहीं होगा।

श्री राजबहादुर : मैं आर्गूमेन्ट को रिपीट नहीं कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि आपने मेरे पॉइन्ट्स का जवाब नहीं दिया। मैं यह कह सकता हूं कि "Where any Rajasthan law repeals any enactment hitherto made or hereafter to be made, then, unless a different intention appears, the repeal shall not—

(a) revive anything not in force or existing at the time at which the repeal takes effect"

इसमें सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि वह रिवाइव नहीं हो सकता। unless expressly provided.

अब आपने इसमें सारी की सारी जो चीज है, उसको वाई पास किया है। ऐसी प्रक्रिया मेरे ख्याल से किसी कानून को बनाने के लिये नहीं हो सकती है।

मैं आर्टिकल 367 की बात कहना चाहता हूं। मैं अभी भी मेन्टेन करता हूं सेक्शन 4 जनरल क्लाजेज एक्ट उसको एक्सक्लूड करता है। जहां तक 367 है, उसमें स्पेसिफिक है कि वह interpretation of a provision of the Constitution itself के लिये Constitution से बाहर का कोई दीगर कानून Constitution के अथवा Constitution के अन्तर्गत बनाये रूल्स पर हावी नहीं हो सकते। यह साफ है .... दूसरे, एक्ट के प्रोविजन

(114)

(श्री राजबहादुर)

कान्स्टीट्यूशन पर लागू नहीं हो सकते, कान्सटीट्यूशन को एमेंडमेंट करने के लिए नहीं हो सकता। रूल्स बने हैं उनको डिस्टॉर्ट करने के लिए नहीं हो सकता। वह चीज अलग है और यह चीज अलग है।

अब एक सवाल कोरम के बारे में किया था। तीनों बातें कह चुका हूं। वह उसी एक्ट में है। जहां फाइनेंस की बात आई, फीस की बात आई है और टैक्स की बात आई है। मुझे भी 199 दुबारा पढ़ना पड़ेगा और इसलिए पढ़ना पड़ेगा कि जो इन्टरप्रिटेशन हुआ है वह मुनासिब नहीं है

199 (2)—A Bill shall not be deemed to be a Money Bill by reason only that it provides for the imposition of fines or other pecuniary penalties, or for the demand or payment of fees for licences or fees for services rendered or by reason that it provides for the imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax by any local authority or body for local purposes."

इन चारों पांचों की व्याख्या में नहीं आता एक नयी व्याख्या माननीय विधि मंत्री जी ने की कि हमारा प्रिविलेज है वह छोड़ रहे हैं। इसलिए हम जो ला रहे हैं, वह फुलप्रूफ है। यह ऐसी बात है कि जब प्रोहिबिशन हट जायेगा, तो आप शराब बनाने की इजाजत दे सकते हैं। जब वह बनायेंगे, तो प्रिविलेज आपका वह नहीं है। प्रिविलेज तो यह है कि जिस ट्रेड के ऊपर या कामर्स के ऊपर आप टैक्स लगाते हैं, ड्यूटी लगाते हैं कस्टम ड्यूटी टैक्स है या नहीं? कस्टम ड्यूटी भी टैक्स है और एक्साइज ड्यूटी भी टैक्स। इन सबको कम्पेयर नहीं किया जा सकता उन चारों पांचों चीजों से ....

श्री अध्यक्ष : लेकिन एक्साइजेबल आर्टिकल्स को मनफैक्चर कर रहे थे प्रोहिबिशन एक्ट लागू करते समय ...

श्री राजबहादुर : वह कर रहे थे, तब भी कर रहे थे। वह तो अलग चीज है लेकिन उन्होंने कहा कि हम तब भी कर रहे थे ...

श्री अध्यक्ष : इनका कहना यह है कि हमारे ग्राहक बढ़ गये हैं।

श्री राजबहादुर : क्या बढ़ गये ?

श्री अध्यक्ष : ग्राहक बढ़ गये।

श्री राजबहादुर : ग्राहक बढ़ गये, इसलिए हम एक्साइज ड्यूटी लगायें तो प्रिवलेज खो दिया। मेरा अर्ज करना यह है कि इन्डस्ट्री पर टैक्स है व एक्साइज भी है और शराब बनाना भी इन्डस्ट्री है। शराब बेचना ट्रेड है और इस ट्रेड और इन्डस्ट्री के ऊपर जो टैक्स है या ड्यूटी हैं, यह नहीं कह सकते कि यह महज फीस है, It is not the fees.

श्री अध्यक्ष : नया क्या है? मैनुफैक्चर करने का अधिकार प्रोहिबिशन एक्ट था। उस समय भी था और सैल करने के भी अधिकार थे। नयी चीज इन्होंने कौन सी कही? इन्होंने कहा है कि ग्राहकी बढ़ी है।

श्री राजबहादुर : लिकर के ऊपर अब एक्साइज ड्यूटी नहीं रखी बल्कि ठेकेदारों से ठेकेदारी की रकम ले ली।

श्री अध्यक्ष : यह ठेकेदार पहले भी थे। जो कुछ पीने वाले लोग लाइसेन्सधारी थे, वह उनसे लेते थे। इनका कहना यही है कि ग्राहकी बढ़ी है, लेकिन नया कोई टैक्स या नया कोई कर भार नहीं बढ़ाया है।

श्री राजबहादुर : उसके बारे में मेरा कहना यह है
Custom of the Consolidated Fund or the Contingency Fund of the State, the payment of moneys into or the withdrawal of moneys from any such fund;

यह भी तो आता है, कन्सोलिडेटेड फण्ड में जायेगा पैसा।

श्री अध्यक्ष : लेकिन कन्सोलीडेटेड फण्ड में हजार रुपया जमा हो या लाख रुपया जमा हो यह कन्सीडरेशन नहीं है। यह मद है, वहां पर कन्सोलीडेटेड फण्ड में और उसमें ज्यादा और कम जायेगा। 5 करोड़ के बजाय 50 करोड़ जायेगा लेकिन मद तो है ना वह जमा होने का।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मुझे क्षमा करेंगे...

श्री अध्यक्ष : नये प्रश्न में नहीं आने दूंगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इसमें ग्राहकी बढ़ी नहीं है घटी है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री राजबहादुर : यह कहने की जरूरत नहीं है। आप कहते हैं कि यह जारी रहे। मेरा कहना यह है कि सैक्शन 28 में नयी ड्यूटी लागू कर सकते हैं, नये करों को बढ़ा सकते हैं। जो नये कर लगाये जाते हैं उससे भी इजाफा होता है। एक बात आपने कही इनेक्टमैन्ट के बारे में। वह बिल्कुल ही एप्लीकेबल नहीं है। खाली यह है कि रेफरेन्स माना जायेगा। री-इनेक्टमेन्ट कैसे हो गया? मैं फिर कहता हूं कि री-इनेक्टमेन्ट होना चाहिए था, वह नहीं हुआ, बल्कि खाली सैक्शन 8 का बहाना लेकर, शील्ड लेकर, कवर लेकर, पूरे एक्ट को इम्पोज किया जा रहा है और यह सारे सदन के अधिकारों का हनन है।

मैं विनती करूंगा कि आप जो रूलिंग दें उसमें इस बात को सोचें कि हमारे कान्सटीट्यूशनल राइट्स हैं, हमारा रूल्स आफ प्रासीजर बना है, उनकी अवहेलना न हो और इस बात को देखें क्योंकि जो भी क्वेरीज और प्रश्न मैंने सीधे और साफ किये थे मुझे खेद है कि एडवोकेट जनरल साहब से उनका उत्तर नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह जी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि आज पहली बार राजस्थान विधान सभा में एडवोकेट जनरल को किसी विषय पर अपनी राय देने का अवसर मिला है...

अनेक माननीय सदस्य : तीसरी बार।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस विधान-सभा में मुझे भी मालूम है।

मैं इसलिए निवेदन कर रहा था अध्यक्ष महोदय, एडवोकेट जनरल वैसे सदन के सदस्य हैं, विवाद में भाग ले सकते हैं,

(116)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

लेकिन उनको अध्यक्ष की ओर से यदि सम्मान दिया जाता है, तो भारी घटना का महत्व बढ़ता है और यह आशा करके चलते हैं कि जिस विषय पर अपनी राय देने के लिए एडवोकेट जनरल को बुलाया जा रहा है, वह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। सदन उसमें उनसे एडवाइज लेना चाहता है। लेकिन आज जिस प्रकार उन्होंने सारी बातों का विश्लेषण किया, अध्यक्ष महोदय, मुझे क्षमा करें, यदि मैं यह कहूं कि एडवोकेट जनरल से इस प्रकार की आशा नहीं की जा सकती। मैं, अध्यक्ष महोदय, यह इसलिए कह रहा हूं कि इन्होंने आज आर्टिकल 47 का जिस प्रकार से विश्लेषण किया, विश्लेषण में दो बातों पर मोटे रूप से उन्होंने बताया। एक तो इसमें वर्ड 'एन्डेवर' का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि इस बात का एम्फेसिस नहीं मिलता कि राज्य सरकार को प्राहिबिशन लागू करना पड़ेगा। इस प्रकार का उसमें उल्लेख नहीं है, या इस प्रकार की भावना नहीं है। सबसे बड़ी बात वह यह कह गये कि इस बिल की मंशा यह है कि शराबबंदी के कारण से लोग ज्यादा मर रहे हैं, इसलिए इस शराब को खुला करना पड़ेगा ताकि लोग कम मरें। उन्होंने एक बहुत ही विचित्र दलील दी और दलील देते-देते, यहां तक कह गए कि जो वर्ग शराब पीता है, शराब आदमी के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

अध्यक्ष महोदय, इस आर्टिकल को यदि आप अच्छी तरह से पढ़े, तो इसमें यह कहीं मेंद नहीं किया गया है कि ठेकों से या सरकार की डिस्टीलरी से निकलने वाली शराब से तो हैल्थ इम्प्रूव होगी और जो नाजायज शराब बनाते हैं, वह पीने से हैल्थ खराब होगी। इसका कहीं उल्लेख नहीं है। एडवोकेट जनरल स्वयं देखेंगे तो इसमें लिखा है :

> The State shall endeavour to bring about prohibition of the consumption except for medicinal purposes of intoxicating drinks and of drugs which are injurious to health.'

शराब को इन्जूरियस माना है, वह शराब चाहे नाजायज हो या जायज हो। लेकिन आज जो उन्होंने इन्टरप्रिटेशन किया मुझे उससे ऐसा लगता है कि एडवोकेट जनरल महोदय ने शराब को भी दो भागों में विभाजित कर दिया। एक भाग यह जिससे आदमी की हैल्थ सुधरती है और दूसरा भाग वह जिससे शराब से आदमी मरता है। मैं इसके लिए तो एडवोकेट जनरल साहब आपको बधाई देना चाहूंगा, आज तक बड़े-बड़े व्याख्याता शराब को भागों में विभाजित नहीं कर सके। आपने बहुत अच्छा काम किया। मैं समझता हूं कि महात्मा गांधी ने भी इस पर विचार नहीं किया होगा, आचार्य तुलसी ने भी इस पर विचार नहीं किया होगा और आचार्य विनोबा भावें ने भी इस पर विचार नहीं किया होगा, मैं ऐसा समझता हूं। मैं यह कहता हूं कि कुरान शरीफ जिन्होंने लिखी उन्होंने भी विचार नहीं किया होगा। उन्होंने भी नहीं कहा कि वह मुसलमान तो पाक है, जो चन्दनमल बैद की डिस्टीलरी की शराब पी लेगा और नाजायज शराब पीयेगा वह नापाक।

एक माननीय सदस्य : चन्दनमल जी की डिस्टीलरी है क्या ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह फाइनेन्स मिनिस्टर हैं ।

श्री चन्दनमल वैद : यह डिस्टीलरी जितनी मेरी है, उतनी ही आपकी भी है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत ; मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि मेरी समझ में नहीं आता कि यह आर्गूमेन्ट कहां से पैदा हुआ ? आखिर सारे मुसलमान धर्म में शराब को पीना हराम माना है. उसके पीछे कोई न कोई कारण है । उन्होंने यह नहीं कहा कि व्हिस्की पीने से आदमी हराम नहीं होगा और दूसरी शराब पीने से हराम हो जायेगा । व्हिस्की पीने से आदमी पाक होगा और देशी शराब पीने से आदमी का अस्तित्व खतम हो जायेगा । इस तरह की बात नहीं कही गयी । लेकिन आपने अच्छी बात कह दी । इससे जो नहीं पीते थे, उनको भी पीने का अवसर मिल जायेगा और इससे एक तरह से सरकार को फायदा होगा । एक तरह से आपने सरकार की सहायता की । अध्यक्ष महोदय मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसीपल है :

"The State shall take steps to separate judiciary from the executive in the public services of the State."

एडवोकेट जनरल ने जो राय दी तो यह भी कहा जा सकता है कि राजस्थान सरकार ने जो सेपरेट किया है, जिस समय तक चाहे सरकार उसको खतम कर सकती है । अध्यक्ष महोदय, अभी एडवोकेट जनरल से ओपिनियन ली जाये तो आर्टिकल 40 पंचायत की व्यवस्था है । तो वह यह भी कह सकते हैं कि सरकार पंचायतों का कानून खतम करके पंचायतों को खतम कर सकती है । मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हू कि यह जो आर्टिकल्स में जैसे डायरेक्टिव प्रिंसीपल का उल्लेख आया है, इसको इतना इजीली न लें, एडवोकेट जनरल ने इस पर विचार नहीं किया होगा । राज्य सरकार जरूरी समझेगी तब तक यह कानून रखेगी और जब चाहेगी तब इसको वापिस ले लेगी । मैं समझता हूं कि इस प्रकार से लाइटली लेने की आवश्यकता नहीं है और यह वर्ड जो एण्डेवर है इस वर्ड में संरक्षण की आवश्कता नहीं है । अध्यक्ष महोदय, इस सदन की जानकारी के लिय यदि आप चाहें तो, मैं यह भी बता सकता हूं कि पिछले 3-4-5 वर्षो में कहां-कहां कितने आदमी मारे गये ? लेकिन मैं समझता हूं कि इस प्रसंग को उठाना ठीक नहीं होगा । मैं इतना कह सकता हूं कि जितने राज्यों में प्रोहिबिशन हुआ है, वहां कम मौतें हुई हैं और जहां वेट एरिया है वहां अधिक मौतें हुई हैं । अभी सबसे ज्यादा ट्रेजेडी बेंगलोर में हुई । वहां 326 आदमी मारे गये । वहां पर प्रोहिबिशन नहीं था । इसलिए कोई यह कहे कि जहां पर वेट है वहां कम मौतें होगी यह वाजिब नहीं है । इसमें कोई आधार नहीं है ।

दूसरा प्रश्न मैं समझता हूं बड़ा गम्भीर है । एडवोकेट जनरल को जब मैंने कहा कि इसमें विधान सभा को डायरेक्टिव प्रिंसीपल को इम्पलीमेंट करना चाहिये । विधान सभा एक कानून बना दे और उस कानून को सरकार यदि वापस लेती है, तो उसके लिये मोरली उचित नहीं होगा । एडवोकेट जनरल ने जवाब देते हुए कहा कि मोरली क्या होता है । अध्यक्ष महोदय, यह हाउस तय करे या नहीं, लेकिन हमारी मोरलिटी क्या है ?

118

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हम अपने इतिहास से, अपनी संस्कृति से और अपनी परम्पराओं से कहां इस बात को लायेंगे कि कौन सी चीज मोरली है और कौन सी इम्मोरल । आज मैं महात्मा गांधी का नाम ले रहा हूं, आचार्य तुलसी का नाम ले रहा हूं क्योंकि वित्त मंत्री जी अणुव्रत संघ के जिला अध्यक्ष हैं ।

श्री चन्दनमल वैद : अध्यक्ष नहीं हूं । आपको सही जानकारी के लिये बता रहा हूं जिससे आपको गलतफहमी न रहे । मैं अनुव्रत संघ को मानता हूं, उसमें विश्वास रखता हूं, उसका सदस्य हूं, लेकिन अध्यक्ष नहीं हूं । जैसे आप विधान सभा के सदस्य हैं, अध्यक्ष नहीं हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, जब आचार्य तुलसी से प्रश्न किया गया कि कानून समाप्त कर दें । एक राज्य में अर्थ का संकट है दूसरे में नहीं है । कहां तक इसका पालन करेंगे ? यह बहुत लम्बा प्रश्न है । इसका उत्तर बहुत लम्बा है । इसलिये मैं एक पैराग्राफ में कह रहा हूं कि जब आचार्य तुलसी से यह प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, एक कानून को बना कर हटाने का प्रश्न ही नहीं होता । मेरे सामने अर्थ का संकट ही सबसे बड़ा संकट नहीं है । एक चीज, जिससे मानव का पतन होता है, का मैं किसी भी हालत में समर्थन नहीं कर सकता । यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि आचार्य तुलसी की बात इस विधान सभा में स्वीकार की गई । उसको कानून के रूप में स्वीकार किया गया ।

श्री अध्यक्ष : सराहना की गई थी, स्वीकार नहीं किया गया ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसकी मुझे पक्की जानकारी नहीं है । हमारे इतिहास में नशाबन्दी की बात लिखी है । मुझे इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है । क्या आचार्य तुलसी कहते हैं कि शराब पीना नैतिकता है ? क्या यह सदन इस बात को स्वीकार करेगा कि यह चीज अनैतिक है ? महात्मा गांधी इस चीज को अनैतिक बताते हैं । इस प्रश्न के ऊपर एडवोकेट जनरल ने अपनी ओपिनियन दी है, चूंकि ओपिनियन दी है भगवान जाने वे ही इस का स्पष्टीकरण करवायें । लेकिन मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं, इस बात की परिभाषा माननी पड़ेगी । संस्कृति और परम्पराओं के आधार पर हमें इस बात का निर्णय लेना पड़ेगा । तीसरी बात, अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्रीजी और एडवोकेट जनरल ने भी कहा कि यह फाइनेंस बिल नहीं है या मनी बिल नहीं है उन्होंने इसको लाइसेंस फीस बताया । यह भी कहा कि जैसे माइन्स का कान्ट्रेक्ट देकर माइन्स का लीज मनी आती है, माइन्स हमारी सम्पत्ति है । उसको हम बेचते हैं, बेचने के कारण से जो इन्कम हो रही है, वह ऐसी इन्कम नहीं जिस इन्कम के कारण से इस बिल को मनी बिल या फाइनेंस बिल कहा जा सके । मैंने अध्यक्ष महोदय, प्रारम्भ में भी कहा और यह कहा था कि इसके बाद आप सेल्स टैक्स वसूल करेंगे । वह सेल्स टैक्स अभी वित्त मंत्री ने कहा, लागू है । लागू कब है ? जिस समय प्रोहिबिशन एक्ट लागू था, जिस समय एक्साइज एक्ट आपने रिपील कर दिया, जिस दिन शराब की बिक्री नहीं हुई उस दिन आपको सैल्स टैक्स नहीं मिलता था ।

श्री चन्दनमल वैद : सेल्स टैक्स कन्ट्रीलिफर

(श्री चन्दनमल बैद)
पर भी आज सात पर्सेन्ट है। सेल्स टैक्स जो परमिट से लेकर शराब पीते थे; उन पर लगा हुआ है। वह तो चल रहा है। एक्साइज एक्ट भी परमिटधारियों पर तो लागू है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब सवाल यह है कि एक्साइज एक्ट किसी तरह हमने रिपील किया। अभी जैसा माननीय सदस्य श्री खेतसिंहजी ने कहा था कि इससे 40 करोड़ रुपये की इन्कम होती थी उससे हमें जलन हो रही है। मैं समझता हूं, जलन का सवाल नहीं है। सवाल यह है सेल्स टैक्स जितना लिकर के आइटम पर राज्य सरकार को मिल रहा था उतना सेल्स टैक्स हमको नहीं मिला। रिपील करने से सेल्स टैक्स की आय में जबरदस्त कमी हुई और कमी हुई, अब आप उसे लागू कर रहे हैं। तो टैक्स के रूप में आपकी इन्कम वह इन्कम होती जो पिछले एक या डेढ़ वर्ष में आपको नहीं हुई। जहां तक यह कहा गया, अध्यक्ष महोदय, 40 करोड़ की आमदनी होगी, इसलिए हमें कोई जलन नहीं हो रही है। जलन होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तो केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से इन्होंने प्रोहिबिशन एक्ट की सारी बातें की हैं, राजस्थान में बाढ़ आई, करोड़ों रुपया खा जायेंगे, राजस्थान में अकाल आया, करोड़ों उसमें लग जायेंगे। जैसी नीयत होती है, वैसी ही, मैं समझता हूं, बरकत होती है राजस्थान की यह पुरानी कहावत है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, सारे प्रश्नों के ऊपर हम तो यह निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे अधिकारों का प्रश्न है। इस बिल के ऊपर चर्चा करने का अधिकार हमको मिले, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं समझता हूं, एडवोकेट जनरल यह भी बता दें कि इन आर्टिकल्स, जो अपने डायरेक्टिव प्रिन्सिपल्स हैं, एक बार लागू करने के बाद हिन्दुस्तान में कहीं किसी भी राज्य ने इसको वापस लिया है। राजस्थान यह पहला उदाहरण क्रियेट कर रहा है या राजस्थान के ऊपर कलंक लग रहा है। इस स्थिति में फिर आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप कम से कम इस प्रकार की व्यवस्था दें कि जिससे इस राजस्थान विधान सभा की प्रतिष्ठा बनी रहे।

श्रीमती कमला (कृषि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, एक मुद्दे पर मैं अपने विचार प्रकट करना चाहूंगी। यह नया नहीं है, बल्कि इसी से संबंधित है। मैं इस मामले के जो अनेक कानूनी पहलू हैं, उनके ऊपर कुछ नहीं कहना चाहती, सिर्फ एक बात, जिसके ऊपर बार-बार, खास तौर से विरोधी दल के नेता ने मत दिया, और भी माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किया है कि हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल आफ स्टेट पालिसी का उसमें ...

श्री अध्यक्ष : उसमें मैं भी फैसला दे रहा हूं।

श्रीमती कमला : इसलिए मैं निवेदन करना चाहती हूं कि उसके बारे में इन्होंने बार-बार यह कहा है कि उसको दृष्टिगत रखते हुए इस बिल को पारित न करें। उसी के बारे में मैं अपनी राय जाहिर करना चाहती हूं। आपने यह कहा है, अगर हम इसको

(श्रीमती कमला)

लाते हैं, तो इसकी अवहेलना करेंगे। जन स्वास्थ्य की सुरक्षा का जिम्मा राज्य सरकारों पर डाला गया है, इन डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल को इसके माध्यम से हम तोड़ेंगे और एक ऐसा कदम वापस लेंगे जिसको कि वर्षों की मेहनत के बाद में, आपने स्थापित किया है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि जब विरोधी दल के नेता महोदय की सरकार बनी थी, उस वक्त प्रोहिबिशन लाये थे, तो उस समय यही सोच कर इसको लागू किया था कि हम जन स्वास्थ्य के लिये, जन-कल्याण के लिए, आम आदमियों की रक्षा के लिये और उनके हितों के लिये सारा काम कर रहे हैं, यह बात सही है। लेकिन जो पिछले वर्ष निकले लागू करने के बाद में उससे बिल्कुल यह जाहिर है कि जिस उद्देश्य के लिये, जिस हित साधन के लिये और जिस लक्ष्य प्राप्ति के लिये लागू किया था वह न होकर हम इस स्थिति में पहुंच गये कि जन-कल्याण न करने के बजाय जन स्वास्थ्य के विपरीत काम करने लगे । हमने यह सोचा था कि हम प्रोहिबिशन लगा रहे हैं, तो उससे लोग शराब पीना बन्द कर देंगे या कम कर देंगे लेकिन यह नहीं हुआ और शराबबन्दी के कारण स्थिति यह बनी कि कुछ चन्द लोगों ने जहां शराब पहले दुकानों पर बिकती थी वहां दुकानों से निकाल कर गांवों में पहुंचाई और गांवों से निकाल कर ढाणियों में पहुंचाई इससे वह एक शराब बनाने का अड्डा बन गया। उसके कारण जो लक्ष्य प्राप्ति के बिन्दू थे, वह बदल गये।

दूसरा जहां तक सवाल है जन-स्वास्थ्य···

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, ऐसा है, इस पर पर्याप्त अवसर मिलेगा। अभी तो यह है कि···

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : इसलिये डाइरक्टिव प्रिंसिपल का जो प्रश्न है···

(व्यवधान)

उसकी कहीं पूर्ति नहीं होती है··

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्रप्रतापसिंह : आप क्या कह रही हैं ?

(व्यवधान)

यह××× आदत छोड़िये। माननीय सदस्या ×××बोल रही हैं।

श्रीमती कमला : क्या×××बोल रही हूं? आप बोल×××रहे होंगे।···

(व्यवधान)

×××आप यह चाहते हैं कि शराब पीकर लोग नंगे नाचे···

(व्यवधान)

यह करप्शन नहीं होने दिया जायगा। ×××आप विचार करें।

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिये उस प्रश्न को पुन : विचार

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये ।

(श्रीमती कमला)

करके, जन हित के अन्दर हमने इसको लागू किया है ....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अध्यक्ष की ओर से व्यवस्था दी जा रही है । कृपया स्थान ग्रहण कीजिये ...

(व्यवधान)

मैंने दोनों पक्षों को सुन लिया ...

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज ।

अब इसके बाद में किसी को इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक मिनट ।

श्री महावीरप्रसाद. जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं रिपीट नहीं करूंगा एक मिनट का समय दे दिया जाये ।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण कर लीजिये ।

श्री वीरेन्द्रप्रतापसिंह : दो मिनट इजाजत दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : मैं दो मिनट की इजाजत नहीं दे सकता हूं । मैंने मंत्री महोदय को भी मना कर दिया है ।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : कोई मौलिक बात करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : कोई मौलिक बात नहीं है ।

माननीय सदस्यगण, ऐसा है वाद-विवाद के नियम यह हैं कि यदि कोई माननीय सदस्य आपत्ति उठाते हैं, तो उसका दूसरी तरफ से जवाब दिया जाता है । जिन माननीय सदस्यों ने प्रश्न उठाया है वह उचित समय पर चाहें तो अपनी बात, डिबेट को वाइन्ड-अप करते समय कुछ कह सकते हैं । वह प्रक्रिया पूरी हो गई । मैंने सदन के सामने जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे, वह सुन लिये । मेरे दिमाग में अभी कुछ ताजी बात है । इसलिये मैं व्यवस्था पेश कर दूं जहां तक नैतिकता के प्रश्न का सवाल है, उस पर अभी और अवसर मिलेगा । सदन के सम्मुख जब इस विधेयक को विचारार्थ लिया जायेगा तो उस समय पर्याप्त अवसर मिलेगा । औचित्य क्या है और क्या नहीं है, इस पर माननीय सदस्य बहस कर सकते हैं । मुख्य मुद्दे जो कल उठाये गये थे, इस विधेयक को विचारार्थ लिये जाने के प्रश्न पर जब यह सदन के सम्मुख आया था, तो भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाया था । वह यह था कि हमारी प्रक्रिया और कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के अनुसार जब किसी विधेयक को हम पारित करना चाहते हैं या किसी दूसरे विधेयक को संशोधित करना चाहते हैं तो उस अवस्था में यह आवश्यक हो जाता है कि जिन प्रावधानों को हम कानून का रूप देने जा रहे हैं वह सदन के समक्ष हों । क्योंकि इस विधेयक के माध्यम से राजस्थान का

(श्री अध्यक्ष)

1950 का जो आबकारी कानून था, उसको पुन: प्रवर्तित किया जा रहा है। इसलिये उस विधेयक या उस एक्ट के प्रावधान हमारे सामने आने चाहिये थे वह कौन-कौन से हैं ताकि हम उस पर निर्णय कर पाते।

दूसरे, विपक्ष के नेता महोदय ने यह आपत्ति की थी कि यह एक मनी अथवा फाइनेंशियल बिल है। इस पर राज्यपाल महोदय की स्वीकृति नहीं ली गई है। इसलिये इसको सदन के अन्दर पारित करने हेतु प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।

तीसरे, एक प्रश्न जो आज सुबह विपक्ष के नेता महोदय ने प्रस्तुत किया कि अनुच्छेद 47 भारतीय संविधान के अन्तर्गत यह हमारा एक निर्देशक सिद्धान्त है कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें इस बात की पूरी कोशिश करेंगी कि देश में शराबबन्दी लागू हो। शराबबंदी का एक कानून बनाया गया और उसको अब वापस निरस्त किया जा रहा है। यह नैतिक दृष्टि से उचित नहीं है। नैतिकता का प्रश्न, यह बहुत ही गहन प्रश्न है। आपका अध्यक्ष तो केवल इस बात की व्यवस्था कर सकता है कि यदि कहीं कानून का उल्लंघन हुआ हो अथवा संविधान का उल्लंघन हुआ हो, तो उस बारे में व्यवस्था दे सकता है। जहां तक नैतिकता का प्रश्न है, वह प्रश्न अभी सदन के सामने खुला है। सदन विचार करेगा कि प्रोहिबिशन का जो कानून है उसको रिपील कर दिया जाय या नहीं। पुराना एक्साइज का कानून है उसको पुन: प्रवर्तित किया जाय या नहीं? यह तो आपके विचारने का प्रश्न है बाद में होगा। इसलिये जो तीसरा पांइन्ट उठाया है, उसके बारे में मैं कोई व्यवस्था नहीं दूंगा।

सर्वप्रथम मैं लेता हूं कि कानून पास करवाने की हमारी जो प्रक्रिया हमारे नियमों के अनुसार है, उनका पालन किया गया है अथवा नहीं? इस विधेयक को हम पारित नहीं कर सकते हैं। मैंने सरकार के पक्ष को भी सुना और क्योंकि काफी गहन कानूनी मसला था, इसलिए हमने एडवोकेट जनरल को भी यहां आमंत्रित किया। उनकी राय भी सुनी।

वैसे मैं इस बात को मानता हूं कि चाहे किसी पुराने बिल को निरस्त करने का सवाल हो, चाहे उसके प्रावधानों को पुनर्जीवित करने का सवाल हो, आम तौर से सदस्यों की सहूलियत के लिये जिन प्रावधानों को आप हटाना चाहते हैं, जिनको संशोधित करना चाहते हैं या जिनको पुनर्जीवित करना चाहते हैं, वह सदन के सामने आना चाहिये, यह हमारी परम्परा रही है। ऐसे पहले के जो अध्यक्ष महोदय थे, इस सभा के, उन्होंने भी इस सम्बन्ध में समय-समय पर व्यवस्थाएं दी हैं। यद्यपि हमारे कानून एवं प्रक्रिया के नियमों के अन्तर्गत ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है कि जिन धाराओं को या जिन खण्डों को हम संशोधित करना चाहते हैं या पुनर्जीवित करना चाहते हैं, उनकी प्रत्येक माननीय सदस्य को उपलब्ध करवायें, ऐसा कोई नहीं हैं। लेकिन परम्पराएं हमारी यह रही हैं और मैं समझता हूं कि यह बहुत ही अच्छी और उच्च कोटि की परम्परा है।

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, मैं बीच में धृष्टता के लिए क्षमा चाहूंगा, नियम 59 में स्पष्ट है कि कापी आयेगी बिल की।

श्री अध्यक्ष : बिल की कापी तो यहां आयी है, बिल की कापी आयेगी। सिवाय इस प्रश्न को छोड़ कर के जो हमारे यहां विधेयक प्रस्तुत किया गया है, उसमें सभी नियमों की कार्यवाही बराबर करते है। लेकिन उसमें एक बात है, कि कौन से पुराने कानून की धारा को हम संशोधन करने जा रहे हैं? यह उसमें नहीं है। लेकिन यह निर्भर करता है कि कौन सा कानून है और उसको कैसा संशोधित करने का है। यह चाहे नशाबन्दी का कानून हो, चाहे एक्साइज एक्ट हो, इन दोनों की तजवीज को यदि आप पढ़े, तो 1977 का जो नशाबन्दी का कानून है, उसके अन्दर भी यह बात तो नहीं है कि पुराना जो एक्साइज एक्ट है, उसको पूरा का पूरा रिपील किया हो, ऐसी बात नहीं। उसमें क्लाजेज भी मेन्शन नहीं हैं। एक तजबीज की कि राजस्थान में नशाबन्दी होगी और यदि कोई व्यक्ति शराब पियेगा या किसी क्षेत्र के व्यक्ति शराब पियेंगे तो जो वर्तमान कानून है नशाबन्दी का उसके अन्तर्गत पियेंगे या एक सिद्धान्त तय किया गया कि राजस्थान के अन्दर जो व्यक्ति चाहे वह शराब पी ले, ऐसा सम्भव नहीं होगा। यह बात कही गयी थी उसमें चूंकि पुराना जो कानून था, एक्साइज एक्ट उसके अन्दर जो ठेके होते थे उसके पीछे किसी को बन्दिश नहीं थी। शराब पीना कोई अपराध नहीं था, सो इस तरह के खोलने बेचने आदि के जितने प्रावधान थे, उनका एक ही शिड्यूल है, एक तो धारा बनायी 76

"Repeal and Savings-From the date this Act comes into force in any area of the State of Rajasthan under sub-section (3) of section 1, the enactments specified in Schedule as in force in that area shall stand repealed in such area to the extent specified in the third column thereof.

उसमें है शिड्यूल में सीरियल नम्बर 1 पर राजस्थान एक्साइज एक्ट, 1950 तो इसका मतलब यह नहीं है। यह तो निवेदन किया कि तजवीज की थी नये एक्ट के अन्दर उसमें नियन्त्रण किया था। शराब बेचने का धन्धा करने वाला और शराब पीने वाला कौन-कौन होगा। किन शर्तों के अन्दर या किस परमिट के अन्दर पी सकेंगे? इस तरह की तजवीज की थी। उसमें स्पष्ट रूप से यह बात कह दी थी कि शराब के बारे में जो कुछ भी कानून, कायदे, नियम, अमुक एक्ट की धाराएं वगैरह हैं वह सब रिपील समझी जायेंगी या एक सिद्धान्त को स्वीकार किया है उसके अन्दर शराब को बनाने, शराब को बेचने, शराब के ऊपर ड्यूटी लगाने शराब के उपर टैक्स लगाने, यह सब बातें ऐसी की ऐसी विद्यमान थीं। यह भी आप जानते हैं कि प्रोहिबिशन का एक ही सिद्धान्त लागू नहीं किया गया। नोटिफिकेशन के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों को तय किया गया कि इस क्षेत्र में इस साल से लागू होगा, अमुक क्षेत्र में इस साल से लागू होगा। इस तरह से करने पर एक समय आया जब पूरे राजस्थान के अन्दर बहुत ही खुशी की बात है, नशाबन्दी लागू कर दी गयी। आम तौर से जो कानून रिपील हो जाता है उसको दोबारा ही बनाना पड़ता

(श्री अध्यक्ष)

है। लेकिन यह पूरा कानून, ध्यान रखिये, रिपील नहीं हुआ था फिर सेक्शन 8 राजस्थान जनरल क्लाजेज एक्ट और सेक्शन 7 इण्डियन जनरल क्लाजेज एक्ट, यह दोनों एक ही हैं लेकिन अलग अलग सेक्शन्स हैं। उनके वहां सेक्शन 7 है और हमारे यहां 8 हैं। जनरल क्लाजेज एक्ट जैसा कि मैंने आपको निवेदन किया, तो व्याख्या के सिद्धान्तों को तय करता है, कानूनों के अन्दर एकरूपता लाता है और कितने ही कानूनों की यह एक कुंजी है। उसमें कुछ सिद्धान्त भी रखे हुए हैं कानून बनने के, बनाने के कि उसमें क्या-क्या जरूरी चीजें होनी चाहिए उसमें एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त यह भी निहित है कि किसी कानून, जिस का निरसन हो गया हो, को पुनर्जीवित भी किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने शर्त यह रखी है।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सदन का समय आज की कार्य सूची जब तक पूरी हो तब तक बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : बैठक का समय सदन की अनुमति से 2 घण्टे के लिए बढ़ाया जाता है।

राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 का पुनर्प्रवर्तन

मैं निवेदन कर रहा था कि एक प्रक्रिया स्पष्ट बतायी है, जो कानूनों की कुंजी है उसमें किसी भी मृत प्रायः कानून को दोबारा पुनर्जीवित किया जा सके यह पूरी तरह खत्म हुआ कानून नहीं था, पूरा रिपील्ड नहीं था उसका कुछ हिस्सा रिपील्ड था उन रिपील्ड हिस्सों को पुनर्जीवित कर दिया गया। मैंने भी विचार किया कि कौन सी धारा करें या क्या करें—उसका मेरी समझ में व्यावहारिक तरीका यही हो सकता था कि भई फलां कानून है, उसको फिर पुनर्जीवित किया जाता है। मैं आपकी इस बात को भी मानता हूं कि केन्द्रीय जनरल क्लाजेज एक्ट की दफा 7 राजस्थान एक्ट की दफा 8 अपने आप में कोई अधिकार नहीं देती। ऐसा नहीं है, रिवाइव करने की प्रक्रिया उसके अन्दर दी हुई है। प्रक्रिया तो आपकी ही है, लेकिन व्यावहारिक कठिनाई यह है कि जब इसको रिपील किया था, या वियड्रा किया था, उस वक्त भी कोई सेक्शन नहीं था और वर्तमान में भी कोई सेक्शन इसमें होना सम्भव नहीं है। रिवाइव करने का जाना माना सिद्धान्त है। हमारे यहां ऐसा नियम नहीं है यह प्रक्रिया अपनायी नहीं जाती यथा सम्भव जिन कानूनों को हम संशोधित करना चाहते हैं, या जिनको हम पारित करना चाहते हैं जिनमें कुछ जोड़ना चाहते हैं, कुछ घटाना चाहते हैं वह दिये जाने चाहिये लेकिन जहां सम्भव हो, वहां दिया जा सकता है। मैं समझता हूं कि इसमें सम्भव नहीं था, इसमें इस हद तक ही हमारे नियमों का उल्लंघन समझा जाता है जो कारण मैंने बता दिये, बाकी जितने विधि निर्माण के नियम है या प्रक्रिया के नियम हैं उनके अनुसार या तो गजट में छापना चाहिये था सदन की अनुमति से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि मनी बिल है,

(श्री अध्यक्ष)

तो उसके ऊपर राज्यपाल की स्वीकृति होनी चाहिए। उसके बाद उसको एक कायदे से पास किया जाता है। सबमें अपवाद है। मैं समझता हूं कि इन परिस्थितियों में यदि हम लागू कर सकें, नियम नहीं कर सकते हैं, जो लागू करने योग्य हो, जब इस कानून का निरसन किया गया, उस वक्त भी हमने स्वीकार किया था सिद्धान्त के तौर पर कि मद्य निषेध हम लागू कर रहे हैं। जब इसको हम हटा लेते है, मान लीजिए जो नियम लागू भी नहीं होता है, वह नियम के अनुसार भी नहीं होता है, जैसा कि एडवोकेट जनरल साहब ने कहा कि ऐसे भी इन्सटान्स हैं, ऐसे भी उदाहरण हैं, जब पुराने पास कानून के द्वारा किसी कानून का निरसन किया गया था, उस कानून को यदि निरसित कर दिया जाता है, तो पुरानी जो धाराएं होती हैं या पुराना जो एक्ट होता है, वह एक्ट अपने आप सजीव हो उठता है। यह तो सजीव था, एक दो डाली सूखी हुई थी। लेकिन जब उस एक्ट को निरस्त कर दिया, हम इसको निरसित करते हैं जिस कानून के द्वारा उस कानून को निरसित किया गया था। वह कानून जब आपके सामने नहीं रहा, तो उसके बाद में अनुमति देता है दफा 8 और दफा 8 में, यह भी एडवोकेट जनरल ने बताया, यह जरूरी नहीं है कि इस तरह का स्पेसिफिक प्रोविजन रखा जावे कि यह कानून रिवाइव हो रहा है, वह ऑटोमेटिक कुछ शब्दों के साथ रिवाइव हो सकता है। लेकिन यह बहुत गहन प्रश्न है। मैंने काफी किताबें वगैरह पढ़ी, वह काम की नहीं थीं। लेकिन इसमें यह बात जरूरी है कि सेफ्टी के लिए, बाई वे आफ अबण्डेंट कांशस, उसके लिए, यह तजबीज रख दी गई है कि यह कानून पुनः प्रवर्तित हो जाएगा। मैं समझता हूं कि कानून बनाने की प्रक्रिया में, क्योंकि टैक्निकल उन नियमों के अनुसार जो प्रावधान थे, उन प्रावधानों को हमने माननीय सदस्यों के समक्ष नहीं रखा, इसलिए यह कानून बनाने की प्रक्रिया गलत है मैं इस मत से सहमत नहीं हूं। मैंने पूरा गहराई से अध्ययन किया है। इसलिए इन परिस्थितियों में मैंने जो ऊपर की अपनी व्यवस्था की है, उसके साथ में आपने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया था कि इसमें प्रक्रिया का, हमारी विधान सभा के प्रक्रिया के, विधि निर्माण के जो नियम हैं उनकी अवहेलना की गई है। इसलिए हम जो कार्यवाही कर रहे हैं, उससे कोई सही कानून नहीं बना सकेंगे और यह चैलेंज हो जाएगा, इसमें मैं कोई सार नहीं देखता, मैं इसको निरस्त करता हूं।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री राजबहादुर : श्रीमान्, मुझे एक बात समझाइये। इसमें एक बड़ी एनोमोली है। यह तो ओपन हो गया कि एक्साइज एक्ट फिर से रिवाइव हो जाएगा। जो रिपील किया गया, उतना पोर्शन रिवाइव होता है, यह तो हो गया...

श्री अध्यक्ष : रिवाइव तो अभी नहीं हुआ है।

श्री राजबहादुर : लेकिन उन प्रोविजन्स जिन प्रोविजन्स को रिवाइव किया जा रहा है, के बारे में संशोधन रखना चाहते हो क्योंकि उनका संचालन फिफ्टी के कानून के तहत होगा जो कि

(श्री राजबहादुर)

राजप्रमुख के जमाने में हुआ था, उसमें संशोधन कैसे पेश करेंगे ? यह एनोमोली कैसे दूर की जाएगी ? ऐसा है कि ...

श्री खेतसिंह राठौड़ : पुराने एक्ट ले आते, उसमें जो रिपील हुआ है वह उसमें...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । उनको अपनी बात कहने दीजिये

श्री राजबहादुर : सन् 50 में जो कानून बना था, उसमें कुछ अमेंडमेंट रखना चाहते हों तो किस आधार पर रख सकेंगे ? यह बता दें ।

श्री अध्यक्ष : इसमें तो अब यह है कि कोई प्रश्न उठाया ही जावे और वह प्रश्न तय होने के बाद में कोई संशोधन प्रस्तुत किया जावे, ऐसे कोई नियम नहीं है। माननीय सदस्यों को जितनी विधियां उपलब्ध है, किसी विधेयक के सम्बन्ध में आपत्ति करने की, उनका एक साथ उपयोग करना चाहिए । आप जाते माने हुए वकील हैं, यह तो हो नहीं सकता कि आज मैं एक जवाब दे दूं, कल कहें कि नहीं साहब, मेरे पास दूसरा पॉइन्ट और रह गया । परसों कहें कि तीसरा पॉइन्ट और रह गया । आपको यह पूर्व में सोचना चाहिए था, मेरी सलाह आपको यही है कि आप इस कानून का अध्ययन करते, उसमें जो आपत्तिजनक धारायें लगती उसके अन्दर यह कह सकते थे कि जिसको रिवाइव करने जा रहे हैं या रिवाइवल का जो प्रावधान है, वह आपत्तिजनक है, हम उसको सहर्ष स्वीकार करते । यही नहीं, यदि आपने वास्तव में इसको पढ़ लिया है, तो अब भी यदि आप प्रस्ताव करेंगे कोई संशोधन का जब बहस हो, तो हम सहर्ष आपके लिए यह छूट और दे सकते हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो नहीं हो सकता है । आप चाहे व्यवस्था कुछ भी दे दें, लेकिन उसमें अमेंडमेंट मूव कर दें और आप अलाऊ कर दें, यह इम्पासिबल है ।

(व्यवधान)

आप कह रहे हैं कि व्यवस्था में छूट दे देंगे । व्यवस्था में छूट का कोई सवाल पैदा नहीं होता ।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : बोलने की छूट दे देंगे ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दूसरी आपत्ति थी, विपक्ष के नेता महोदय की कि यह एक मनी बिल अथवा फाइनेंशियल बिल है । इस पर राज्यपाल महोदय की स्वीकृति नहीं आई है । इसलिए इस विधेयक पर यहां विचार नहीं हो सकता । इसको प्रस्तुत किए बिना उनको अनुमति नहीं दी जा सकती है । इस सम्बन्ध में मैंने संविधान का अध्ययन किया है । हमारे नियम हैं, उनका अध्ययन किया है । बहुत ही ध्यान से विपक्ष के नेता महोदय ने जो अपनी बात कही उसको भी सुना । हमारे महाधिवक्ता ने कानूनी दृष्टि से और संवैधानिक दृष्टि से जो विचार हमारे सामने रखे, उनको भी सुना। हमारे वित्त मंत्रीजी और एक्साइज मंत्री जी की भी बात सुनी । सब के बाद

(श्री अध्यक्ष)

में भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य को और विपक्ष के नेता महोदय को भी दुबारा सुना। कौन से बिल मनी बिल्स होंगे अथवा फाइनेंशियल बिल्स होंगे? इसमें लम्बी चौड़ी चर्चा की गई है। लेकिन जैसा कि महाधिवक्ता ने अथवा वित्त मंत्री जी ने बताया, इसमें यह बात तो सही है कि काफी बड़ी आमदनी होगी। आमदनी का यदि कोई नया स्त्रोत, नया टैक्स लगाते हों, नया कोई भार बढ़ाते हों राज्य सरकार पर, ऐसी बात नहीं आई। क्योंकि जो एक्साइजेबल आर्टिकल्स हैं, उनमें शराब भी एक एक्साइजेबल आर्टिकल है। वह हमारे यहां पर बनती आ रही है। कभी बन्द नहीं हुई। नया कानून होने से बनने लगेगी ऐसी बात भी नहीं है। सवाल कमी-बेशी का है। पहले कम बनती होंगी, अब शायद ग्राहकी ज्यादा हो जाएगी, तो ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके पीछे सवाल सिद्धान्तों का होता है। यह सवाल है कि कौन सी नया कर जोड़ा जा रहा है? राज्यपाल महोदय हमारे स्टेट के हैड होते हैं। कोई भी अनाप-शनाप खर्चा नहीं हो जाय, राज्य सरकार से जनता के ऊपर कोई नया भार न आ जाय या जनता को उद्वेलित करके, तकलीफ देकर अनाप शनाप कोई टैक्स वसूल करके इनको दिवालिया नहीं बना दे, इसलिए यह इस तरह का कानून रखा गया है। लेकिन उसमें यदि नया विषय चाहे खर्चे का, चाहे कन्सोलिडेटेड फण्ड में आमदनी का या स्टेट अपने अधिकार क्षेत्र का विस्तार कर रही हो, तो उस अवस्था के अन्दर यह प्रावधान लागू होता है। लेकिन शराब को बनाना, शराब को बेचना, खुद नहीं बेच कर अपने किसी मुनीम या किसी एजेंट के मार्फत बिकवाया जाय, मैं समझता हूं कि किसी तरह से इसमें मनी बिल का कोई प्रश्न हो, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, उनके व्यापार का कार्य क्षेत्र बढ़ जाएगा, काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाएगी ग्राहकी बढ़ जाएगी, आमदनी बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसे कोई नये मद नहीं जोड़े गये हैं अथवा नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा है, जिसके कारण यह मनी बिल हो। जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है, मैं उससे संतुष्ट हूं। मुझे विपक्ष के नेता महोदय और भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में संतुष्ट नहीं करवा सके। हालांकि मैंने निवेदन भी किया कि यह ग्राहकी बढ़ती है यह कार्य कर रहे हैं। अतः मैं इसको मनी बिल अथवा फाइनेंशियल बिल मानने को तैयार नहीं हूं। मेरी व्यवस्था यह है कि दो बिन्दुओं पर आपत्तियां उठाई गई थीं, दोनों को मैं निरस्त करता हूं। अब आगे इस बिल पर विचार विमर्श किया जाये।

राजस्थान मद्य निषेध अधिनियम निरसनकारी विधेयक 1981

श्री चन्दनमल बैद : पहले आर्डिनेंस को निरस्त करने के प्रस्ताव उधर से आयेंगे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : काफी भाषण हो गए।

(व्यवधान)

परिनियत संकल्प

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन श्रीमान् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 11 अगस्त, 1981 को प्रख्यापित

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

राजस्थान मद्यनिषेध अधिनियम निरसनकारी अध्यादेश, 1981 (अध्यादेश संख्या–7 सन् 1981) को अस्वीकार करता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अधिनियम राजस्थान में मद्य निषेध को निरसन करने के लिये यह अध्यादेश 11 अगस्त को आया। राजस्थान मद्य निषेध अधिनियम, 1969 में बना था। महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी का वह वर्ष, महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलने वाली हमारे कांग्रेस के सभी लोग, विधान सभा के सारे माननीय सदस्य यही चाहते थे कि महात्मा गांधी द्वारा प्रचलित, उनके द्वारा प्रतिपादित मद्यनिषेध भारत वर्ष राजस्थान व संसार में होना चाहिये।

1969 में इस बिल को राजस्थान की विधान सभा में लाकर पारित कराया गया था। मुझे बड़े दर्द और दुख के साथ कहना पड़ रहा है, विचार किया गया था उस समय,

(5.10 म. प.)

(श्री अहमद बख्श सिंधी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

आगामी तीन वर्षों में, 1972 तक मद्य निषेध को राजस्थान के प्रत्येक हिस्से में जारी कर दिया जायेगा। जब उस शताब्दी वर्ष में यह मद्य निषेध का बिल आया तीन वर्ष की मन में इच्छा थी। एक तो खाने के दांत और होते हैं दिखाने के और होते हैं। पूरे प्रयास करने के बाद भी कांग्रेस मद्य निषेध को पूरे राजस्थान में पूरी तरह से लागू नहीं करा सकी। ढाई वर्ष का समय आया। हमने कुछ इस प्रकार का निश्चय किया। निश्चय में काफी जिले इस नाते से बन्द किये गये।

तत्कालीन जनता पार्टी की सरकार चली गई, तीन जिले रह गये वह राष्ट्रपति शासन के समय बंद हुए। एक अप्रेल, 1980 से सम्पूर्ण राजस्थान मे मद्य निषेध कर दिया गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं 1969 से लेकर 11 अगस्त का दिन, महात्मा गांधी के शब्द मुझे याद आते हैं जो उन्होंने कहे थे कि

"If I were appointed Dictator for one hour for whole of India, the first thing I would do would be to close, without compensation all the liquor shops destroy all the toddy palms such as I know then."

महात्मा गांधी के मन की इच्छा यह थी उनके चिन्हों पर चलने वाली उस समय की कांग्रेस सरकार 47 में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् 22 वर्ष तक मद्यनिषेध के बिल को लाने में, स्वयं उसको पूरे प्रदेश में लागू करने में असफल रही। एक ओर 1980 का मद्य निषेध कानून लग गया। कांग्रेस की दुवारा सरकार बनी। तत्कालीन मुख्य मंत्री महोदय श्रीमान् पहाड़िया जी विवेकीकरण लेकर चले आये। कानून का विवेकीकरण करेंगे। थोड़ी सी शराब चालू हुई। नयी सरकार आयी, माथुर साहब की। मैं तो कहना चाहता हूं 11 अगस्त, 1980 का वह दिन, जिस दिन उन्होंने इस-मद्य निषेध अधिनियम के निरसन का आदेश दिया, राजस्थान के इतिहास में काला दिन था। माथुर सरकार का राजस्थान को एक घिनौना तोहफा था, जो अणुव्रत में आस्था रखने वाले वित्त मंत्री महोदय द्वारा दिया

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

गया। मुख्य मंत्री ने तोहफा तो दिया किन्तु किसके द्वारा तोहफा दिलवाया गया? उनके द्वारा संयुक्त जिम्मेदारी की चर्चा करते हैं। उनसे पूछिये, दिल से पूछिये, मैं चर्चा करूंगा उन्हीं विषयों की। इसलिये कहना चाहता हूं जनता को घिनौना तोहफा दिया और संविधान के साथ एक धोखा दिया गया है। डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स के आधार पर एक प्रचीव कर लिया हमने, एक उद्देश्य की प्राप्ति कर ली हमने और मद्य निषेध...

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोरम नहीं है। यहां सभी नियम टूट रहे हैं, तो यह नियम भी टूट जाये। सारे नियम ताक में रखकर व्यवस्था हो रही है। जैसी मर्जी ...।

(गण-पूरक घंटी)

(गणपूर्ति के पश्चात्)

×××शायद व्यवस्था यहां पर वित्त मंत्री जी की ओर से की गई है। ऐसा लगता है। पता नहीं किस कक्ष में हैं? और भी चले जायें।

श्री चन्दनमल बैद : व्यवस्था दोनों के लिये है इधर वालों के लिये भी है, उधर वालों के लिये भी है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इधर वाले पीते नहीं। पीने की अब भी मना करते हैं। ××× हमारे सामने पीयेगा तो इसलिये ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, आपस में बातें न करें।

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि राजस्थान की जनता को घिनौना तोहफा माथुर सरकार के द्वारा, प्रणुव्रत में विश्वास रखने वाले माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा दिया गया। 11 अगस्त के काले दिन उन्होंने इस मद्य निषेध अधिनियम का निरसन करके संविधान के साथ एक धोखा भी किया है। जनता सरकार ने एक लक्ष्य प्राप्त किया था, तथा निर्देशक सिद्धांत के एक लक्ष्य को पूरा किया था। राजस्थान की जनता को राजस्थान की सरकार ने मद्य निषेध कानून पास कराकर उसका राजस्थान के प्रत्येक जिले में इम्पलीमेंटेशन करवा कर राहत दी थी। उस राहत पर माथुर सरकार ने इस प्रकार व्यवहार किया है।

यदि आप इस कानून को देखेंगे, इस अध्यादेश को देखेंगे, इस अध्यादेश के कारण बताये गये हैं कारणों को तीन भागों में बांट सकता हूं मैं। पहला कारण कहा है अनेक प्रयासों के बावजूद पीने की आदत में परिवर्तन नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं, शराबबन्दी का कानून 1969 में बना था। शायद इसका इंटरप्रिटेशन किया जाये, तो शराब के व्यसनी कम है। शराबबन्दी के कानून का संबंध शराब के व्यसनी से कम है, जबकि उसका संबंध न पीने वालों से ज्यादा है। माननीय वित्त मंत्री सुनने की चेष्टा करें। वह पारंगत हैं इस बात में। शराबबंदी का कानून बनाया। हमने शायद व्यसनी लोगों के लिये इस प्रकार की धाराओं को रखा था, उनको छूट दी थी, इस प्रकार का अवसर दिया गया था। शराबबन्दी के कानून का कुछ मतलब था, वह शराब के व्यसनियों के

130

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

लिए नहीं था, वह नहीं पीने वाले लोगों के साथ था। इस कानून को समाप्त करके राजस्थान के वित्त मंत्री क्या चाहते हैं? व्यसनियों की चिन्ता नहीं, व्यसनियों से संबंध नहीं है हमारा। हमारा संबंध उन लोगों से है, जो शराब नहीं पीते हैं। इस सारे कानून का निरसन करा कर वित्त मंत्री जी द्वार खोल रहे हैं नौजवानों के लिए, उन लोगों के लिए जो शराब के पास तक नहीं पहुंचते। दुकानें खुलेंगी प्रत्येक स्थान पर; गलियों में, मार्केट में। जो शराब नहीं पीने वाले हैं, उनको प्रोत्साहन मिलेगा। जब शराबबन्दी कानून लगाया गया था, तब यह चिंता की गई थी कि जिनको आप शराब देंगे, उनको इनसे दूर रखा जाय, लेकिन अब डर नहीं रहेगा। अब जेल में आने का खतरा नहीं रहेगा। अब खुले आम पीने के लिए किसी प्रकार की रोक नहीं रहेगी। इसलिए वित्त मंत्री महोदय, इसे निरसन कराकर खुली छूट दे रहे हैं। जिनको पीने की आदत नहीं हैं, कि आओ, मैं तुमको पीना सिखाता हूं। रात को अच्छी नींद नहीं आती, तो मैं सिखाता हूं एक पैग पीओ और अच्छी नींद लेओ। उनको प्रोत्साहन देने के लिये? आज राजस्थान की जनता का परसेंटेज देखने की कोशिश करें, शराब की बढ़ोतरी कितनी हुई है? मैं कहना चाहता हूं शराबबन्दी अधिनियम निरसन कारी अध्यादेश को लाकर राजस्थान के वित्तमंत्री ने उन भोले लोगों को बुराइयों से दूर रहने वाले लोगों को प्रोत्साहित किया है कि आओ, शराब पीओ, हम तुम्हारे लिए शराब खोल रहे हैं।

मोरल की बात आई। उस पर चर्चा करना चाहता हूं। उनके लिये द्वार खोल कर कौन सा मोरल सुधार करने का मौका देना चाहते हैं? एक तर्क दिया गया। तो कृषि मंत्री महोदया, बोलने का अवसर नहीं था, फिर भी बोलने लगी थी कानून मंत्री, कानून ले आये। हम शराबबंदी कानून ले आये, लेकिन शराब पीना तो बंद नहीं किया और पीते रहे। मैं कहता हूं वह कमजोरी किसकी थी? इस पर सरकार को विचार करने की आवश्यकता थी। सरकार की निष्क्रियता को, असावधानी को छुपाकर अगर कानून का इंपलीमेंटेशन को हम नहीं करें तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारा इंटेशन ही नहीं था। मैं निवेदन करना चाहता हूं, सामान्य तर्क दिया गया था कि समाज और सोसायटी में चोरी होती है। कहा जाता है due to evil in society तर्क तो बहुत अच्छा है किन्तु आई.पी.सी. की धारा 379 बना रखी है कि चोरी मत करो, चोरी करोगे, तो जेल जाओगे। क्या आई.पी.सी. की धारा 379 बनाने के पश्चात चोरियां नहीं होती हैं? होती हैं तो फिर कानून क्यों बनाये जाते हैं? जरूरत क्या थी? कानून बनाने के लिए यह तर्क दिया जा सकता है कि डकैती हो रही है, उसके लिए कानून बनाया क्यों? कानून बनाने की क्या आवश्यकता थी? इसलिए कानून की कोई आवश्यकता नहीं। लचर दलील, तर्क है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, पब्लिक हैल्थ, न्यूट्रेशन के बारे में। समाज की प्रगति के बारे में चर्चा की गई थी। मद्य निषेध का कानून लाकर इसको प्रोत्साहन देने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि आपकी सरकार थी, आपने इंपलीमेंटेशन क्यों नहीं करा लिया? मैं कहता हूं—हम जरूर इंपलीमेंट करते। उस पर कंट्रोल करने में समय लगता है, कोशिश की जाती

–(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

है, प्रयत्न किये जाते हैं। सरकार को दृढ़ निश्चय करने की आवश्यकता थी, यह बात क्यों नहीं होती है? किन्तु इस प्रकार का तर्क देकर, लचर दलील देकर, इस प्रकार की चर्चा करना, इसको समाप्त कर देना कहां तक उचित है? इसलिये मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से, जो कानून लाये हैं, अध्यादेश लाये हैं, से निवेदन करना चाहता हूं, चोरी, डकैती नकबजनी और बलात्कार इनके नियम बनाने का प्रयोजन क्या है फिर? लेकिन कहा जाता है कि ताला चोर के लिए कम लगाया जाता है, जिनको प्रलोभन नहीं आता है, उनको प्रलोभन न आ जाय उनके लिए ज्यादा लगाया जाता है, कहीं चोरी नहीं कर लें उनके लिये होता है। शायद वित्त मंत्री जी ने इस पर विचार करने की कोशिश नहीं की। एक तर्क दिया जाता है, जो दिया जायेगा, और और लोगों ने शराबबंदी कानून बनाया हमारी स्वतंत्रता पर प्रहार कर दिया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में तथा हिन्दुस्तान में थोड़ी बहुत सरकार हमने भी चलाई है। जब भी चर्चा की गई, व्हिसपरिंग कम्पेन के द्वारा जो लगातार प्रयत्न करते थे कि किसी प्रकार से ऐसी स्थिती का निर्माण हो, जिसके कारण लोगों को कहने का मौका मिले कि शराबबन्दी नहीं होनी चाहिये। बहुत इम्पोर्टेंट क्लास, सेक्शन उसके पीछे काम करता रहा है। उसको कंट्रोल करने की आवश्यकता थी, उसको कंट्रोल क्यों नहीं किया? उसको बन्द करने की आवश्यकता थी, मन में दृढ़ प्रतिज्ञा होने की, स्ट्रांगनेस की आवश्यकता थी। किन्तु मुझे तो लगता है कि अणुव्रत को मानने वाले वित्त मन्त्री महोदय की समझ कैसे वीक हो गई? इतनी कमजोर कैसे हो गई, केवल माथुर साहब की नई सरकार आई और उसके कारण इतना पिघल गये कि सब कुछ छोड बैठे। कह देते कि मैं वित्त मन्त्री नहीं रहूंगा। रिजाइन कर देते तो बड़ा सुन्दर होता।

एक माननीय सदस्य : बड़ी मुश्किल से तो नम्बर आया है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : जो कारण दिये गये हैं उनमें एक कारण और है—राज्य के राजस्व की हानि। इस बात का विश्लेषण करने की कोशिश कीजिए कि क्या केवल मात्र सरकार में आने वाले राजस्व की हानि? यह राजस्व किसके लिये है? जनता के लिये है। उस जनता पर भी किसी न किसी को विचार करने की आवश्यकता है। आखिर राज्य के राजस्व की कौन चिन्ता करेगा? अगर 50 करोड़ राजस्व मिल जाय और 50 करोड़ के लिए कह दिया जाय जैसा कि मुख्य सचेतक जी ने कह दिया कि आपको जलन होती है, विकास कार्यों को बन्द करना चाहते है, किसके लिए विकास? मैं आपसे पूछना चाहता हूं राज्य के राजस्व का सवाल है, उन पचास करोड़ का सवाल है, राज्य का जो फंक्शन है, राजस्थान की जनता को राहत देने का विचार है तो उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करने की क्यों कोशिश करते हो? मुझे एफ कुमारप्पा की वह बात याद आती है, वह गांधीवादी थे, उन्होंने कहा था कि "कोयला बहुत मंहगा हो गया, मिलता नहीं है। परिवार को आवश्यकता है बहुत मंहगा है, तो क्या करें? रात के अंधेरे में पड़ौसी, जिसका कि मकान लकड़ी का

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

बना हुआ है, उसमें आग लगा दो। धूं-धूं करके मकान जलेगा, जलने के बाद कोयला बन जायेगा। वह सस्ते भाव में कोयला बेचेगा। फिर उस कोयले को बड़ी प्रसन्नता से खरीद लो, और अंगीठी में जलाओ। सस्ता कोयला प्राप्त हो गया।" राजस्थान नहर में इंटों की आवश्यकता है। लाईनिंग नहीं हो रही है। राजस्थान नहर मंत्री जी शायद विचार करे कि बड़ा अच्छा हो, यदि गंगा में भूकम्प आ जाय और उसके आधार पर गंगानगर जिले की बड़ी-बड़ी बिल्डिगें धराशायी हो जाय। मलबा उठाने वाले वहां नहीं मिलेंगे। अभी राज्य सरकार को इंटें नहीं मिल रही है। फिर उनको इस प्रकार से सैकड़ों, हजारों, लाखों से ऊपर इटें इस प्रकार से पड़ी हुयी सस्ती मिल जायेगी और राजस्थान नहर में लाईनिंग का प्रयोग करेंगे, वह राजस्थान के राजस्व की चर्चा है? पैसे किस आधार पर लाने की कोशिश की जा रही है? वह गरीब व्यक्ति, जो सुबह से लेकर शाम तक काम करता है। सुबह से लेकर शाम तक काम करके अपने बाल-बच्चों का पालन-पोषण करता है, उसको पांच, सात और आठ रुपये रोज के मिलते हैं। रात को बच्चे और पत्नी भूखी बैठी है। भूख से तड़फ रहें हैं और वह शराब पीकर बड़े प्रेम से आते है और अपनी पत्नि को पीट रहें है। बच्चों को पीट रहे हैं। इसके स्वास्थ्य के आधार पर राज्य के राजस्व की चिन्ता की जा रही है। जाने कौनसा राजस्व का नजरिया है? जाने कौनसा विचार है? गरीब के जीवन को नष्ट करने की कोशिश है। अध्यादेश के आधार पर मद्य निषेध अधिनियम का निरसन कर, राजस्थान सरकार शराब लाने की कोशिश कर रही है। एक बार फिर महात्मा गांधी के शब्द दोहराना चाहता हूं :

"Drinks degrade those who are addicted to them and those who traffic in them. The drunkard forgets the distinction between wife, mother and sister, and indulges in crimes of which in his sober moments, he will be ashamed."

राजस्थान के वित्त मंत्री महोदय सुनिये, यह शब्द है, महात्मा गांधी के, यह शब्द हैं, बापू के; यह शब्द हैं, राष्ट्रपिता के। किस आधार पर हम राजस्थान में शराब ला रहे हैं? कौनसा आधार हमने उठाया है? वह गरीब व्यक्ति पागल हो रहा है। उसकी मां का पता नहीं है, बहिन का पता नहीं है और अपनी बेटी का पता नहीं है। यह शब्द मेरे नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यह महात्मा गांधी के शब्द मैं कोड कर रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के राजस्व की चर्चा की गयी है। अगर समान रूप से देखने की कोशिश की जाये, तो शराबबंदी कानून के रहते हुये कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक रूप से खुले आम शराब पी नहीं सकता था। वह चुपचाप पीता, वह अलग बात है और वह संख्या भी ज्यादा नहीं हो सकती है। जिस प्रकार प्रचार करते हैं कि गांव-गांव में भट्टियां खुल रही हैं। यह प्रचार वही करते हैं, जो कि शराबबंदी के दुश्मन हैं, समाज के दुश्मन हैं, जनता के दुश्मन है और जो शराब को वापस प्रस्थापित करना चाहते हैं। इनके लिये ही तो आपने यह किया है। अगर यह कानून होता, तो लोग वस्तुओं को खरीदते,

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

गरीब लोगों की कमाई का पैसा शराब में नहीं जाता। उनकी क्रय शक्ति बढ़ती, उसके पास पैसा आता तो वह वस्तुओं को खरीदता। उनसे आपको सेल्स टैक्स मिलता, और कई प्रकार की बात खड़ी हो जाती। आप तो सीधा सादा कह रहे हैं कि पचास करोड़ का संबंध है। परन्तु यह इतनी सामान्य विषय नहीं है, शराबबंदी करना . . .

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो अभी इनिशियेट कर रहा हूं।

मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि तीसरी बात और कही गयी है-समाज विरोधी तत्वों द्वारा अवैध शराब एवं अवैध शराब के व्यापार की जो कारण बताये गये हैं, उसके कारण पीने वालों की आदतन पीने वालों के स्वास्थ्य की कीमत पर शराब का अवैध व्यापार करने वालों की समृद्धि है। ये तीन कारण बताये गये हैं। इन रीजन्स में दो तो मैंने निवेदन किये। तीसरे के बारे में कहना चाहता हूं कि सरकार कभी हमारी रही, इस गलती को स्वीकार करता हूं। जनता पार्टी पूरी की पूरी शराबबंदी नहीं कर पायी थी। पूरी तरह सफल नहीं हो सकती थी। सफल होने की प्रक्रिया चालू हुई थी। एक बार जब इस प्रकार का कानून आ गया था, तो दूसरी बार में स्ट्रांग वील की जरूरत थी। कांग्रेस के पास स्ट्रांग वील नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, वित्तमंत्री महोदय की बड़ा स्ट्रांग विल है। मैं समझता हूं कि आपकी स्ट्रांग विल की चर्चा सारे राजस्थान के कोने-कोने में है, आपकी बहुत धाक है पर असली बात क्या है, यह आप जानें। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि एक और तर्क दिया जाता है, हमारी स्वतंत्रता पर बड़ा आक्रमण किया जा रहा है। मैं सोचता हूं कि यह तर्क वही देते हैं, जो इस प्रकार के लोग हैं, जो कि बैक डोर से इसको फेल करना चाहते हैं। यह बड़ा अच्छा तरीका है कि जो अपने जीवन से निराश हो गया है, जीवन में सब प्रकार की बात करने के बाद उसे लगता है कि सफल नहीं हो सकता, उसको अधिकार है आत्म-हत्या करने का। आपने सुसाइड इल्लीगल कर रखा है, उसको मौका दें कि आत्म हत्या करे? पर सरकार नहीं देगी, समाज नहीं देगा। हम जानते हैं कि सुसाईड इल्लीगल है। इसलिये अपने अधिकार के नाम पर दूसरो के अधिकारों को छीनना सड़कों पर रात में सामने आ जाता है। लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन दिन-दिन खराब हो जायेगी। बंदिश लगाने के लिये कांग्रेस के मन में एक बात रहती है, चुनाव का चक्कर चलते ही उनके पास एक ही बड़ा भारी साधन है जो उनके डोरमेंट माईन्ड में छाया हुआ है। पिछले तीस सालों का अनुभव। दोस्तों पियो! खूब पियो!! वोट दो और दिलाओ यह एक आदत बनी हुयी है और कोई कारण हो या नहीं हो, पर यह एक बड़ा कारण जरूर है। मैं फिर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी को याद दिलाता हूं कि कांग्रेस के अध्यक्ष थे मोतीलाल जी नेहरू, वह कहते थे . . . . . .

"In the legislature and outside, every attempt will be made to bring about total prohibition of intoxicating drugs and drinks.

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

Picketing at liquor and pheni shops shall be organised wherever desirable and possible."

यह मोतीलाल नेहरू कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। यह कन्सेन्ट बदल गया है, सन् 1928 के अन्दर यह बात कही थी। उस समय भी शराब पीना गलत था। वित्त मंत्री यह कानून लेकर आये हैं, हिम्मत से कहते हैं कि पचास करोड़ का सवाल है। पता नहीं, कौनसी बात कहते हैं? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी को कहता हूं कि "देर आयद, दुरस्त आयद।"

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

यह व्यवस्था हो कि शराब बंद हो। और बातें तो जाने दिजियें, कम से कम इस प्रदेश की महिलाओं पर तो रहम कीजिये। देश की जनसंख्या में पचास प्रतिशत महिलायें हैं। कुछ एक्सेप्शन होते हैं, कुछ क्लास ही पीती है उनको जाने दें, उनका जिक्र नहीं करूंगा। मंत्री महोदय भी उनकी चिन्ता नहीं करते हैं। जब शराब बंद हुयी थी, तो प्रदेश की पचास प्रतिशत महिलाओं ने बड़ी राहत महसूस की थी। पचास प्रतिशत महिलायें हैं और उनके बच्चे हैं। यह नहीं चाहते हैं। आपके बीस संकल्प हैं, पिछड़े को पहले लाओ, ऐसा कानून लाओ। पिछड़े को रसातल में पहुंचा दो। पिछड़े को पहले की बात का उद्देश्य बड़ा अच्छा है। बड़ी घोषणायें होती थी, आजकल तो विधान सभा चल रही है, इसलिये बंद है। वरना पहले सुबह शाम राजस्थान के मुख्य मंत्री का नाम मुखपृठ पर मिलता था। पिछड़े को पहले की चर्चा कर रहे थे। सब फेल हो जायेगा, इस शराब के आने के बाद में। शराब बंदी कानून को समाप्त करने के बाद यह पिछड़ों के साथ जघन्य कृत्य करेंगे। उनको रसातल में पहुंचा कर ही दम लेंगे। आप रहम खाइये बहुत हो गया। देर आयद दुरुस्त आयद। अब दिल तो कहता है, मन मस्तिष्क भी कहता है किन्तु ज्वाइन्ट रेस्पोंसिबिलीटी है, ज्वाइन्ट रेस्पोंसिबिलीटी के नाते, ज्वाईन्ट रेस्पोंसिबिलीटी की चर्चा करके अपने दिल को मत मारो। मास्टर आदित्येन्द्र जी, तत्कालीन वित्त मंत्री का इस मामले पर मैं उदाहरण देना चाहूंगा। मन में उनके इच्छा थी स्ट्रांग बिल थी, उसका परिचय भी दिया। वह तो आप में भी कम नहीं है कुछ गुण ज्यादा ही होगा, ऐसा मैं समझता हूं, फिर स्ट्रांग बिल का परिचय दीजिये, आगे इतिहास बनेगा आप.......

श्री राजबहादुर : Too Late.

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अभी तो लेट नहीं हुये हैं, आप जागरुक हो जाईये। नहीं होंगे, यह तो वही तर्क देंगे, पचास करोड़ का, बड़ा अच्छा व्यापार है। जैसे भैंस का दूध निकालने की मशीन आती है, मैं समझता हूं कि डाक्टरों ने कहा है कि मां के स्तनों से निकला हुआ दूध काफी कोस्टली होता है महंगा होता है। उसका व्यापार करिये। उसका व्यापार चालू कर दें। क्या उसका व्यापार करेंगे मंत्री महोदय? नहीं करेंगे। बना लें मशीनें और मां बहनों के लगादें, गरीबी की मारी ऐसी महिलायें भी आपको मिल जायेगी। क्या आप इसका व्यापार करना चाहेंगे? मैं समझता हूं कि गुडविल है, मन में इच्छा है, भगवान को तो देखो। आज इस प्रकार विचार करने की आवश्यकता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता

(श्री ललीत किशोर चतुर्वेदी)

हूं कि उनका कोई अन्तर दिल जागे, कोई अन्तर मन जागे, उनके दिल की भावनायें जागें। प्रातः काल जाकर वह उपदेश सुनते हैं, जिनको सुन कर इस नाते वह प्रसिद्ध हैं। इस जीवन की धारणा के व्यक्ति हैं, उसका परिचय दे दें, पर वह नहीं देंगे, वह तो जोइन्ट रेस्पान्सिबिलिटी है, गर्दन नीची करके केवल मात्र उस पैसे की चर्चा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना संकल्प प्रस्तुत करता हूं।"

श्री उपाध्यक्ष : अब भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों में से एक और बोल लीजिये।

श्री दाऊदयाल जोशी : दो बोलेंगे।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि यह सदन श्रीमान् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 11 अगस्त, 1981 को प्रख्यापित राजस्थान मद्य निषेध अधिनियम निरसनकारी अध्यादेश, 1981 (अध्यादेश संख्या 7 सन् 1981) को अस्वीकार करता है।

मान्यवर, जब महाधिवक्ता बोल रहे थे, तब एक प्रश्न आया था नैतिकता का। न तो वह समाधान कर सके इसका और न ही हमारे अध्यक्ष महोदय ने समाधान किया। उसको विचाराधीन छोड़ दिया, सदन के विचार के लिए। मैं महात्मा गांधी के कुछ शब्द इस समय कोट करना चाहती हूं। मैं वहीं से मेरी बात शुरू करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, जो बात दूसरे माननीय सदस्य कह चुके हैं, उसे दुबारा रिपीट न कीजिये, नई बात कहिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, नई बात है—"राज्य का काम लोगों की बुराइयों के लिये सहूलियत पैदा करना नहीं है। हम व्यभिचारी के अड्डों का नियमन नहीं करते। हम चोरों को चोरी की वासना पूरी करने की सुविधा नहीं देते। मैं शराब खोरी को चोरी और व्यभिचार से भी अधिक निन्दनीय समझती हूं। क्या अक्सर यह दोनों की जननी नहीं होती? आपसे अनुरोध है, शराब की दुकानें उठा देने में देश का साथ दें।" यह यंग इण्डिया में 8.6.21 को उद्धृत किया गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा उदाहरण उनका और भी बताना चाहूंगी जो उन्होंने कहा है, 25.6.31 को यंग इण्डिया में, "अगर मुझे एक घंटे के लिये सारे देश का तानाशाह बना दिया जाये, तो मैं पहला काम यह करूंगा कि तमाम शराबखानों को बिना मुआवजा दिये ही बन्द कर दूंगा।" जो देश के राष्ट्रपिता है, जिन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया, आजादी दिलाई, ऐसे व्यक्ति उनके अनुयायी हों, केवल कमरे में फोटो लगा लें कि हम उनके अनुगामी हैं और जब काम करने का वक्त आया, तब यह कह दिया कि जो बातें किताबों में लिखी हुई है, यह आचरण के लिए नहीं है। जो आज के प्रधान मन्त्री हैं, उनके पिताजी ने, 17 साल शासन किया हिन्दुस्तान पर, स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू, उनके कुछ शब्द कोट करना चाहूंगी "इससे (मद्यपान से) न केवल राष्ट्र के लोगों का स्वास्थ्य ही खराब होता है अपितु इसमें राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय दोनों में क्षेत्रों में संघर्ष के बढ़ाने की प्रवृत्ति भी होती है।

मैं इस कथन से, जो कि कभी-कभी

136

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

हमारे राजदूतों द्वारा भी कहा जाता है, सहमत नहीं हूं कि "मद्यपान से लोग पार्टियों में आकृष्ट होते हैं और यदि मादक पेय नहीं दिये गये, तो लोग उनमें नहीं आयेंगे।" मैंने पूर्णतया स्पष्ट रूप से ऐसे लोगों को यह कहा है कि यदि लोग केवल मद्यपान के कारण ही आकर्षित होते हैं, तो यह बेहतर होगा कि ऐसे लोगों को हमारे दूतावासों से दूर रखा जाये। मैं इस प्रकार की राजनयिकता में विश्वास नहीं रखती हूं जो कि मद्यपान पर निर्भर करती है—और यदि हमें उस प्रकार की राजनियकता में पड़ना है तो दूसरे लोगों को तो इस क्षेत्र में हमसे बहुत अधिक प्रशिक्षण प्राप्त है और उनके आगे निकल जाने की सम्भावना है।"

मैं कहना चाहूंगी कि इस तरह की बात जो हमारे राजनैतिक पूर्वज हैं उन्होंने कही हैं, धार्मिक पूर्वजों ने भी कई बातें कही हैं। मैं इस विधान सभा में कई बार उल्लेख कर चुकी हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगी कि जो यह दलील दी गई कि लोग पीने के लिए ज्यादा उतारू हो गये और अवैध शराब की बिक्री बढ़ गई इसमें कोई वजन नहीं है। यह ऐसा तर्क था कि इस पर तर्क करने वालों को शर्मिन्दा हो जाना चाहिये था। किसी ने कहा कि—"असफलता केवल यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं हुआ।" अपनी असफलता का दोनों चीजों पर गौर करना होगा, यह कहां का नैतिक कर्त्तव्य है? मैं यह नहीं जानती, यह सरकार किस प्रकार का काम करने जा रही है। अभी कुछ दलील दी गई है कि हमारे संविधान में मैं कहना चाहूंगी कि हमारे संविधान की धारा 38 यह कहती है राज्य अधिक से अधिक कारगर ढंग से ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करें जिसमें समाजीकरण, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, राष्ट्रीय जीवन प्रत्येक संस्था को अनुप्राणित करे और संरक्षण करके जनता के हित को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। इसी कारण अन्त में खण्ड (च) में लिखा हुआ है।

(5.40 म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत, सभापति पदासीन)

"नैतिक संयम या इतना अनुत्तरदायित्वपूर्ण कार्य आज विधान सभा के द्वारा किया जा रहा है। माननीय वित्त मंत्री जी जो बिल लाये हैं यहां पर, मैं समझती हूं कतई पेश नहीं किया जाना चाहिये। यह बच्चों को संरक्षण नहीं देगा। यह नैतिकता की शिक्षा नहीं देगा, पूर्णतः दुराचार की ओर प्रेरित करता है। चोरी, डकैती और राहजनी की ओर प्रेरित करता है। यह कुव्यसन ऐसा दुर्भाग्य है, जिसकी किन शब्दों में निन्दा की जाय। सत्य तो सत्य रहता है, और झूठ, झूठ ही रहता है। यह ऐसा असत्य है, जिसको प्रतिष्ठापित नहीं करना चाहिये। क्या माननीय वित्त मंत्री जी पैसों के अभाव में यह भी काम करेंगे कि दण्ड संहिता को उठाकर ताक में रख देंगे और हमारे यहां दण्ड प्रणाली खत्म कर सकेंगे? चोरों को कहेंगे कि तुमको आवश्यकता है, तुम जरूर चोरी करके लाओ, और चोरी में से आधा हिस्सा राज्य को दे दो। चोरी का भी नियमन कर देंगे? माननीय वित्त मंत्री जी कितना अवैध काम करने जा रहे हैं इस पर चिन्तन कीजिये। यह जो शराब है, वह इतनी निन्दनीय चीज है, जिसकी किसी

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

पीने वाले ने भी प्रशंसा नहीं की। मान्यवर, मैं कहना चाहूंगी कि अंग्रेज बहुत शराब पीते थे। सन् 1908 में तिलक जी के संरक्षण में, जब आबकारी की घटनायें बढ़ने लगी तो इस व्यसन से छुटकारा पाने के लिए, राष्ट्र को मुक्ति दिलाने के लिए एक आन्दोलन, शुरू हुआ। उस सम्बन्ध में गांधीजी के नेतृत्व में शराबन्दी आन्दोलन के साथ कितनी जगह पिकेटिंग किये। शराब की दुकानें बन्द करने के लिए अनेक उदाहरण कांग्रेस के इतिहास में लिखे हैं। आज किसी ने मना नहीं किया कि जो गांधीजी ने मना किया, उसको मत जोड़िये। कुछ बाहर के लोग आते हैं, उनको श्रद्धान्जलि देते हैं और बड़े मन से देते हैं। दिल्ली में राजघाट की समाधि पर पुष्प भी चढाये जाते हैं लेकिन यह श्रद्धान्जलि सच्ची श्रद्धान्जलि नहीं होती, यह केवल दिखावा मात्र है। मैं यह कहना चाहूंगी कि इसकी स्थापना करने के लिए, आपको अपने आचरण में, जो कहते हैं। वह करने के लिए उतारु होना चाहिये। माननीय वित्त मंत्री जी, आपसे मैं यह कहना चाहूंगी कि आप जैन हैं और अभी क्षमापन पर्व है। अगर, समाज के बीच में गये जिसमें सम्मानित होते हैं आप, वहाँ कहेंगे कि क्षमा किस बात की मांगू या क्षमा किस बात के लिए कहूं, मैं तो अपराधी नहीं हूं। इतना दुराचार सदन में करने जा रहे हैं कि तत्काल सारा राजस्थान भ्रष्ट हो जायेगा। माननीय वित्त मंत्रीजी हिम्मत होनी चाहिये। मैं आपसे आग्रह करूंगी। आज आप यहां से उठकर पूरे समाज में जायेंगे। उनसे आप अनुमति लेकर आवें कि मैं यह काम विधान सभा में करने जा रहा हूं। मैं समझती हूं आपमें इतना नैतिक बल नहीं है। आपमें नैतिक बल ज्यादा हो, इसलिए मैं चाहती हूं, एक बार समाज में आप इस रूप में जायें, इस बिल को लेकर जावें। इस बिल की भावना बतावें कि आप क्या करने जा रहे हैं और उससे क्या हो जायेगा? मान्यवर, शराब और स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जो धारा 47 है उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि केवल दवाई के उपयोग को छोड़कर, समाज को शराब उपलब्ध नहीं कराई जायेगी। इसके लिए राष्ट्र प्रयत्न करेगा। लेकिन यहां तो महाधिवक्ता ने भी ऐसी दलील दी × × × मैं कहना चाहूंगी, यहां पर, कि यह जो बिल बनाया है, × × × × यह मेरा सीधा-सादा आरोप है...

(5.50 म. प.)

(श्री अहमद बक्श सिंधी, उपाध्यक्ष पदासीन)

मेरा सीधा-सीधा आरोप है कि काट दें इसको मैं समझती हूं कि × × × अगर आप में हिम्मत होती, तो इसको जनता में भेजते। 6 महीने के बाद इसका जनादेश लेकर आप आते और फिर यहा पर हमको कहते कि हमने इस बिल को जनता के पास भेजा है उसने हमें कहा है कि इसको आप पास करो। लेकिन इतना आप में मोरल नहीं हैं, इतना करेज नहीं है

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

138

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

क्योंकि सच्ची बात नहीं है और अच्छी बात नहीं है। मैं कहना चाहूंगी कि राजस्थान में कभी सोचती हूं कि मैं कहां बैठी हूं? क्या व्यवस्था चल रही है? क्या यह हिन्दुस्तान है, जहां पर संस्कारों की दुहाई देते हैं, जहां पर हम पूर्वजों की बातें मानने के लिये बाध्य करते हैं? लोगों को कहते हैं कि वह अच्छे थे। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि "मनुष्यों तुम सिंह के सामने जाते समय भयभीत न होना, वह पराक्रम की परीक्षा है। तुम तलवार के सामने सिर झुकाने से भयभीत न होना, वह बलिदान की कसौटी है। तुम पर्वत शिखर से पाताल में कूद पड़ना, वह तप की साधना है। तुम बढ़ती हुई ज्वालाओं से विचलित न होना, यह स्वर्ण परीक्षा है। पर शराब से सदा भयभीत रहना, क्योंकि वह पाप और अनाचार की जननी है"। कहां हमारे महापुरुष यह बातें कह गये हैं। जब आप देखते हैं, पिछले वर्षों में कांग्रेस सरकार के मुख्य मन्त्रियों ने, कांग्रेस सरकार ने शराब बंन्दी का संकल्प किया, और 69 से इस ओर प्रेरित हुए। उपाध्यक्ष महोदय, पहले 13 जिलों में और जनता सरकार के आते ही 6 जिलों में और बाद में 6 जिलों में और बन्द कर दिया। इसी तरह सभी जगह पर सम्पूर्ण शराब बन्दी हो गयी। जब अच्छा काम हो ही गया था, तो हमें चाहिये यह था कि हम इसको समाप्त नहीं करते। पैसे पैदा करने का कोई और सोर्स हम यहां पर कर सकते थे। मैं कहना चाहूंगी कि जब श्रमिक पियेंगे, तो श्रम का उत्पादन कम होगा। आप जानते हैं, पीने के बाद शरीर में शिथिलता आती है। आदमी तत्परता और बुद्धि से काम नहीं कर सकता है। जो अधिकारी व कर्मचारी पियेंगे वह अपने कर्त्तव्यों का पालन नहीं करेंगे। इससे हमारा उत्पादन कम होगा, हमारी क्षति होगी और जो लोग पियेंगे उनकी रक्षा करने के लिये अस्पतालों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। दुर्घटनाओं के लिये पुलिस बुलानी पड़ेगी। एक रुपया जहां प्राप्त होगा वहां पर आपको चार रुपये खर्च करने पड़ेंगे। यह कहां की उपलब्धियां लेकर वित्त मंत्रीजी चले आये हैं? उन्हें किसने दिशा भ्रम किया है? मैं कहना चाहूंगी कि यहां आपको दिशा बोध हो इसके लिये कुछ महापुरुषों, मनिषियों की संगत करो। उन लोगों के पास बैठो तो संतोष मिलेगा। कोयले की दलाली में तो हाथ काले ही होते हैं। आपने, मन्त्री महोदय, यह अच्छा कार्य नहीं किया। यह कुर्सी ऐसी है, जब मनुष्य ही हमेशा नहीं रहता, तो कुर्सी भी चिर-स्थायी नहीं है। हम चुनकर पांच साल के लिये आते हैं, अच्छा काम करने के लिये, इससे लोग याद करेंगे। इस तरह के दुष्कृत्य करके जायेंगे तो कोई तुम्हारा नाम लेने में भी हिचकेगा। रावण को कोई याद नहीं करता, राम को आज भी याद करते हैं। ईसा मसीह को आज भी याद करते हैं। हजरत मोहम्मद साहब को आज भी याद करते हैं।

मैं तो यह चाहती थी कि जैन समाज के एक बन्धु पहले आये थे, जिन्होंने शराब बन्द की थी और आप भी शराब बन्द करने में पूरी मदद करोगे। दुबारा एक जैन बन्धु आये हैं, वह भी एक पक्ष यहां पर रखेंगे। मैं चाहती हूं कि आप भी नैतिक चरित्र का पक्ष पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

निभायेंगे। पैसा कमाने के लिए कोई भी मां अपने बेटे को नहीं कहती कि जेब काटा करो। कोई भी पति पत्नी से नहीं कहता कि व्यभिचार करो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, अब समाप्त करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : पता नहीं, सरकार दुराचार की कमाई से इस प्रदेश का विकास कैसे करेगी ? मैं कहना चाहूंगी, कोई विकास नहीं होगा ? जहां पर तुम जैसे लोगों के आते ही बाढ़ आई, पता नहीं तुम लोग कुछ अच्छा काम करोगे या नहीं, पर गरीब लोगों के लिए शराब खोल दी। तुम यह कहोगे कि अच्छा काम करेंगे तो करोगे नहीं। बाढ़ को भुलाने के लिए, दुःख के समय पानी तो पहुंचा नहीं सकेंगे, जैसलमेर और जोधपुर में पानी का राशनिंग करेंगे। जयपुर में पीने का पानी नहीं देंगे। पीओ बोतल, खेती को सींचो बोतल से, शराब से सींचो गंग नहर क्षेत्र को। क्यों बनाते हो गंगनहर को ? वहां पानी मत खुलवाओ, भाखड़ा को, माननीय वित्त मंत्री जी, शराब से भरवा दो ××× । मैं कहना चाहूंगी ऐसा कोई बुरा काम करते, तो पुराने बूढ़े-बड़े यह कहा करते थे कि ××× कि मैं यह गाली देकर कहती हूं इस सरकार को भी कि ××× । मैं यही कहती हुई अपनी बात समाप्त करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, श्री चन्दन मल बैद।

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नाम नहीं बोला, मेरा नाम भी है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोपाल पचेरवाल।

श्री गोपाल पचेरवाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 11 अगस्त, 1981 को प्रख्यापित राजस्थान मद्य निषेध अधिनियम निरसनकारी अध्यादेश (अध्यादेश संख्या 7, 1981) को अस्वीकार करता है, इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपस में बातें नहीं करें।

श्री गोपाल पचेरवाल : उपाध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी के राज्य में हम भी विधायक निर्वाचित होकर आये थे।....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य यह ऐसा सब्जेक्ट है, जिस पर बहुत कहा जा सकता है, पक्ष में और विपक्ष में, इसलिये आप टाइम थोड़ा लें।

श्री गोपाल पचेरवाल : धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने जितना समय लिया, उतना समय मैं भी लूंगा।

श्री गोपाल पचेरवाल : हम जब निर्वाचित होकर आये थे, तब हमारे घोषणा-पत्र में हमारी पार्टी ने दावा किया था

(140)

(श्री गोपाल पचेरवाल)

शराब बन्दी का। हमारे नेता भैरोंसिंह जी शेखावत चुने गये थे, तब मन में शंका पैदा हुई थी। वह शंका पैदा हुई कि हमारे राज्य के नेता हैं, हमारी सरकार के नेता, हमारे मुख्य मंत्री जी श्री भैरोंसिंह शेखावत राजपूत हैं। उनकी जाति में परम्परा पीने की रही है। हो सकता है वह हमारी नीति को लागू करने में पहल नहीं करेंगे। लेकिन खेतसिंह जी की भावनाओं के विपरीत उन्होंने पहले प्रदेश में शराबन्दी को लागू कर दिया। हमारे राठौड़ साहब को पीड़ा थी कि शराब बन्दी नहीं होनी चाहिये। लेकिन फिर भी शराब बन्दी करने के लिये जनता पार्टी की सरकार का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि जब पुनः सरकार बनी और पहाड़ियाजी मुख्य मंत्री बने . . .

श्री भालू खां (चूरू) : शुक्रगुजार काहे हो ?

श्री गोपाल पचेरवाल : यह तो आपके सोचने की बात है।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : बीच में बाधा नहीं डालें, उपाध्यक्ष महोदय, आप उन्हें कह दीजिये कि × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बीच में इन्ट्रप्ट नहीं करें।

श्री गोपाल पचेरवाल : मेरे को ऐसा लगता है, उपाध्यक्ष महोदय × × ×

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, × × × नाम भी बताऊंगा, आप धीरज रखें। मेरे पास प्रमाण भी हैं, जिनको × × ×

(व्यवधान)

आपके लिए कुछ भी नहीं कहूंगा, आप निश्चित रहें।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल) : मेरे लिए आप कहें न कहें, अपनी बात कहें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बीच में इन्ट्रप्ट न करें। आपका समय खत्म हो रहा है। आपस में बातें नहीं करें, माननीय सदस्य।

श्री गोपाल पचेरवाल : उपाध्यक्ष महोदय, तत्कालीन मुख्य मंत्री जी पहाड़िया जी ने एक काम नेक किया था। उन्होंने जनरली तो खुली नहीं की, लेकिन ऐसे लोगों के लिए खुली की, जिनके पास दो नम्बर का पैसा आता है कि आप अंग्रेजी शराब पीजिये, परमिट बनाकर पीजिए। लेकिन उन गरीब लोगों को जो 20, 25, 30, 40 रुपयों में बोतल खरीद कर नहीं पी सकते थे, छूट नहीं दी। वह बड़े लोग पीयेंगे जिसके पास रिश्वत के पैसे आते हैं या नम्बर दो का पैसा आता है, बिजली चोरने का पैसा आता है या प्लोट बेचने का पैसा आता है, ऐसे लोगों के लिए छूट दे दी, लेकिन गरीब लोग नहीं पी सकते हैं इसलिए गरीबों को छूट नहीं दी। उनको धन्यवाद देता हूं। लेकिन हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा कि गरीब कैसे बच सकता है ? मेरे दोस्त कैसे बच सकते हैं ? मेरे साथी बचे नहीं, दो नम्बर की कमाई वाले

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री गोपाल पचेरवाल)

बचे नहीं, शराब को बेचने वाले बचे नहीं, बिजली चोरने वाले बचे नहीं, प्लोट बेचने वाले बचे नहीं तो गरीबों को कैसे मुक्त रखा जाय ? वित्त मंत्री जी ने सबको छूट दे दी और शराब बन्दी खतम कर दी । उपाध्यक्ष महोदय, यह नैतिकता का सवाल है। जब शराबबन्दी लागू हुई थी, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि गरीब का बेटा जिसने कभी स्कूल नहीं देखा, वह गरीब का बेटा जिसने कभी किताब उठा कर नहीं देखी, शराबबन्दी के कारण स्कूल की ओर दौड़ने लगा । उस गरीब का मानस बना था कि जनता सरकार ने शराब बन्दी कर दी, हमारे बच्चों को शिक्षा में पहल करने का मौका दिया है। हमारे देश की गरीब महिलायें इस बात से प्रसन्न हुई थीं कि उनका पति दिन भर रिक्शा चलाने के बाद एक बोतल शराब पीकर अपनी पत्नी के ऊपर डंडे चलाते थे, उस डंडे से उसको मुक्ति मिली थी। उन्होंने जनता पार्टी के प्रति आभार प्रकट किया था । लेकिन 11 अगस्त के बाद उनकी पत्नी वापिस गाली देने लग गयी कि कैसी सरकार आ गई है, कैसी इंदिरा गांधी की सरकार आ गयी है कि महिलाओं के सिर पर डन्डे पड़ने लग गये। वह बच्चे रोने लगे, चिल्लाने लगे और अफसोस जाहिर करने लगे कि हमको शिक्षा का मौका मिला था, हमें तन पर कपड़ा पहनने के लिये मिला था, वह बन्द हो गया। उसके पापा शराब पीकर अपने बच्चों को पीट रहे हैं, उनकी शिक्षा बन्द कर रहे हैं। आज उनकी शिक्षा बन्द हो रही है ।

इस सरकार से मैं कहना चाहूंगा कि आप गरीबों के उत्थान की बात करते हैं, आप हरिजनों के उत्थान की बात करते हैं, आपने पिछड़ों को पहले लाने की बात की है और आपका बीस सूत्री कार्यक्रम पिछड़ों को आगे लाने का कार्यक्रम है, तो क्या इस बीस सूत्री कार्यक्रम में यह शराबबन्दी खतम का कार्यक्रम है ? आगे 2 अक्टूबर, आने वाली है। ××× क्या हरिजन बस्ती में जाकर शराब की बोतलें बांटेंगे ? क्या आप इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं ? क्या यही आपका उद्देश्य है ? क्या यही आपका नैतिक कर्तव्य है ? यदि हां, तो फिर आप जाइये और ××× हरिजन बस्ती में जाकर हरिजनों के उत्थान की बात करते हैं, वहां शराब की बोतलें बांटिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस हुआ । माननीय श्री चन्दन मलजी वैद से ऐसी आशा नहीं कर सकता था, इन्होंने जो बिल के उद्देश्य और कारण बताये हैं कि हम इसको रोक नहीं पाये, इसमें सुधार नहीं हुआ। इसलिए हम शराबबंदी खत्म करना चाहते हैं। मैं कहता हूं, श्रीमान्, यह शराब बन्दी लागू नहीं कर पाये, शराब को रोक नहीं पाये हैं इसलिए शराबन्दी को हटाना चाहते हैं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज बलात्कार की घटनायें बढ़ रही है, डकैतियां हो रही है, कालाबाजारी हो रही है और चोरियां हो रही है, इनको रोकने के लिए आप क्या करेंगे ? आप अपने थानों को हटा दीजिए, अपनी पुलिस को हटा दीजिए, आपको और बचत हो जायेगी। आपके डी.एस.पी. हट जायेंगे, एस.पी. हट जायेंगे, कान्सटेबल हट जायेंगे और थाने हट जायेंगे, तो आपका खर्चा कम हो जायेगा। यह चोरियां तो होनी हैं, उनको रोक नहीं पा रहे हैं तो थाने की क्या जरूरत है ? सरकार से मैं कहना चाहूंगा,

---

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

142

(श्री गोपाल पचेरवाल)

मुख्य मंत्री महोदय से और वित्त मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि आप कन्ट्रोल नहीं कर सकते, तो आप थाने तोड़ दीजिए, आपकी चोरियां घट जायेंगी। आपका उद्देश्य नहीं है। मुझे अफसोस है, सरकार की बेअकली का नमूना है कि जिस चीज में सुधार नहीं हो सकता, उसको वापिस चालू कर दो।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा आपने इसमें बताया है आय बढ़ाने का। हमारे माननीय गृह राज्य मंत्रीजी यहां हैं। धौलपुर में अनेक महिलाओं की बिक्री होती है। आपने अपनी आय के लिए कई निगम बना रखे हैं- जैसे विद्युत निगम, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, पर्यटन निगम, पुल निगम आदि अनेक निगम बना रखे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्रीजी को सुझाव दूंगा कि अगर आप आय बढ़ाना चाहते हैं तो आप एक वेश्या निगम भी बना दीजिए, आपकी करोड़ो रुपयों की आमदनी बढ़ जायेगी। आपके अन्य आय के श्रोत बढ़ जायेंगे। आप महिला बिक्री निगम बना दीजिये, आप यहां की महिलाओं को विदेशों में जाकर बेच दीजिए, दूसरी स्टेट में बेच दीजिए। आप यह बिक्री निगम बना दीजिए। इससे आपके देश की और विदेश की आय बढ़ जायेगी। यह कोई तरीका नहीं है? यह आपका उद्देश्य नहीं है, यह आपका कार्यक्रम नहीं है कि इस चीज को आप रोकना चाहते हैं। मैं यह समझता हूं उपाध्यक्ष महोदय, इसके पीछे भावना यह नहीं है कि प्रदेश को आय होगी। इसके पीछे भावना यह नहीं है कि हम कन्ट्रोल नहीं कर पाये, इसलिए कन्ट्रोल में होगी। इसके पीछे श्री चन्दनमल जी और माननीय मुख्य मंत्री जी की जो भावना है, वह यह, मैं आरोप लगाता हूं, जो सवर्ण जाति के हैं, उनकी यह भावना है कि आज जो गरीब आदमी मुक्त हुआ है शराब से, आज जो हरिजन मुक्त हुआ है शराब से, वह अपने पैसे बचाकर शिक्षा में आगे बढ़ेगा, वह अपने पैसे बचाकर अपने बच्चों को स्कूल में भेजेगा, सामाजिक तरक्की करेगा, आप उनको मौका नहीं देना चाहते हैं ......

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मन की बात कर रहा हूं, इसलिए मुझे समय दीजिए। मेरी भावना को आप समझेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने यह महसूस किया है कि अगर देश का गरीब आदमी, पिछड़ा आदमी, हरिजन और मुसलमान शिक्षा में आगे बढ़ेगा, देश की राजनीति में सोचने का उसको मौका मिलेगा, देश की राजनीति में भाग लेने का अवसर मिलेगा तो इनके सिंहासन को खतरा हो सकता है। यह सवर्ण वर्ग, जिसकी प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ब्राह्मण हैं, उन ब्राह्मणों को खतरा हो सकता है। श्री गोटेवाला जी को खतरा हो सकता है। श्री माथुर साहब को खतरा हो सकता है। सरकार ने सोचा कि देश का गरीब आदमी शिक्षा में आगे नहीं बढ़े, देश का हरिजन शिक्षा में आगे नहीं बढ़े, देश का मुसलमान आगे नहीं बढ़े, उनका सामाजिक उत्थान नहीं हो, उनका सामाजित परिवर्तन नहीं हो। आज श्रीमती

(श्री गोपाल पचेरवाल)
इंदिरा गांधी की गलत नीतियों के कारण ही धर्म परिवर्तन बढ़ रहा है। इसका कारण कांग्रेस सरकार है। इसका कारण गरीबी है, उसका कारण अशिक्षा है, उसका कारण सामाजिक उपेक्षा है। इसके कारण ही आज धर्म परिवर्तन को बढ़ावा मिल रहा है। इसके लिए अगर कोई दोषी है तो इंदिरा गांधी दोषी हैं, माथुर साहब दोषी हैं, चन्दनमलजी दोषी हैं और सरकार दोषी है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, इसके पीछे भावना यह नहीं है कि इससे आय होगी। इसके पीछे भावना यह है कि गरीब का बच्चा आगे नहीं बढ़े, गरीब तबका प्रगति न करे और उसका सामाजिक परिवर्तन न हो।

आय के बारे में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। यह कहते हैं कि इससे हमारी 100 करोड़ की आय होगी। मैं उसको थोड़े में ही, दो मिनट में निवेदन करना चाहता हूं कि क्या इससे आपकी श्रमिक शक्ति नहीं घटेगी? जो फैक्टरी चलाने वाले मजदूर और श्रमिक हैं, क्या वह शराब पीकर काम पर जायेंगे और 8 घंटे ड्यूटी देंगे? क्या इससे आपके श्रमिकों की शक्ति नहीं घटेगी? शराब पीने के लिए निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यक्ति की वार्षिक आय यदि 1000 रुपया है, तो 400 रुपया उसका शराब में जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, यह लोग इस देश को कहां ले जाना चाहते हैं? किस तरह प्रगति करना चाहते हैं? किस तरह से गरीबों का उत्थान करना चाहते हैं? इससे तो देश की उत्पादन शक्ति घटेगी, देश का गरीब पीछे जायेगा देश का पतन होगा। फिर सरकार गांधीवादी कैसे कहलाती है? मैं कहना चाहता हूं कि आपके सेक्रेटेरियट में श्री गोटेवाला जी और माननीय चन्दनमल जी ने गांधी की तस्वीर लगा रखी है। अगर आपमें थोड़ी सी भी नैतिकता है तो आप अपने कार्यालयों से और विधान सभा से गांधी जी की तस्वीरें हटा दें। अगर आपकी नैतिकता का पतन हो गया है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि यह बात नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, × × मैं समझता हूं कि माथुर साहब शराब खोरी इसलिए चालू रखना चाहते हैं कि × × उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास कोर्ट का फैसला है। कांग्रेस के वह विधायक वर्तमान में हाउस में हैं जिनको सजा हुई है, जिनके ऊपर जुर्माना हुआ है। पर कांग्रेस के सदस्यों की हिम्मत नहीं है उनका नाम पूछने की। उपाध्यक्ष महोदय, आप इजाजत दें तो कांग्रेस (आई) के सदस्य, जिनको सजा हुई है, का कोर्ट का फैसला पढ़ कर सुना दूं ...

श्री उपाध्यक्ष : I will not allow you to read out। आप अपना भाषण समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य। काफी चर्चा हो चुकी है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवा महल): हमारे जयपुर का तो कोई नहीं है ना?

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, यह एक विधायक पर आरोप

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(144)

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

लगाया गया है और इस तरह से सारे विधायकों की इन्टेग्रिटी पर डाउट किया गया है। मैं चाहूंगा कि वह कौन विधायक है उसका नाम बताया जाये, नहीं तो अपनी बात वापस लें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

किसी का नाम नहीं लिया गया है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान में यहां विधायक हैं....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : वह विधायक इस समय मौजूद हैं। यह कहा गया कि उनको सजा हुई है। यह कह कर सारे माननीय सदस्यों का चरित्र हनन किया गया है। मैं चाहूंगा कि वह या तो अपने शब्द वापस लें, वरना उनका नाम बतायें। इसको कभी बरदाश्त नहीं किया जायेगा।

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्यों में आसन भी शामिल होता है यह भी आप ध्यान रखें।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

एक माननीय सदस्य : किसी माननीय सदस्य का नाम नहीं पुकारा है।

श्री दाऊदयाल जोशी : ×××तो नहीं है?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

श्री बालचन्द आर्य (डग): व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : प्रस्ताव में जिन्होंने अपने-अपने संशोधन दिये हैं, उनको आसन से बोलने का मौका तो मिलेगा। यह तो नहीं है कि दो ही बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : समय को देखते हुए आपने खुद ने यही कहा है कि दो आदमी बोलेंगे। संक्षेप में बोलिये।

(व्यवधान)

श्री भैरूलाल भारद्वाज : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी इस पर एक संशोधन दिया है।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : उस सदस्य का नाम बताया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर आर्डर।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री गोपाल पचेरवाल : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर देता हूं। मेरी सूची में आपका नाम नहीं है।

(व्यवधान)

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री गोपाल पचेरवाल)

जयपुर से आने वाले एक सदस्य ने सवाल किया कि कहीं जयपुर के किसी विधायक का नाम तो नहीं है ? मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जयपुर के किसी विधायक का नाम नहीं है। लेकिन मेरे पास लिस्ट है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, यह टोंक का सवाल है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आप तो नहीं पीते हैं, आप मस्त रहें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं टोंक का विधायक हूं। इसलिए मैं पूछ सकता हूं कि कहीं वह टोंक का तो विधायक नहीं है, इससे मुझ पर भी, शक किया जा सकता है। उसके बारे में चर्चा होगी, लोग भी इसकी चर्चा करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल) : माननीय सदस्य ने अपने विचार प्रकट करते हुए एक फैसले का यहां उद्धरण दिया। अतः मेरा निवेदन है यह सदन की प्रोपर्टी हो गई है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इसे सदन की मेज पर रखा जाये। इस सारे डाक्यूमेन्ट को पढ़ कर सुनाया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ने इसे मेज पर रखने की अनुमति नहीं चाही है, इसलिए सवाल पैदा नहीं होता।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : यह सदन की प्रोपर्टी है, इसे सदन की मेज पर रखा ही जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कैलाश मेघवाल। श्री जीतमल जैन।

(व्यवधान)

मैं नाम बोल रहा हूं। श्री जीतमल जैन।

श्री गोपाल पचेरवाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह मैं बता दूं कि वह जनता पार्टी का आदमी नहीं है, वह अब कांग्रेस (आई) में चला गया है।

श्री दाऊदयाल जोशी : ×××

श्री भैरोंसिंह गुर्जर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपको मैं चांदी का मेडल दूंगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : हमने खुद इस भूल के मय कदे तंग जर्फ लोगों के हवाले कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष : No talk, please.

श्रीमती उजला अरोड़ा ; उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई हंसने का विषय नहीं है, रोने का विषय है।

श्री जीतमल जैन (अलवर) : 1981 को राजस्थान के इतिहास में काला दिन

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री भीतमल जैन)

के नाम से स्मरण किया जायेगा । जनता पार्टी के शासन के अन्दर सम्पूर्ण राज्य में पूर्ण नशाबन्दी लागू कर दी गई थी । वर्तमान सरकार ने आकर यह कृत्य किया है, जो हमारी संस्कृति, हमारी पारम्परिक मान्यताओं और जो हम सब यहां पर शपथ लेकर एकत्र हुए हैं, उसके विरुद्ध यह कार्य किया गया है। यह कृत्य उस व्यक्ति द्वारा किया गया है, जो व्यक्ति अपने आपको इस देश के महान संत आचार्य तुलसी का अनुयायी बताता है। उनके अणुव्रत संघ का अनुयायी है। उन्होंने कहा था कि अणुव्रत का पालन करने वाले, जो अपने आपको अनुयायी बताते हैं, कभी भी शराब का सेवन नहीं करेंगे । मैं समझता हूं हमारे वित्त मंत्री के लिए चुनौती थी । वह बाहर आकर कहते हैं कि राज से, सत्ता से उन्हें मोह नहीं है । लेकिन इस चुनौती को स्वीकार नहीं किया गया । वह कुर्सी का मोह नहीं छोड़ सके। जनता पार्टी के शासन के अन्दर शराबबन्दी की गयी थी, उसको समाप्त करने का जो दुष्कर्म है, वह उनके द्वारा किया जा रहा है । अब वित्त मंत्रीजी यह कहेंगे कि खुद पीओ और औरों को भी पिलाओ । यह स्कीम होने वाली है। आज शराब से आमदनी इस राज्य को सबसे ज्यादा होने वाली है। अगर इतिहास को उठाकर देखें, तो किसी भी राज्य के अन्दर चाहे वह राजा का हो, चाहे मुगल साम्राज्य का हो, किसी भी प्रकार का राज्य हो, सारे इतिहास में यह बात नहीं थी कि शराब से होने वाली आमदनी से राजकोष को भरा जायेगा । किसी भी राजा ने इस पाप की कमाई से अपने को भरने की कोशिश नहीं की । अंग्रेज इस देश में आये । उन्होंने शराबबंदी पर कुछ रोक हटाई । सौभाग्य से उनके जाने के बाद जो आचार्य तुलसी के अणुव्रत के अनुयायी होने का दावा करते हैं, उनके हाथ में शासन आया । जनता ने समझा कि अब वह इस प्रकार की बुराई को समाप्त करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य से वह इस बात को नहीं कर सके । जिस समय इस देश के अन्दर बिक्री कर आरम्भ हुआ था, वह इस आधार पर किया गया था कि हम गांधीजी के आदर्शों पर चलने की बात करते हैं। हमने कहा कि हमें जो शराब से होने वाली आमदनी है, वह पाप की कमाई है, उससे हम अपना राजकोष नहीं भरना चाहते । इसलिए यह बिक्री कर प्रारम्भ किया गया है । हमारी शर्त थी कि हम शराब बन्दी इस देश में लागू करेंगे । हमने इस सदन में शपथ ली थी, उसके प्रति निष्ठा व्यक्त की थी । यह उसके प्रति विद्रोह कर रहे हैं । मैं माननीय अध्यक्ष को निवेदन करूंगा कि यह संविधान के विपरीत बात है। सन् 1925 के अन्दर लेजिस्लेटिव कौंसिल के अन्दर एक Non-official प्रस्ताव लाये थे, शराब बन्दी करने का प्रस्ताव लाये थे । वह प्रस्ताव पास किया गया था । गांधीजी की सबसे बड़ी शर्त थी कि वह शराब की दुकानों पर पिकेटिंग करेंगे । इसका उन्हें अधिकार हो । 1956 के अन्दर लोकसभा के अन्दर एक मद्य निषेध प्रस्ताव आया उसको मैं आपके सामने पढ़कर सुनाता हूं । वह इस प्रकार है :

"This House is of opinion that prohibition should be regarded as an integral part of the

(श्री जीतमल जैन)

Second Five Year Plan and recommends that the Planning Commission should formulative the necessary programme to bring about "nationwide prohibition specially and efficiently."

यह प्रस्ताव 1956 में लोक सभा के अन्दर लाया गया था। इसी तरह का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। महात्मा गांधी की आज बार-बार दुहाई देते हुए नहीं थकते हैं हमारे कांग्रेस के बन्धु, उन्होंने स्वयं एक बात कही थी कि मैं भारत का कंगाल होना पसन्द करूंगा, लेकिन मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं कि हमारे भारत के लोग शराबी हों। भारत के लोगों को अगर शिक्षा देना बन्द करना हो, तो भी कोई परवाह नहीं है लेकिन मैं शराब को बन्द ही करूंगा। इसके बाद इस देश की महान संस्कृति के जो आधार सूत्र हैं, जो हमारे करोड़ों लोगों के लिए श्रद्धा के केन्द्र हैं, उनकी बात कहना चाहता हूं। महात्मा बुद्ध हों, चाहे भगवान महावीर हों, चाहे ईसा की बाईबिल हो और चाहे गुरु नानक ग्रन्थ हो, सबने एक ही स्वर में शराब का घोर विरोध किया है। मैं यहां निवेदन करना चाहता हूं जो महात्मा बुद्ध ने कहा है—"जिस राजा के राज्य में सुरादेवी आदर प्राप्त करेगी, वहां राज्य काल वेदी पर नष्ट हो जावेगा, वहां न औषधि उपजेगी, न अनाज होगा।" भगवान महावीर ने कहा है" जुआ खेलना, शराब पीना, मांस खाना, वेश्यागमन करना, शिकार खेलना, चोरी करना और पर स्त्री सेवन करना, यह सात व्यसन मानव को कुगति में ले जाने वाले हैं।" मैं पूछता हूं, भगवान महावीर के जो अपने आपको अनुयायी कहते हैं, पता नहीं इन्होंने इतिहास पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, यह मनुष्यों को कुगति में ले जाना चाहते हैं। उसके बाद बाईबिल में कहा है—"दाख मधु, यानी मदिरा के पीने वालों में न होना, न उनकी संगति करना, क्योंकि पीने वालों को चिथड़े पहनने पड़ते हैं।" आगे कहा है—"जब मदिरा लाल दिखाई देती है और कटोरे में उसका सुन्दर रंग होता है, तब उसको न देखना, क्योंकि अन्त में वह सर्प की नाई डसती है और कई करैत के समान काटती है।" इसी प्रकार कुरान में कहा गया है—"अल्लाह ने लानत फरमाई है, पीने और पिलाने वालों पर, बेचने और खरीदने वालों पर और किसी भी प्रकार मदद करने पर।" गुरु ग्रन्थ साहब में लिखा है—जिसके सेवन से बुद्धि नष्ट हो जाये, मनुष्य नाना प्रकार की बुराइयों में पड़ जाय, अपने और पराये की सुध न रहे, भगवान की तरफ से भी धक्के खाये, दरगाह से सजा मिले और भव सागर पार न हो, मनुष्य को ऐसा झूठा और गंदा मद्य नहीं पीना चाहिये। इसी प्रकार सत्यार्थ प्रकाश में ऋषि दयानन्द ने कहा है—"जो-जो बुद्धि का नाश करने वाले पदार्थ हैं, उनका सेवन कभी न करें—जिनको शरीर मद्य-मांस के परमाणुओं से ही परिपूरित है, उनके हाथ का न खावें।"

अब इस देश के अन्दर किसी भी मजहब का मानने वाला क्यों न हो, चाहे भगवान महावीर का अनुयायी हो, चाहे महात्मा बुद्ध का अनुयायी हो, और चाहे गुरु नानक साहब को मानने वाला हो, सब ने ...

श्री उपाध्यक्ष : मानते तो सब हैं, माननीय सदस्य फिर भी पीते हैं। क्या किया जाय।

(व्यवधान)

(148)

श्री जीतमल जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि हमारी धार्मिक आस्थाएं, हमारी सांस्कृतिक आस्थाएं, हमारे जीवन के जो मूल्य हैं उनके बिल्कुल विपरीत कुतर्क इस सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, खूब पीओ और पिलाओ ··· । खेतसिंहजी बड़े गर्व के साथ कह रहे थे, जैसे हमको जलन हो रही है । मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं, देश में बड़े बड़े बान्ध बन जायें, ? सड़कें बन जायं, आपके कारखाने खड़े हो जायं लेकिन यदि आपने इस देश में मनुष्य के चरित्र का निर्माण नहीं किया और नैतिक दृष्टि से यदि वह गिर गया, तो फिर आप इस देश में क्या बनाना चाहते हैं ? हमारे देश की संस्कृति यदि नष्ट हो गई तो यह सारे विकास के कार्य किसी प्रकार का महत्व नहीं रखते हैं ।

हमारे देश के मनीषी, दादा धर्माधिकारी ने कहा है — "भारत एक ऐसा देश है, जहां शराबखोरी कभी प्रतिष्ठा का प्रतीक नहीं रही ।" कम से कम अंग्रेजी राज से पहले शराब की कीमत कभी नहीं रही, शराब पीना व्यसन ही माना गया । इसलिये जब यहां की कोई प्रतिनिधि सरकार यह दलील देती है कि शराब बन्दी के कारण सरकार की आमदनी कम होती है, तो बड़ा दुःख और शर्म होती है । यह आश्चर्य होता है कि जो शरीफ लोग सरकार में बैठे हैं, उन्हें दर्द और शर्म क्यों नहीं होती ? क्या इस विषय में हमारे मूल्य ही बदल गये ? क्या हमारे नागरिक शराब पीकर देश के प्रबन्ध में भाग लेंगे ? मतदाता भी शराब पीयेंगे और उम्मीदवार भी तो क्या वह समाज में होश-हवास की सम्भाल करेंगे ? सुशासन और सुप्रबन्ध के लिये स्वास्थ्य और सावधानी की आवश्यकता है । अत: शराबबन्दी के कारण जो भी आर्थिक क्षति सहनी होगी, उसकी तनिक भी चिन्ता नहीं होनी चाहिये । मानसिक स्वास्थ्य और सार्वजनिक चरित्र की कीमत रुपये पैसे में जो करते हैं, वे भ्रष्टाचार को ही समाज व्यवस्था का आधार मानते हैं, चरित्र की कीमत नहीं होती । यह तो अपने में एक निरपेक्ष सामाजिक मूल्य है । पैसा उसका माप नहीं हो सकता ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है इस पर बहुत बड़ी चर्चा होनी चाहिये । मैं चाहूंगा, आप समय देने की कृपा करें । उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि एक पक्ष लिया जा रहा है कि लोगों की आदतों में परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिये बिल लाया जा रहा है । मैं इसके साथ एक बात और कहना चाहूंगा ···

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जो आर्गुमेंट कहे जा चुके हैं, उन्हें न कहें ।

श्री जीतमल जैन : मैं दुबारा बिल्कुल नहीं कहूंगा, बिल्कुल नई बात कहूंगा··· ।

श्री जयकृष्ण शर्मा : नई क्या लायें ?

(व्यवधान)

श्री जीतमल जैन : आज हमारे कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के बन्धुओं से कहना चाहूंगा, जिनकी सरकार के अन्दर

149

(श्री जीतमल जैन)

आज वर्तमान में जो प्रधान मंत्री है, जो इनके आराध्य देव हैं. उन्होंने क्या कहा है। उनकी सुन लीजिये । श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा है अक्टूबर, 1975 में को 12 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा से पूर्व, आपातकाल के समय, "मद्य निषेध के लिये देशव्यापी आन्दोलन छेड़ने की जरूरत है । जब तक हम समाज से मद्यपान जैसी बुराइयों को दूर नहीं करेंगे, राष्ट्र मजबूत नहीं बनेगा ।" यह मैं नहीं कह रहा हूं यह आपकी प्रधान मंत्री, जिनको आप आराध्य देव मानते हैं, कहा है । 1 अक्टूबर, 1975 को यह बात कही थी । उन्होंने यह भी कहा था कि आप 12 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा करिये । मैं उन घोषणाओं में से दो या तीन को पढ़ कर सुनाता हूं । उसमें एक घोषणा थी—"सार्वजनिक स्थानों; होटलों, रेस्तराओं, क्लबों तथा सार्वजनिक समारोहों में मद्यपान पर प्रतिबन्ध ।" यह उनकी नम्बर दो की घोषणा है । अब नम्बर 8 की घोषणा सुनिये—"देश के किसी भी भाग में केवल राजस्व बढ़ाने की दृष्टि से, कोई नई शराब की दुकान नहीं लगाने दी जायेगी।" नवम्बर 11 की जो घोषणा है, वह इस प्रकार है—"सरकारी और गैर सरकारी ऐजेन्सियों की ओर से शराब की बुराई के खिलाफ संगठित प्रचार" और बारहवीं घोषणा है— "सार्वजनिक नेता अपने व्यक्तिगत उदाहरण से मद्य-निषेध के पक्ष में प्रेरणा देने के लिये अभियान को बढ़ावा देंगे ।"

मैं माननीय वित्त मंत्रीजी से पूछता हूं, आपकी प्रधान मंत्री, जिनको आप आराध्य देव मानते हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी, जिन्होंने 12 सूत्री कार्यक्रम को लागू किया, के ये शब्द हैं।

एक और निवेदन करना चाहूंगा आपसे, अणुव्रति, महान संत आचार्य तुलसी के आप अनुयायी हैं, उनके द्वारा शराबबन्दी के प्रचार में आप क्या कहना चाहेंगे ? आप पक्ष में कहेंगे या उनके विरोध में कहेंगे ? यह आपके स्वयं के सोचने का विषय है कि आप क्या इनके लिए करने जा रहे हैं ? आप यह कहते हैं कि मनुष्य की आत्मा में परिवर्तन नहीं हुआ है, जब शराबबन्दी रही तो हम परिवर्तन नहीं कर सके, ढाई साल में परिवर्तन नहीं कर सके · · ·

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिए मजबूर होकर इस बिल को लाना पड़ा, तो यह तो एक महान दुःख की बात है ।

उपाध्यक्ष महोदय, पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : Only one minute. काफी चर्चा हो गई है। और भी बोलने वाले हैं, भाई ।

(व्यवधान)

श्री जीतमल जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मनु से लेकर · · ·

(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : मैं तो शंकर भगवान का चेला हो रहा हूं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : No talk please.

श्री जीतमल जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मनु ने एक समाज की व्यवस्था की थी, उसमें ये सारे नियम थ। उसी समाज व्यवस्था के लिए सबसे पहले पीनल कोड की एक व्यवस्था रही। जो पीनल कोड है....

(व्यवधान)

.. उपाध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर चोरी, व्यभिचार, शराब, रेप आदि सबके कानून बने हुए हैं। आज उस व्यवस्था से नहीं चल से चोरियां होती हैं, व्यभिचार होते हैं, डकैतियां होती हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां शारदा एक्ट बना हुआ है, उसके अन्दर छोटी उम्र के बाल विवाह बन्द हैं, लेकिन वह भी करते हैं...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री जीतमल जैन : उपाध्यक्ष महोदय, इन सबके बावजूद, इन सब कानूनों के होते हुए अपराध हुए हैं, तो क्या उन सबको हटा दिया है? नहीं हटा पाये हैं। शराब लोगों ने पीना बन्द नहीं किया, यह बात कहना ठीक नहीं है। असली बात यह है कि इस कानून को लागू क्यों करना पड़ा? हम नहीं चाहते थे कि कानून लागू हो, ऐसी हमारी पालिटिकल विल नहीं थी। इस सबके पीछे आपका एक निहित स्वार्थ है, और वह निहित स्वार्थ सत्ता पार्टी से जुड़ा हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक तर्क और दिया जाता है समाजविरोधी तत्वों के द्वारा मद्य का व्यापार का। मैं पूछना चाहता हूं यह व्यापार किस दिन बन्द हुआ? जहां शराब बन्द नहीं है, क्या वहां शराब नहीं बनती है? लेकिन आज आपने शराबबंदी खोलकर एक प्रकार से इसको लीगलाइज कर दिया है। आज भी अगर कोई गलत तरीके से इल्लीसिट लिकर बनायेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मालूम होता है आपने बिल पढ़ा नहीं। यह आम आदमियों को शराब बनाने की इजाजत नहीं देता।

श्री हीरालाल आर्य।

(व्यवधान)

बस आप समाप्त कीजिये।

श्री जीतमल जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पांच मिनट के लिए निवेदन किया था बहुत महत्वपूर्ण पाइंट्स हैं.......

श्री उपाध्यक्ष : किसी की अनइम्पार्टेन्ट स्पीच नहीं होती है।

श्री श्रीराम गोटेवाला (राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन) : आप बीच में कटारिया जी को लटका रहे हैं...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : No talk, please.

श्री जीतमल जैन : उपाध्यक्ष महोदय, कानून और व्यवस्था की बात मैं निवेदन कर रहा था। वह तो शराब पीने से अधिक बिगड़ेगी। मैं इसके लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं, इस

(श्री जीतमल जैन)
में, जैसी सबको जानकारी है, किसी की निजी सम्पत्ति नहीं है, सारी सम्पति सरकारी है, सारी जमीन सरकारी है। इस प्रकार के केसेज वहां नहीं हैं। वहां केसेज जो होते है, केवल क्रिमिनल केसेज होते हैं। मैंने उन लोगों से भी बात की है। वहां क्रिमिनल केसेज ज्यादा होते हैं, और उनमें 80 प्रतिशत इसलिये होते हैं कि शराब पीते हैं। उनका कहना है, ठण्डा मुल्क है, इसलिये शराब पीते है। इसके बावजूद भी वहां यह समस्या हो गई है कि शराब कम की जाय। उपाध्यक्ष महोदय, फ्रांस में सबसे ज्यादा शराब पी जाती है, लेकिन अब फ्रांस में भी इस बात की चिन्ता प्रकट हो गई है कि शराब को कैसे कम किया जाय...?

एक माननीय सदस्य: यह सब जगह भ्रमण आप कर आये।

श्री जीत मल जैन : फ्रांस सबसे अपराधी मुल्क है, जहां की शराब सारी दुनिया में बिकती है। फ्रांस में इतनी शराब खोरी है कि वाटरलू की लड़ाई मे दूसरे विश्व युद्ध में, उन्हे शराब की वजह से पराजय का मुंह देखना पड़ा। सन् 54 में फ्रान्स में नव आखरी शराबबन्दी के आन्दोलन की शुरुआत हुई, तो शराबबंदी का जबरदस्त विरोध हुआ। मद्य पान करने वालों में, इस धन्धे को करने वालों की संख्या अधिक थी, इसलिए सरकार को करीब 15 सौ करोड़ रुपये की आय थी, वह कम हुई। शराब को पीने पर पाबन्दी लगायी गयी। 56 में शराब की बिक्री पर पाबन्दी लगायी गयी, 60 में मैं आपको बताना चाहता हूं, विज्ञापन करने की पाबन्दी लगाई गयी...।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप पढ़ रहे हैं या भाषण दे रहे हैं ?

श्री जीतमल जैन : मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि फ्रान्स जैसे देश के अन्दर जहां बहुत शराब पी जाती है...

श्री जयकृष्ण शर्मा (राज्य मंत्री, यातायात) : हम मान लें। किन्तु भाषण आपका ही है।

श्री उपाध्यक्ष : आपस में बातें नहीं, माननीय सदस्यगण।

श्री जीत मल जैन : उपाध्यक्ष महोदय, डाक्टर सेठिया ने कहा है

Many crimes are caused under the influence of alcohol,

उसके बाद डाक्टर हेरले ने कहा है—

"Complete elimination and harmful drug habits would cause a reduction in crime by atleast 20%, not only that, but there would also be commulative effect on the generations to come by, discussing poverty, improving home conditions & habits of living & environment and perhaps even an improvement in heredity itself."

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि अपराध की वृति घटने वाली नहीं है इस शराब के कारण। कोई घटना की बचप

(श्री जीतमल जैन)

माननीय गोपाल पचेरवाल जी ने की है मेरे पास भी कई हैं। एक अभी अलवर के रामगढ़ थाना के अन्दर पुलिस कर्मी ने किस प्रकार का कृत्य किया है, उसकी कहानी मैं आपको सुनाना नहीं चाहता। शराब को पीने से अपराध बढ़ेंगे और आपको अपनी पुलिस पर अधिक रुपया खर्च करना पड़ेगा। लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन वैसे भी सरकार के कन्ट्रोल में नहीं है। इस शराब के उत्पात के कारण आपको अधिक रुपया खर्च करना पड़ेगा। आप जो आमदनी की सोचते हो, उससे पैसा अधिक खर्च होगा। एक सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूं, वह एक जज अय्यर साहब ने अपने जजमेंट में कही है उसको कह कर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। जस्टिस अय्यर ने कहा है, हम जिन गरीबों की बात करते हैं, हम गरीबों का उत्थान करना चाहते हैं, उनके विकास का काम करना चाहते हैं, मैं आपसे कहता हूं, शराब पीने वाले, जिनको आप शराब पिलाते हैं, वे सबसे अधिक स्टेज पर गरीब लोग हैं। जो आज दस रुपये रोज कमाता है उसकी जेब में से 4 और 5 रुपये रोज शराब के लिए निकाले जाते हैं, उसके बाद उसको खाने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसको कपड़े पहनाने के लिए, दूध पिलाने के लिए, चाय पिलाने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। आप किस गरीब के उत्थान की बात करते हैं, केवल दम भरते हैं गरीबों का। उनके लिए जस्टिस अय्यर ने कहा है अपने जजमेंट में—

"The poor as every where, are the greatest sufferers. It is they who spend what little they earn in buying alcohol instead of buying good food & other necessaries. It is that wretched poor man who has to starve his family, who has to break the sacred trust of looking after his children, if any, in order to drink himself into misery and premature death."

श्री उपाध्यक्ष : Thank you.

श्री जीत मल जैन : मेरा निवेदन यह है कि वास्तव में गरीबों के हित की बात नहीं है, अपराध घटाने की बात नहीं है इसके पीछे केवल एक राजनीतिक उद्देश्य है कि उस गरीब को किसी तरह के शराब के नशे से पागल बना कर रखा जाये, ताकि आने वाले चुनाव के अन्दर उसके वोट को कांग्रेस पक्ष में वोट दिलवा लें। तीस साल से यही नीति चल रही है और आज तक चलती रही है। अब एक नीति की बात कहूंगा—

श्री उपाध्यक्ष : अब समाप्त करिये, माननीय सदस्य।

श्री जीत मल जैन : केवल एक बात है। इस देश के अन्दर फैमिली प्लानिंग की बात करते हैं। हमारे देश की जनसंख्या बहुत बढ़ रही है सरकार कहती है कि किसी प्रकार से इस जन संख्या को रोकने की कोशिश की जाय। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, शराब पीने के बाद किस प्रकार आदमी के कृत्य होते हैं, वह उत्तेजित हो जाता है। उससे आपका जो फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम है, असफल रहने वाला है, वह सफल नहीं होने वाला है। यह मेरा आपसे निवेदन है। जो अध्यादेश जारी किया

(श्री जीतमल जैन)

। मैं सदन से प्रार्थना करूंगा इन सारी बातों को देखते हुए अध्यादेश को अस्वीकार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरालाल आर्य।

माननीय सदस्यगण, जरा टाईम का ख्याल रखियेगा, बहुत संक्षेप में विचार व्यक्त करें।

श्री हीरालाल आर्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शराब एक आवश्यक बुराई है। इस बुराई से हमारे समाज का पतन हो रहा है। शराब पीकर लोग जिस तरह से शैतान होते हैं, उनमें जिस तरह की बुराइयां आती हैं, उससे जो मानव का ह्रास हुआ है, उसको देखते हुए जनता सरकार ने दृढ़ता से निर्णय किया था कि इस शराब को बन्द किया जाय, जनता सरकार ने इसको बंद किया था लेकिन कांग्रेस सरकार ने इसको फिर से चालू करने का निर्णय लिया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारे लिए बहुत बड़ा कलंक है। उपाध्यक्ष महोदय, शराब पीकर व्यक्ति बहुत व्यभिचार करता है। आदमी शैतान हो जाता है। परिवार से लड़ाई झगड़े करता है। बच्चों का ख्याल नहीं रखता, शराब पीने से स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है। आर्थिक स्थिति उस की गड़बड़ाती है। आर्थिक स्थिति गिरती है। शराब पीकर वह उत्पात मचाता है। अनैतिक कुकृत्य करता है। इतना सब होते हुए भी शराब को चालू किया है; यह एक बुरी बात है। शराब का सभी धर्मों ने बहुत विरोध किया है, चाहे वह हिन्दू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, चाहे कोई सा भी धर्म हो, इसका विरोध हुआ है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है और कल्याणकारी राज्य होने की वजह से नीति निर्देशक सिद्धान्तों के अनुसार शराब को बन्द करने का या इस पर पाबन्दी लगाने का हमारे यहां प्रावधान है। लेकिन इन सिद्धान्तों को जब कानून बना दिया जाय, तो वे मूल अधिकारों की तरह माने जाते हैं और उनको समाप्त नहीं किया जाता। यह नीतिगत सिद्धान्त जब कानून बन गया फिर इसको हटाया गया है, तो यह कानून की अवहेलना है। यह सरकार संविधान के खिलाफ काम कर रही है। कांग्रेस ने शराब फिर वापस चलाने का जो निर्णय किया है यह कह कर कि शराब को बन्द करने या इसको कानून लागू करने में हम असफल रहे हैं, इसलिए शराब वापस चालू की जाय। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज देश में चोरियां हो रही हैं, डाके पड़ रहे हैं, लूट मार हो रही है; बलात्कार हो रहे हैं और यह सरकार इन्हें कम करने में या कानून से रोकने में असफल रही है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह आर्गूमेंट सभी माननीय सदस्यों ने रखे हैं।

श्री हीरालाल आर्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे डर है कि इस वजह से यह सरकार, वापस उन कानूनों को भी नहीं हटा दे। सीधे तरीके से आपको पैसे की कमी है तो कहो-चोरों को, डाकुओं को कि पैसा लाओ और सरकार का खजाना बढ़ाओ। मुझे डर है, सरकार कहीं उसके लिए भी कानून नहीं

(श्री हीरालाल आर्य)
बना दें और जो कानून बने हैं, उनको हटा नहीं दें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शराब चालू करना महात्मा गांधी के सिद्धान्तों के खिलाफ है। महात्मा गांधी ने कहा है कि गलत साधनों से कभी अच्छे उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। शराब जैसे घृणित व्यवसाय से पैसा इकट्ठा करके आप इस प्रान्त का विकास करना चाहते हैं। यह केवल भ्रम है। इस शराब से जो बुराई आयेगी, उस बुराई को समाप्त करने में आपको जो पैसा खर्च करना पड़ेगा, वह शायद इससे होने वाली इनकम से भी अधिक होगा। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं वित्त मन्त्री से निवेदन करना चाहूंगा कि इस शराब का आज जगह-जगह राजस्थान के कोने कोने पर विरोध हो रहा है। कभी विद्यार्थियों का जलूस निकलता है, कभी महिलायें जलूस निकालती है। सारे प्रान्त में इसका विरोध हो रहा है। इसलिए जन भावनाओं का आदर करते हुए इस कानून को वापस समाप्त कर रहे है, उसको नहीं करें। उचित तो रहेगा जो बिल सरकार ला रही है, उसे ना लायें, मैं उसका घोर विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हंसराज शर्मा।

श्री महावीर प्रसाद जैन: मेरा नाम है, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हंसराज शर्मा, माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मेरा नाम है, साहब। श्री हंसराज आर्य के बाद में भगवानदास शास्त्री और फिर महावीर प्रसाद।

श्री उपाध्यक्ष : मेरे पास आपकी पार्टी की लिस्ट है। माननीय सदस्य, बैठ जाइये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मेरा नाम तो पहले पुकारा जा रहा था।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। please sit down.

श्री हंसराज शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान की सरकार ने मद्यनिषेध अधिनियम को वापस चालू किया है। उसकी क्या क्या कमियां हैं। सत्तारूढ़ पार्टी की ओर से आज कई लोगों ने इस बात को बताया कि हम इसमें सफल नहीं रहे थे। बंद करने के बाद, इसे विधिवत और अवैधानिक तरीके से लोग पीते रहे। सरकार को इसमें बड़ा लोस हुआ। इस लोस को बचाने के साथ, इससे बहुत बड़ी कमाई होगी। इस कमाई के माध्यम से हमारे राजस्थान का विकास होगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को यह आगाह करना चाहूंगा कि जो योजना बनाई थी, कानून लागू किया था, आखिर उसके फेल होने का कारण क्या था? सरकार की नीति का पालन किया था नहीं? मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि जिस समय राजस्थान में मद्य निषेध लागू था, उस समय यहां के अधिकारियों ने जान बूझ कर इसकी अवहेलना करवाई। उदाहरण के रूप में राजस्थान में परमिटधारियों के लिए जो लाइसेंस दिये गये थे, उनकी प्रथम लिस्ट जो निकली थी, उसमें 182 के नाम थे। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है, कि लोगों ने एक-एक परमिट देने के

(श्री हंसराज शर्मा)

लिए एक-एक ठेकेदार से पचास-पचास हजार रुपये लेकर के 182 की संख्या को दो सौ तक पहुंचा दी। राजस्थान के अन्दर जहां 182 की पहली लिस्ट निकली थी देशी और विदेशी शराब की, वहां दो सौ की लिस्ट बन गई। फिर जिन नियमों का पालन करने का आदेश दिया था विधिवत, उनका उल्लंघन करते रहे। सारे काण्ड के अन्दर ××× इस प्रकार की राजस्थान की जनता में आम धारणा है। आपको यह जान कर आश्चर्य होगा कि उन दुकानों के मामलों में हाई कोर्ट में केसेज चले, केसेज से दुकानें बन्द करवाई; और उसके बाद में दुकानें बन्द होने पर भी दारू बराबर बेचते रहे। इस प्रकार के बिलों की कापियां यदि आप इजाजत दें, तो मैं सदन में प्रस्तुत कर सकता हूं। इस पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई। राजस्थान में जितनी भी सरकार ने दुकानें खोलीं उनमें परमिट, केवल मात्र परमिट था। कोई भी आदमी जाये, परमिट कितना मिलना चाहिए, इस बात की चिन्ता नहीं थी। यदि एक आदमी को दो बोतलों का परमिट हैं, तो भी वह दस बोतलें ले सकता है, पांच बोतलें ले सकता है, बीस बोतलें ले जा सकता है। सरकार ने स्टाक का कभी वेरीफिकेशन नहीं किया। अधिकारी आंख मींच कर बैठे रहे। यदि दारू के कानून के अन्तर्गत कभी किसी को पकड़ा भी तो किसी भले आदमी को पकड़ा या राजनैतिक दृष्टि से, दांव पेच की दृष्टि से, नीचा गिराने की दृष्टि से पकड़ा। लेकिन किसी ठेकेदार पर किसी प्रकार का कोई कण्ट्रोल नहीं किया गया। घर-घर में दारू हो गई। सारे लोगों को परमिट दे दिए, चाहे बालिग था, नाबालिग था, बूढ़ा था, चाहे पहले दारू पीता था या नहीं पीता था, लेकिन उससे दस रुपये लेकर सर्टिफिकेट दे दिया, उसको परमिट दे दिया, ताकि वह ब्लैक में नहीं मिले, तो ब्लैक में बेचता रहे। इस प्रकार से राजस्थान सरकार ने जानबूझ कर जो मद्य निषेध लागू किया था, उसको स्वयं फेल करवाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि आज काले कानून को सरकार पास कराने जा रही है, उसके लिए तो काफी उदाहरण लोगों ने दिये हैं। लेकिन मेरी ऐसी मान्यता है कि आज भी बड़े-बड़े शहरों में, मेन बाजारों में, सार्वजनिक स्थानों पर, मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों में इस प्रकार के लोग जो उच्छृंखलता करते थे, दारू पीकर जहां कहीं भी विवाह आदि स्थानों पर जो नंगा नृत्य करते थे, उन पर कोई न कोई किसी तरह का अंकुश था। राजनैतिक दृष्टि से चुनावों के अन्दर जो लाखों रुपयों की दारू लोगों को पिलाकर मदहोश करके अपने वोटों को जमा करते थे, उन पर भी कुछ कंट्रोल लगा था। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जो लोग दारू पीने को मना करने वाले हैं, वही आज दारू के पक्षपाती हो रहे हैं। एक कहावत है कि "भट्टजी भुट्टा खावें, औरों को पच बतावें।" हमारे यहां के वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे स्वयं नहीं पीते हैं, और अपने परिवार को नहीं पिलाते है, परिवार को नहीं पीने देते हैं, आचार्य तुलसी के बड़े बड़े जलसों में जाते हैं; जैन समाज के जलसों में लम्बे-चौड़े भाषण

×××अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री हंसराज शर्मा)

देते है। मैं पूछना चाहूंगा कि आने वाले समय में माननीय वित्त मंत्री जी आपको राजस्थान की जनता इस प्रकार तो अणुव्रत का अनुयायी नहीं कह कर, एक बोतल फोड़ने और बोतल खुलवाने के नाम से सुशोभित करेगी। जो दारू की बोतल बन्द थी, वह आपने खुलवाई है। आप दारू के अनुयायी होंगे, अणुव्रत के अनुयायी नहीं होंगे। मैं एक बात और यह भी कहना चाहूंगा कि कहीं अगर इन्होंने अच्छे काम किये हैं, तो उसके लिए मैं इनको बधाई देना चाहूंगा।

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : × × ×

श्री हंसराज शर्मा : अच्छे काम के लिए मैं इनको बधाई देना चाहूंगा। यह नहीं कि सारे इन्होंने खराब ही खराब काम किये हैं। राजस्थान के अन्दर अकाल पड़ा हुआ है, सब जगह सूखा ही सूखा था, लेकिन आपने उस ड्राई एरिया को हरा भरा कर दिया। वहां दारू खोल दी। घर-घर में दारू की दुकानें खोल दीं। इसलिए राजस्थान का आने वाले समय में इतिहास जब लिखा जाएगा, आपके कालपात्र में जो राजस्थान का इतिहास लिखा जायेगा, आपके शरीर पर आप के चेहरे पर राजस्थान की जनता की ओर से कालपात्र में आपका इतिहास लिखा जाएगा, वह काले अक्षरों में और बोतल के अनुयायी के रूप में लिखा जाएगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

x x x अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप बहुत ही महापुरुष हैं। अच्छा समझते हैं, न खाते हैं, न पीते हैं, तो आप छोटे से प्रलोभन में आकर क्यों खोलने जा रहे है? मैं आपसे निवेदन करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस समय यह भी कहना चाहूंगा, यह बात सही है कि गत मुख्य मंत्री जी एक हरिजन के नाते छोटे तबके से पैदा होकर बड़ी चेयर पर आए, लेकिन मैं बधाई देना चाहूंगा, उनके सामने कई प्रकार के संकट आए, परन्तु उन्होंने साहस के साथ, धैर्य के साथ काम लिया और दारू को खुलासा नहीं होने दिया। वही व्यक्ति महान कहा जा सकता है, अच्छे लोगों में कहा जा सकता है। उसका कारण था वह हरिजन परिवार का था। हरिजन परिवार के लोग जानते हैं कि उनकी आय बहुत कम होती है। मजदूर लोग जानते हैं कि मजदूरों की आय बहुत ही कम होती है। यह तो बड़े लोगों के चोंचले होते हैं। बड़े लोगों के पास नम्बर दो का पैसा आता है। वे खाते हैं, खिलाते हैं और दारू के नाम पर प्रलोभन देकर लोगों की जेबें काटते रहते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है आपके माध्यम से कि उनकी इस बात को लागू नहीं होने देंगें। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारे यहां के हरिजन मुख्य मंत्री परास्त किए गए, और हमारे जो दूसरे मुख्य मंत्री महोदय आये और जो हमारे वित्त मंत्री महोदय आये, शिवचरण माथुर और आपके आते ही राजस्थान में उन्हें दो-तीन उपलब्धियां हुईं। उनके आते ही बाढ़ का प्रकोप हुआ, अकाल का पड़ना और दारू का खुल जाना हुआ।

(श्री हंसराज शर्मा)

यह सच बात है कि वह आदमी दारू नहीं पीता है।

(व्यवधान)

दुर्भाग्य इस बात का है कि दारू को खोल कर अपने आपको, अपने समूह को, अपने अनुयायियों को, राजस्थान के करोड़ों लोगों का अपने गला घोटा है . .

(व्यवधान)

माननीय सदस्य महोदय, आप भी पीना चाहें, पीजिए। आपका समय आया है। यह समय आप जैसे सफेद पोश लोगों के लिए ही आया है। इसलिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप रात में पीयें, दिन में पीयें। आपकी सरकार ने पीने की खुली छूट दे दी है। अतः रात दिन पीओ और अपने-अपने साथियों को पिलाते रहो, बिगाड़ते रहो।

(व्यवधान)

उदाहरण के रूप में मैं कहना चाहूंगा, मंत्री महोदय . . .

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री हंसराज शर्मा : शराबबन्दी लागू है, मुझे निश्चित विश्वास है कि अपने स्वाभिमान के लिए, अपने आत्म विश्वास के लिए, अणुव्रत के अनुयायी होने के नाते या तो कुर्सी छोड़ देंगे या इसको वापस लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सारे सदन से निवेदन करूंगा कि यह आर्डिनेंस जो पास कराने जा रहे हैं मंत्री महोदय से कहें कि वे वापस ले लें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बंशीलाल आर्य।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : मैं आर्य नहीं हूं, मैं पटवा हूं।

श्री श्रीराम गोदेवाला : दाऊ दयाल जी आर्य हैं कि अनार्य हैं।

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : हम सब आर्य हैं।

श्री हीरालाल आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले आर्य हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बंशीलाल पटवा।

श्री बंशीलाल पटवा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नशाबन्दी समाप्त करने की दृष्टि से राज्य सरकार ने जो अध्यादेश जारी किया और बिल लाने जा रही है, इसके संबंध में मेरे पूर्व वक्ताओं ने अनेक बातें कहीं। मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहता हूं। लेकिन जो गुण दोष पर आधारित बातें हैं, उनका संक्षेप में जिक्र करूंगा। जहां तक नैतिक मूल्यों का सवाल है, वह बात भी सदन में आई। कानूनी पेचीदगियों को लेकर भी सवाल खड़े हुए। हमारे एडवोकेट जनरल ने अपनी बात कही। विरोधी दल के नेता ने अपनी बात कही और राजबहादुर जी ने भी अपनी बात कही। लेकिन जहां तक गुण दोष का सवाल है, इस बारे में हमको गंभीरता से विचार करना चाहिये। मेरा आरोप सत्ता पक्ष पर यह नहीं कि सारे ही खराब हैं। कोई भी संस्था हो, कोई भी दल हो उसमें अच्छे और बुरे मिलते हैं और उस आधार पर सारा जीवन आंका जाता है। पार्टियां बनती हैं। पार्टियां कोई दीवार या बिल्डिंग नहीं होती हैं।

158

(श्री बंशीलाल पटवा)

अच्छे बुरे व्यक्तियों से मिल कर बनती है। उस आधार पर पार्टियो का धरातल आंका जाता है, स्टेटस आंका जाता है। जिन नैतिक मूल्यों की बात··

श्री राजबहादुर : कोई मंत्री नहीं है इस समय।

अनेक माननीय सदस्य : दो-दो बैठे हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : एक लड़की की शादी करने जाये और यह कहें, यह मंत्री चाहिये तो पूरे चाहिये। वहां तो किस-किस को ठेके दिये जायेंगे, इस बात की चर्चा हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या।

अनेक माननीय सदस्य : यहां भूतपूर्व मंत्री बैठे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : No talks, please.

श्री बंशीलाल पटवा : जहां तक राजनीति का सवाल था, गांधीजी, देश में कुछ इस तरह की बुराइयां थीं जिनको समाप्त करना चाहते थे और नैतिक धरातल पर इस देश को खड़ा करना चाहते थे। कानूनी अधिकार को लेकर बिल लाया जा सकता है, या नहीं ? इस पेचीदगी की बात नहीं करते हुए भी जो अध्यादेश निकाला गया मैं समझता हूं उसके पूर्व क्योंकि यह एक ऐसा विषय था जिसका सम्बन्ध राजस्थान की जनता से सीधा जुड़ा था, हमारे जीवन मरण से सीधा था, हमारे दल से विरोधी दल से बात की जाती, विचार किया जाता। लेकिन सरकार का उतावलापन था, अध्यादेश लायी। मैं समझता हूं, सेशन ज्यादा दूर नहीं था। उसके पूर्व ही अध्यादेश लाने की आवश्यकता क्यों महसूस की, इसके पीछे राज होगा या जोर जबर्दस्ती होगी, यह मैं नहीं जानता लेकिन इतना जरूर है कि अध्यादेश लाया जा सकता है कानूनन। लेकिन उसके बाद सैशन नजदीक था, सेशन बुला रहे थे, उसमें यह सारी बात रखी जा सकती थी। सीधा बिल रख देते, लेकिन यह नहीं किया गया। मेरा निवेदन है कि गांधीजी ने जिन आदर्शों को लेकर इस देश को खड़ा करने की बात सोची, नैतिक मूल्यों को प्रतिष्ठापित करना चाहते थे, उससे कितनी दूर चले गये। एक जमाना था, आजादी के पहले जो कांग्रेस थी, उसके बारे में लोग चर्चाएं करते हैं। उस समय पर्सनल्टी थी। लेकिन वह आज नहीं दिखाई देती। उसके बाद गांधीजी दारूबंदी चाहते थे, नशाबन्दी चाहते थे। लेकिन नशाबन्दी हम फिर से समाप्त करना चाहते हैं। जनता सरकार ने लागू की, उस समय लोगों के मन में एक विचार आया था कि गांधी जी का सपना साकार हो रहा है।

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक के
समय में वृद्धि

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जब तक यह विधेयक पास न हो जाये तब तक के लिये सदन का समय बढ़ा दिया जाये।

(व्यवधान)

मैंने आज की कार्य सूची की बात

(श्री खेतसिंह राठौड़)
नहीं कही है। आपके और मेरे बात हो चुकी है।

श्री राजबहादुर : ना तो आप सुन रहे हैं.......

श्री खेतसिंह राठौड़ : इसलिये कि आज पारित करना है।

(व्यवधान)

श्री राजबहादुर : सारी फार्मेलिटी हो रही है। किसी का ध्यान नहीं है। मंत्री महोदय स्वयं नहीं है।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : वह तो शर्म के मारे उठकर चले गये।

श्री राजबहादुर : इंसान की रूहानी और जिस्मानी ताकत महदूद होती है। इसलिय जितना रूह से, दिमाग से और जिस्म से काम कर सकता है, उतना 10-11 बजे तक।

(व्यवधान)

कोई डिबेट का फायदा नहीं है। ना आप हमारी बात सुन रहे हैं।

श्री जयकृष्ण शर्मा (राज्य मंत्री, यातायात): क्या आज नयी बात है? उपाध्यक्ष महोदय, हमेशा हाउस इसी तरीके से चला है। स्वयं ललित जी ने 10-11 बजे तक चलाया है। आज ही कोई नयी बात नहीं है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री राजबहादुर : अगर उन्होंने गलती की है, तो आप भी करेंगे ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : गलती का क्या सवाल है। क्रम चला रखा है।

श्री उपाध्यक्ष : उसका एक ढंग है। थोड़ीसी माननीय सदस्य बात कह दें तो जल्दी खतम हो सकता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह बिल कोई छोटा मोटा बिल तो है नहीं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इस बिल पर तो आप एक महीने तक भाषण दे सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री राजबहादुर : आपका.....

श्री खेतसिंह राठौड़ : बिल को आज ही पास कराना है।

श्री राजबहादुर : मैं बहुत की इज्जत और आदर के साथ अपील करना चाहता हूं कि यह बिल ऐसा है, जिसमें आदर्शों का जीवन शैलियों का टकराव हो रहा है। मैं विनती करूंगा, यह ऐसी चीज है, हम यह चाहेंगे कि यहां हम जो बोलें हमारी आवाज पब्लिक तक पहुंचे। सरकारी पक्ष इसको इस तरीके से पास करवाना चाहता है, तो करवा लीजिये। अध्यक्ष महोदय ने एलान कर दिया है। इन्होंने यह प्रस्ताव रखा था, एक दफा प्रस्ताव गिर चुका है। दुवारा इस प्रस्ताव को कैसे रिवाइव कर दें। जैसे यह बिल रिवाइव हो रहा है, वैसे यह प्रस्ताव रिवाइव हो रहा है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : दो घंटे में पास होने की बात थी। नयी बात क्या है ? हाउस का समय हमेशा बढ़ा है।

(व्यवधान)

160

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री राजबहादुर : आपको तो बिल पास कराना है।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की अनुमति से 8 बजे तक का टाइम बढ़ाया जाता है।

राजस्थान मद्य निषेध अधिनियम निरसनकारी विधेयक, 1981

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो बोलने की छूट दे दें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप आठ बजे तक पारित कर दें।

श्री राजबहादुर : हम नहीं करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपना भाषण जारी रखिये।

श्री बंशीलाल पटवा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज कर रहा था उस समय लोगों को आशाएं बंधी कि गांधीजी का सपना साकार होगा। लेकिन कांग्रेस सरकार फिर से इस तरह अध्यादेश लाकर बिल लाकर गांधीजी के सिद्धांतों की हत्या कर रही है। यदि आज गांधी जी इस देश में जिन्दा होते और अपनी नीतियों के विपरीत फिर से इस तरह से नशाबन्दी समाप्त करने की बात देखते तो मैं सोचता हूं कि उनको कुछ न कुछ अपने लिए सोचना पड़ता। आज गांधीजी जीवित नहीं हैं अगर वे होते तो निश्चित रूप से यह स्थिति देख कर, सरकार की स्थिति देखकर उनको विष खाना पड़ता। आज इस तरह नशाबंदी तोड़ कर, इस देश में शराब की दुकानें खोली जायें और हो भी इस तरह से राजनैतिक तौर तरीकों के आधार पर दूकानें दी जायें। ज्यों ही अध्यादेश जारी हुआ, ऐसे ऐसे स्थानों पर मंदिरों के नजदीक, सार्वजनिक संस्थाओं के नजदीक खोल दी गई। गुण्डागर्दी चालू हो गई। हमारा देश गरीब मुल्क है इसमें 80 प्रतिशत किसान और श्रमिक रहते हैं। गांधी जी का दृष्किोण यही था, वह चाहते थे कि हर चीज और हर कानून प्रत्येक व्यवस्था हमारे देश की धरती के अनुकूल बने। लेकिन हम इस देश की धरती के अनुकूल व्यवस्था बनाये जाने के बजाय विपरीत बनाने लगे। गांधी जी ने स्वदेशी आन्दोलन क्यों चलाया? विदेशी वस्तुओं की होली क्यों जलाई? लंगोटी क्यों धारण की? आखिर इसके पीछे कुछ मापदण्ड है। हमारा गरीब मुल्क है, लोगों को कपड़े नहीं मिलते, फटे चिथड़ों में रहते हैं। इस कारण लंगोटी धारण की। उन्होंने नैतिक मूल्यों की बात क्यों की? क्योंकि देश आगे बढ़े।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, पांच मिनट में अपने विचार रखता हूं। गांधी जी ने जो विचार रखे, उसके पीछे आधार है, लेकिन हम उन बातों को भूलते जा रहे हैं। नैतिक मूल्यों की बात करते हैं, लेकिन उनसे परे हटते जा रहे हैं। आज देश में कानून व्यवस्था टूट रही है। हम अच्छे समाज की रचना करना चाहते हैं, क्या शराब पिलाकर हम अच्छी रचना करेंगे? जैसे एक एनीकट बनाते है और उसमें यदि कोई बुरी करप्ट प्रेक्टिस होती है तो इसका अर्थ यह तो नहीं कि हम एनीकट बनाना ही बन्द कर दें। शराब-बन्दी मान लो लागू की गई, उसमें कुछ

(श्री बंसीलाल पटवा)

इस तरह की सफलता नहीं मिली तो उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, उसमें हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, जिसके कारण हम रचनात्मक प्रयत्न नहीं कर सके, कारगर ढंग से लागू नहीं कर सके, और सफलता प्राप्त नहीं कर सके। इस तरह की कमजोरी रह सकती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि शराब-बन्दी को खतम करवायें, दुकानें खुलवाएं। मैं पीने वाली कौम का आदमी हूं, लेकिन दो पीढ़ी से हमारे यहां पीते नहीं। कुछ न कुछ अच्छे संस्कारों की तरफ ले जाने की बात है, परन्तु ले जा नहीं पा रहे हैं। हम आगे कदम बढ़ाने के बजाय पीछे हट रहे हैं। जो सफलता प्राप्त की, आजादी प्राप्त की उसके बाद नेहरू जी ने कहा, इन्दिरा गांधी ने कहा, जितने भी महापुरुष हैं, उन सब ने कहा कि अच्छाई जहां भी हो लेनी चाहिये। लेकिन आज इस तरह की स्थिति हो रही है, हम इस दिशा से हट रहे हैं, भ्रम में है। आज जिस तरह की स्थिति हम लोगों की है उसे चेंज नहीं कर पाते। इतनी बेरोजगारी है। यदि किसी को नौकरी मिलती है, तो वह दिन भर नौकरी करके शाम को घर लौटता है...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दिन भर हम ऐसी समस्याओं में जुटे हुए रहते हैं कि रात भर सोते जागते रहते हैं इस तरह की स्थिति में है...

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री बंसीलाल पटवा : दो मिनट में। एसी स्थिति में शराब बन्दी लागू करनी चाहिये थी। लेकिन शराबबन्दी को तोड़ कर फिर से दुकानें खोल रहे हैं। ऐसी स्थिति है कि मानवता पर दानवता हावी होगी। गांधी जी के सिद्धान्तों की हत्या होगी। इस पर हम गंभीरता से विचार करें। यह 40-50 करोड़ का सवाल नहीं है। यदि 40 करोड़ प्राप्त करेंगे जैसा कि अभी खेतसिंह जी ने कहा कि विकास करना चाहते हैं, तो फिर चकले क्यों नहीं खोल लेते? उससे ज्यादा आमदनी होगी। गांधी जी ने नैतिक मूल्यों पर चरित्र की बात कही थी। शराब से चरित्र में गिरावट आयेगी, और चरित्र में गिरावट आयेगी तो हम राष्ट्रीय चरित्र का डेवलपमेंट नहीं कर सकेंगे। ऐसी स्थिति खड़ी हो जायेगी। मेरा सदन से अनुनय विनय है कि जो बिल ला रहे हैं, उसको हम ठुकरायें और उसके साथ इस प्रकार के कन्सट्रक्टिव प्रयत्न करें, जिनके आधार पर सफलता मिल सके। फिर से शराब चालू कर दें, यह गलत बात है। कानून तो बना हुआ था, क्यों नहीं रोका उनको जो गलत तरीके से जो शराब की भट्टियां चल रही थी। घर घर में डिस्टिलरी लोगों ने बनाई, उसका हमने क्यों नहीं उपाय सोचा? यदि सोचते, तो निश्चित रूप से उपाय निकलता, शराबबन्दी कानून बनाया गया था जनता सरकार की ओर से, वह गांधी जी की भावनाओं के अनुरूप था और प्रयत्न करते तो निश्चित रूप से सफलता मिलती। इसलिये मेरी अनुनय विनय है कि शराब बन्दी का कानून बना है, उसको फिर से तोड़ कर आप खुली छूट दे रहे हैं, मैं समझता हूं कि आप बहुत बड़ा अपराध करेंगे। यदि फिर से दुकानें खुली करवाई तो बहुत बड़ा अपराध

(श्री बंशीलाल पटवा)

होगा। समाज को गिराने वाला एक कदम होगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस कदम का विरोध करें और इस को गिरावें।

श्री उपाध्यक्ष: श्री छीतरलाल आर्य।

श्री छीतरलाल आर्य (अटरू): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान मंत्रिमण्डल ने शराबबन्दी समाप्त करके, जनता को फिर से कमजोर और गरीब रखने का षडयंत्र रचा है, जिसके कारण इस सरकार के प्रति जनता में भारी रोष है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मेरी ऐसी मान्यता है कि जनता का बढ़ता हुआ रोष, सरकार के पतन का कारण होता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आजादी की लड़ाई के समय में और उसके बाद भी कांग्रेस ने मदिरा का बराबर विरोध किया है। आश्चर्य है उसी दल की सरकार ने राजस्थान में फिर से मदिरा को प्रतिष्ठित कर दिया। उसका कदम सैद्धांतिक भावनाओं के प्रतिकूल है। जनता की नैतिक शक्ति को ही नहीं, बल्कि उसकी सुख सम्पदा को नष्ट करने वाला है। मदिरा पान की सभी धर्मों ने निन्दा की है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि बौद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म या हिन्दू धर्म में कहीं भी शराब पीने के लिये नहीं कहा गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शराब ऐसी वस्तु है, जिससे बुद्धि का नाश होता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां बुद्धि का नाश हो जाय। मेरी ऐसी मान्यता है उपाध्यक्ष महोदय, उस देश का, उस देश के व्यक्तियों का नाश होना निश्चित होता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जनता के हित से संबंधित यह बिल है तो जनतांत्रिक पद्धति का यह भी तकाजा था कि इतने महत्व के प्रश्न पर कोई निर्णय लेने से पहले सरकार कम से कम विधान सभा में इसकी चर्चा करती और विस्तार से चर्चा करती। कितने ही दिन और रुकना पड़ता, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। लेकिन यह नहीं करके, सरकार ने एक तरह से विधान सभा का अपमान किया है। यह आपके लिए और सरकार के लिए भी विचार करने की बात है। अचानक अध्यादेश जारी करने का औचित्य बनाने हेतु अध्यादेश में कहा है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक है। यह सर्वथा बे-बुनियाद है। ऐसी कोई परिस्थिति अचानक पैदा नहीं हुई थी, यह भले ही समझ लिया हो। उन्होंने कानून की मर्यादा का पालन नहीं किया है। इसमें सन्देह नहीं कि वास्तविकता की दृष्टि से सरकार ने गलत बात कह कर रूल्स की अवहेलना की है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि सत्तारूढ़ दल के मंत्री महोदय चंदनमल जी बैद ने इस तरह का बिल लागू करने का प्रस्ताव रखा है। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने अपने नाम के अनुरूप कार्य न करके एक निराशा का कार्य किया है। चन्दनमल का अर्थ होता है-चन्दन, जिसमें खुशबू पैदा होती है। लेकिन इस प्रस्ताव के लाने से उनकी कीर्ति होने के बजाय अपयश फैलेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कह कर समय देने के लिये आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री महावीर प्रसाद जैन।

(अनुपस्थित)

(श्री उपाध्यक्ष)
श्री भैरोंसिंह शेखावत
(अनुपस्थित)।

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरा नाम है, उपाध्यक्ष महोदय ।

श्री उपाध्यक्ष : आपका नाम नहीं है इसमें ।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि···

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, हमारा नाम है ·······

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री दाऊदयाल जोशी : जो विष में गुण हैं, वही गुण....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैंने अनुमति नहीं दी है ।

(व्यवधान)

इसमें आपका नाम नहीं है ।

श्री सूरजपाल सिंह : आपका तो नाम नहीं है ।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : जो मूल लिस्ट है इसमें तो....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। आसन पैरों पर है, और आप खड़ी हैं, माननीय सदस्या ।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : जो आचार्य थे उन्होंने इस बात को कहा था कि...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह बात तो सभी धर्म गुरुओं ने कही है। आप बैठ जाइये।

श्री दाऊदयाल जोशी : आज हमारे एडवोकेट जनरल ने इस बात को कहा है कि इससे कुछ नहीं होता है, लोग मरते नहीं है...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, ऑर्डर ऑर्डर। आसन पैरों पर है ।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : बैठ जाइये, आसन पैरों पर है ।

(व्यवधान)

श्री माधवसिंह दीवान : यह तो न्यून-प्राश की ही बात करेंगे।

एक माननीय सदस्य : पॉइन्ट ऑफ आर्डर ।

(व्यवधान)

(164)

श्री अनंगकुमार जैन : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : महावीर जी आ गये हैं, इनका तो नाम था ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सरकार ने शराब बन्दी के मामले में हमारे × × × बोलने का हम को अधिकार है····

(व्यवधान)

श्री अनंगकुमार जैन (पाटन) : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर ।

श्री उपाध्यक्ष : पॉइन्ट ऑफ आर्डर ।

(व्यवधान)

श्री जयकृष्ण शर्मा : ढाई घंटे तो हो गये हैं, और कितना बोलेंगे ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, ऑर्डर ऑर्डर । मुझे बाध्य न करें, माननीय सदस्य ।

(व्यवधान)

श्री अनंगकुमार जैन : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर ।

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरा निवेदन यह है कि····

(व्यवधान)

वहां की जनता···

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज माननीय सदस्य । माननीय सदस्या ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सरकार शराब चालू कर रही है···

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय सदस्य, कृपया सुनिये तो सही···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय कृपया टाइम दें ..

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज । श्री चन्दन मल बैद ।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : महावीर जी आ गये हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं अलाऊ नहीं करूंगा । श्री चन्दनमल जी !

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महावीर जी आ गये हैं। दाऊदयाल जी बोलेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी पार्टी की ओर से श्री राम किशोर मीणा ने जो लिस्ट दी है, रिवाइज्ड लिस्ट, उसमें आपका नाम नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री महावीरप्रसाद जैन : मेरा तो नाम है ।

श्री दाऊदयाल जोशी : राजस्थान में इस विधान सभा में . . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

आप लोग बोले जा रहे हैं और मैं खड़ा हूं।

श्री दाऊदयाल जोशी : हम समझते हैं कि शराब पीना बहुत बड़ी . . .

(व्यवधान)

आचार्य ने इसको विष के समान बताया है।

श्री उपाध्यक्ष : यह मजहबी गवर्नमेंट नहीं है। माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है।

एक माननीय सदस्य : ये तो आयुर्वेद के महान ज्ञाता हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आपको नाम से पुकारना पड़ेगा, माननीय सदस्य।

श्रीमती उजला अरोड़ा : गवर्नमेंट हमारी है। हमको बात कहने का मौका मिलना चाहिए। नयी बात बता रहे हैं। हो सकता है कि अभी भी इनमें परिवर्तन आ जाये।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मुझे नाम से पुकारना पड़ेगा।

श्री दाऊदयाल जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं यह कह रहा हूं कि,

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अच्छा दो मिनट बोल लें,

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : श्रीमान्, मैं निवेदन कर रहा था . . . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह क्या तरीका है!

(व्यवधान)

मैंने अनुमति दे दी है। अब आप एतराज न करें। ऑर्डर प्लीज।

एक माननीय सदस्य : यह तो कोई बात नहीं हुई।

श्री उपाध्यक्ष : समय नष्ट न करें। शान्त रहें।

श्री तेजपाल यादव (चौमू) : आप उन्हीं को बोलने का समय दे रहे हैं, जिनमें जनता का ही विश्वास नहीं है, उन्हीं को आप मौका दे रहे हैं।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ×××।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो डिस्क्रीशन मेरा है, आप इसकी चर्चा न करें। बैठ जाइये. . . .

(व्यवधान)

ऑर्डर, ऑर्डर।

(व्यवधान)

मैंने दो मिनट का समय दिया है।

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री जयकृष्ण शर्मा : जितना चाहें बोल लें। 11 बजे तक बोलें, पर आप बिल पारित होने तक का टाइम बढ़ा दें। हमें एतराज नहीं है, वह टाइम को खराब करते हैं तो टाइम तो बढ़ाना चाहिए। 11 बजे तक बढ़ा दें, हमें कोई एतराज नहीं है। बोलें, चाहे जितना बोलें।

श्री उपाध्यक्ष : आप टाइम वेस्ट नहीं करें। दो मिनट बोलने दें।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर।

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) : उपाध्यक्ष महोदय, हम सब भी बोलेंगे, सदन में बोलेंगे····

श्री उपाध्यक्ष : मुख्य सचेतक जी के मार्फत नाम भेजें, फीर विचार करूंगा।

(व्यवधान)

श्री सूरजपाल सिंह : हम सब बोलेंगे

श्री मोहनलाल मोदी : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर।

श्री माधवसिंह दीवान : यह कैसी व्यवस्था उनके लिये दे रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : Please।

श्री मोहनलाल मोदी : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर है। पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर को इग्नोर करना चाहते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : क्या पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर।

श्री मोहनलाल मोदी : माननीय जोशी, अभी एक माननीय सदस्य को अंगूठा दिखा रहे थे, यह सदन के माननीय सदस्य के····

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अभी तो आप उनको अंगूठा दिखा रहे हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : भारत में एक महर्षि ने कहा था आज से 1500 वर्ष पहले····

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बाधा न डालें। स्थान ग्रहण करें।

श्री दाऊदयाल जोशी : श्री माधव आचार्य ने 1500 वर्ष पहले ही कहा था कि जो विष में गुण है·····

एक माननीय सदस्य : माइक तो ऊने कू रखो। माइक तो हट गयो है।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं निवेदन कर रहा था कि उन्होंने कहा कि जो विष में गुण है वह शराब है। उन्होंने आगे इसमें लिखा है कि मद्यग्राह्यय और पान मृत्यु। स्पष्ट लिखा है कि पीने के कारण पांच प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं। पांचवें नम्बर पर जो बीमारी होती है, वह है, मृत्यु। आज हमारी एटर्नी जनरल कह रहे थे कि शराब पीने से कोई मरता नहीं है। मेरा चैलेंज है कि दारू में जो विष है, दारू में जो आदमी की स्थिति होती है, जो अन्तिम स्थिति होती है, वह मृत्यु है। जिस स्थिति में आज यहां पर दलील दी जा रही है कि दारू से आदमी मरता नहीं है····

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आॅर्डर प्लीज ।

श्री सूरजपाल सिंह : नहीं पियेंगे, तो भी मरेंगे ।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं यह निवेदन कर रहा था कि जब आज की तारीख में यह प्रमाणित हो चुका है कि इससे यकृत के अन्दर केन्सर होता है। राजस्थान का यह दुर्भाग्य है कि राजस्थान के सबसे अधिक केस टाटा मैमोरियल अस्पताल में जाते हैं और ऐसे केसों में भी सबसे ज्यादा संख्या यकृत के केन्सर की है। मेरा निवेदन यह है कि आज यह प्रमाणित नहीं हुआ है कि केन्सर के मुख्य क्या कारण हैं, लेकिन यह बात वैज्ञानिकों ने प्रमाणित कर दी है कि कैंसर इस देश में फैल रहा है, वह इस शराब के कारण फैल रहा है। ऐसा भयंकर पाप मेरी सरकार....

एक माननीय सदस्य : आपकी सरकार नहीं है।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं अपनी सरकार मानता हूं। आपकी ही नहीं है, मेरी भी है। मैं भी इस सरकार का एक हिस्सा हूं। इसलिये मेरी सरकार आज के दिन और वह भी उस व्यक्ति, जो आचार्य तुलसी का शिष्य है, मैंने आज से सात दिन पहले उनका एक चित्र देखा था....

श्री उपाध्यक्ष : दो मिनट हो गये हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : चित्र देखा है। आचार्य तुलसी के चरणों में उनको स्वर्ण अक्षरों में पुस्तिका देते हुए मुख्य मंत्री के साथ। वह पुस्तिका आपके द्वारा आचार्य को समर्पित की गयी है। आचार्य साहब को पता नहीं था कि आप दोहर्वदी बोल रहे हैं, नहीं तो वह आपसे बात नहीं करते। उनको मैं अच्छी तरह जानता हूं। मैंने उनके दर्शन जयपुर में भी किये हैं, और लाडनूं में भी किये हैं। आचार्य जी किसी भी मूल्य पर दारू जैसी चीज को स्वीकृति देने वाले को माफी नहीं दे सकते हैं....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज।

श्री दाऊदयाल जोशी : आज के युग के महान संत हिन्दू संस्कृति के प्रवर्तक आचार्य तुलसी और उनके परम भक्त शिष्य चन्दनमल जो कि राजस्थान जैन समाज के अध्यक्ष हैं, ही दारू को समाप्त करने के विधेयक को समाप्त करें....

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

दारू चालू कर रहे हैं। दारू को समाप्त करके, वापस खोल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) : यह बिल राजस्थान के वित्त मंत्री ने पेश किया है, चन्दनमल जी ने पेश नहीं किया है।

श्री उपाध्यक्ष : बाधा नहीं डालें।

(व्यवधान)

आपका टाइम हो गया है। आप बिराजें।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं निवेदन कर रहा था कि राजस्थान का एक व्यक्ति आने वाले दो अक्टूबर को अपने प्राणों

(168)

(दाऊदयाल जोशी)

की आहुती देगा। उस समय राजस्थान का शासन डगमगा जायेगा, जैसे कि इन्दिरा का शासन डगमगा रहा है। आज चन्दनमल जी कह रहे हैं मैं शंकर बन कर जहर पी रहा हूं। माननीय चन्दनमल जी ! उस जहर में आप भी डूबेंगे, आप भी समाप्त होंगे और आपकी सरकार भी समाप्त होने वाली है। जिस दिन राजस्थान का वह सर्वोदयी नेता गोकुल भाई भट्ट आपके दरवाजे पर आकर अनशन करेगा और किसी के भी मनाने से अपना अनशन नहीं तोड़ेगा ····

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : अपनी बली देंगे, उस समय आपकी क्या स्थिति रहेगी ? आपकी सरकार की क्या स्थिति रहेगी? उन्होंनें चैलेंज कर दिया है कि अगर राजस्थान की सरकार ने दारू चालू की तो आने वाले बापू के जन्म दिन 2 अक्टूबर को मैं आमरण अनशन राजस्थान के वित्त मंत्री चन्दनमल जी के दरवाजे पर शुरू करूंगा। जब वे वहां पर मृत्यु को वरण करेंगे और फिर उनकी जो अर्थी निकलेगी वह जलेगी, तो उसके धुएं में आपकी सरकार और आप स्वयं अपनी सारी····

(व्यवधान)

श्री सूरजपाल सिंह : उससे पहले आप····

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : यहां पर ही, इस दसन में आपने यह घोषणा की थी, आपने इसी सदन में कहा था कि नैतिक शिक्षा के लिये प्रयास करेंगे। आपने कहा था कि धार्मिक शिक्षा के लिये भी प्रोत्साहन देंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

लेकिन आपने नैतिक शिक्षा तो ·····

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप कुछ भी करें, ये आपकी बात तो मानने वाले नहीं है।

श्री दाऊ दयाल जोशी द्रोपदी का चीर हरण हो रहा है, तो इसमें आप बैठे हुए हैं युधिष्ठर की तरह ×××

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री दाऊदयाल जोशी : ×××द्रोपदी का चीर हरण करने वालों का सत्यानाश होगा। उसमें कौरवों का सत्यानाश हुआ था, तो युधिष्ठर बच गया था, लेकिन कौरव समाप्त हो गये थे। मेरा आपसे निवेदन है.....

श्री श्रीराम गोटेवाला : तो आपने युधिष्ठर बना दिया है इनको ?

श्री उपाध्यक्ष : बापू जी।

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरा निवेदन है कि आप ···

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें।

×××अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

एक माननीय सदस्य : वेदों में क्या लिखा है सोमरस के बारे में ।

श्री बाऊ दयाल जोशी : आप दारू को न खोलें, यह मेरी आपसे पुरजोर प्रार्थना है । आप हमारी ओर · · ·

एक माननीय सदस्य : ये आपकी तरफ आने वाले नहीं हैं, आप चाहे कितनी ही कोशिश कर लें । ये चन्दन मल जी हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : शान्त रहें, माननीय सदस्य ।

(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : मेरा नाम पुकारा है, माननीय उपाध्यक्ष, आपने ।

श्री उपाध्यक्ष : बस अब ठीक है ।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : इसमें नाम है महावीर जी का ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मुझे नाम से पुकारना पड़ेगा ।

श्री महावीरप्रसाद जैन : पुकार लें ××× मैं बोलूंगा, यह मेरा अधिकार है ।

श्री उपाध्यक्ष : आसन पैरों पर है । और आप खड़े-खड़े बोल रहे हैं । आप बैठ जाइये । पहले आप बैठें ।

श्री सूरजपाल सिंह : आपका नाम पुकारा गया, उस समय आप यहां नहीं थे ।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराज ।

श्री भैंरू लाल भारद्वाज : मेरा भी नाम है । मैंने भी संशोधन दिया है । उनको ही मौका दे रहे हैं · · ·

श्री उपाध्यक्ष : यह संशोधन का मामला नहीं है, आप बैठें ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस कांग्रेस सरकार ने अध्यादेश जारी किया है, सारे प्रदेश में शराब चालू की है, उसमें उसने एक तरफ तो संविधान की हत्या की है, वहीं कांग्रेस के हमारे जो सिद्धान्त हैं, जो कांग्रेस का संविधान है, कांग्रेस के संविधान में यह जो व्यवस्था की गयी है कि कांग्रेस का कोई सिपाही, कोई कार्यकर्त्ता शराब नहीं पीयेगा, उसकी हत्या की है । सबसे ज्यादा शर्म आनी चाहिए आप कांग्रेस के लोगों को, जो जैन हैं उन्होंने भगवान श्री महावीर की आत्मा को धोखा दिया है। आज शराब खोल कर न केवल महात्मा गांधी की आत्मा को दुखाया है, उनकी ××× सारे धर्मों के अपने-अपने जो महापुरूष हैं, उनकी आत्मा को सताया है । मेरा ऐसा मानना है, मेरा आरोप है, स्पष्ट आरोप है, घोषणा है कि आज के दिन के बाद, इसके परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे । निश्चित् रूप से आप इस प्रकार की घोषणा करते हैं कि हम इसको किसी भी प्रकार से रोक नहीं पाये । आपने इसके उद्देश्यों और कारणों में बताया है "समाज विरोधी तत्वों द्वारा अवैध आसवन और मद्य का अवैध व्यापार किया जाने लगा, तथा इन क्रियाकलापों में सम्मिलित लोगों ने उन व्यक्तियों के स्वास्थ्य की कीमत पर, जिनको कि पीने की आदत थी, राज्य के राजस्व को हानि पहुंचा कर

×××अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

(170)

(श्री महावीर प्रसाद जैन)
समृद्धि प्राप्त की ।" उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि . . .

श्री उपाध्यक्ष : दो मिनट हो गये हैं । स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : व्यवस्था नहीं मान रहे हैं ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : जितना बोलेंगे आप, उतना ही समय आपका होगा ।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, हम नहीं बोलेंगे क्या ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : उन्होंने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फण्डामेंटल राइट्स को परिभाषित किया है । उन्होंने कहा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फण्डामेंटल राइट्स नदी के दो किनारों की तरह हैं । नदी के किनारों को तोड़ा-मोड़ा और सरकाया जा सकता है । किनारों को बढ़ाया जा सकता है, पर फ्लो को रोका नहीं जा सकता है । मेरा निवेदन यह है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के आधार पर यह कानून बना अप्रेल, 80 में शराब को समाप्त करने का और शराब बन्दी लागू हुयी । हमारे संविधान की जो भावनायें थीं, जो निर्देश थे, उनके अनुसार राजस्थान की सरकार ने, राजस्थान के राज्यपाल महोदय ने, पिछली जनता पार्टी की सरकार ने 79 में घोषणा की, राज्यपाल महोदय द्वारा अप्रेल, 1980 से सारे प्रदेश में शराब बन्दी की घोषणा कर दी, उसके बाद इसको वापस लिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करना चाहिये । इसके लिये किसी प्रकार से संविधान की कोई धारा नहीं है । यह बात तो ठीक है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के आधार पर कोई कानून बनाया जाये, उसके लिये आप कोई कानूनी रूप से बाध्य नहीं कर सकते हैं । परन्तु पुराना कानून वापस नहीं ले सकते हैं । यदि कानून बना दिया है तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि उसको वापस ले सकते हैं । संविधान में व्यवस्था नहीं है कि आप वापस ले सकते हैं । इसलिये चन्दनमल जी, जो अणुव्रत अनुयायी हैं, जैन धर्म के . . .

श्री उपाध्यक्ष : यह रिलीजियस गवर्नमेंट नहीं है, यह सेकूलर है ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : हमारा देश धर्म निरपेक्ष है । इसमें सभी धर्मों के लोग रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं और सिख भी रहते हैं । आज एडवोकेट जनरल ने कहा कि हमें मोरेलिटी तय करनी पड़ेगी । यह तय करना पड़ेगा कि मोरेलिटी क्या है ? आज हम यह तय कर रहे हैं क्या ? क्या यह सरकार इस बात की इजाजत दे रही है, इस बात को तय करने जा रही है कि मोरेलिटी में हमने शराब को शामिल कर लिया है ?

एक माननीय सदस्य : बिल्कुल ।

एक माननीय सदस्य : ××× पहले इन्हें तो बन्द कर दें ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

(व्यवधान)

×××अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार इसमें—

श्रीमती ऊर्जिला अरोड़ा : आदमी कभी बुरा नहीं होता, दुर्गुण बुरे होते हैं, ये दुर्गुण तुम लोगों में हैं · · ·

(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य । बैठिये ।

(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, इस प्रकार की व्याख्या की गई और यह कहा गया कि मजबूरी हो गई । हमारे सदन के एक माननीय सदस्य, भूतपूर्व मन्त्री ने शारदा एक्ट का उल्लंघन किया, अपनी नाबालिग बच्चियों की शादियां कीं । तो क्या यह सरकार, मुझे डर लग रहा है, उस कानून को वापिस लेगी । एक हमारे सदस्य को शराब पीकर उधम मचाने पर पुलिस एक्ट की धारा 34 में सात दिन की सजा हुई और 51 रु. जुर्माना हुआ । आज क्या करें ? उसी प्रकार शराब का व्यापार खुला है । इस बात की छूट दी जा रही हैकि लाओ शराब, गुण्डागर्दी करो, इसी प्रकार × × आपको कोई रोकने वाला नहीं है । चोरियां केवल हो ही नहीं रही हैं, चोरियां बढ़ रही है । डकैतियां केवल हो ही नहीं रही हैं, डकैतियां बढ़ रही हैं, होड़ लगी हुई है, क्या हम उन अधिनियमों को करेंगे ?

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

(समय—समाप्ति—सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मेरा यह मानना है, गरीबों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं । मुझे पता है, जब अभी कुछ दिनों पहले जब मेरी मां बीमार थी और मैं अस्पताल में था, उस समय एक हरिजन महिला, जो वहां ड्यूटी पर थी, का पति शराब पीकर आया और बोला मैं इसको लेकर जाऊंगा । वह नहीं गया, उधम मचाता रहा, सारे हॉस्पिटल को माथे पर उठा लिया । वह तब तक नहीं गया, जब तक उसकी पत्नी को नहीं ले गया । पत्नी नहीं जाना चाहती थी ।

एक माननीय सदस्य : शराब बन्दी थी उस समय ।

श्री सूरजपाल सिंह : कौनसी तारीख को ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : तीन चार दिन पहले की बात है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको पता है कि यह शराब एक पुलिस कर्मी पीकर · · · ·

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपस में बातें नहीं, माननीय सदस्य ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : रामगंज बाजार में एक बारात के साथ दुर्व्यवहार किया गया । इस प्रकार की दुर्घटना हुई जिससे लॉ-एण्ड-ऑर्डर की स्थिति बिगड़ गई ।

श्री **उपाध्यक्ष** : यही हालत रही तो माननीय सदस्य, टाइम बढ़ाना पड़ेगा····

श्री **महावीर प्रसाद जैन** : जिस प्रकार की बुराई, जिस प्रकार की हालत पैदा हो गई, हालात पैदा हो गये, उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। शराब पीकर सारी स्थिति बनेगी प्रदेश में, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता···

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मेरा यह मानना है जब से प्रोहिबिशन सारे प्रदेश में समाप्त किया, अपराध बढ़े हैं। पहले चोर बदमाशों ने अपराध करना बन्द कर दिया था। उनको वापिस आप छूट दे रहे हैं। पहले शराब पीओ, बाद में उधम मचाओ। इस प्रकार की जो व्यवस्था राजस्थान सरकार कर रही है, यह किसी भी प्रकार उपयुक्त नहीं है।

मैंने कई कांग्रेसी एम. एल. ए. से भी बात की। उनकी भी भावनायें शराब के खिलाफ हैं, वे इसके पक्ष में नहीं हैं। मैं कई माननीय सदस्यों के नाम बता सकता हूं। सदन के बाहर और यहां भी चर्चा की जाय तो वे कहेंगे कि नहीं होनी चाहिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप स्वयं इस बात के पक्षधर रहे हैं कि शराब खुली नहीं होनी चाहिये। परन्तु आज ××× आज हमारे वित्त मंत्री महोदय को कुर्सी का लालच है, नहीं तो बिल को पास नहीं करें। उनकी आत्मा गवाही नहीं दे रही है।

श्री **उपाध्यक्ष** : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री **महावीर प्रसाद जैन** : आज तक स्वागत होता था, अब क्या होगा उस समाज में। हर माननीय सदस्य के साथ क्या होगा ?

श्री **उपाध्यक्ष** : समाप्त कीजिये। हो गया अब आपका भाषण।

(व्यवधान)

ऑर्डर प्लीज।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर। उपाध्यक्ष महोदय, जितने भी माननीय सदस्य बोल रहे हैं, आपकी इजाजत से बोल रहे हैं। यह कोई तरीका नहीं है, मैं आसन से यह व्यवस्था चाहूंगी कि या तो आप इजाजत न दें, इजाजत देते हैं, तो कोई भी माननीय सदस्य बीच में इन्ट्रप्ट न करें। ऐसा आदेश दें, बीच में न बोलें।

श्री **सूरज पाल सिंह** : नहीं बोलेंगे।

श्री **उपाध्यक्ष** : कोई इन्ट्रप्शन नहीं करें, माननीय सदस्य। अब आप समाप्त कीजिये, काफी कह दिया।

श्री **महावीर प्रसाद जैन** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान हाई कोर्ट ने इस प्रकार की रूलिंग दी है, legislature cannot make law against morality.

(व्यवधान)

श्री **उपाध्यक्ष** : ऑर्डर प्लीज।

श्री **महावीर प्रसाद जैन** : मोरेलिटी के खिलाफ कोई कानून नहीं बना सकते। यह 1979 डब्ल्यू.एल.एन. 634 पेज

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री महावीरप्रसाद जैन)
पर पैरा नं. 9 पर "गगनराज सिंह नागौरी वर्सेज भारत सरकार" में फैसला किया। इसमें इस प्रकार के डाइरेक्शन दिये हैं कि कोई भी लेजिस्लेचर मोरेलिटी के खिलाफ कानून नहीं बना सकता।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री महावीरप्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, एक टी. टी. ने महिला के साथ रेप किया। वह महिला होस्टाइल हो गई, कोर्ट केस चल रहा था, तो कोर्ट ने कहा स्ट्रिक्चर पास किया कि निश्चित् रूप से गलत काम किया और निन्दनीय काम किया। लेकिन वह महिला होस्टाइल हो गई, इसलिए दण्ड नहीं दे सकता। डिपार्टमेन्ट ने उसको डिसमिस किया और डिसमिस करने के बाद हाई कोर्ट में पहुंचा, तो हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश ने यह कहा कि डिसमिस किया गया है, वह ठीक है, क्योंकि आचरण ठीक नहीं था, इसलिए मेरा निवेदन आपके माध्यम से सरकार से यह है कि सरकार ने यह बिल लाकर अच्छा आचरण नहीं किया। मैं निवेदन करूं कि महात्मा गांधी ने इस मामले में कहा है....

श्री उपाध्यक्ष : महात्मा गांधी ने तो बहुत कहा, लोगों ने भी सुन लिया। इस बात को सब जानते है। समाप्त कीजिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : इस मामले में महत्मा गांधी ने कहा है कि...

(व्यवधान)

जनतन्त्र होता तो यह स्थिति नहीं होती। महात्मा गांधी की बात को आप सुनना नहीं चाहते!

श्री सूरजपाल सिंह : महात्मा गांधी के पुजारी हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं मद्यपान को चोरी और सम्भवतः वेश्या वृत्ति से भी घृणित मानता हूं। क्या प्रायः ऐसा नहीं होता है कि अपराध इन दोनों का मूल कारण हो ? मैं मद्यपान से संबंधित राजस्व के अस्तित्व को मिटाने के लिए, शराब की दुकानों को समाप्त कर देने के लिए, देशवासियों का साथ देने का अनुरोध करता हूं। अतः इसके पूर्व कि मैं अनैतिकता में पड़ जाऊं, मुझे पूर्ण मद्य निषेध में अपना विश्वास होते ही अघोषित शराब को छोड़कर, अगर मुझे एक घंटे के लिये पूरे भारत का तानाशाह नियुक्त कर दिया जाय, तो सबसे पहले मैं यह काम करूंगा कि बिना प्रतिकर दिये, शराब की सब दुकानों को बन्द कर दूंगा। ताड़ी के सब पेड़ों को, जैसा कि गुजरात में देखा होगा, नष्ट कर दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये, अब आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन : महात्मा गांधी के अनुयायी, महात्मा गांधी का नाम लेकर, उनके नाम की शपथ लेकर, संविधान को नष्ट कर देंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कल्पना नहीं करें कि ये शराब को बन्द कर देंगे। यह महात्मा गांधी के नाम पर वोट लेते हैं, महात्मा गांधी की शपथ खाकर इस विधान सभा में आते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस अपराध की सजा इन माननीय सदस्यों को जरूर मिलेगी, इस सरकार को मिलेगी। मैं आपसे निश्चित रूप से कहता हूं कि पाप की सजा हमारे प्रदेश के लोगों को, गरीब लोगों को अकाल

(174)

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

और बाढ़ के रूप में मिल रही है। वह और ज्यादा मिलेगी।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त कीजिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : कल यह बिल रुक गया था तो बारिश शुरू हो गयी थी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें। ऑर्डर। अंकित नहीं किया जाय।

श्री महावीर प्रसाद जैन : × ×

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, श्री चन्दन मल बैद।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो पुष्पा जैन बोलेंगी।

(व्यवधान)

अभी तो पुष्पा जी बोलेंगी।

(व्यवधान)

श्री माधव सिंह दीवान : उपाध्यक्ष महोदय, इनको वाक आउट करना है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : × × ×
वाक आउट नहीं करेंगे। क्या बात करते हैं?

(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नाम पुकारा है, चन्दन मल बैद तो मेरा ही नाम है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अभी तो पुष्पा जैन बोलगी।

(व्यवधान)

(7.40 रात्रि)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष पदासीन)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। माननीय सदस्य।

श्री भंवर लाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, हमारे दल का जो समय बचा है वह पुष्पा....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर।

श्री भंरूलाल भारद्वाज (जमवा रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर मैं भी अपने विचार रखना चाहता हूं। मैंने इस बिल पर अमेन्डमेंट दिया है। एक ही दल की विचारधारा के लोगों की बात सुनी गई है, दूसरे दल के लोगों को सुना नहीं जा रहा है। ऐसा महसूस किया जा रहा है कि हम कोई अपराध करने जा रहे हैं, कोई बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि सदन को दूसरी विचारधारा के लोगों के विचार सुनने दीजिये। उन्हें भी मौका दीजिये। मैंने बाकायदा इस बिल पर संशोधन पेश किया। इसको हमारी सरकार ने पेश किया है। मेरा निवेदन है कि सदन में दूसरी तरफ की बात को भी सुना जाये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं रूल 295 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर, माननीय सदस्य। कृपया शान्त रहें, माननीय सदस्य। आर्डिनेन्स पर बहस चल रही है ना?

एक माननीय सदस्य : जी हां।

श्री अध्यक्ष : तो उस आर्डिनेन्स को अस्वीकार करने के संबंध में लगभग पौने चार घंटे, नहीं पौने तीन घंटे से बहस चल रही है। आप सभी अच्छी तरह से परिचित हैं कि कोई भी इस तरह का मामला हो, तो पहले ही बी.एस.सी. की मीटिंग में तय हो जाता है। कल का दिन इस पर पूरा लगा, आज भी एक बज कर 20 या 25 मिनट में जीरो आवर के समाप्त होने के बाद चर्चा चल रही है और एक ही दल के लोग बोले हैं। इस विषय पर काफी चर्चा हो चुकी है। मैं समझता हूं कि यह आवश्यक नहीं है कि जितने माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव किया है, वह सभी बोलें। यह उनके लिये आवश्यक नहीं है। जो मुद्दे थे वह सभी आप जानते हैं। मैं समझता हूं कि इस पर जितनी चर्चा होगी, उसमें पुनरावृति ही होगी। इसलिये मैं सोचता हूं कि इस स्टेज को समाप्त कर दें। अब मैं दूसरे दल को मौका देता हूं।

(व्यवधान)

अब समय सीमा बांधनी पड़ेगी। वह सात मिनट की होगी। इसमें भी मुझे तीन मिनट बैठाने में लगाना पड़ेगा, यह होना नहीं चाहिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं रूल 295 के तहत सूचना देना चाहती हूं जो कि मुझे अभी-अभी टुंककाल से मिली है। मुझे यह सूचना मिली हैं कि कल रात को बीकानेर में के.ई.एम. रोड पर ठेकेदारों और पुलिस के लोगों को लड़कों ने मना किया था कि हम रात को दस बजे दुकानें नहीं खोलने देंगे। तो उन्होंने पिस्तोल से मारा, बन्दूक से मारा है। वह लड़का अस्पताल में भर्ती है। उसका नाम प्रेम रत्न शर्मा है। लेकिन बीकानेर पुलिस इस मामले को दर्ज नहीं कर रही है। उनकी कोई मदद नहीं कर रही है मान्यवर...

श्री अध्यक्ष : इस मामले को किसी और तरह से सदन में उठायें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं तो सूचना दे रही हूं। इस बिल पर चर्चा चल रही है। ऐसे काम होंगे, तो लोग कैसे बचेंगे ? अध्यक्ष महोदय, इन मंत्री महोदय को कहें कि व्यवस्था करें जो ऐसे बिल ला रहे हैं। मरवा रहे हैं लोगों को, सुरक्षा प्रदान नहीं कर रहे हैं। सरकार का उत्तरदायित्व है, सरकार का फर्ज है, संरक्षण पब्लिक को दिया जाय। पब्लिक की जान-माल की रक्षा करना सरकार का उत्तरदायित्व है। इसलिये मैंने सरकार को सूचना दी है। मैं अपनी जिम्मेदारी समझती हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, स्थान ग्रहण करें। श्री भैरूंलाल भारद्वाज। भाषण नहीं होगा, माननीय सदस्य।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : भाषण नहीं, अध्यक्ष महोदय। शराब बुरी चीज है।

श्री दाऊदयाल जोशी : पण्डितजी अन्तर आत्मा की आवाज बोलना।

(व्यवधान)

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : शराब बुरी चीज है, मैं मना नहीं करता।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहे।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : शराब बुरी चीज है। शराब को चलाना कोई नहीं चाहता

(176)

(श्री भैरूलाल भारद्वाज)

है। शराब कब से शुरू हुई हिन्दुस्तान में, वह एक बहुत पुराना इतिहास है। शराब का नाम बुरा है, यह बात सही है जबसे इसका नाम शराब हुआ। पहले इसका नाम सुरा था, जिसको सुर लोग पीते थे। परन्तु जबसे आर्यों ने इस सुरा को शराब का रूप दिया, तब से यह बन्द की गयी है। किसी अच्छी चीज को लेने में बुराई नहीं। जैसा कि यहां मालूम हुवा कि कई माननीय सदस्यों ने इसका विरोध किया है। वह इस प्रकार की बात करते हैं जैसे कि शराब को चलाने के लिये कोई कानून बना दिया गया हो कि सभी को शराब पीनी ही पड़ेगी। ऐसी बात नहीं है। शराब बन्दी कांग्रेस की नीति रही हैं। महात्मा गांधी का जो यहां पर उदाहरण दे रहे हैं जिन्होंने महात्मा गांधी को कोट किया है कि वह अगर तानाशाह बन जावे, तो वह एक दिन में शराब की दुकान बन्द कर देंगे। वह खुद तानाशाह हैं, जो कि महात्मा गांधी को तानाशाह के रूप में कोट करना चाहते हैं सदन के अन्दर। वह तानाशाह किसकी वजह से हैं? यह उनकी विचारधारा के लोग थे, आज वे ही लोग महात्मा गांधी का नाम लेकर··

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : ×××

(व्यवधान)

महात्मा गांधी का नाम तुम्हारी जबान पर शोभा नहीं देता।

(व्यवधान)

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्षके आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : तुम तो इन्दिरागांधी का नाम लो, संजय गांधी का नाम लो, राजीव गांधी का नाम लो।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या। अंकित न हो, आर्डर आर्डर।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ×××

श्री भैरूलाल भारद्वाज : तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ×××

(व्यवधान)

की है वह आज महात्मा गांधी के नाम की दुहाई देते हैं। दुनियां के सामने, अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सरकार कुछ शराब बन्दी के पक्ष में है। हमारी सरकार रचनात्मक कार्यों के पक्ष में है। जो हमारे क्रियाशील कांग्रेस कार्यकर्ता होते हैं, वह शराब बन्दी कार्यक्रम के पक्ष में हैं। हम हमारे कार्यक्रमों से पीछे नहीं हटेंगे और हम तो चाहते हैं कि लोग शराब न पीयें। हमारी पार्टी इसके लिये एक विशेष अभियान जारी करने जा रही है। हमारा कोई भी क्रियाशील सदस्य शराब नहीं पीता है। हम शराब पीने वाले को हमारी पार्टी का क्रियाशील सदस्य नहीं बनाते हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : घर घर में बोतल मिलेगी। बोतल शराब की होगी, ऊपर दवा लिखा होगा।

(व्यवधान)

श्री भैरूलाल भारद्वाज : आप बीच में नहीं बोले। मैंने इसके अन्दर संशोधन दिया है। मेरा संशोधन है, उसमें नहीं लिखा है कि लोग शराब पीयें। हमने कभी कहीं नहीं लिखा

(श्री भैरूलाल भारद्वाज)
है कि हम शराब पिलायेंगे । हम शराब बन्दी के पक्ष में हैं ।

श्री बाऊदयाल जोशी : इससे 50 करोड़ रुपया मिलेगा ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ।

श्री भैरूलाल भारद्वाज : यहां शराब बन्दी…

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : इस बिल को हम बरदाश्त नहीं करेंगे ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर । माननीय सदस्य कृपया शान्त रहें । यह कोई वाद-विवाद का तरीका नहीं है ।

श्री भैरूलाल भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार शराबबन्दी जारी की गयी थी, उससे यह पता लगता है कि शराबबन्दी की गलत नीति जारी करके शराब बन्दी का कानून कुछ स्वार्थी लोगों को फायदा पहुंचाने के लिये उन्हें सौंपा था । वह जानते थे कि हिन्दुस्तान में कानून से शराब बन्द नहीं हो सकती है । इसके बावजूद उन्होंने कानून बनाया । शराब कानून से नहीं बिके ताकि उनके साथी लोग, उनके धन्ना सेठ लोग चोरी से शराब बनाते रहें और निहित स्वार्थी वर्ग उनका शोषण करता रहे । अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस तो शराब बन्द करना चाहती है, पर शराब पीने वाले लोगों ने शराबबन्दी का ढोंग रचा । शराबबन्दी का कानून हमारे भारत में कहीं नहीं चला । हिन्दुस्तान के कई प्रान्तों में वापस मजबूर होकर उसे लिया गया । इसलिये शराब बन्द करना चाहते हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूं सदन को, कांग्रेस धीरे-धीरे लोगों को समझा बुझा कर, लोगों के मन में इस बुराई को बैठा करके निश्चित रूप से एक दिन वह लायेगी कि जब हिन्दुस्तान में कोई शराब नहीं पीयेगा । अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा इसके बेक ग्राउन्ड में जाना चाहता हूं । असल में जब से शराब-बन्दी का यह नाटक जनता पार्टी की ओर से खेला गया है, आप देखिये कि गांव-गांव, जहां शराब का नामोनिशान नहीं था, वहां भट्टियां लगने लग गयीं और लोगों ने शराब को एक नाजायज धंधे के रूप में करना शुरू कर दिया । इतना ही नहीं, शराब के नाम पर जहर पिलाने वाले व्यवसायी, व्यापारी और बड़े ठेकेदार लोग हैं जिनको खास तौर से जनसंघ का संरक्षण रहा है, जिसका नाम अब भारतीय जनता पार्टी है, वह नाजायज शराब पिला करके लोगों के वोटों के ठेकेदार बनने लगे । इसलिए ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने इस बात के लिए सोचा……

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्य ।

श्री बाऊदयाल जोशी : कांग्रेस के एम. एल.ए. को सजा हुई है और यह फैसला रहा…

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज माननीय सदस्य । यह कोई तरीका नहीं है । आर्डर प्लीज ।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर । आर्डर माननीय सदस्य ।

श्री भैरूलाल भारद्वाज : ....शराब इतनी बड़ी बुराई है जिसको कि कोई भी आदमी जारी नहीं रखना चाहता है

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : ...कांग्रेस एक ऐसी संस्था है, जो सदा इस देश के विकास को आगे बढ़ाना चाहती है। वह कभी शराब की समर्थक नहीं हो सकती....

श्रीमती उजला अरोड़ा : रामगढ़ के बंधे में दारू भरवा दीजिए। सब अपने आप पी लेंगे। सुना...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सुना रामगढ़ के बंधे में शराब भरवा दो और पिलाओ लोगों को।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि जिस मशीनरी के जरिये हम इस प्रतिबंध को, कानून के जरिये शराब को बंद करना चाहते थे....

श्रीमती उजला अरोड़ा : वह फेल हो गयी।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : ...क्या आज भारत में ऐसी मशीनरी है....

श्रीमती उजला अरोड़ा : मशीनरी तो है, लेकिन चलाना नहीं चाहते हैं।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : राजाओं की वह मशीनरी, वह नौकरशाही प्रजातंत्र के लिए कतई अनुपयुक्त है, उसको इस जनता पार्टी ने 2½ साल में इतनी जंग लगा दी कि मशीनरी की पोजीशन नहीं है कि वह शराबबन्दी को सफलतापूर्वक लागू करवा सके। इसका मतलब यह हुआ कि जब तक शराबबन्दी का बोलबाला नहीं हो, तब तक कागजों में ही रहे और निहित स्वार्थी लोगों को धन इकट्ठा करने का और गरीब लोगों को लत के जरिये विषैली शराब पिलाकर मारने का काम कोई भी सरकार जारी नहीं रखना चाहती है। मैं इस संबंध में एक बात यह याद दिलाना चाहूंगा

श्री अध्यक्ष : समय समाप्त हो रहा है, माननीय सदस्य।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : यह तो हमारा कदम है, यह शराबबंदी के युद्ध के मोर्चे से पीछे हटने का बिल्कुल नहीं है, बल्कि हमारी यह रण नीति है कि हम इस कानून के जरिये चोर बाजारी को बन्द करके एक वातावरण बनायेंगे। कांग्रेस पार्टी एक कार्यक्रम चलायेगी। हम विश्वास दिलाते हैं कि इस बुराई को समूल नष्ट करने के लिए हमारी कांग्रेस का एक-एक कार्यकर्त्ता घर-घर जाकर निहित स्वार्थों का भण्डाफोड़ करेगा, गरीबों को समझायेगा कि निहित स्वार्थी लोग ठेकेदारों के, व्यापारियों के और बड़े-बड़े जागीरदारों के वोट लेकर शराबबंदी से उनका हित होगा, गरीबों का नहीं होगा...

श्री अध्यक्ष : समय समाप्त हो रहा है, माननीय सदस्य।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : ...शराब को हम बंद करेंगे, निश्चितरूप से बंद करेंगे, यह

(श्री भैरूलाल भारद्वाज)

मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय……

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। समय समाप्त हुआ, माननीय सदस्य। स्थान ग्रहण कीजिए।

कुमारी पुष्पा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : ब्राह्मण × × × महासभा के अध्यक्ष बनते हो।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य 8 बजे स्वतः ही समाप्त हो जायेगा।

कुमारी पुष्पा!

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : भारद्वाजजी आपके परिवार में शराब तो कोई नहीं पीता है?

श्री दाऊदयाल जोशी : आप पिलाओ ब्राह्मणों को।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, कुमारी पुष्पा……

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : पंडित जी। अब आपने ब्राह्मणों का नाम डुबो दिया। मैं कभी समर्थन नहीं करता, अगर आप इस तरह से दारू की वकालत करते……

(व्यवधान)

ऐसे बोलने वाले जाति में थोड़े ही बैठ सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला : जाति प्रथा समाप्त हो चुकी है।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : ……बिलकुल अन्यायपूर्ण बात है……

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : ….दारू की वकालत कर रहे हैं। शर्म करो।….

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मेरे पास सिवाय इसके कोई चारा नहीं है। आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

इस स्टेज पर आज चर्चा समाप्त हुई कल वित्त मंत्री जी का उत्तर होगा।

सुश्री पुष्पा जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मेरा नाम पुकार लिया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मेरे पास कोई चारा नहीं है। अन्य कोई तरीका उपलब्ध नहीं है……

(व्यवधान)

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(180)

(श्री अध्यक्ष)

आर्डर, आर्डर ।

(व्यवधान)

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि आज की कार्यसूची में विचारार्थ रखे गये विधेयक सदन में कल लिये जायेंगे ।

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 24 सितम्बर, के प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 7.55 बजे वृहस्पतिवार दिनांक 24 सितम्बर, 1981 के म.पू. 11.00 बजे तक के लिये, स्थगित हुई ।)

परिशिष्ट 1

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

जयपुर में ट्रैफिक की अव्यवस्था

195. श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि शहर जयपुर में ट्रैफिक व्यवस्था असन्तोषजनक है ?

(2) क्या यह भी सही है कि चांदपोल बाजार, सांगानेरी दरवाजा, नया दरवाजा और छोटी व बड़ी चौपड़ों पर ट्रैफिक व्यवस्था सुचारु नहीं है और प्रायः वहां कार्यालयों के प्रारम्भ व छूटने के समय आवागमन अवरुद्ध होने की स्थिति बनी रहती है ?

(3) क्या यह सही है कि गोविन्द मार्ग, चेतक पार्क, राजा मार्ग, आदर्श नगर रोड पर अनेकों अस्पताल, नर्सिंग होम्स, प्राइमरी व अन्य छोटे बड़े बच्चों के स्कूल्स हैं ? क्या इन सड़कों पर ट्रक ट्रैफिक अबाध रूप से चल रहा है ?

(4) क्या किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने दूलाराव का रास्ता (बापू बाजार के अन्दर) ट्रकों के प्रवेश पर रोक लगाने के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो क्या वहां ट्रकों का आना-जाना बन्द है ?

(5) उपरोक्त ट्रैफिक अव्यवस्था में स्थायी सुधार के लिये सरकार क्या कर रही है ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) इन स्थानों पर यातायात को सुव्यवस्थित बनाये रखने हेतु ट्रैफिक कान्सटेबल प्रातःकाल से देर रात्रि तक लगाये जाते हैं । कार्यालयों के खुलने का समय प्रारम्भ होने से पूर्व अथवा समाप्ति पर अधिक यातायात होने के कारण कभी-कभी अवरोध उत्पन्न होना स्वाभाविक है । इन दोनों समयों में भीड़-भाड़ वाले सभी मार्गों पर अतिरिक्त ट्रैफिक व्यवस्था की जाती है ।

(3) जी हां । बाढ़ से प्रमुख राज मार्गों व बाई पास के अवरुद्ध हो जाने के कारण ट्रकों को इन मार्गों से निकाला जा रहा है जिसके सुचारु संचालन हेतु विशेष ट्रैफिक व्यवस्था की गई है ।

(4) जी नहीं । यहां प्रातः 8.30 बजे से रात्रि 9.30 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश निषेध है ।

(5) नगर की ट्रैफिक व्यवस्था में और सुधार लाने हेतु राज्य सरकार द्वारा उच्चस्तरीय विचार विमर्श किया जा रहा है ।

विद्युत कटौती से प्रभावित उद्योगों को अनुदान

196. श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार विद्युत कटौती के प्रभावों से उद्योग धंधों को प्रभावित होने से बचाने की दृष्टि से अन्य राज्यों, यथा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, गुजरात आदि की भांति उन उद्यमियों, जिन्होंने अपने

(श्री सूरजपाल सिंह)

निजी जनरेटर्स लगाये हैं, को 50 प्रतिशत अनुदान देने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो इस पर निर्णय कब तक कर लिया जायेगा ?

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा किन उद्यमियों को 15 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है ?

(3) क्या जिन उद्यमियों ने गत वर्षों में विद्युत् कटौती के कारण परेशान होकर अपने निजी जनरेटर्स लगा लिये हैं, परन्तु योजना में अनुमोदित नहीं हैं, उनको अनुदान दिलाने का सरकार का विचार है ?

उत्तर

(1) जी हां, विद्युत् कटौती के कारण जिन लघु औद्योगिक इकाईयों को डीजल जनरेटिंग सेट्स लगाने पड़े उनको अनुदान दिये जाने का मामला सरकार के विचाराधीन है।

(2) सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(3) यह अनुदान दिये जाने संबंधी निर्णय पर निर्भर होगा।

केन्द्रीय विनियोजन अनुदान के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची

1. औद्योगिक (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 1951 (समय-समय पर संशोधित) के प्रथम परिशिष्ट में सम्मिलित उद्योग।

2. निम्नांकित बोर्ड स/एजेन्सीज की परिधि में आने वाले उद्योग :–

(1) स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज बोर्ड
(2) कोयर (Coir) बोर्ड
(3) सिल्क बोर्ड
(4) अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड
(5) अखिल भारतीय हाथकर्घा बोर्ड
(6) औद्योगिक विकास के लिए सरकार द्वारा गठित कोई अन्य एजेन्सी।

3. (1) समस्त एग्रो इण्डस्ट्रीज एवं पोल्ट्री, भूमि भवन एवं एक्विपमेंट की कार्यशील पूंजी के व्यय तक आरक्षित।
(2) हाईब्रिड सीड्स (Hybrid Seeds)
(3) माइनिंग
(4) कोल्ड स्टोरेज
(5) होटेल्स
(6) जनरल वर्कशाप, जिसमें रिपेयर वर्कशाप सम्मिलित हैं, की तरह के सर्विस इन्स्टीट्यूटस। अन्य सर्विस इण्डस्ट्रीज इस अनुदान हेतु आरक्षित नहीं हैं।

पंचायत समिति की बैठकों की क्षेत्रीय विधायकों को सूचना

197. श्री बालचन्द्र आयंचीर (डग), एवं श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) झालावाड़-डग पंचायत समिति की सन् 1980-81 में कितनी बैठकें कौन-कौन सी तारीखों में हुईं ? क्या उन सभी बैठकों की सूचना क्षेत्रीय विधायक को दी गई ? यदि हां, तो सभी बैठकों की तारीख सहित सूची कृपया सदन के पटल पर रखें

(श्री बालचन्द्र आर्यवीर)

(2) क्या यह सही है कि दिनांक 7-7-1981 को पंचायत समिति, डग की मीटिंग हुई थी ? क्या उसकी सूचना क्षेत्रीय विधायक को दी गई ? उस मीटिंग में कौन-कौन अधिकारी आये थे ?

(3) क्या बैठक की सूचनाएं विधिवत निकलती हैं ?

(4) क्या यह सूचना विधायक को जयपुर तथा उसके क्षेत्रीय मुकाम पर दी जाती है ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति, डग जिला झालावाड़ में वर्ष 1980-81 में कुल 2 बैठकें क्रमशः दिनांक 5-12-80 एवं 18-2-81 को आयोजित की गई हैं। दिनांक 5-12-80 को आयोजित बैठक की सूचना श्री बालचन्द्र आर्यवीर, विधायक को जरिये पत्र संख्या 2046-97, दिनांक 17-11-80 को भिजवाई गई है। उप जिला विकास अधिकारी, झालावाड़ द्वारा दिये गये निर्देश पर दूसरी बैठक दिनांक 18-2-81 को पंचायत समिति क्षेत्र के विकास एवं राहत कार्यों के बारे में विचार विमर्श करने हेतु केवल मात्र क्षेत्र के सरपन्चों के लिये ही बुलाई गई थी।

(2) दिनांक 7-7-81 को पंचायत समिति, डग द्वारा कोई बैठक आयोजित नहीं की गई थी। ऐसी स्थिति में बैठक का नोटिस क्षेत्रीय विधायक को देने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। बैठक आयोजित नहीं होने के फलस्वरूप कोई अधिकारी बैठक में उपस्थित नहीं हुए।

(3) जब कभी भी पंचायत समिति की बैठकें आयोजित की जाती हैं तो विधिवत उसकी सूचना संबंधित अधिकारियों एवं विधायकों को दी जाती है।

(4) पंचायत समिति में होने वाली बैठकों की सूचना क्षेत्रीय विधायक को उनके मुख्यालय भवानी मंडी पर दी जाती है।

ग्राम ठुकरियासर (चूरू) में हुई हत्या के कातिलों को पकड़ना

198. **श्री रेवतराम चौधरी** (डूंगरगढ़): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या 3 वर्ष पूर्व ग्राम ठुकरियासर, जिला चूरू में किस्तुरिया जाट की हत्या की रिपोर्ट उसकी पत्नी ने थाना पुलिस श्री डूंगरगढ़ में दर्ज करवाई थी ?

(2) यदि हां, तो उस रिपोर्ट में किस्तुरिया की हत्या में किन-किन व्यक्तियों का हाथ होना लिखाया था और पुलिस ने अब तक इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

(3) क्या अभी तक इस मामले में किसी को गिरफ्तार किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब अपराधियों को पकड़ने के लिये पुलिस क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) श्रीमती शान्ति देवी द्वारा उसके पति किस्तूराराम की चैत वदि 2034 के आस-पास 4 अभियुक्तों द्वारा जोधपुर से पट्टियां लाने के बहाने ले जाने तथा अभियुक्तों के कुछ दिन बाद वापस लौट आने, परन्तु अपने पति के वापस न आने पर अपने पति को मार दिये जाने अथवा छिपा रखने

(गृह मंत्री)
की शंका होने पर एक इस्तगासा अदालत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरू के समक्ष दिनांक 7-12-78 को प्रस्तुत किया गया था जो उसी रोज न्यायिक मजिस्ट्रेट से धारा 156 (3) में जांच हेतु पुलिस थाना डूंगरगढ़ पर प्राप्त हुआ। जिस पर अभियोग संख्या 176 धारा 364 आई. पी. सी. के अन्तर्गत पंजीबद्ध किया गया।

(2) उक्त इस्तगासे में सर्वश्री हरिराम, हुक्माराम, बेगाराम व सहीराम के नाम अभियुक्तों में लिखाये हैं। सी. ओ. रतनगढ़ द्वारा अनुसंधान जारी है।

(3) जी नहीं। पुलिस द्वारा किस्तूराराम के बारे में पता लगाने के प्रयास किये जा रहे हैं। अनुसंधान जारी है।

नागौर में पशु चिकित्सा सुविधा

199. श्री **महाराम चौधरी (नागौर)**: क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) निर्वाचन क्षेत्र, नागौर में पशु चिकित्सा हेतु किस-किस गांव में क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध हैं? कृपया गांव का नाम व जो चिकित्सा सुविधायें प्रदान की जाती हैं उनका पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) कृत्रिम गर्भाधान का कार्यक्रम किन-किन गांवों में उपलब्ध है? क्या यह अपने लक्ष्य की पूर्ति करता है?

(3) निर्वाचन क्षेत्र नागौर में सन् 1980-81 में किस-किस गांव में पशु चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है? यदि नहीं, तो सन् 1981-82 में सरकार पशु चिकित्सा हेतु क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) निर्वाचन क्षेत्र नागौर में निम्नलिखित पशु चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं:

(1) पशु चिकित्सालय, नागौर
(2) पशु चिकित्सालय, खींवसर
(3) पशु स्वास्थ्य केन्द्र, पांचोडी
(4) पशु औषधालय, अलाय

इन सभी केन्द्रों पर सभी चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध हैं। पशु स्वास्थ्य केन्द्र, पांचोडी में प्रजनन सुविधा भी उपलब्ध है। क्षेत्र के चयनित गांवों में सघन पशु चिकित्सा सुविधा एवं चारा विकास की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाती है।

(2) कृत्रिम गर्भाधान का कार्यक्रम ग्राम आधार योजना, नागौर एवं उसके अधीन 10 उप केन्द्रों, चुटीसरा, रोल, चेनार, वासनी, गोगेलाव, अलाव, खरनाल, सिनोद, फनोद, तथा ताउसर ग्रामों में उपलब्ध है। वर्ष 80-81 के लिये निर्धारित लक्ष्यों एवं उनकी प्राप्ति निम्न प्रकार थी:—

उपलब्धि—4323 लक्ष्य—4600

(3) वर्ष 80-81 में नागौर निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत कोई पशु चिकित्सा संस्था नहीं खोली गई है।

1981-82 में पशु चिकित्सालय खोलते

(श्री पशुपालन मंत्री)

समय ही इस संबंध की संभावनाओं को देखा जावेगा।

जिला अजमेर में चोरी की वारदातें

200. श्रीमती भगवतीदेवी (भिनाय) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) जिला अजमेर में गत एक वर्ष में चोरी की कितनी वारदातें हुई व कितने मुकदमे दर्ज किये गये ?

(2) कितने मुकदमों में चोर पकड़े गये एवं माल बरामद हो सका और कितने मुकदमों में अभी चोर नहीं पकड़े गये और किस कारण ?

उत्तर

(1) गत एक वर्ष में (माह सितम्बर, 1980 से अगस्त, 1981) कुल 1148 चोरी की वारदातें हुई और इन सभी में अभियोग पंजीबद्ध हुए।

(2) इनमें 359 मुकदमों में चोर पकड़े गये जिनमें माल बरामद किया। 114 मामले झूठे पाये गये और 675 अभियोगों में पता न लग सकने के कारण चोर पकड़े नहीं जा सके हैं। प्रयास जारी हैं।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा ऋण देने की पेशकश

201. श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् कुछ शर्तों पर राज्य को 5 करोड़ रुपये देनी चाहती है ?

(2) यदि हां, तो शर्तें क्या हैं ?

(3) शर्तों को पूरा करने के लिये राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

(4) शर्तों को किस तारीख तक पूरे किया जाएगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) उपरोक्त प्रस्तावित राशि द्वारा कार्य क्रियान्वित करवाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने निम्न शर्तें रखी हैं—

(अ) राज्य में पृथक से कृषि विश्वविद्यालय शुरू किया जावे।

(ब) राज्य कृषि एवं अनुसंधान परियोजना के अन्तर्गत कृषि अनुसंधान कार्यों हेतु उपलब्ध रुपये 1.70 करोड़ की राशि कृषि अनुसंधान कार्य हेतु उदयपुर विश्व विद्यालय को उपलब्ध कराई जावें।

(स) राजस्थान नहर एवं चम्बल परियोजना सिंचित क्षेत्र में चल रहे कृषि अनुसंधान कार्यों को उदयपुर विश्वविद्यालय में स्थानान्तरित कर दिया जावे।

(द) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत छठी पंचवर्षीय योजना काल में आवश्यक वित्तीय सहायता भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा उपलब्ध कराई जावेगी लेकिन छठी पंचवर्षीय योजना काल में समाप्त होने पर जो भी आवर्तक राशि की आवश्यकता रहेगी उसे राज्य सरकार अपने बजट से भुगतान करेगी

(186)

(कृषि मन्त्री)

(3) (अ) यह राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(ब) भाग (अ) में विचाराधीन मुद्दा तय होने पर ही संभव होगा।

(स) उपरोक्त

(द) उपरोक्त

(4) मुख्य मुद्दा तय होने के उपरान्त ही तय हो पायेंगे।

राज्य कृषि उद्योग निगम

202. श्री माधवसिंह दीवान (सोजत), एवं श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सत्य है कि पिछले कई वर्षों से राज्य कृषि उद्योग निगम में घाटा चल रहा है? यदि हां, तो सन् 1975-76 से 1980-81 तक वर्षवार लाभ-हानि के आंकड़ों की सूची कृपया सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सत्य है कि उक्त निगम में अनेक कर्मचारी व अधिकारी व्यर्थ भर्ती किये हुए हैं, जिनके पास कोई उपयुक्त काम नहीं है? क्या राज्य सरकार जनता की गाढी कमाई से प्राप्त धन का अपव्यय रोकने के लिये कुछ कर्मचारियों व अधिकारियों को सेवा निवृत्त करने का विचार रखती है?

(3) सरकार निगम को जनहित के कार्यों हेतु अधिक उपयोगी बनाने एवं घाटे को लाभ में परिवर्तित करने के लिए क्या कदम उठा रही है?

उत्तर

(1) इस निगम में वर्ष 1969-70, 75-76 व 79-80 को छोड़ कर प्रत्येक वर्ष में घाटा रहा है।

वर्ष 1975-76 से वर्ष 1979-80 तक के लाभ हानि के आंकड़ें निम्न प्रकार हैं:—

वर्ष	वर्ष के लाभ/हानि खाते के अनुसार लाभ/हानि	वर्ष के समायोजन लाभ/हानि खाते के अनुसार लाभ/हानि	कुल संचित लाभ/हानि
1975-76	(–) 12.07	( ) 0.58	(–) 5.76
1976-77	(–) 10.40	(–) 21.24	(–) 27.00
1977-78	(–) 7.84	(–) 10.47	(–) 37.47
1978-79	(–) 0.50	(–) 8.37	(–) 45.04
1979-80	( ) 11.42	( ) 0.35	(–) 36.40
1980-81	(–) 27.45	–	(–) 63.04

अभी इस वर्ष के लेखे अंकेक्षित नहीं हुए हैं, यह आंकड़ें अस्थाई ( ) हैं।

(2) वर्तमान में निगम में संचालक मंडल द्वारा स्वीकृत पदों के अनुसार कर्मचारियों एवं अधिकारियों की नियुक्ति की हुई है। कार्यभार को देखते हुए किस किस स्थान पर कितने अधिकारी/कर्मचारी होने

(कृषि-मन्त्री)

चाहिये तथा निगम में यह घाटा क्यों हो रहा है तथा इसमें सुधार हेतु क्या क्या कार्यवाही अपेक्षित है, इन सब मुद्दों पर समीक्षा जारी है और आवश्यकतानुसार कार्यवाही की जावेगी। इसके अतिरिक्त प्रशासनिक नियन्त्रण की कमी के कारण जो घाटा हो रहा है उसको भी व्यवस्थित करने की कार्यवाही की जावेगी।

(3) राज्य सरकार राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम को जनहित के कार्यों हेतु अधिक उपयोगी बनाने एवं घाटे को लाभ में परिवर्तित करने की दृष्टि से निगम के संचालक मण्डल द्वारा प्रस्तावित इन परियोजनाओं की स्वीकृति पर सक्रिय विचार कर रही है :—

(1) कोटा में सोलवेन्ट एक्स्ट्रेशन प्लान्ट स्थापित करने की योजना।

(2) जयपुर में दूध के डिब्बे बनाने की योजना।

(3) कीटनाशक औषधियों के निर्माण की योजना।

(4) बहुउद्देशीय कृषि सेवा केन्द्र तथा डीजल पम्प सेट फागी, जिला जयपुर परियोजना।

(5) राजस्थान राज्य कृषि विक्रय सहकारी संघ द्वारा झोटवाड़ा में संचालित कीटनाशक औषधियों की फैक्ट्री का निगम को हस्तान्तरण।

(6) कृषि सेवा केन्द्रों में कार्यरत उद्यमियों को बैंकों के माध्यम से ऋण की उपलब्धि एवं देय ब्याज पर देय अनुदान राशि।

(7) जयपुर तथा जोधपुर में स्थापित कम्पोस्ट प्लान्ट हेतु अनुदान।

केन्द्र से राज्य को आवन्टित सीमेंट

203. श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी), श्री माधव सिंह दिवान (सोजत) : क्या खाद्यान्न आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार को मई, जून व जुलाई, 1981 में सीमेंट का कितना कोटा केन्द्र सरकार से आवंटित हुआ ? उसमें से कितनी-कितनी सीमेंट जिलेवार आवंटित की गई है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें। जिलों को अलग-अलग मात्रा आवंटित करने का क्या मापदण्ड है ?

(2) क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले 2-3 माह से सीमेंट उपलब्ध नहीं हुई है ? यदि हां, तो अब कब तक सीमेंट वितरण की जा सकेगी ?

सन् 1978-79, 1979-80 व 1980-81 में माहवार केन्द्र सरकार द्वारा आवंटित सीमेंट की मात्रा की सूची कृपया सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि अन्य राज्यों के मुकाबले राजस्थान को सीमेंट की मात्रा कम अलॉट होती है ? यदि हां, तो सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार को सीमेंट का मासिक आवंटन प्राप्त न होकर त्रैमासिक आवंटन प्राप्त होता है। द्वितीय त्रैमास, (अप्रेल, मई, व जून) एवं तृतीय त्रैमास,

(188)

(खाद्य-आपूर्ति मन्त्री)

(जुलाई, अगस्त व सितम्बर) 1981 प्रत्येक में 1,30,200 मै.टन सीमेन्ट का आवंटन प्राप्त हुआ । उक्त त्रैमासों में जिलेवार आवंटित सीमेंट की सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है । सीमेन्ट की उपलब्धि पर प्रत्येक जिले की खपत एवं आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आवंटन किया जाता है ।

(2) ग्रामीण क्षेत्रों में सीमेंट उपलब्ध कराई जा रही है ।

(3) सन् 1978-79, 1979-80 व 1980-81 में केन्द्र सरकार द्वारा किये गये सीमेंट के त्रैमासिक आवंटन की मात्रा की सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है । राज्य को सीमेंट आवश्यकता से कम आवंटित किया जाता है जिसमें वृद्धि किये जाने हेतु भारत सरकार को समय-समय पर निवेदन किया जाता रहा है । अन्य राज्यों के संबंध में कोई जानकारी नहीं है ।

सूची

द्वितीय तिमाही, 1981 (अप्रेल, मई व जून, 81) के लिए सीमेंट का आवंटन

(मात्रा टनों में)

क्र.सं. 1	नाम जिला 2	प्रथम तिमाही 3	द्वितीय तिमाही 4
1.	अजमेर	1,900	1,900
2.	अलवर	1,700	1,700
3.	बाड़मेर	1,050	1,050
4.	बांसवाड़ा	550	550
5.	भरतपुर	1,600	1,600
6.	भीलवाड़ा	1,150	1,150
7.	बीकानेर	850	850
8.	बून्दी	375	375
9.	चित्तौड़गढ़	750	750
10.	चूरू	850	850
11.	डूंगरपुर	475	475
12.	श्री गंगानगर	1,100	1,100
13.	जयपुर	7,500	7,500
14.	जोधपुर	2,700	2,700
15.	जैसलमेर	375	375
16.	जालौर	650	650
17.	झुन्झुनू	950	950
18.	झालावाड़	425	425
19.	कोटा	1,200	1,200
20.	नागौर	1,250	1,250
21.	पाली	1,450	1,450
22.	सवाई माधोपुर	1,600	1,600

1	2	3	4
23.	सीकर	1,150	1,150
24.	सिरोही	350	350
25.	टोंक	600	500
26.	उदयपुर	3,300	3,300
	योग..	38,050	38,050

भाग तीन की सूची

(आवंटन मात्रा मै. टनों में)

क्र. सं.	नाम त्रैमास	केन्द्र सरकार से प्राप्त सीमेंट का आवंटन			
		1978	1979	1980	1981
1.	प्रथम तिमाही	1,60,000	1,61,000	1,69,000	1,62 500
2.	द्वितीय तिमाही	1,41,000	1,55,000	1,55,000	1,55,000
3.	तृतीय तिमाही	1,28,000	1,24,000	1,30,200	1,30,200
4.	चतुर्थ तिमाही	1,35,200	1,30,200	1,30,200	
	योग ..	5,64,200	5,70,200	5,84,400	4,47,700

पुष्कर पशु मेला

204. श्रीमती सूरज देवी मल्होत्रा (पुष्कर) : क्या पशु पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत वर्ष इस विभाग को पुष्कर पशु मेले से कितनी आय हुई और विभाग द्वारा कितना रुपया व्यय किया गया ? कृपया व्यय का व्यौरा मदवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या पुष्कर पशु मेले की व्यवस्था व व्यय करने के सन्दर्भ में किसी समिति का गठन किया हुआ है ? नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या पुष्कर नगरपालिका को मेले की आय से कोई हिस्सा मिलता है ? यदि हां, तो किस अनुपात में ? गत वर्ष पुष्कर नगरपालिका को कितनी धन-राशि आय स्वरूप हिस्से में प्राप्त हुई ?

उत्तर

(1) गत वर्ष पुष्कर मेले से विभाग को 1,10,379.45 रुपये की आय हुई एवं विभाग द्वारा 1,04,438.38 व्यय किये गये।

(2) मेले की व्यवस्था हेतु एक समिति गठित की हुई है।

(190)

(पशुपालन मन्त्री)

(3) जी हां, पुष्कर नगरपालिका की शुद्ध आय में से ½ हिस्सा मिलता है। वर्ष 1980 के पुष्कर नगरपालिका को 1980.35 पैसे देय हैं।

तहसील लालसोट के ग्रामों में पशु चिकित्सालय खोलना

205. श्री **राम सहाय सोनड़** (लालसोट) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला जयपुर की लालसोट तहसील इस वर्ष बाढ़ से अधिक प्रभावित हुई है एवं पशुधन की भी काफी हानि हुई है तथा बाढ़ के कारण पशुओं में अनेक प्रकार की बीमारियां हो गई हैं और हजारों पशु बह कर मर गये हैं ?

(2) क्या राज्य सरकार उक्त तहसील में पशु चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या यह सही है कि सम्पूर्ण तहसील में केवल तीन ही पशु चिकित्सालय हैं। जब कि तहसील में कुल 235 ग्राम हैं ? ग्राम पंचायत रामगढ़, पचवारा, ग्राम पंचायत श्यामपुरा, ग्राम रामलपुरा आदि काफी बड़े कस्बे व ग्राम पंचायत हैं और इन पचायतों के 10-10 किलोमीटर तक कोई भी पशु चिकित्सालय नहीं है ? क्या राज्य सरकार इन पंचायतों में पशुचिकित्सालय खोलने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) आर्थिक कठिनाइयों के कारण अभी संभव नहीं है।

(3) धनाभाव के कारण इस क्षेत्र में नया पशु चिकित्सालय इस वर्ष खोला जाना संभव नहीं है।

बाम्बे हाई गैस पर आधारित खाद का कारखाना लगाना

206. श्री **नाथूसिंह** (बांदीकुई) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बाम्बे हाई की गैस पर आधारित खाद कारखाने राजस्थान में लगाने के लिए जनता सरकार ने केन्द्र को लिखा था ?

(2) यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई तथा राज्य सरकार ने इस संबंध में आगे क्या कार्यवाही की है ?

(3) यदि सरकार ने इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) भारत सरकार द्वारा गठित वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान में बाम्बे हाई गैस पर आधारित एक खाद का कारखाना लगाने का निर्णय केन्द्र सरकार ने लिया है। स्थान-चयन का मामला केन्द्र सरकार के विचाराधीन है। मुख्य मंत्री जी ने एक और कारखाना लगाये जाने हेतु केन्द्रीय पैट्रोलियम मंत्री जी को लिखा है।

(3) कार्यवाही नहीं किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय सहकारी बैंक्स के मनोनीत अध्यक्ष

207. श्री **गोपाल पाचेरवाल** (पाटन) :

(श्री गोपाल पचेरवाल)

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के कितने अध्यक्ष जून, 1980 के बाद राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किये गये ? कृपया जिलावार सूची अध्यक्ष का नाम, पता आदि सहित सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या सहकारिता नियमों के अन्तर्गत कोई ऐसा व्यक्ति, जो किसी सहकारी समिति अथवा बैंक का कर्जदार हो अथवा डिफाल्टर हो, किसी भी बैंक के चुनाव लड़ने अथवा मनोनयन के लिये अधिकारी नहीं है ? यदि हां, तो किस नियम के अन्तर्गत ?

(3) क्या उक्त जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों के अध्यक्ष के मनोनयन में किसी व्यक्ति को नियम विरुद्ध मनोनीत तो नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या वे अभी भी अध्यक्ष पद पर आसीन हैं ?

(4) उक्त अवधि में जितने अध्यक्ष मनोनीत किये गये हैं उनमें अनुसूचित जाति व जन-जाति के कितने अध्यक्ष हैं ?

उत्तर

(1) जून, 1980 के बाद राजस्थान में इक्कीस जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों में गैर सरकारी अध्यक्ष मनोनीत किए गए हैं। जिलावार सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी गई है।

(2) राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 34 में प्रावधान है कि किसी सहकारी समिति का कर्जदार, जो अवधिपार कर्जे के भुगतान में चूक करता है, किसी भी सहकारी संस्था की समिति में चुनाव लड़ने का पात्र नहीं बनता परन्तु इसी धारा की उप-धारा (9) के अन्तर्गत यह अयोग्यता राज्य सरकार द्वारा मनोनीत अध्यक्ष पर लागू नहीं होती।

(3) जी नहीं।

(4) मनोनीत अध्यक्षों में से तीन अनुसूचित जाति के और एक अनुसूचित जन जाति के हैं।

	जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक	नाम अध्यक्ष	
1.	बीकानेर	श्री सुरजा राम (अनु.जाति)	विधान सभा सदस्य
2.	चूरू	श्री रेवत राम चौधरी	"
3.	सीकर	श्री मदन दीवान	"
4.	जयपुर	श्री तेजपाल	"
5.	टोंक	श्री द्वारका प्रसाद	
6.	झालावाड़	श्री पृथ्वी सिंह	
7.	अजमेर	श्री अयाज महाराज	
8.	जोधपुर	श्री नरपत राम	
9.	बाड़मेर	श्री अमरा राम	
10.	जालौर	श्री माधोसिंह भंसवाड़ा	
11.	सिरोही	श्री देवी सहाय	
12.	नागौर	श्री हरेन्द्र मिर्धा	
13.	अलवर	श्री सुजान सिंह	

192

	जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक	नाम अध्यक्ष
14.	सवाई माधोपुर	श्री चेतराम (अनु.जन-जाति)
15.	उदयपुर	श्री किशन त्रिवेदी
16.	भीलवाड़ा	श्री बिहारी लाल
17.	श्री गंगानगर	श्री ज्ञानसिंह चौधरी
18.	कोटा	श्री विनयकुमार भार्गव
19.	बून्दी	श्री कल्याण मल चन्देल
20.	पाली	श्री सुखलाल सेणचा
21.	चित्तौड़गढ़	श्री जुल्फकार अहमद आजम

मिनी सीमेन्ट फैक्ट्री, सीकर

208. श्री **घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सीकर के औद्योगिक क्षेत्र में एक मिनी सीमेंट फैक्ट्री प्रतिदिन 200 कट्टों का उत्पादन कर रही है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस फैक्ट्री द्वारा सम्पूर्ण माल सीकर शहर के बाहर भेजा जा रहा है ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस फैक्ट्री का अधिकांश उत्पादन राज्य के बाहर भेजा जा रहा है और प्रति कट्टा 130/- रु. के भाव से बेचा जा रहा है ?

(4) क्या राज्य सरकार इस फैक्ट्री के उत्पादन को परमिटों के आधार पर वितरित कराने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) यह सत्य है कि इस फैक्ट्री का अधिकांश उत्पादन राज्य के बाहर भेजा जाता है। फैक्ट्री से प्राप्त सूचना के आधार पर उक्त फैक्ट्री 31/- रुपये प्रति बोरी कीमत के भाव से सीमेंट बेच रही है।

(4) राज्य सरकार का फैक्ट्री द्वारा उत्पादित माल पर कोई नियंत्रण नहीं होने से यह सम्भव नहीं है। केन्द्र सरकार से इस संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया है।

जिला टौंक में दिये गये खनन पट्टे

209. श्री **द्वारका प्रसाद बैरवा** (निवाई) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जिला टौंक में गत 2 वर्षों में अनुसूचित जाति व जन जाति के कितने लोगों को खनन पट्टे दिये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो उनकी सूची कृपया सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जिला टौंक में गत 2 वर्षों में अनुसूचित जाति/जन-जाति के 68 व्यक्तियों को अप्रधान खनिज के खनन पट्टे दिये गये हैं, जिनकी सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

जिला टौंक में गत दो वर्षों में अनुसूचित जाति/जन-जाति के व्यक्तियों को अप्रधान खनिज के अन्तर्गत दिये गये खनन पट्टों की सूची:—

क्र. सं.	पट्टाधारी का नाम
1.	श्री नैनूराम कोली
2.	श्री लादुराम कोली
3.	श्री रामदेव रेगर
4.	श्री रामधन रेगर
5.	श्री राम नारायण रेगर
6.	श्री भंवरलाल मीना
7.	श्री मांगीलाल धानका
8.	श्री राम निवास बैरवा
9.	श्री राम कुमार मीना
10.	श्री बलदेव मीना
11.	श्री भैरूंलाल बैरवा
12.	श्री श्योजी मीना
13.	श्री नन्दलाल मीना
14.	श्री गोपीलाल बैरवा
15.	श्री जगन्नाथ रेगर
16.	श्री गंगाराम बैरवा
17.	श्री रतना बैरवा
18.	श्री भागीरथ रैगर
19.	श्री श्योकी राम बैरवा
20.	श्री जगदीश मीना
21.	श्री बंशीलाल बैरवा
22.	श्री सुगना बैरवा
23.	श्री लादू रेगर
24.	श्री गंगा राम मीना
25.	श्री हजारी मीना
26.	श्री गरीबा रेगर
27.	श्री घीसा मीना
28.	श्री छीतर रेगर
29.	श्री लटुर रेगर
30.	श्री श्योराम रेगर
31.	श्री प्रहलाद बैरवा
32.	श्री लौडलिया बैरवा
33.	श्री अमर चन्द बैरवा
34.	श्री रामसिंह लेखा
35.	श्री राम किशोर बैरवा
36.	श्री बरधा रेगर
37.	श्री प्रहलाद रेगर
38.	श्री प्रेमा रेगर
39.	श्री मोहन रेगर
40.	श्री बजरंग लाल वर्मा
41.	श्री मेवाराम रेगर
42.	श्री छोगाराम रेगर
43.	श्री उगमा रेगर
44.	श्री मोहन लाल रेगर
45.	श्री हर दयाल रेगर
46.	श्री श्योकरण लाल बैरवा
47.	श्री भैरूंलाल बैरवा
48.	श्री लड्डूलाल बैरवा
49.	श्री काले मीना
50.	श्री गोवर्धन मीना
51.	श्री रामस्वरूप रेगर
52.	श्री गोपाल रेगर
53.	श्री हजारी मीना
54.	श्री घीसाराम मीणा
55.	श्री कालू मीना
56.	श्री रामकिशन मीना
57.	श्री गोवर्धन मीना
58.	श्री लाला मीना
59.	श्री जगन्नाथ रेगर
60.	श्री गोगा बैरवा
61.	श्री हुकमा रेगर
62.	श्री लटुर रेगर
63.	श्री भागीरथ रेगर
64.	श्री मोहन लाल रेगर
65.	श्री गंगाराम रेगर
66.	श्री जगदीश मीना
67.	श्री हीरा रेगर
68.	श्री गंगाराम रेगर

ग्राम पंचायत कोलायत के सरपंच के विरुद्ध जांच

210. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला बीकानेर में ग्राम पंचायत कोलायत के सरपंच के विरुद्ध सरकार को 2-3-1981 को रिपोर्ट प्राप्त हुई थी ?

(2) क्या यह सही है कि सरकार ने प्रारम्भिक जांच में आरोप प्रमाणित पाये ?

(3) यदि उपरोक्त तथ्य सही हैं, तो सरकार द्वारा इतने लम्बे समय के बाद भी निर्णय नहीं देने का क्या कारण है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट में सरपंच के विरुद्ध 5 आरोप प्रमाणित पाये गये। सरपंच को इन आरोपों का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 6-6-81 को नोटिस दिया गया।

(3) सरपंच द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण में अंकित तथ्यों व उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करने पर राज्य सरकार द्वारा सरपंच के विरुद्ध लगाये गये आरोप बेबुनियाद व अप्रमाणित पाये गये। इन आरोपों में सरपंच की कोई बदयान्ती प्रतीत नहीं हुई। ऐसी अवस्था में सरपंच को आरोप मुक्त किया जाकर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही समाप्त किये जाने के आदेश दिनांक 11-8-81 को प्रसारित किये जा चुके हैं।

सी. ए. एस. डाक्टर्स की पदोन्नति के अवसर

211. श्री राजबहादुर (भरतपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सी. ए. एस. के उन डॉक्टर्स, जिन्होंने विभिन्न विशेष विषयों में पोस्ट ग्रेज्युएट डिप्लोमा प्राप्त कर लिया है, उनको पदोन्नतियों के क्या अवसर उपलब्ध हैं ?

(2) क्या यह सत्य है कि एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों जिनसे राजस्थान लोक सेवा आयोग तथा राज्य के विधि विभाग ने भी सहमति प्रकट कर दी थी, के बावजूद उक्त श्रेणी के डॉक्टर्स को पदोन्नति के अवसर उपलब्ध नहीं कराये गये हैं ?

(3) क्या यह सत्य है कि ऐसे पोस्ट ग्रेजूएट डिप्लोमा वाले डॉक्टर, जिन्होंने कतिपय विशेष विषयों में, जैसे टी. बी., रेडियोलोजी, पैथोलोजी आदि विषयों में विशेषता का डिप्लोमा प्राप्त किया था, उनकी पदोन्नतियां की जा रही है ? यदि हां, तो ऐसे डॉक्टर्स और अन्य विशेष विषयों में डिप्लोमा प्राप्त डॉक्टर्स में भेद-भाव की नीति किस आधार पर अपनाई जा रही है ?

(4) क्या यह सही है कि जहां एक ओर पोस्ट ग्रेज्यूएट डिप्लोमा प्राप्त डॉक्टर्स को मेडिकल कॉलिजेज में प्रोफेसर्स तथा सीनियर व जूनियर विशेषज्ञों के स्थान राज्य सेवा में उपलब्ध हुए हैं वहां दूसरी ओर उतनी ही योग्यता प्राप्त डॉक्टर्स की पदोन्नतियों के अवसर अवरुद्ध हैं ?

(5) क्या इस संबंध में सी. ए. एस.

(श्री राजबहादुर)
एसोसियेशन तथा आई. एम. ए. की ओर से कुछ सुझाव एवं डिमान्ड चार्ट प्रस्तुत किया गया था और उस पर कोई समझौता किया था ? यदि हां, तो वह क्या था और उस समझौते की क्रियान्विति की गई अथवा नहीं ?

उत्तर

(1) सी. ए. एस. श्रेणी के उन डॉक्टर्स, जिन्होंने निम्नलिखित विभिन्न विशेष विषयों में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्राप्त कर लिया है, को कनिष्ठ विशेषज्ञ के पदों पर पदोन्नति हेतु अवसर उपलब्ध हैं:—

1. रेडियोलोजी
2. पैथोलोजी
3. टी. बी.
4. एनेस्थेसिया

यह अवसर कनिष्ठ विशेषज्ञ के पद हेतु तभी उपलब्ध होते हैं जब कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होल्डर इन विषयों में उपलब्ध न हो ।

(2) यह मामला राज्य सरकार के सक्रिय रूप से विचाराधीन है ।

(3) जी हां । राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें नियम, 1963 के नियमों के अन्तर्गत प्रावधानों के अनुसार रेडियोलोजी, टी. बी., पैथोलोजी, एनेस्थेसिया की विशेषताएं में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा धारियों को कनिष्ठ विशेषज्ञ के पद पर पदोन्नति हेतु मान्यता है । इन विशेषताओं में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा धारियों को इसलिये पदोन्नति के अवसर प्राप्त है कि इन विशेषताओं में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होल्डर कम उपलब्ध है । अन्य विशेषताओं में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होल्डर के नियमों में पदोन्नतियों हेतु प्रावधान नहीं है । तथा राज्य में इन विशेषताओं में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होल्डरों की कमी भी नहीं है । अतः कोई भेदभाव की नीति नहीं अपनाई जा रही है ।

(4) पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्राप्त डॉक्टर्स को मेडिकल कॉलेजेज में प्रोफेसर्स तथा सीनियर व जूनियर विशेषज्ञों के स्थान के कुछ पदों पर वर्तमान में नियुक्त है । परन्तु ये उस वक्त के हैं जब कि डिग्री होल्डर उपलब्ध नहीं थे और डिप्लोमा होल्डर को भी इस प्रकार की नियुक्ति/पदोन्नति हेतु मान्यता थी । वर्तमान नियमों में डिप्लोमा होल्डर उपरोक्त चार विशेषताओं में ही मान्य है ।

(5) एक डिमाण्ड चार्ट आई. एम. ए. एवं सी. ए. एस. एसोसियेशन द्वारा प्रस्तुत किया गया था, उस पर विचार विमर्श हुआ था । मामला अभी विचाराधीन है ।

टोडारायसिंह क्षेत्र के दर्शनीय स्थल

212. श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या टोडारायसिंह निर्वाचन क्षेत्र में निम्न प्राचीन ऐतिहासिक दर्शनीय स्थान हैं:—

1. बीसलदेव का मन्दिर
2. गोकर्णेश्वर महादेव
3. स्यालसिंह का देह
4. नौ चोक्या महल
5. हाडीरानी का कुण्ड
6. लोड का बालाजी
7. बरनजी हाय
8. रायसिंह का महल

(196)

(श्री चतुर्भुज)

9. श्री कल्याणजी का मन्दिर
10. माघ और प्रथमा बाराजी
11. बारह औतार बाराजी
12. दांताजी
13. देवनारायण का स्थान
14. बनास नदी के दो पहाड़ों के बीच वहाव।
15. टोडारायसिंह पहाड़ के ऊपर अनेक प्रकार की गुफायें जो देखने योग्य हैं ?

(2) क्या विभाग ने उक्त स्थानों पर पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु कभी कोई सर्वे कराया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार अब इन स्थानों का सर्वे कराकर इन्हें पर्यटक स्थल घोषित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। लेकिन ये सभी स्थान केवल क्षेत्रीय महत्व के हैं।

(2) जी नहीं। फिलहाल इन स्थानों के सर्वे कराने की कोई योजना नहीं है क्योंकि ये स्थान केवल क्षेत्रीय महत्व के हैं।

ग्राम नीमाज (जैतारण) सिरे बिहारीजी का मन्दिर

213. श्री **शिवदान सिंह राठौड़** (जैतारण), श्री **भैरूंसिंह गुर्जर** (खारची) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम नीमाज तहसील जैतारण में सिरे बिहारी जी के मन्दिर को देवस्थान विभाग के तहत लेने हेतु, एस.डी.ओ. जैतारण, असिस्टेंट कमिश्नर देवस्थान, जोधपुर, कमिश्नर, देवस्थान उदयपुर ने सरकार को लिखा है ?

(2) यदि हां, तो उस पर आज तक क्या कार्यवाही हुई तथा कब तक उक्त मन्दिर को जनहित में देवस्थान विभाग के कब्जे में ले लिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) मन्दिर के पुजारी से उसका उज्र पेश करने हेतु लिखा गया है, प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

भूतपूर्व सहायक जिलाधीश के विरुद्ध जांच

214. श्री **ललितकिशोर चतुर्वेदी** (कोटा): क्या मुख्य (कार्मिक) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि भूतपूर्व सहायक जिलाधीश, सांचौर, श्री कार्नसिंह के विरुद्ध तबादले के पश्चात् पुरानी तारीखों में फैसला करने की शिकायत की गई है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि जिलाधीश, जालौर ने उसकी जांच कर सरकार को रिपोर्ट दे दी है ? यदि हां, तो उस जांच पर आज तक क्या कार्यवाही की गई ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। इस संबंध में प्रारंभिक जांच करके प्रस्ताव राज्य सरकार को विभागीय जांच करने हेतु प्राप्त हुआ है।

(2) जी हां। इस पर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

जिला बाड़मेर व जैसलमेर क्षेत्र की थरपारकर एवं कांकरेज नस्ल की गायें

215. श्री **अमीन खां** (शिव): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य के सीमावर्ती जिला बाड़मेर व जैसलमेर में थरपारकर व कांकरेज नस्ल की गायें सारे भारत में प्रसिद्ध हैं ?

(2) क्या बाड़मेर व जैसलमेर जिलों में 80 प्रतिशत लोगों का गुजारा भी इस नस्ल की गाय पर निर्भर है और इन जिलों की गायें सारे भारत में लाभदायक समझी जाती हैं ? यदि हां, तो क्या इस पशुधन के संरक्षण हेतु सरकार ने कोई विशेष योजना तैयार की है ? यदि हां, तो क्या ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां । इस नस्ल की गायों को संवर्धन हेतु जैसलमेर जिले के चांदन नामक स्थान पर एक पशु प्रजनन केन्द्र स्थापित किया हुआ है, तथा वहां से थरपारकर के सांडों का पंचायत क्षेत्रों में वितरण किया जाता है ।

मेडिकल कॉलेज अजमेर के डॉक्टर की पदोन्नति का प्रकरण

216. श्री **आत्माराम** (हनुमानगढ़): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि डॉक्टर आई. पी. गर्ग, रीडर एनेस्थिसिया, मेडिकल कॉलेज, अजमेर की अपील पर ट्रिब्यूनल ने अपना निर्णय देकर उक्त डॉक्टर की पदोन्नति करने के सरकार को स्पष्ट आदेश दिये थे ? कृपया निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) सरकार द्वारा ट्रिब्यूनल के आदेश की लगातार अवहेलना करना क्या उचित है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो उक्त आदेशों की पालना कब तक कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां । ट्रिब्यूनल के निर्णय की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) सरकार ने विधि विभाग की राय के अनुसार ट्रिब्यूनल के उक्त निर्णय के विरुद्ध हाई कोर्ट में रिट दायर करने का निर्णय लिया है । अतः ट्रिब्यूनल के निर्णय की अवहेलना का प्रश्न ही नहीं उठता । कोर्ट के निर्णय के अनुसार ही अग्रिम कार्यवाही संभव हो सकेगी ।

(198)

RAJASTHAN CIVIL SERVICES APPELLATE TRIBUNAL RAJASTHAN, JAIPUR.

Before:—

Shri R. R. L. Gupta—Member

Shri R. N. Srivastava—Member

Appeal No. 811/79.

Shri Ishwari Prasad Garg—Appellant

V/s

The State of Rajasthan and others—Respondent

Present:—

For the Appellant	Shri N. D. Mantri Advocate
For the Respondent Nos. 2 and 3	Shri M. R. Calla and Shri A. K. Sharma Advocate

Shri L. N, Mathur, Standing Government Counsel,

Date of institution 20-8-1979—Date of order 12-3-1981.

ORDER

In his appeal filed on 23-8-1979 which has matured for hearing, the appellant submitted a stay application on 28th January, 1981 stating that in their reply the State of Rajasthan has taken the stand that the appellant is not eligible for consideration for promotion on to the post of Professor and that reference has been made to the Medical Council of India which is not required under rules. He has also averred that the meeting of the D. P. C. has taken place and candidature of the appellant has not been considered due to not counting of his experience gained while in foreign service under the Iran Government. The appellant's experience is countable for teaching experience as per Rule 7 (8) read with Rule 32 of the Rajasthan Service Rules, 1951 and Rule 3 (1) of the Rajasthan Medical Services (Collegiate Branch) Rules, 1962, He, has therefore, prayed for restraining respondent No. 1 from making regular appointment on the post of Professor on the recommendations of the D. P. C. The State Government in their reply dated 2-2-1981 stated that the Stay application has become infructuous because regular appointment on the recommendation at the D. P. C. have already been made and the appellant has no *prima facie* case because the matter of counting of the experience of the appellant while he was abroad to Iran was referred to the Medical Council of India and the Medical

Council of India vide its letter dated 18-9-1980 communicated that the period spent by the appellant while on deputation abroad cannot be counted towards the teaching experience for appointment as Professor of Anesthesia. Thus, the appellant was not found eligible for consideration by the D. P. C. After notice was given to the respondents of this application, arguments were heard on the Stay Application on 13-2-1981 but in view of a further application presented by the appellant on 4-3-1981 to counter the reply of the Stay Application given by respondent No. 1, and as the case was already fixed for hearing the appeal, it was decided with the consent of the parties that the case be fixed for arguments on 4-3-1981 and on the same date further arguments on Stay Application be also heard. However respondent No. 3 made representation for adjournment because he is admitted in hospital. In view of the urgency of the matter persued by the Appellant, on 4-3-1981 only the Stay Application was, therefore, heard.

The main issue in the appeal which has emerged according to the reply of the respondents is about the counting of experience of the appellant while he was on deputation under the Government of Iran as minimum period of teaching experience is prerequisite under the Rajasthan Medical Services (Collegiate Branch) Rule, 1962 (hereinafter referred to as the Rule of 1962). The appellant has made out the case that it was with prior sanction of the Government dated 10th July, 1975 that he was deputed under the Iran Government under appendix-9 of the R. S. R. Volume II and one of the conditions was that his lien should be retained and that period of his foreign assignment shall count for increment also. According to Rules of 1962 teaching experience is counted according to the conditions prescribed by the Rajasthan University and the Medical Council of India come into picture. The University of Rajasthan vide letter dated August 6, 1979 have not only stated that the period spent on deputation be counted for the purpose of teaching experience but it is also done in the case of University teaching who avail of leave without pay with permission to serve elsewhere. He has also produced a letter from Iran Government stating that while on deputation he also did teaching work in Iran. He has also to keen support of Note below definition of Experience Clause (1) of

Rule of the Rules of 1962 which specifically provided as below:—

> "Absence during service e. g. training and deputation which are treated as "duty" under the R. S. R. shall also be counted as service for counting minimum experience or service required for promotion."

During the course of arguments, while the council for the appellant also referred to Rule 143 of the R. S. R. which also provided for period spent on Foreign Services being counted for promotion etc. in the parent department, the Appointing Authority has, also to consider the nature of duty performed during the foreign services, council for respondent No. 2 keenly contested that the deputation of the appellant being out of India was not really of the nature of Foreign Service contemplated in the R. S. R. and it was not deputation and the appellant went at his own application. Since the Medical Council of India has not allowed to count this period as teaching experience, it can not be counted for purpose of promotion despite the only of University and note under Rule 3(b) of the Rule of 1962. The learned Counsel for the appellant thereupon also referred to the similar case of Dr. J. C. Sharma who too had gone to Iran and in whose case this very D. P. C. has despite the same advice by the Medical Council of India counted his service as teaching experience and both of them were engaged on similar duties etc. which cannot be said to be of different nature, we have seen the relevant file, find that the contention of the appellant is correct.

In view of the action taken by the Government and issue of order of promotion on the recommendations of the D. P. C. during the pendency of this appeal a decision has tried to be forestalled but the extreme step of staying operation of order is not proper at this state. We consider that in view of the various Rules referred to and documents presented by the appellant there is a *prima facie* case and it would have been in the fitness of things if regular promotions would have been made after this important question of counting of such experience would have been decided earlier. In view of *prima facie* case made by the appellant respondents No. 2 and 3 should not be confirmed on the post of Professor till decision on the

post of Professor till decision of this appeal and if any further vacancy of Professor in the subject occure it should not be filled up without considering the appellant for promotion after taking into account the period spent by him in Foreign service as teaching experience tentatively, subject to decision on his appeal.

Sd/-	Sd/-
(R. N. Srivastava)	(R. R. L. Gupta)
Member	Member
SEAL	SEAL

मतदान केन्द्र पथैना (बैर) पर पत्रकारों के साथ मारपीट

217. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बैर विधान सभा उप-चुनाव के लिये हुए मतदान वाले दिन मतदान केन्द्र पथैना पर पत्रकारों के साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कोई जांच करवाई है? यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और सरकार ने इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) उक्त मामले के संबंध में राजस्थान वर्किंग जरनलिस्ट एसोसियेशन ने प्रमुख पत्रकार आर. के. कौल की अध्यक्षता में जो जांच समिति गठित की थी, क्या उसकी रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई है ? यदि हां, तो अब तक इस पर क्या कार्यवाही की गई ? रिपोर्ट में किनको दोषी माना गया है ?

उत्तर

(1) जी हां । इस घटना के संबंध में श्री अमर खत्री संवाददाता दैनिक नवज्योति, भरतपुर की रिपोर्ट पर थाना भुसावर में दिनांक 23-11-80 को अभियोग सं. 197/80 धारा 147, 323 ता. हि. पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान किया गया था । अनुसंधान से मामला धारा 323, 504 ता. हि. का पाये जाने व पुलिस हस्तक्षेपीय अपराध न पाये जाने के कारण अभियोग में अन्तिम रिपोर्ट दे दी गई थी । लेकिन राज्य सरकार ने अब इस मामले में सी. आई. डी. को पुनः जांच कराने के आदेश दिये हैं।

(2) गृह विभाग को इस प्रकार की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

कुशलगढ़ क्षेत्र में चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति

218. श्री फतेसिंह (कुशलगढ़) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला बांसवाड़ा के कुशलगढ़ क्षेत्र में कितने चिकित्सकों के पद रिक्त हैं ?

(2) क्या यह सत्य है कि कुशलगढ़ स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों के 6 पद हैं जबकि वर्तमान में एक ही चिकित्सक कार्यरत है ?

(3) क्या सरकार रिक्त पदों की पूर्ति

(श्री फतेह सिंह)

करेगी जैसा कि गत बार प्रश्न पूछे जाने पर अतिशीघ्र पदों की पूर्ति हेतु सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया था ?

(4) चिकित्सकों के पदों की पूर्ति नहीं किये जाने का क्या कारण है ?

(5) रिक्त पदों की पूर्ति अब कब तक कर दी जायेगी ? नहीं, तो क्यों ?

(6) कुशलगढ़ प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र पर भर्ती किये गये मरीजों के लिये भोजन आदि की व्यवस्था नहीं होने का क्या कारण है और यह व्यवस्था कब तक की जा सकेगी ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) बांसवाड़ा जिला के कुशलगढ़ क्षेत्र में 9 चिकित्सकों के पद रिक्त हैं ।

(2) कुशलगढ़ उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों के 6 पद हैं । वर्तमान में तीन चिकित्सक कार्यरत हैं ।

(3) जी हां ।

(4) नये चिकित्सकों को पदस्थापित किए जाने पर भी उनके द्वारा वहां उपस्थित नही होने, तथा पुराने चिकित्सकों द्वारा आदेशों को निरस्त कराने एवं तदर्थ नियुक्ति पर प्रतिबन्ध होने के कारण ।

(5) विभाग द्वारा तदर्थ नियुक्ति हेतु दिनांक 31-8-81 तक प्रार्थना-पत्र आमंत्रित किए गए थे । अब शीघ्र ही इन पदों को भरने की कार्यवाही की जा रही है ।

(6) रेफरल अस्पताल के भवन निर्माण पूर्ण होने पर व किसी ठेकेदार द्वारा भोजन का ठेका लेकर क्रियान्वयन करने के उपरान्त ही भोजन व्यवस्था करना सम्भव हो सकेगा ।

ग्राम बजरांगसर (चूरू) की उचित मूल्य की दुकान

219. श्री भालू खां (चूरू) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला चूरू के ग्राम बजरागरसर तहसील सरदार शहर में जनता की मांग पर उचित मूल्य की दुकान खोली गई थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि जिलाधीश से रिपोर्ट मंगाये बिना ही उक्त दुकान को सरकार द्वारा आदेश प्रसारित कर निरस्त कर दिया गया है ?

(3) क्या उचित मूल्य की दुकाम कायम करने हेतु जिलाधीश सक्षम हैं ?

(4) क्या किसी अन्य जिलों में भी सरकार ने उचित मूल्य की दुकान को निरस्त किया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जिलाधीश ने ग्राम बजरांगसर, तहसील सरदार शहर के लिये राज्य सरकार की घोषित नीति के विपरीत प्राइवेट डीलर नियुक्त किया था, जिसके विरुद्ध ग्राम बजरांगसर के निवासियों के प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा स्टेटस को रेस्टोर करने के लिये तथा यदि जनहित में परिवर्तन

(खाद्य मंत्री)

आवश्यक हो तो प्रस्ताव भेजने के लिये निर्देश भेजे गये थे।

(3) जी हां।

(4) राज्य सरकार द्वारा जिलाधीशों को उचित मूल्य की दुकानों के लिये दिशा निर्देश दिये जाते हैं। इसमें किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

कृषकों को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराना

220. श्री भैरूलाल भारद्वाज (जमवा-रामगढ़) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के 80% लोगों की व्यवसाय कृषि कर्म को कब तक उद्योगों के रूप में स्वीकार कर लिया जावेगा ? यदि हां, तो क्या उद्योगों को दी जाने वाली सभी सुविधाएं कृषकों को प्रदान की जावेंगी ? यदि नहीं, तो यह असमानता कब तक जारी रहेगी ?

(2) क्या सरकार कृषि से संबंधित प्रत्येक काम में आने वाली वस्तुओं की निजी व्यवसायियों की लूट से निकाल कर उन्हें कृषि उद्योग निगम के द्वारा उत्पादित व वितरित कराने की कोई किसान हितैषी योजना की घोषणा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) अभी तक इस मामले में कोई विचार नहीं हुआ है।

(2) कुछ वस्तुएं सहकारी क्षेत्र के माध्यम से तथा कुछ सरकारी निगमों के माध्यम से दी जा रही हैं। कुछ अन्य वस्तुएं भी निगमों के जरिये ही उपलब्ध कराई जायं, इस पर विचार व चर्चा की जा रही है।

स्थानान्तरण नीति

221. श्री यदुनाथसिंह (नदबई) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ने तबादले के बारे में कोई स्पष्ट नीति राजकीय कर्मचारियों के लिये निर्धारित की है ? यदि हां, तो कृपया भिन्न-भिन्न विभागों के कर्मचारियों के बारे में नीति स्पष्ट करें। यदि कोई स्पष्ट नीति नहीं है और मात्र प्रशासनिक दृष्टि से तबादले किये जाते हैं, तो क्या भविष्य में सरकार की कोई नीति निर्धारित करने की योजना है ?

(2) क्या यह सही है कि तबादलों पर प्रशासनिक दृष्टि से तथा यात्रा भत्ते के रूप में करोड़ों रुपये का भार राजकोष पर पड़ा रहा है ? यदि हां, तो क्या भविष्य में इसकी रोकथाम के उपाय करने का सरकार का विचार है ?

उत्तर

(1) राज्य कर्मचारियों के स्थानान्तरण मुख्यतः प्रशासनिक दृष्टि से ही किये जाते हैं, परन्तु कुछ विभागों में सरकार ने स्थानांतरण संबंधी निर्देश जारी किये हैं जैसे कि शिक्षा विभाग ने 7-5-81 के आदेश द्वारा निर्देश दिये हैं। इस के अतिरिक्त सामान्य तौर पर भी कुछ निर्देश (Restrictive type) सामान्य प्रशासन विभाग एवं कार्मिक विभाग द्वारा जारी किये गये हैं। संबंधित कर्मचारियों की स्वयं की प्रार्थना पर भी कुछ स्थानांतरण किये जाते हैं।

(204)

(मुख्य मंत्री)

(2) स्थानांतरण पर कर्मचारियों को नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होता है जिसका प्रावधान प्रति वर्ष बजट में किया जाता है। जहां स्थानांतरण कर्मचारी की स्वयं की प्रार्थना पर किया जाता है, यात्रा व्यय नहीं दिया जाता है ?

ग्राम दान्तराई (सिरोही) में चिकित्सालय

222. श्री छोगाराम बाकोलिया (रेवदर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि दान्तराई ग्राम, तहसील रेवदर, जिला सिरोही में चिकित्सालय भवन निर्माण कार्य जनता द्वारा किया गया है ?

(2) यदि हां, तो इस चिकित्सालय को प्रारम्भ करने हेतु कब स्वीकृति प्रदान की जायेगी ।

(3) क्या सरकार ने इस चिकित्सालय के प्रारम्भ करने हेतु पूर्व में कोई स्वीकृति प्रदान की है ? यदि हां, तो कब व किन शर्तों के साथ ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) ग्राम दांतराई में एडपोस्ट खोलने की स्वीकृति दिनांक 31-3-78 को प्रदान की जा चुकी है ।

(3) ग्राम दांतराई में स्वीकृत एड-पोस्ट को डिस्पेन्सरी में क्रमोन्नत करने हेतु दानदाता का दान प्रस्ताव राज्य सरकार ने दिनांक 31-3-78 को जिन शर्तों पर स्वीकार किया था, उसकी प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है ।

राजस्थान सरकार

चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य विभाग

(ग्रुप–2)

क्रमांक प. 8(15)चि.स्वा./77/ग्रुप–2 जयपुर, दिनांक 31 मार्च, 1978

निदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राजस्थान, जयपुर ।

विषय :—ग्राम दांतराई तहसील रेवदर में डिस्पेन्सरी खोलने के क्रम में ।

संदर्भ :—आपका पत्र क्रमांक योजना / विकास / 78 / 930, दिनांक 22-3-78 व इस विभाग के सम संख्यक-पत्र दिनांक 31 मार्च, 1978 ।

महोदय,

निर्देशानुसार इस विभाग के सम संख्यक-पत्र दिनांक 31-3-78 के क्रम में ग्राम बराड़ा

से स्थानान्तरित एडपोस्ट डिस्पेन्सरी में क्रमोन्नत कर ग्राम दांतराई में स्थापित करने की राज्यपाल महोदय की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है :—

(1) दानदाता निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर के अनुमोदित प्लान के अनुसार भवन एवं तीन आवासगृह सार्वजनिक निर्माण विभाग की देखरेख में स्वयं निर्माण करोकर राज्य सरकार को सौंप देंगे।

(2) दानदाता प्रस्तावित डिस्पेन्सरी के लिये एडपोस्ट के अतिरिक्त आवश्यक स्टाफ एवं अन्य आवर्तक अनावर्तक मद के लिये दो वर्ष का व्यय 0.65 लाख रुपये राज्य कोष में जमा करावेंगे। एडपोस्ट को डिस्पेन्सरी में क्रमोन्नत कर दिया जावेगा।

प्रथम वर्ष में 0.34 लाख रुपये
द्वितीय वर्ष में 0.31 लाख रुपये

कुल:— 0.65 लाख रुपये

(3) दानदाता द्वारा प्रस्तावित नाम जिसमें राजकीय शब्द सम्मिलित होगा, प्राप्त होने पर स्वीकृति प्रदान की जा सकेगी।

(4) भवन निर्माण के पश्चात् दानदाता विभाग द्वारा अनुमोदित दानपत्र का निष्पादन कर भवन राज्य सरकार को सौंप देंगे।

भवदीय,
ह.।—
(वी.एन. शर्मा)
विशेषाधिकारी

कमजोर वर्गों को कानूनी मदद हेतु वित्तीय सहायता

223. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विभिन्न न्यायालयों के प्रकरणों में उलझे समाज के कमजोर वर्ग के लोगों, विशेषतया अनुसूचित जाति एवं जन जाति के व्यक्तियों के लिए सरकार ने कानूनी लड़ाई हेतु वित्तीय सहायता की एक योजना बनायी है ? यदि हां, तो योजना का स्वरूप क्या है ? कृपया योजना के प्रारूप की प्रति सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1980-81 में 5 लाख रुपयों का प्रावधान किया गया था और यह राशि जिलाधीशों, सत्र न्यायाधीशों को उपलब्ध करायी गई थी ? यदि हां, तो किस-किस जिलाधीश, सत्र न्यायाधीश को कितनी-कितनी राशि उपलब्ध करायी गई ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) विभिन्न जिलाधीशों, सत्र न्यायाधीशों ने वर्ष 1980-81 में उन्हें उपलब्ध करायी गई राशि में से उक्त योजना के लिए कितनी-कितनी राशि किस-किस रूप में व्यय की ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

206

(विधी मन्त्री)

उत्तर

(1) जी हां, राज्य में साधनहीन एवं निराश्रित महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं जन जाति के सदस्यों, भूमिहीनों एवं मजदूरों तथा अन्य साधनहीन पक्षकारों, जिनकी वार्षिक आय 3600/- रुपये से कम हो को विधिक सलाह एवं सहायता प्रदान करने हेतु राज्य स्तर पर विधिक सहायता परामर्श बोर्ड उच्च न्यायालय स्तर पर विधिक सहायता समिति एवं राजस्व मंडल, जिला मुख्यालयों, सब डिवीजन मुख्यालयों, एवं तहसील मुख्यालयों पर विधिक सहायता समितियों का गठन किया गया है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा नियम बनाये गये हैं जो तारीख 11-5-76 को राजपत्र में प्रकाशित कर दिये गये हैं।

(2) इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1980-81 में 2 लाख रुपये का प्रावधान किया गया था इसमें से पांच हजार रुपये की राशि विधिक सहायता एवं परामर्श समिति राजस्व मण्डल, अजमेर, 25 जिला स्तरीय समितियों को प्रत्येक समिति को 3,000/- रुपये (सूची संलग्न) और जिलों से बाहर तहसील मुख्यालयों पर 82 विधिक सहायता समितियों को, जिनकी सूची संलग्न है, प्रत्येक को 1,000/-रुपये आवंटित किये गये। सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(3) विभिन्न जिला-मुख्यालयों, सब डिवीजन मुख्यालयों, तहसील मुख्यालयों पर संबंधित विधिक सहायता समितियों द्वारा वर्ष 1980-81 में रुपये 6459.85 पै. मात्र खर्च किये गये। इसमें से 3270.06 रुपये मात्र व्यक्तियों को आवंटित किये गये एवं 3189.77 रुपये मात्र प्रशासनिक व्यय पर खर्च किये गये।

विभिन्न विधिक सहायक समितियों को आवंटित बजट की सूची

क्र. सं.	विधिक सहायता समिति का नाम	आवंटित रकम	आहरण एवं वितरण अधिकारी
1	2	3	4
1.	विधिक सहायता समिति, भीनमाल	1000/-	मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, भीनमाल।
2.	विधिक सहायता समिति, सांचौर	1000/-	मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सांचौर।
3.	विधिक सहायता समिति, थानागाजी	1000/-	मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, थानागाजी
4.	विधिक सहायता समिति, बहरोड़	1000/-	मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बहरोड़।
5.	विधिक सहायता समिति, किशनगढ़ बास	1000/-	मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, किशनगढ़बास।
6.	विधिक सहायता समिति, लक्ष्मणगढ़	1000/-	मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, लक्ष्मणगढ़।

1	2	3	4	5
7.	विधिक सहायता समिति, राजगढ़	1000/-	मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, राजगढ़ ।	
8.	विधिक सहायता समिति, परबतसर	1000/-	मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, परबतसर ।	
9.	विधिक सहायता समिति, तिजारा	1000/-	मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, तिजारा ।	
10.	विधिक सहायता समिति, गंगापुर	1000/-	अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गंगापुर ।	
11.	विधिक सहायता समिति, करौली	1000/-	मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली ।	
12.	विधिक सहायता समिति, हिण्डौन	1000/-	मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, हिण्डौन ।	
13.	विधिक सहायता समिति, शाहपुरा (भीलवाड़ा)	1000/-	मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, शाहपुरा ।	
14.	विधिक सहायता समिति, चित्तौड़गढ़	1000/-	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़ ।	
15.	विधिक सहायता समिति, निम्बाहेड़ा	1000/-	मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, निम्बाहेड़ा ।	
16.	विधिक सहायता समिति, छोटी सादड़ी	1000/-	मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, छोटी सादड़ी ।	
17.	विधिक सहायता समिति, कपासन	1000/-	मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, कपासन ।	
18.	विधिक सहायता समिति, बेगूं	1000/-	मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बेगूं ।	
19.	विधिक सहायता समिति, बाड़मेर	1000/-	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाड़मेर ।	
20.	विधिक सहायता समिति, कुशलगढ़	1000/-	मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुशलगढ़ ।	
21.	विधिक सहायता समिति, डीग	1000/-	मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीग ।	
22.	विधिक सहायता समिति, बयाना	1000/-	मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बयाना ।	
23.	विधिक सहायता समिति, वैर	1000/-	मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, वैर	
24.	विधिक सहायता समिति, धौलपुर	1000/-	अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धौलपुर ।	
25.	विधिक सहायता समिति, बारी	1000/-	मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारी ।	
26.	विधिक सहायता समिति, सागवाड़ा	1000/-	मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, सागवाड़ा ।	
27.	विधिक सहायता समिति, दौसा	1000/-	अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दौसा ।	
28.	विधिक सहायता समिति, शाहपुरा (जयपुर)	1000/-	मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, शाहपुरा ।	
29.	विधिक सहायता समिति, सांभर	1000/-	मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, सांभर ।	
30.	विधिक सहायता समिति, बांदीकुई	1000/-	मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, बांदीकुई ।	

(208)

1	2	3	4
31.	विधिक सहायता समिति, कोट पूतली	1000/-	मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, कोटपूतली ।
32.	विधिक सहायता समिति, खेतड़ी	1000/-	मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, खेतड़ी ।
33.	विधिक सहायता समिति, चिड़ावा	1000/-	मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, चिड़ावा ।
34.	विधिक सहायता समिति, नवलगढ़	1000/-	मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, नवलगढ़ ।
35.	विधिक सहायता समिति, नागौर	1000/-	मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, नागौर ।
36.	विधिक सहायता समिति, नावां	1000/-	मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, नावां ।
37.	विधिक सहायता समिति, ब्यावर	1000/-	मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, ब्यावर
38.	विधिक सहायता समिति, नसीराबाद	1000/-	मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, नसीराबाद ।
39.	विधिक सहायता समिति, केकड़ी	1000/-	मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, केकड़ी ।
40.	विधिक सहायता समिति, किशनगढ़	1000/-	मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, किशनगढ़
41.	विधिक सहायता समिति, गंगापुर	1000/-	मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, गंगापुर ।
42.	विधिक सहायता समिति, गुलाबपुरा	1000/-	मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुलाबपुरा ।
43.	विधिक सहायता समिति, माण्डलगढ़	1000/-	मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, माण्डलगढ़ ।
44.	विधिक सहायता समिति, जहाजपुर	1000/-	मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, जहाजपुर ।
45.	विधिक सहायता समिति, नैनवा	1000/-	मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, नैनवा ।
46.	विधिक सहायता समिति, भवानीमण्डी	1000/-	मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, भवानीमण्डी ।
47.	विधिक सहायता समिति, अकलेरा	1000/-	मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, अकलेरा ।
48.	विधिक सहायता समिति, बारां	1000/-	अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बारां ।
49.	विधिक सहायता समिति, अटरू	1000/-	मुन्सिफ एव न्यायिक मजिस्ट्रेट, अटरू ।
50.	विधिक सहायता समिति, छबड़ा	1000/-	मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, छबड़ा ।
51.	विधिक सहायता समिति, रामगंज मण्डी	1000/-	मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामगंज मण्डी ।
52.	विधिक सहायता समिति, फतेहपुर	1000/-	मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, फतेहपुर ।
53.	विधिक सहायता समिति, श्रीमाधोपुर	1000/-	मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीमाधोपुर ।

1	2	3	4
54.	विधिक सहायता समिति, नीम का थाना	1000/-	मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीम का थाना ।
55.	विधिक सहायता समिति, मालपुरा	1000/-	मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, मालपुरा ।
56.	विधिक सहायता समिति, सिरोही	1000/-	अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिरोही ।
57.	विधिक सहायता समिति, बाली	1000/-	मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाली ।
58.	विधिक सहायता समिति, सोजत	1000/-	मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, सोजत ।
59.	विधिक सहायता समिति, जैतारण	1000/-	मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, जैतारण ।
60.	विधिक सहायता समिति, आबू रोड	1000/-	मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, आबू रोड ।
61.	विधिक सहायता समिति, देसूरी	1000/-	मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, देसूरी ।
62.	विधिक सहायता समिति, राजसमन्द	1000/-	अपर सिविल जज, राजसमन्द ।
63.	विधिक सहायता समिति, भीम	1000/-	मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, भीम ।
64.	विधिक सहायता समिति, नाथद्वारा	1000/-	मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, नाथद्वारा ।
65.	विधिक सहायता समिति, मावली	1000/-	मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, मावली ।
66.	विधिक सहायता समिति, सलूम्बर	1000/-	मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सलूम्बर ।
67.	विधिक सहायता समिति, कोटड़ा	1000/-	मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटड़ा ।
68.	विधिक सहायता समिति, कानोड़	1000/-	मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, कानोड़ ।
69.	विधिक सहायता समिति, नोहर	1000/-	मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, नोहर ।
70.	विधिक सहायता समिति, भादरा	1000/-	मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, भादरा ।
71.	विधिक सहायता समिति, सूरतगढ़	1000/-	मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सूरतगढ़ ।
72.	विधिक सहायता समिति, रायसिंह नगर	1000/-	मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायसिंह नगर
73.	विधिक सहायता समिति, हनुमानगढ़	1000/-	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हनुमानगढ़ ।
74.	विधिक सहायता समिति, श्री करनपुर	1000/-	मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्री करनपुर ।
75.	विधिक सहायता समिति, जैसलमेर	1000/-	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर
76.	विधिक सहायता समिति, पोकरण	1000/-	मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, पोकरण ।
77.	विधिक सहायता समिति, बिलाड़ा	1000/-	मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिलाड़ा ।

(210)

1	2	3	4
78.	विधिक सहायता समिति, फलौदी	1000/-	मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, फलौदी।
79.	विधिक सहायता समिति, सरदार शहर	1000/-	मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरदार शहर।
80.	विधिक सहायता समिति, डीडवाना	1000/-	मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, डीडवाना।
81.	विधिक सहायता समिति, राजगढ़	1000/-	मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजगढ़।
82.	विधिक सहायता समिति, रतनगढ़	1000/-	मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, रतनगढ़।

विभिन्न विधिक सहायता समितियों को आंवटित बजट की सूची

1.	विधिक सहायता समिति, अजमेर	3000/-	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अजमेर।
2.	विधिक सहायता समिति, अलवर	3000/-	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलवर।
3.	विधिक सहायक समिति, बांसवाड़ा	3000/-	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बांसवाड़ा।
4.	विधिक सहायता समिति, बालोतरा	3000/-	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालोतरा।
5.	विधिक सहायता समिति, भरतपुर	3000/-	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भरतपुर।
6.	विधिक सहायता समिति, भीलवाड़ा	3000/-	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भीलवाड़ा।
7.	विधिक सहायता समिति, बीकानेर	3000/-	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बीकानेर।
8.	विधिक सहायता समिति, बूंदी	3000/-	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बूंदी।
9.	विधिक सहायता समिति, चूरू	3000/-	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चूरू।
10.	विधिक सहायता समिति, डूंगरपुर	3000/-	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डूंगरपुर।
11.	विधिक सहायता समिति, गंगानगर	3000/-	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गंगानगर।
12.	विधिक सहायता समिति, जयपुर नगर, जयपुर	3000/-	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जयपुर नगर।
13.	विधिक सहायता समिति, जयपुर जिला, जयपुर.	3000/-	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जयपुर जिला जयपुर।
14.	विधिक सहायता समिति, जोधपुर	3000/-	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जोधपुर।
15.	विधिक सहायता समिति, जालौर	3000/-	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जालौर।

1	2	3	4
16.	विधिक सहायता समिति, झालावाड़	3000/-	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झालावाड़ ।
17.	विधिक सहायता समिति, झुंझुनू	3000/-	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झुंझुनू ।
18.	विधिक सहायता समिति, कोटा	3000/-	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोटा ।
19.	विधिक सहायता समिति, मेड़ता	3000/-	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मेड़ता ।
20.	विधिक सहायता समिति, प्रतापगढ़	3000/-	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रतापगढ़ ।
21.	विधिक सहायता समिति, पाली	3000/-	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पाली ।
22.	विधिक सहायता समिति, सवाई माधोपुर	3000/-	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सवाई माधोपुर ।
23.	विधिक सहायता समिति, सीकर	3000/-	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीकर ।
24.	विधिक सहायता समिति, टौंक	3000/-	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टौंक ।
25.	विधिक सहायता समिति, उदयपुर	3000/-	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उदयपुर ।

जिला बूंदी का उमर खान क्षेत्र

224. **श्री हरीश शर्मा (रामगंज-मण्डी) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—**

(1) क्या यह सही है कि जिला बून्दी के उमर खान क्षेत्र के वन एवं खदानों के क्षेत्रों में चांदी के कण पाये गये हैं ?

(2) क्या सरकार इसकी विस्तृत जांच इंजीनियरिंग कालेज, जोधपुर के खनिज एवं भू-गर्भ विभागाध्यक्ष से करवाने की सोच रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त क्षेत्र में तांबा, सोना, संगमरमर आदि की धातुओं के चिन्ह भी पाये गये हैं ? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

(4) क्या सरकार ऐसे क्षेत्रों को अपने हाथ में लेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी नहीं । क्योंकि विभाग द्वारा किये गये पूर्वेक्षण के अनुसार चान्दी के कण पाये जाने के संकेत नहीं मिले है । अतः अन्य जांच कराये जाने की आवश्यकता नहीं है ।

(खनिज मंत्री)

(3) उमर क्षेत्र के पास पगारा में किये गये पूर्वेक्षण के अनुसार ताम्बा होने के संकेत पाये गये थे, लेकिन सोना होने के कोई संकेत नहीं पाये गये हैं। उस क्षेत्र में संगमरमर के भण्डार उपलब्ध हैं। अब तक 22 खदाने स्वीकृत की हुई है एवं नये खनन पट्टों के आवंटन हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किये गये हैं।

(4) जी नहीं, क्योंकि संगमरमर की खानों को वर्तमान में निजी क्षेत्र में ही खनन हेतु दिया जा रहा है।

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 189 की सूची)

वर्ष	टनों में गन्ना	टनों में तिलहन	टनों में चावल	(गांठों में) कपास
1976-77	3,53,000	27,000	63,000	2,77,000
1977-78	2,76,000	61,000	50,000	3,42,000
1978-79	2,56,000	52,000	48,000	4,23,000
1979-80	1,64,000	40,000	40,000	3,78,000
1980-81	1,04,000	51,000	32,000	2,83,000

परिशिष्ट 3

(अतारांकित प्रश्न संख्या 142 की सूचना)

कोटा डिवीजन में वर्ष 1980-81 में घटित अपहरण के मामलों की सूची

जिला कोटा

क्र. सं.	नाम थाना	अपराधों की संख्या	अपराधों की संख्या जिनमें बरामदगी की गई	बरामदगी कितने दिनों में की गई
1	2	3	4	5
1.	गुमानपुरा	12	2	30, 10
2.	नयापुरा	5	4	45, 58, 14,
3.	उद्योगनगर	4	2	59, 14
4.	कैथूनीपोल	5	3	3, 4, 89
5.	भीमगंजमण्डी	21	11	11, 2, 1, 27, 6, 38, 35, 2, 2, 20, 1
6.	मांगरोल	3	3	1, 14, 87
7.	रामगंजमण्डी	9	6	27, 33, 63, 47, 1, 10
8.	चेचट	3	3	17, 1, 5
9.	सांगोद	11	5	3, 22, 107, 58, 17
10.	कनवास	6	5	9, 22, 36, 14, 16, 3
11.	मोड़क	2	2	2, 3
12.	इन्द्रगढ़	2	.	..
13.	खातोली	3	3	115, 90, 21
14.	इटावा	6	6	38, 25, 9, 10, 120, 37
15.	बूढ़ादीत	3	3	152, 57, 52

1	2	3	4	5
16.	कैथून	1	1	3
17.	मण्डाना	4	3	29, 24, 3
18.	कस्बा थाना	1	1	41
19.	किशनगंज	4	4	2, 18, 85, 6
20.	केलवाड़ा	2	2	5, 17
21.	नाहरगढ़	3	2	28, 4
22.	छबड़ा	2	1	4
23.	अटरू	3	2	133, 38
24.	मोठपुर	1	1	20
25.	हरनावदा	1	1	10
26.	बामवा	3	2	1, 15
27.	कोतवाली	3	1	1
28.	बारां	15	11	33, 2, 6, 20, 20, 87, 39, 9, 2, 1, 1
29.	मकबरा	1	1	1
30.	सुल्तानपुर	2	..	..
31.	अन्ता	2	2	10, 1
32.	छीपाबड़ौद	1	1	5

कोटा रेन्ज में (डिवीजन में) अपहरण के मामले सन् 1980-81

जिला झालावाड़

क. सं.	नाम थाना	अपराधों की संख्या	अपराधों की संख्या जिनमें बरामदगी की गई	बरामदगी कितने दिन में की गई
1.	पाटन	3	..	..
2.	पिड़ावा	5	..	..
3.	बकानी	13	6	20, 58, 32, 1, 6, 45
4.	असनावर	1	..	..
5.	रायपुर	1	..	..
6.	पाटन	1	..	..
7.	झालावाड़	2	1	25
8.	सुनैल	4	3	9, 1, 13
9.	गंगधार	6	1	4
10.	पगारिया	4	..	..
11.	खानपुर	2	..	..
12.	भवानीमण्डी	7	2	87, 60
13.	झालता	4	..	..
14.	डग	3	1	10
15.	खारोला	1	..	..
16.	अकलेरा	3	..	..
17.	कावर	2	..	..

कोटा डिविजन में वर्ष 1980·81 में घटित अपहरण के मामलों की सूची

जिला बूंदी

क्र.सं.	नाम थाना	अपराधों की संख्या	अपराधों की संख्या जिनमें बरामदगी की गई	बरामदगी कितने दिन में की गई
1.	गेण्डोली	10	4	88, 30, 193, 31
2.	सदर	6	6	1, 15, 1, 155, 5, 2
3.	डबलाना	4	2	1, 6
4.	केशोरायपाटन	6	1	आधा दिन
5.	बसोली	1	1	आधा दिन
6.	लाखेरी	6	1	122
7.	कोतवाली	5	2	4, 1
8.	नैनवा	8	1	30
9.	कापरेन	2	1	220
10.	हिण्डोली	12	10	2, 61, 140, 60, 106, 15, 15, 35, 80, 184
11.	तालेड़ा	3	..	..
12.	जे.एस.डेम	5	..	..

————

परिशिष्ट 4

(अतारांकित प्रश्न संख्या 144 की सूची)

सूची "अ"

जिला उद्योग केन्द्र द्वारा निर्माण कार्य हेतु दी गई सीमेंट की सूचना
1-4-80 से 31-3-81 तक (सीमेंट संबंधी कच्चा माल)

क्र. सं. 1	नाम इकाई व पता 2	मात्रा 3		वि. वि. 4
1.	मै. एच. राना इण्ड, टौंक	32	बैग्स	
2.	,, नवभारत स्टील फर्नीचर, निवाई	5	,,	
3.	,, महावीर इण्ड., निवाई	120	,,	
4.	,, सुनील इण्ड., नगरफोर्ट	18	,,	
5.	,, बूंदी ग्रीन मारबल, देवली	39	,,	
6.	,, सरोज इंटर नेशनल, टौंक	10	,,	
7.	,, भगवती इण्ड., टौंक	89	,,	
8.	,, टौंक जिला खादी ग्रामो, टौंक	5	,,	
9.	,, ओयम ड्रिग्स, निवाई	30	,,	
10.	,, गर्ग एल्यूमिनियम, टौंक	10	,,	
11.	,, कट्टा मैटल वर्क्स, निवाई	18	,,	
12.	,, लादू। भूरा रैगर	5	,,	
13.	,, किसान यंत्र छाप	10	,,	
14.	,, किराड बाक्स भण्डार, टौंक	15	,,	
15.	,, रामनाथ हरदेवा रैगर, बनेठा	4	,,	
16.	,, ताराचन्द रैगर, बनेठा	4	,,	
17.	,, जगन्नाथ फ्लोर मिल, दाखिया	2	,,	
18.	,, महावीर आईस फैक्ट्री, मालपुरा	20	,,	
19.	,, भुवाना। नाथू रैगर, देवडावास	4	,,	
20.	,, मूला / इसरा रैगर, रानीपुरा	5	,,	
21.	,, नरेन्द्र मेटल इण्ड., निवाई	54	,,	
22.	,, चौधरी इण्ड., निवाई	74	,,	
23.	,, राज. स्टोन क्रेशिंग, निवाई	14	,,	
24.	,, सतीश आयल मिल, निवाई	20	,,	
25.	,, जैन गारनेट उद्योग, डिग्गी	4	,,	
26.	,, शिल्पकार इंटर नेशनल, मोलाईपुरा	12	,,	
27.	,, शर्मा इंजीनियरिंग, मालपुरा	23	,,	
28.	,, अग्रवाल ऑयल मिल, लांवा	5	,,	
29.	,, राजेश ऑयल मिल, मालपुरा	7	,,	
30.	,, मोर्डन वूलन कारपेट, टौंक	5	,,	
31.	,, गणपति मैटल इण्ड., टौंक	11	,,	

1	2	3	4
32.	मै. चंदवाड ऑयल मिल, मालपुरा	5	वैग्स
33.	,, स्वास्तिक ऑयल मिल, निवाई	10	,,
34.	,, वरदा फैल्या रैगर, पनवाड़	5	,,
35.	,, सुखा रैगर, पनवाड़	5	,,
36.	,, हजारी लाल रामलाल, पनवाड़	5	,,
37.	,, गणपति मैटल इण्ड., टौंक	10	,,
38.	,, मोहन नर्मदा फैक्ट्री, टौंक	15	,,
39.	,, सुनील इण्ड., निवाई	6	,,
40.	,, शुद्ध तेल उद्योग, टौंक	3	,,
41.	,, कैलाश उद्योग, निवाई	20	,,
42.	,, सुरेश ग्रायल मिल, टोडा	10	,,
43.	,, सुखदेव । लांवा रैगर, बालापुर	5	,,
44.	,, अन्ना । मांगीलाल रैगर, पनवाड़	5	,,
45.	,, वरदा । फूला रैगर, पनवाड़	5	,,
46.	,, संदीप कोल फैक्ट्री, देवली	15	,,
47.	,, रमेश ऑयल मिल, ग्रावा	20	,,
48.	,, लक्ष्मी ग्रारा मशीन, टौंक	10	,,
49.	,, महावीर उद्योग, टौंक	37	,,
50.	,, गोपाल ऑयल मिल, टोडा	5	,,
51.	,, जहरुद्दी टेलर मास्टर, टौंक	2	,,
52.	,, इसर दास कं. ब्रदर्स, टौंक	20	,,
53.	,, के.पी. एण्ड कम्पनी, टौंक	9	,,
54.	,, खट्टन बीड़ी उद्योग, टौंक	5	,,
55.	,, उस्मान इस्लाम भाई, टौंक	15	,,
56.	,, जयनारायण कारपेट, ग्रहमदपुरा	10	,,
57.	,, नरेश ग्रॉयल मिल, टौंक	5	,,
58.	,, शालीमार मेटल इण्ड., टौंक	8	,,
59.	,, मुकेश प्रिंटर्स, टौंक	5	,,
60.	,, ग्रग्रवाल ऑयल मिल, टौंक	10	,,
61.	,, ग्रग्रवाल स्टोन क्रेशर, निवाई	23	,,
62.	,, विश्वकर्मा ग्रारा मशीन, झिराना	5	,,
63.	,, राज. सीमेंट प्रोडक्ट, निवाई	20	,,
64.	,, मोर्डन टाइल्स, सोयला	8	,,
65.	,, गणेश दिनेश ग्रॉयल मिल, दूनी	10	,,
66.	,, जयलाल फ्लोर मिल, देवड़ावास	4	,,
67.	,, गोपी चंदा, राजमहल	5	,,
68.	,, मूल चंद शम्भुमल खत्री,	5	,,
69.	,, लक्ष्मी मारवल, देवली	7	,,
70.	,, विश्वकर्मा ग्रॉयल मिल, टोडा	10	,,
71.	,, मालपुरा खादी ग्रामों., मालपुरा	5	,,
72.	,, राजेश ऑयल मिल, मालपुरा	15	,,

1	2	3	4
73.	मै. रामकृष्ण संगमरमर उद्योग, देवली	10	बैग्स
74.	,, जयपुरिया हैण्डलूम फैक्ट्री, टोंक	10	,,
75.	,, बनास ग्रोपन पान सुगर फैक्ट्री, वंथली	8	,,
76.	,, सीता चूना उद्योग, सरोली	10	,,
77.	,, खादी उद्योग मंदिर, टोंक	5	,,
78.	,, गोरा फ्लोर मिल, नगरफोर्ट	15	,,
79.	,, गर्ग एल्यूमिनियम फैक्ट्री, टोंक	10	,,
80.	,, सम्पति इण्ड., निवाई	15	,,
81.	,, शर्मा इंजीनियरिंग वर्क्स, मालपुरा	5	,,

सूची "ब"

वर्ष 1980-81 में ग्रावंटित कच्चे माल का विवरण, उत्पादन कार्य हेतु ग्रावंटित की गई।

क्र. सं.	नाम इकाई	ग्राव. कच्चे माल का नाम	मात्रा		वि. वि.
1.	मै. शिव सीमेन्ट उद्योग, टोंक	सीमेंट	55	बैग्स	
2.	,, कल्याण सीमेंट हस्तकला उद्योग, मालपुरा	,,	123	,,	
3.	,, सिसोदिया ए.सी. पाइप, प्रोडक्ट, टोंक	,,	43	,,	
4.	,, राजेन्द्र कुमार एण्ड. कं., निवाई	,,	95	,,	
5.	,, केसरलाल शिवचरण, निवाई	,,	111	,,	
6.	,, जयश्री बजरंग सीमेंट उद्योग, देवली	,,	43	,,	
7.	,, प्रेम सीमेंट उद्योग, दूनी	,,	5	,,	
8.	,, वम्नावत सीमेंट उद्योग, टोंक	,,	4	,,	
9.	,, सिसोदिया सीमेंट मैटेरियल, टोंक	,,	88	,,	
10.	,, जगदीश सीमेंट मैटेरियल वर्क्स, टोंक	,,	75	,,	
11.	,, हनुमान सीमेन्ट उद्योग, टोंक	,,	25	,,	
12.	,, मोहन सीमेंट उद्योग, टोंक	,,	25	,,	
13.	,, शिव सीमेंट उद्योग, डिग्गी	,,	8	,,	
14.	,, प्रजापत हस्तकला उद्योग, निवाई	,,	15	,,	
15.	,, गणेश हस्तकला उद्योग, मालपुरा	,,	23	,,	
16.	,, लालाराम सीमेंट मैटेरियल, टोंक	,,	20	,,	
17.	,, न्यू मोर्डन टाईल फैक्ट्री, सायला	,,	8	,,	
18.	,, बाबाराम देव सीमेंट उद्योग, देवली	,,	8	,,	
19	,, फकीर मोह. सीमेंट उद्योग, निवाई	,,	3	,,	
20.	,, हनुमान उद्योग निवाई (फाउन्डेशन हेतु)	,,	10	,,	

सूची (स)

उप कच्चा माल आगार टौंक पर वर्ष 1980-81 में पार्टियों को वितरण किये गये माल की सूची :—

क्र. सं.	इकाई का नाम व पता	माल का नाम	मात्रा जो दी गई कि. ग्राम में
1	2	3	4
1.	मै. कोहिनूर इण्ड., सुभाष चौक, टौंक	प्लेट्स 5 से 8 एम.एम.	201.500
2.	,, जफरुद्दीन मुनिर का कि मस्जिद, टौंक	जी.सी. 24 गेज	48.000
3.	,, सरदार मो. उपा कलु, टौंक	जी.पी. 24 गेज	115.250
4.	,, राज. संगमरमर उद्योग, देवली	जी.सी. 24 गेज	595.000
5.	,, जगदीश कारपेंट, बगड़ी	जी.सी. 24 गेज	292.000
6.	,, दयाल स्टील इण्ड.. देवली	प्लेठ्स 5 एम.एम.	2315.000
7.	,, विमल आयरन इण्ड., झीराना, जिला टौंक।	जी.पी. 24 गेज	92.200
8.	,, नव भारत स्टील फर्नीचर, निवाई, टौंक	प्लेट्स 6 एम.एम.	2700.000
9.	,, मेटलस् एण्ड मेटल्स पांडे जी का बाग, टौंक	जी.पी. 24 गेज	115.250
10.	,, सरोज इण्टर नेशनल, टौंक	जी.पी. 24 गेज	240.000
11.	,, मेटल्स एण्ड मेटल्स, पांडें जी का बाग, टौंक।	जी.पी. 24 गेज	37.625
12.	,, श्री कारपेट, सिविल लाइन, टौंक	जी.सी. सीट्स 24	876.000
13.	,, राज. स्टोन क्रसी. कम्पनी; निवाई, टौंक	जी.पी. 24 गेज	69.150
14.	,, वैंकाटिज आॅयल मिल, दूनी, जिला टौंक	जी.सी. 24 गेज	365.000
15.	,, सौभाग फ्लोर मिल, वनेडा, जिला टौंक	जी.सी. 24 गेज	438.000
16.	,, हबीब हाथ कर्घा, टौंक	जी.पी. 24 गेज	219.000

222

1	2	3	4
17.	मै. राइट कन्डेक्टर, निवाई	एच.ग्रार.प्लेट 5 एम.एम.	275.650
18.	,, हबीव हाथ कर्घा, टौंक	जी.सी. 24 गेज	146.000
19.	,, के.पी. एण्ड क., टौंक	,,	1095.000
20.	,, सिंघलग्रॉयल मिल, झीरोना, जिला टौंक	जी.सी. 24 गेज	1314.000
21.	,, मटबल इण्डी, देवली	जी.सी. 24 गेज	438.000
22.	,, सुनील इन्ड., नगर फोर्ट, टौंक	,,	730.000
23.	,, ग्रहमद नूर मो. ग्रालम, टौंक	एच.ग्रार.प्लेट 5 से 8 एम.एम.	471.000
24.	,, ग्रधिषाशी ग्रभियंता जन. स्वा. ग्रभि. विभाग, जिला टौंक	जी.सी. 24 गेज	960.000
25.	,, माधो। मांगीलाल कुम्हार, शकूरपुर, टौंक।	,,	119.000
26.	,, ग्रधि. ग्रधिकारी, नगरपालिका, देवली	,,	292.000
27.	,, जुम्मा लोहा वर्क्स, टौंक	एच.ग्रार.प्लेट 5 से 8 एम.एम. जी.पी. 24 गेज	672.000 161.350
28.	,, ग्रब्दुल करीम लोहा उद्योग, ग्रामेरगंज, टौंक	एच.ग्रार.प्लेट 5 से 8 एम.एम. जी.पी. 24 गेज	688.000 161.350
29.	,, ग्रब्दुल गफ्फार, टौंक	एच.ग्रार.प्लेट. 5 से 8 एम.एम.	492.000
30.	,, गर्ग एल्युमिनियम इन्ड., कापला बाजार, टौंक	जी.सी. 24 गेज	292.000
31.	,, भारत वोन्स एण्ड केमि. मैटन, जिला झालावाड़	,,	2005.000
32.	,, ग्रहमद नूर मो. ग्रालम, टौंक	एच.ग्रार.प्लेट 5 से 8 एम.एम.	427.600
33.	,, शम्भु ग्रॉयल मिल, टौंक	जी.सी. 24 गेज	906.000
34.	,, माडर्न वूलन कोम्प्टस, टौंक	,,	840.000

1	2	3	4
35.	मै. महावीर इन्ड., निवाई	जी.सी 24 गेज	189.800 312.000
36.	,, राइट कण्डक्टर्स मैन्यु., निवाई	,,	4001.000
37	,, अजन्ता कार्पेट्स, मालपुरा	,,	314.000
38.	,, कैलाश उद्योग इण्ड, निवाई	एंगल्स 65×65×8	3000.000
39.	,, गर्ग एल्यूमि. इन्ड, टौंक	,,	597.000
40	,, श्री कृष्ण ग्रामोद्योग, जोपियों का मोहल्ला, पुरानी टौंक	जी.सी. 24 गेज	194.600
41.	,, के.पी. एण्ड. कं., टौंक	,,	667.200
42.	,, दी गंगानगर सुगर मिल इंगलिश वाइन स्टोर, टौंक	,,	278.000
43.	,, जैन गारमेन्ट उद्योग, देवली	जी.सी. 24 गेज	139.000
		एंगल्स 65×65×8 एम.	138.000
44.	,, छुट्टन लुहार उद्योग, टौंक	प्लेक्स 5 से 8 एम.एम.	502.000
45.	,, श्री महावीर ग्राइस फैक्टरी, मालपुरा जिला, जयपुर	प्लेट्स 6 एम.एम.	3565.800
46.	,, राजस्थान ट्रंक हाउस, काफला बाजार, टौंक।	जी.पी. 24 गेज	34.474
47.	,, शिव ग्रॉयल मिल्स, झिरेना जिला टौंक	एंगल्स 65×65×8	2015.000
48.	,, ग्रहमद नूर मोहम्मद, आलम, भवर गेट, टौंक	एच.ग्रार. 2.5 एम.एम.	95.340
49.	,, गनपती मैटल इन्ड., जवाहर बाजार, टौंक	जी.सी. 24 गेज	208.500
50.	,, भगवती इन्ड., टौंक	,,	139.000

1	2	3	4
51.	मै. गुलाबचन्द पुत्र श्री कंवरलाल, टौंक	जी.पी. 24 गेज	222.400
52.	,, बग्गू पुत्र श्री नाथूजी , टौंक	,,	222.400
53.	,, किसान कृषि यंत्र उद्योग, ग्रामधान, जिला टौंक	एंगल्स 65×65×8 जी.सी. 24 गेज	807.000 417.000
54.	,, शम्भू ग्रॉयल मिल्स, निवाई	जी.पी. 24 गेज	69.150
55.	,, बिरदा पुत्र लल्लू तेली, टौंक	जी.सी. 24 गेज	222.400
56.	,, दुर्गा गारमैंट उद्योग, डिग्गी, जिला टौंक	,,	139.000
57.	,, कट्टा मैटल वर्क्स, निवाई	,,	264.000
58.	,, बुंकी ग्रीन मारबलस, देवली	,,	417.000
59.	,, संजय इन्ड., निवाई, टौंक	,, एंगल्स 65×65×8	278.000 1620.000
60.	,, दयाल स्टील इन्ड., देवली	जी.सी. 24 गेज एंगल्स 50×50×6	278.000 2500.000
61.	,, संजय इन्ड. निवाई, टौंक	एंगल्स 50×50×6	2509.000
62.	,, कट्टा मेटल वर्क्स, निवाई	,,	203.500
63.	,, कैलाश उद्योग इन्ड., निवाई	जी.सी. 24 गेज	417.000
64.	,, नरेश ग्रायल मिल्स, टौंक	प्लेट 5 से 8 एम.एम.	403.000
65.	,, सरदार मोहम्मद उर्फ कल्लू ग्रामेर गंज, टौंक	जी.पी. 24 गेज	11.525
66.	,, श्री कृष्ण ग्रामोंद्योग, टौंक	एंगल्स 50×50×6	500.000
67.	,, सुनील उद्योग, निवाई	जी.पी. 24 गेज	278.000
68.	,, जुम्मा लोहा वर्क्स, टौंक	प्लेट 5 से 8 एम.एम. प्लेट 6 एम.एम. एंगल्स 50×50×6	59.350 297.250 212.500

1	2	3	4
69.	मैं. रोलिंग सटर वर्क्स, टोंक	एच.आर.बी.पी. 2.5 एम.	1048.746
		ऐंग्दस 50 × 50 × 6	352.500
		प्लेट 5 से 8 एम.एम.	78.200
		प्लेट 6 एम.एम.	297.150
70.	,, मैं कल्लू लोहा उद्योग, बुन्दु खां की कचहरी, जिला टोंक।	ऐंग्ल्स 50 × 50 × 6	205.000
71.	,, अब्दुल गफूर, बंभोर गेट, टोंक.	प्लेट 5 से 8 एम.एम.	169.350
		प्लेट 8 एम.एम.	287.150
		ऐंग्ल्स 50 × 50 × 6	174.500
72.	,, जय किसान लोहा उद्योग, टोंक	ऐंग्ल्स 50 × 50 × 6 एम.एम.	87.500
73.	,, अब्दुल करीम लोहा उद्योग, टोंक	प्लेट 5 से 8 एम.एम.	145.500
		एच.आर.बी.पी. 2.5 एम.एम.	190.680
		ऐंगल्स 50 × 50 × 6 एम.एम.	146.600
74.	,, कयमुदीन लोहा उद्योग, टोंक	प्लेट 5 से 8 एम.एम.	220.500
		प्लेट 6 एम.एम.	297.150
		ऐंग्ल्स 50×50×6 एम.एम.	384.000
		एच.आर.बी.पी. 2.5 एम.एम.	190.680
75.	,, सरदार मलिक कल्लू, टोंक	प्लेट 5 से 8 एम.एम.	220.500
		प्लेट 6 एम.एम.	297.150
		ऐंगलस 50×50×6 एम.	145.000
76.	,, अहमद नूर मोह. आलम, बून्दु खां की कचहरी, टोंक	एच.आर.बी.पी. 2.5 एम.एम.	190.680
77	,, मिस्त्री छगन लाल दुर्गाप्रसाद, लक्ष्मी मार्केट देवली, टोंक	ऐंग्ल्स 50×50×6 एम.एम.	655.000
78.	,, न्यू अनोखी रेडीमेड गारमेन्ट्स उद्योग, टोंक।	जी.सी. 24 गेज	139.000
79.	,, शुद्ध तेल उद्योग, टोंक	ऐंग्ल्स 50×50×6 ,,	1214.000
80.	,, ईश्वर दास के ब्रादर्स, टोंक	,,	1200.000
81.	,, सुनील इन्डी. नगर फोर्ट, टोंक	,,	525.000
82.	,, ईद मोहम्मद नजरुद्दीन, टोंक	ऐंग्ल्स 65×65×8	776.500

1	2	3	4
83.	मैसर्स टोंक जिला खादी ग्रामोद्योग	जी.सी. 24 गेज	375.300
84.	,, भगवती इन्डी., देवली, टोंक	,,	139.000
85.	,, बूंदी ग्रीन मारबल्स, देवली	,,	417.000
86.	,, टोंक बोडीमेकर्स गुलापरबाग, टोंक	प्लेट 5 से 8 एम.एम. एच.आर.बी.पी. 2.5 एम.एम. ऐंग्लस 50×50×6 एम.	345.200 95.340 186.000
87.	,, नारायण पुत्र कल्याण तेली, टोंक	जी.सी. 24 गेज	139.000
88.	,, अहमद नूर मोहम्मद आलम, टोंक	बी.पी 2.5 एम.एम.	190.680
89.	,, शुद्ध तेल उद्योग, टोंक।	जी.सी. 24 गेज	695.000
90.	,, कैलाश उद्योग, निबाई	जी.सी. 24 गेज ऐंग्लस 50×50×6	695.000 510.000
91.	,, अब्दुल करीम लोहा उद्योग, टोंक	एच.आर.बी.पी. 2.5 एम.एम.	190.680
92.	,, हसन पटेल लोहा उद्योग, टोंक	प्लेट 6 एम.एम.	594.300
93.	,, ईद मो. नजरुद्दीन, टोंक	जी.सी. 24 गेज ऐंग्लस 50×50×6	695.000 596.000
94.	,, दयाल स्टील इन्डी., देवली	प्लेट 6 एम.एम. एच.आर.बी.पी. 2.5 एम. एम.	1782.900 953.400
95.	,, कयमूदीन लोहा उद्योग, टोंक	जी.पी. 24 गेज प्लेट 6 एम.एम. बी.पी. 2.5 एम.एम.	115.250 297.150 289.020
96.	,, प्रभात रोलिंग शटर वर्क्स, चन्द्रा भवन, टोंक।	बी.पी. 2.5 एम.एम. जी.पी. 24 गेज	2002.140 11.525
97.	,, सरदार मोहम्मद उर्फ कल्लू, आमेर गंज, टोंक	प्लेट 6 एम.एम.	594.300
98.	,, नन्हा पुत्र भूरा कुम्हार, सांथलले, जिला टोंक	जी.सी. 24 गेज	111.200

1	2	3	4
99.	मैसर्स ईश्वर दास के ब्रादर्स, टौंक	जी. सी. 24 गेज	695.000
100.	,, सरदार मो. उर्फ कल्लू, टौंक	जी.पी. 24 गेज	172.875
101.	,, श्री लक्ष्मी मार्बल इन्डी. अजमेर रोड, देवली, टौंक	जी.सी. 24 गेज	417.000
102.	,, छुट्टन लोहा उद्योग, टौंक	प्लेट 6 एम.एम.	891.460
103.	,, नीव अनोखी रेडीमेड गारमेन्टस, टौंक	जी.सी. 24 गेज	139.000
104.	,, टौंक बोडी मेकर, गुलजार बाग, टौंक	जी.पी. 24 गेज	115.250
105.	,, दयाल स्टील इन्डी, बून्दी हाउस, देवली जिला टौंक	प्लेट 5 एम.एम. प्लेट 5 से 8 एम. एच.आर.बी.पी. 2.5 एम.	891.450 380.020 1048.740
106.	,, नव भारत स्टील फर्नीचर, निवाई	प्लेट 6 एम.एम.	297.150
107.	,, राज. सीमेन्ट परोडेक्स, निवाई	एंगलस 65×65×8 एम. एच.आर.बी.पी. 2.5 एम.एम.	503.000 2002.140
108.	,, कमल प्रोसल मील का मेला, टौंक	जी.सी. 24 गेज एच.आर.बी.पी. 2.5 एम.	417.000 286.020
109.	,, शुद्ध तेल उद्योग, टौंक	जी.सी. 24 गेज	205.200
110.	,, दयाल स्टील इन्डी, देवली	बी.पी. 2.5 एम.	1048.740
111.	,, नगर फ्लोर मील, सिरोही वाया देवली, जिला टौंक	जी.सी. 24 गेज	194.600
112.	,, कमल आयल मील, करबा टौंक	एंगलस 40×40×5 एम.	387.500
113.	,, कैलाश उद्योग निवाई, टौंक	,,	1017.000
114.	,, छगन लाल दुर्गाप्रसाद, टौंक	,,	2000.000
115.	,, ईद मो. निजामुद्दीन, टौंक	,,	860.000
116.	,, बूंदी मारबल इन्डी. देवली	एंगलस 65×65×8 एंगलस 40×40×5	46.000 1011.000

228

1	2	3	4
117.	मैसर्स श्री महावीर आईस फैक्ट्री, मालपुरा	ऐंगलस 40×40×5	582.000
118.	,, राज. सीमेन्ट प्रोडेक्स, निवाई	,,	1013.000
119.	,, राईट कन्डेक्टर मेन्यु, निवाई	जी.सी. 24 गेज	352.040
120.	,, सीमेन्ट प्रोडेक्ट, निवाई	,,	294.200
121.	,, राईट कन्डेक्टर मेन्यू, निवाई	,,	294.200
		ऐंग्लस 40×40×5	704.000
122.	,, कैलाश उद्योग, निवाई, टौंक	जी.सी. 24 गेज	1471.000
123.	,, न्यू अनोखी रेडीमेड, टौंक	ऐंग्लस 40×40×5	124.000
124.	,, बहादूर कारपेट, तुरकी डारडा	जी.सी. 24 गेज	147.100
125.	,, ईश्वर दास के ब्रादर्स, टौंक	,,	882.600
126.	,, श्री कारपेट्स, टौंक	जी.सी. 24 गेज	456.000
		ऐंग्लस 40×40×5 एम.	264.000
		ऐंग्लस 65×65×8 एम.	90.000
127.	,, जगदीश कारपेट्स, बगड़ी	ऐंग्लस 40×40×5 एम	178.500
128.	,, राज. सीमेन्ट प्रोडेक्ट, निवाई	,, ,,	517.000
		ज्वाईसट 250×125	1978.000
129.	,, अरुण कारपेट्स, टौंक	ऐंग्लस 40×40×5	164.000
		ऐंग्लस 65×65×8	92.500
		जी.सी. 24 गेज	353.040
130.	,, जहूर मो. गलीचा उद्योग, टौंक	जी.सी. 24 गेज	294.200
131.	,, कमल आयल मील, जिला टौंक	,, ,,	500.140
132.	,, टौंक जिला खादी ग्रामोद्योग समिति, टौंक।	,, ,,	588.400
133.	,, श्री कारपेट, टौंक	ऐंग्लस 65×65×8 एम	185.000
134.	,, कट्टा मैटल वर्क्स, निवाई	जी.सी. 24 गेज	132.390

1	2	3	4
135.	मैसर्स श्री महावीर ग्राइस फैक्ट्री मालपुरा	जोइस्ट 250×125	184.500
136.	,, टौंक बोडी मेकर, टौंक	जी.पी. 24 गेज	115.200
		ऐंग्लस 40×40×5 एम.	220.000
		ऐंग्लस 65×65×8 एम	46.000
137.	,, टौंक बोडी मेकर, टौंक	प्लेट 5 से 8 एम.एम.	45.000
138.	,, नारायण / नाथू तेली, टौंक	ऐंग्लस 40×40×5 एम.	200.000
		जी.सी. 24 गेज	294.200
139.	,, ईद मो. नीजामुद्दीन, टौंक	,,	441.300
140.	,, जुम्मा लोहा उद्योग, टौंक	जी.पी. 24 गेज	92.200
141.	,, कयामुदीन लोहा उद्योग, टौंक	,,	161.350
142.	,, प्रभात रोलिंग सटर, टौंक	,,	1002.675
143.	,, वर्धमान कारपेटल, टौंक	ऐंग्लस 65×65×8 एम.	50.000
		ऐंग्लस 40×40×5 एम.	160.000
144.	,, राज. ट्रक हाऊस, टौंक	जी.पी. 24 गेज	495.575
145.	,, अब्दुल करीम लोहा उद्योग, टौंक	,,	126.775
146.	,, कल्लू लोहा उद्योग, टौंक	,,	495.575
147.	,, अल्लादीन लोहा उद्योग, टौंक	,,	495.575
148.	,, दयाल स्टील इन्डी, देवली	ग्राम पेटींज	30.000
		पन्दग ब्लेक ववर	29.000
149.	,, कैलाश उद्योग, निवाई	जी.पी. 24 गेज	115.250
150.	,, न्यू अनोखी रेडीमेडगार, टौंक	ज्वाईसट 250×125	465.000
151.	,, देवीलाल / मांगीलाल माम्बा., टौंक	जी.सी. 24 गेज	294.200
152.	,, बूंदी आयल मारबल, देवली	,,	294.200
		ऐंग्लस 40×40×5	318.000
153.	,, पाटनी गुड खाण्डसारी, निवाई	जी.सी. 24 गेज	220.650

1	2	3	4
154.	मैसर्स नरेन्द्र मैटल इन्डी., टोंक	जी.सी. 24 गेज	588.400
155.	,, कयामुद्दीन लोहा उद्योग, टोंक	जी.पी. 24 गेज	161.350
156.	,, मोइनुद्दीन लोहा उद्योग, टोंक	,, ,,	495.575
157.	,, अब्दुल करीम लोहा उद्योग, टोंक	,, ,,	126.775
158.	,, प्रभात रोलिंग शटर, टोंक	,, ,,	1002.675
159.	,, राज. ट्रंक हाऊस, टोंक	,, ,,	1002.675
160.	,, कल्याणमल चौधरी पावर घाणी, पीपलू	जी.सी. 24 गेज	294.200
161.	,, पी.सी. आयल इन्डी., टोंक	ज्वाईस्ट 250×125	239.000
162.	,, जुम्मा लोहा उद्योग, टोंक	जी.पी. 24 गेज	92.200
163.	,, टोंक बोडी मैकर, टोंक	,, ,,	69.150
164.	,, रानिवास/केसरलाल, टोंक	ज्वाईस्ट 250×125	227.000
165.	,, कयामुद्दीन लोहा उद्योग, टोंक	जी.पी. 24 गेज	495.575
166.	,, कल्लू लोहा उद्योग, टोंक	जी.पी. 24 गेज	553.200
167.	,, प्रभात रोलिंग शटर, टोंक	,, ,,	1002.675
168.	,, मुक्ता प्रिंटर्स, टोंक	,, ,,	57.625
169.	,, राज. ट्रक हाऊस, टोंक	,, ,,	495.575
170.	,, शिखर कारपेट, धुम्रां, जिला टोंक	जी.सी. 24 गेज जी.पी. 24 गेज	367.750 115.250
171.	,, उप-निदेशक कृषि विस्तार, टोंक	,, ,,	92.200
172.	,, सिधल बोडी वर्क्स, टोंक	जी.सी. 24 गेज	250.070
173.	,, पवन गारमेंट, डिग्गी	,, ,,	147.100
174.	,, किसान/सुखदेव कुम्हार, मालपुरा	जी.सी. 24 गेज	161.810

1	2	3	4
175.	मैसर्स थाना अधिकारी, टौंक	जी.पी. 24 गेज	34.575
176.	,, प्रभात रोलिंग शटर, टौंक	,, ,,	1060.300
177.	,, मोइनुद्दीन लोहा उद्योग, टौंक	,, ,,	172.875
178.	,, प्रभात रोलिंग शटर, टौंक	,, ,,	472.525
179.	,, जुम्मा लोहा उद्योग, टौंक	,, ,,	230.500
180.	,, सरदार मो. उर्फ कल्लू, टौंक	,, ,,	46.100

सूची "द"

वर्ष 1981–82 में किये गये कच्चे माल के आवंटन की सूची

(आवंटित सीमेंट की सूची) जिला उद्योग केन्द्र, टौंक द्वारा ।

क्र. सं.	नाम इकाई	आवंटित कच्चा माल	मात्रा
1.	मैं. श्री राम उद्योग, सिरस	सीमेंट	25 बैग्स
2.	,, जनता गारनेट, टौंक	,,	15 ,,
3.	,, राकेश आयल मिल, मालपुरा	,,	15 ,,
4.	,, बनास ओपन पान शुगर फैक्ट्री, बंथली	,,	5 ,,
5.	,, पवनसुत मारबल इण्ड., देवली	,,	25 ,,
6.	,, महेश दाल मिल, मालपुरा	,,	10 ,,
7.	,, महावीर आईस फैक्ट्री, मालपुरा	,,	15 ,,
8.	,, वंदू लुहार, पचवरक	,,	10 ,,
9.	,, एस. एन. विक्स, झीलींग	,,	10 ,,
10.	,, शिखर कारपेट, छुवाकलां	,,	20 ,,
11.	,, ईद मोहम्मद निजामुद्दीन, टौंक	,,	20 ,,
12.	,, श्रीराम आईस फैक्ट्री, टौंक	,,	7 ,,
13.	,, राम स्वरूप भूरामल तेली, टौंक	,,	3 ,,
14.	,, फूल चन्द ओंकारलाल तेली, टौंक	,,	15 ,,
15.	,, बूंदी ग्रीन मारबल, देवली	,,	20 ,,
16.	,, इलेक्ट्रोकेम, देवली	,,	10 ,,
17.	,, गोविन्द इण्ड., टौंक	,,	10 ,,
18.	,, मारबल मिनरल इण्ड., देवली	,,	25 ,,
19.	,, लक्ष्मी आरा मशीन, घोलाखेड़ा	,,	10 ,,
20.	,, यादव कारपेट घोलाखेड़ा	,,	10 ,,
21.	,, मनीष कारपेट, टौंक	,,	5 ,,

1	2	3	4
22.	मै. विश्व वर्मा आरा मशीन, अरनिया	सीमेंट	10 बैग्स
23.	,, राईट इण्ड., प्रा. लि., निवाई	,,	25 ..
24.	,, राज. स्टेट टेनरीज, टौंक	,,	20 ,,
25.	,, कमल आयल फैक्ट्री, दतवास	,,	20 ,,
26.	,, टेमानी जेम प्रोसेस, निवाई	,,	20 ,,
27.	,, गोयल इण्ड., टौंक	,,	15 ,,
28.	,, टौंक जिला खादी ग्रामो. टौंक	,,	15 ,,
29.	,, मनीष कारपेट, टौंक	,,	20 ,,
30.	,, एल. पी. डाई उद्योग, टौंक	,,	15 ,,
31.	,, शिव कारपेट, टौंक	,,	10 ,,
32.	,, लक्ष्मी ट्रेडर्स, मालपुरा	,,	15 ,,
33.	,, लक्ष्मी मारबल, देवली	,,	25 ,,
34.	,, जगदम्बा आरा मशीन, चांदली	,,	20 ,,
35.	,, राम किशन संगमरमर उद्योग, देवली	,,	25 ,,
36.	,, भुटोरिया ट्रांसफार्मा, निवाई	,,	20 ,,
37.	,, कमल आयल मिल, फुलेता	,,	10 ,,
38.	,, संमति इण्ड०, निवाई	,,	15 ,,
39.	,, सरदार मोहम्मद उर्फ कल्लू मिया, टौंक	,,	15 ,,
40.	,, दयाल स्टील, इण्ड०, देवली	,,	15 ,,
41.	,, नूर मोहम्मद सरदार मोहम्मद, टौंक	,,	20 ,,
42.	,, मै० विश्वकर्मा आरा मशीन, बड़ा गांव	,,	10 कट्टे
43.	,, शंकर फ्लोर मिल, दहलोद	,,	5 ,,
44.	,, उद्योग मंदिर, टौंक	,,	5 ,,
45.	,, कल्पना मारबल, देवली	,,	25 ,,
46.	,, राधेश्याम पवन कुमार, टौंक	,,	10 ,,
47.	,, कुमावत सीमेंट जाली उद्योग, टौंक	,,	10 ,,
48.	,, कल्पना सीमेंट उद्योग, टौंक	,,	10 ,,
49.	,, बम्नावत सीमेंट उद्योग, टौंक	,,	20 ,,
50.	,, जगदीश सीमेंट, टौंक	,,	40 ,,
51.	,, शिव सीमेंट उद्योग, टौंक	,,	40 ,,
52.	,, लालाराम सीमेंट मेटेरियल वर्क्स	,,	40 ,,
53.	,, सींगोदिया सीमेंट मैटेरियल, टौंक	,,	40 ,,
54.	,, बाबा राम देव उद्योग, देवली	,,	40 ,,
55.	,, शिव सीमेंट उद्योग, डिग्गी	,,	40 ,,
56.	,, राज० सीमेंट प्रोडक्स, निवाई	,,	20 ,,
57.	,, गणेश हस्तकला उद्योग, मालपुरा	,,	40 ,,
58.	,, केसरलाल शिव चरण, निवाई	,,	40 ,,
59.	,, जय श्री बजरंग, देवली	,,	40 ,,
60.	,, श्री कल्याण हस्तकला उद्योग, मालपुरा	,,	40 ,,
61.	,, मोहन सीमेन्ट उद्योग, टौंक	,,	40 ,,
62.	,, हनुमान सीमेंट उद्योग, टौंक	,,	40 ,,
63.	,, कल्पना सीमेंट उद्योग, टौंक	,,	30 ,,

परिशिष्ट—5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 146 की सूची)

ALLOTMENT MADE BY RAJASTHAN STATE ELECTRICITY BOARD

APRIL-JUNE, 1980 (Order dated 6-5-1981).

S. No.	Name & Address of the Firms	Qty. allotted
1	2	3
1.	M/s Prefab Concrete Products, A-336, 337, V. K. I. Area, Jaipur.	250 M.T.
2.	M/s Shivani Prestressed and Allied Industries, Sukhda, Ashokmarg, Ajmer.	175 M.T.
3.	M/s. Singhvi Udyog (Cement) P. Ltd. 266, Ashok Nagar Road No. 18, Udaipur.	175 M.T.
4.	M/s Surana Cement Works, Mangal Market, Beawar.	200 M.T.
5.	M/s Ganesh Industries, Mahaveer Bazar, Beawar.	150 M.T.
6.	M/s Maheshwari Asbestos Udyog, Laxmangarh Road, Sikar.	150 M.T.
7.	M/s Rajasthan Prestress Udyog, G-9/C, Kabir Marg, Bani Park, Jaipur.	150 M.T.
8.	M/s Gautam Cement Works, Mahaveer Bazar, Beawar.	150 M.T.
9.	M/s Usha Prestressed and Allied Industries, 19-23 Industrial Area, Chittorgarh.	125 M.T.
10.	M/s Singhvi Udyog, 1-Industrial Area, Sheoganj.	125 M.T.
11.	M/s Nalwaya Udyog, 39-A, Lalpat Nagar, Scheme No. 2, Alwar.	125 M.T.
12.	M/s Nanad Prestress Udyog, G-9/C Kabir Marg, Bani Park, Jaipur.	125 M.T.
13.	M/s Ashoka Talc Products, 208-A Madri, Indl. Area, Udaipur.	125 M.T.

1	2	3
14.	M/s Vikas Cement Udyog, F-150 Mewar Indl. Area, Udaipur.	125 M.T.
15.	M/s Sun Gold Industries, F-99 V. K. I. Area, Jaipur.	125 M.T.
16.	M/s Rural Electrification Pole Industries, IInd Floor, Polovictory Cinema Bldg., Jaipur.	125 M.T.
17.	M/s M. A. Prestressed Works, New Grain Mandi, Mandore Rd., Jodhpur.	100 M.T.
18.	M/s Hisearia Prestress Poles and Allied Products, Ranthambore Road, Sawai Madhopur.	100 M.T.
19.	M/s Oberai Industries, New Sacheti House, Ashok Circle, Alwar.	100 M.T.
20.	M/s Ashoka Steel and Chemical Co., 11-B, Ballabh Nagar, Kota.	80 M.T.
21.	M/s New Industrial Corpn. Lal Bahadur Nagar, J. L. Nehru Marg, Jaipur.	80 M.T.
22.	M/s Cimco Pipes, 10/- Jhuntha via Raipur Marwar, Distt. Pali	80 M.T.
23.	M/s Deepak Poles and Pipe, Prabhu Niketan, Champa Nagar, Beawar.	70 M.T.
24.	M/s Swastic Prestress Udyog, Kamla Bhawan, M. I. Road, Jaipur.	70 M.T.
25.	M/s Rajasthan PCC Poles Industries, Bazar No. 3, Bhopalganj, Bhilwara.	70 M.T.
26.	M/s Giriraj Allied and Industries, Gulabpura Road, Rogta House, Bijainagar.	70 M.T.
27.	M/s Vijay Laxmi Prestressed Industries, C/o Pokar Ram Sankhla, Near Bus Stand, Sojat City.	50 M.T.
28.	M/s Sankhla Udyog, 14. Ram Mohalla ~~Outside~~, Nagori Gate, Jodhpur.	50 M.T.

1	2	3
29.	M/s Shree Ummed Cement Udyog, PO. K, Nimaj, Distt. Pali.	50 M.T.
30.	M/s. Mehta Udyog, D/154, Gulab Niwas Shastri Nagar, Jodhpur.	50 M.T.
31.	M/s. R. K. Prestressed and Allied Industries, Vijainagar.	50 M.T.
32.	M/s. Siroya Cement Udyog, Saroj Villa, 14, Bhatji Ki Bari, Udaipur.	50 M.T.
33.	M/s Gajanand Industrial Corpn., Mahaveer Bazar, Beawar.	50 M.T.
34.	M/s Kamal Udyog, Station Road, P. O.—Reengus.	50 M.T.
35.	M/s Modern Industries, C-66-A, Modi Bhavan, Bapu Nagar, Jaipur.	50 M.T.
36.	M/s. Rajendra Prestress and Concrete Industries, 25/32, East Patel Nagar, New Delhi.	50 M.T.
37.	M/s National Prestressed, Station Road, P. O.—Kanwat, Distt. Sikar.	50 M.T.
38.	M/s Alwar Udyog, A-30, Alwar House, Shastri Nagar, Jaipur.	50 M.T.
39.	M/s Rahul Allied Industries, New Grain Mandi, Mandore Road, Jodhpur.	30 M.T.
40.	M/s Mehta Cement Works, 4488-K+G+D+Ka Rasta, IVth Cross, Johari Bazar, Jaipur.	30 M.T.
41.	M/s Janhit Construction, Plot No. F-22, R. I. M. D. C. Area, Jhalra-Patan, Distt. Jhalawar.	30 M.T.
42.	M/s Anita Preestress Udyog, Sewar, Bharatpur.	30 M.T.
43.	M/s Agrawal Cement Udyog, Halwai-Pada, Near Jain Mandir, Alwar.	30 M.T.

236

1	2	3
44.	M/s Uma Prestress Industries, 308/12, Shahjada Bagh, Old Rohtak Road, Delhi.	30 M.T.
	JULY-SEPTEMBER, 1980 (Order dated 2-8-1980).	
1.	M/s Prefab Concrete Products, A-336, 337, V. K. I. Area, Jaipur.	52.5 M.T.
2.	M/s Shivani Prestress and Allied Industries, Sukhda Ashoka Marg, Ajmer.	52.5 M.T,
3.	M/s Singhvi Udyog (Cement) P. Ltd., 226, Ashoka Nagar Road, No. 18, Udaipur.	52.5 M.T.
4.	M/s Surana Cement Works, Mangal Market, Beawar.	52.5 M.T.
5.	M/s Ganesh Industries, Mahaveer Bazar, Beawar.	52.5 M.T.
6.	M/s Maheshwari Asbestos Udyog, Laxmangarh Road, Sikar.	52.5 M.T.
7.	M/s Rajasthan Prestress Udyog, G-9/C, Kabir Marg, Bani Park, Jaipur.	52.5 M.T.
8.	M/s Gautam Cement Works, Mahaveer Bazar, Beawar.	52.5 M.T.
9.	M/s Usha Prestress and Allied Industries, 19-23, Indl. Area, Chittorgarh.	52.5 M.T.
10.	M/s Nalwaya Udyog, 39-A, Lajpat Nagar, Scheme No. 2, Alwar.	52.5 M.T.
11.	M/s Singhvi Udyog, 1-Indl. Area, Sheoganj.	52.5 M.T.
12.	M/s Named Prestress Udyog, G-9/C, Kabir Marg, Bani Park, Jaipur.	52.5 M.T.
13.	M/s Ashoka Talc Products, 208-A, Madri Indl. Area, Udaipur.	52.5 M.T.
14.	M/s Vikas Cement Udyog. F-150, Mewar Indl. Area, Udaipur.	52.5 M.T.

1	2	3
15.	M/s Sungold Industries, F-99 V. K. I. Area, Jaipur.	52.5 M.T.
16.	M/s Rural Electrification Pole Industries, IInd Floor, Polovictory Cinema Bildg, Jaipur.	52.5 M.T.
17.	M/s M. A. Prestressed Works, New Grain Mandi, Mandore Road., Jodhpur.	52.5 M.T.
18.	M/s Hisseria Prestress Pole and Allied Products, Ranthambore Road, Sawai Madhopur.	52.0 M.T.
19.	M/s Oberai Industries, New Sacheti House, Ashok Circle, Alwar.	52.5 M.T.
20.	M/s Ashoka Steel and Chemical Co., 11-B, Ballabh Nagar, Kota.	52.0 M.T.
21.	M/s New Industrial Corpn. Lal Bahadur Nagar, J. L. Nehru Marg, Jaipur.	52.0 M.T.
22.	M/s Cimco Pipes, P. O. Jhuntha via Raipur Marwar, Distt. Pali.	52.0 M.T.
23.	M/s K. K. Cement Works, Laxmi Cloth Market, Beawar.	52.5 M.T.
24.	M/s Gyan Cement Works, Mahaveer Bazar, Beawar.	52.5 M.T.
25.	M/s Aravali Concrete, A-167, Indra-prastha Indl. Area, Kota.	52.0 M.T.
26.	M/s Deepak Poles and Pipes, Prabhu Niketan, Champa Nagar, Beawar.	30.0 M.T.
27.	M/s Swastic Prestress Udyog, Kamla Bhavan, M. I. Road, Jaipur.	30 M.T.
28.	M/s Giriraj Allied and Industries, Gulab-pura Road, Kogta House, Bijainagar.	30 M.T.
29.	M/s Sankhla Udyog, Jodhpur	30 M.T.
30.	M/s Vijaylaxmi Prestressed Industries, C/o Pokar Ram Sankhla, Near Bus Stand, Sojatcity.	30 M.T.

23

1	2	3
31.	M/s Shree Umed Cement Udyog, P. O. Nimaj, Distt. Pali.	30 M.T.
32.	M/s Mehta Udyog, D/154, Gulab Niwas, Shastri Nagar, Jodhpur.	30 M.T.
33.	M/s R. K. Prestressed and Allied Ind., Bijainagar.	30 M.T.
34.	M/s Siroya Cement Udyog, Saroj Villa, 14, Bhatji-ki-Bari, Udaipur.	30 M.T.
35.	M/s Gajanand Industrial Corpn., Mahaveer Bazar, Beawar.	30 M.T.
36.	M/s Kamal Udyog, Station Road, P. O. Reengus.	30 M.T.
37.	M/s Modern Industries, 8 Miles Agra Road, Kanota, Distt. Jaipur.	30 M.T.
38.	M/s Rajendra Prestress and Concrete Industries, 25/32, East Patel Nagar, New Delhi.	30 M.T.
39.	M/s National Prestressed, Station Road, P. O. Kanwat, Distt. Sikar.	30 M.T.
40.	M/s Alwar Udyog, Industrial Area, Bagru, Distt. Jaipur.	30 M.T.
41.	M/s Rahul Allied Industries, New Grain Mandi, Mandore Road, Jodhpur.	30 M.T.
42.	M/s Mehta Cement Works. F-41-43, Indl. Area, Newai, Distt, Tonk.	30 M.T.
43.	M/s Janhit Construction, Plot No. F-22, RIMDC, Area, Jhalra Patan, Distt. Jhalawar.	30 M.T.
44.	M/s Anita Prestress Udyog, Sewar, Bharatpur.	30 M.T.
45.	M/s Rajasthan PCC Poles Industries, Bazar No. 3, Bhopalganj, Bhilwara.	30 M.T.

1	2	3
46.	M/s Agrawal Cement Udyog, Halwai Pada, Near Jain Mandir, Alwar.	30 M.T.
47.	M/s Uma Prestress Industries, 308/12, Shahjada Bagh, Old Rohtak Road, Delhi,	30 M.T.
48.	M/s Chambal Prestress, 110 Indra-prastha, Indl. Area, Kota.	30 M.T.
	OCTOBER-DECEMBER, 1980 (Order dated 4-11-1980).	
1.	M/s Prefeb Concrete Products, A-336, 337 V. K. I. Area, Jaipur.	61 M.T.
2.	M/s Shivani Prestress Allied Industries, Sukhda, Ashok Marg, Ajmer.	61 M.T.
3.	M/s Shingvi Udyog (Cement) P. Ltd. 266, Ashok Nagar Road, No. 18, Udaipur.	61 M.T.
4.	M/s Surana Cement Works, Mangal Market, Beawar.	61 M.T.
5.	M/s Ganesh Industries, Mahaveer Bazar, Beawar.	61 M.T.
6.	M/s Maheshwari Asbestoes Udyog, Laxmangarh Road, Sikar.	61 M.T.
7.	M/s Gautam Cement Works, Mahaveer Bazar, Beawar.	61 M.T.
8.	M/s Usha Prestressed and Allied Indus-ties, 19-23, Indl. Area, Chittorgarh.	61 M.T.
9.	M/s Singhvi Udyog, Ist Indl. Area, Sheo-ganj.	61 M.T.
10.	M/s Nand Prestress Udyog, G-9/C Kabir Marg, Bani Park, Jaipur.	61 M.T
11.	M/s Ashoka Talc Products, 208-A Madri, Indl. Area, Udaipur.	61 M.T
12.	M/s Vikas Cement Udyog, F-150 Mewar Indl. Area, Udaipur.	61 M.T.

240

1	2	3
13.	M/s Sungold Industries, F-99, V. K. I. Area, Jaipur.	61 M.T.
14.	M/s Rural Electrification Pole Industries, IInd Floor, Polovictory Cinema Bldg., Jaipur.	61 M.T.
15.	M/s M. A. Prestress Works, New Grain Mandi, Mandore Road, Jodhpur.	61 M.T.
16.	M/s Hissaria Prestress Poles and Allied Products, Ranthambore Road, Sawai Madhopur.	29 M.T.
17.	M/s Oberai Industries, New Sacheti House, Ashok Circle, Alwar.	61 M.T.
18.	M/s Ashoka Steel and Chemical Ca., 11-B, Ballabhanagar, Kota.	61 M.T.
19.	M/s New Industrial Corporation, Lal Bahadur Nagar, J. L. Nehru Marg, Jaipur.	29 M.T.
20.	M/s Cimco Pipes, P. O. Jhuntha, via Raipur Marwar, Distt. Pali.	61 M.T.
21.	M/s K. K. Cement Works, Laxmi Cloth Market, Beawar.	61 M.T.
22.	M/s Gyan Cement Works, Mahaveer Bazar, Beawar.	29 M.T.
23.	M/s Arawali Concrete, A-167, Indra-prastha Indl. Area, Kota.	29 M.T.
24.	M/s Deepak Poles and Pipe, Prabhu Niketan, Champanagar, Beawar.	52 M.T.
25.	M/s Swastic Prestress Udyog, Kamla Bhawan, M. I. Road, Jaipur.	52 M.T.
26.	M/s. Girraj Allied and Industries, Gulab-pura Road, Kogra House, Bijainagar.	52 M.T.

1	2	3
27.	M/s Vijailaxmi Prestress Industries, C/o Pokar Ram Sankhla, Near Bus Stand, Sojat City.	52 M.T.
28.	M/s Sankhla Udyog, 14, Ram Mohalla, Outside Nagauri Gate, Jodhpur.	29 M.T.
29.	M/s Sri Ummed Cement Udyog, P. O, Neemaj, Distt. Pali.	29 M.T.
30.	M/s Mehta Udyog, D-154. Gulab Niwas, Bijainagar.	29 M.T.
31.	M/s Siroya Cement Works, Saroj Village, 14, Bhatji Ki Bari, Udaipur.	29 M.T.
32.	M/s R. K. Prestress and Allied Indl., Bijainagar.	29 M.T.
33.	M/s Kamal Udyog, Station Road, P. O. Reengus.	29 M.T,
34.	M/s Gajanand Industrial Corpn., Mahaveer Bazar, Beawar.	29 M.T.
35.	M/s Modern Industries, 8 Miles Stone Kanota, Agra Road, Distt. Jaipur.	29 M.T.
36.	M/s National Prestressed, Station Road, P. O, Kanwat, Distt. Sikar.	20 M.T,
37.	M/s Alwar Udyog, Indl. Area, Bagru, Distt. Jaipur.	52 M.T,
38.	M/s Mehta Cement Works, F-41-43, Indl. Area, Neewai, Distt. Tonk.	52 M.T.
39.	M/s Janhit Construction, Plot No. F-22, RIMDC Area, Jhalrapatan, Distt. Jhalawar.	20 M.T.
40.	M/s Anita Prestress Udyog, Sewar, Bharatpur.	20 M.T.
41.	M/s Rajasthan PCC Poles Industries, Bazar No. 3, Bhopalganj, Bhilwara.	52 M.T.
42.	M/s Agrawal Cement Udyog, Halwai Pada, Near Jain Mandir, Alwar.	29 M.T.

242

1	2	3
43.	M/s Uma Prestress Industries, 308/12, Shahjada Bag, Old Rohtak Road, Delhi,	20 M.T.
44.	M/s Chambal Prestress, 110, Indraprastha, Industrial Area, Kota.	20 M.T.
	OCTOBER TO DECEMBER (Order dated 1-12-1980)	
1.	M/s Ashoka Talc Products, Udaipur.	61 M.T.
2.	M/s Usha Prestress, Bhiwadi.	20 M.T.
3.	M/s Prefab Concrete Products, Jaipur.	61 M.T.
	ALLOTMENT MADE BY GOVERNMENT OF RAJASTHAN	
	JANUARY TO MARCH, 1981 (Order dated 31-3-1981)	
1.	M/s Vikas Cement Udyog, Udaipur	80 M.T.
2.	Cemco Pipes, Jhunta.	25 M.T.
3.	Singhvi Udyog, Sheoganj.	80 M.T.
4.	M/s M. A. Prestressed Works, Jodhpur.	80 M.T.
5.	M/s Alwar Udyog, Jaipur.	30 M.T.
6.	M/s Modern Industries, Jaipur.	30 M.T.
7.	M/s Swastika Prestress Udyog, Jaipur.	50 M.T.
8.	M/s Kamal Udyog, Reengus.	30 M.T.
9.	M/s Agarwal Cement Udyog, Alwar.	40 M.T.
10.	M/s Anita Prestress Udyog, Sewar.	40 M.T.
11.	M/s Deepak Poles and Pipes, Beawar	20 M.T.
12.	M/s Gyan Cement Works, Beawar.	25 M.T.
13.	M/s Gajanand Industrial Corpn., Beawar.	30 M.T.
14.	M/s National Prestress Ind., Kanawat.	40 M.T.
15.	M/s Chambal Prestress Udyog, Kota.	40 M.T.
16.	M/s Janhit Construction, Jhalrapatan	40 M.T.
17.	M/s Giri Raj Allied Ind., Bijainagar	30 M.T.

1	2	3
18.	M/s Rahul Allied Ind., Jodhpur	40 M.T.
19.	M/s Siroya Cement Udyog, Beawar	30 M.T.
20.	M/s Shree Ummed Cement Udyog, Nimaj.	30 M.T.
21.	M/s Vijay Laxmi Pole Ind., Sojat City	25 M.T.
22.	M/s Sankhla Udyog, Jodhpur.	25 M.T.
23.	M/s Mehta Udyog, Jodhpur.	40 M.T.
24.	M/s R. K. Prestressed and Allied Ind., Bijainagar.	40 M.T,
25.	M/s Rajasthan PCC Pole Ind., Bhilwara	30 M.T.
26.	M/s Mehta Cement Works, Nawai.	30 M.T.
27.	M/s Nand Prestress Udyog, Jaipur.	70 M.T.
28.	M/s New Industrial Corpn., Jaipur.	60 M.T.
29.	M/s Sungold Industries, Jaipur.	60 M.T.
30.	M/s Hissaria Prestress, Sawai Madhopur.	80 M.T.
31.	M/s Aravali Concrete, Kota.	40 M.T.
32.	M/s Ashoka Steel and Chemical Co., Kota	40 M.T.
33.	M/s Oberai Industries, Alwar.	20 M.T.
34.	M/s Maheshwari Asbestos, Sikar.	
35.	M/s Rural Electrification Pole Industries, Sikar.	70 M.T.
36.	M/s Shivani Prestress, Ajmer.	60 M.T.
37.	M/s K. K. Cement Works, Beawar.	80 M.T,
38.	M/s Surana Cement Works, Beawar.	60 M.T.
39.	M/s Ganesh Industries, Beawar	50 M.T.
40.	M/s Usha Prestress, Chittorgarh.	80 M.T.
41.	M/s Singhavi Udyog, Udaipur.	60 M.T.
42.	M/s Matribhum Udyog, Bagar.	40 M.T.
43.	M/s Gautam Cement Works, Beawar.	60 M.T.

(244)

ALLOTMENT MADE BY DIRECTORATE OF INDUSTRIES, UDYOG BHAVAN, TILAK MARG, JAIPUR

JULY-SEPTEMBER, 81 (Order dated 8-9-1981)

S. No.	Name & Address of the Firms	Qty. allotted
1	2	3
1.	M/s Gajanand Industrial Corpn., Mahavir Bazar, Beawar (Ajmer).	34 M.T.
2.	M/s Gautam Cement Works, Mahavir Bazar, Beawar (Ajmer).	78 M.T.
3.	M/s Giriraj Allied Industries, Gulabpura Road, Vijaynagar, Ajmer.	34 M.T.
4.	M/s R. K. Prestress and Allied Industries, Vijaynagar, Ajmer.	34 M.T.
5.	M/s Ganesh Industries, Mahavir Bazar, Beawar, Ajmer.	60 M.T.
6.	M/s Shivani Prestressed and Allied Industries, Ashok Marg. Ajmer.	72 M.T.
7.	M/s Deepak Poles and Pipes, Sushila Nokha Sadan, Navrang Nagar, Beawar, Ajmer.	34 M.T.
8.	Gyan Cement Works, Mahavir Bazar, Beawar, Ajmer.	25 M.T.
9.	M/s Oberai Industries, New Sacheti House, Ashoka Circle, Alwar.	18 M.T.
10.	M/s Agrawal Cement Udyog, Halwaipara, Near Jain Mandir, Alwar.	34 M.T.
11.	M/s Anita Prestress Udyog, Sewar, Bharatpur.	34 M.T.
12.	M/s Rajasthan PCC Poles Industries, Bazar No. 3, Bhopalnganj, Bhilwara.	34 M.T.
13.	M/s Usha Prestress and Allied Industries, Industrial Area, Chittorgarh.	80 M.T.
14.	M/s Mehta Cement Works, 4488, KGD-Ka-Rasta, Johari Bazar, Jaipur.	34 M.T.

1	2	3
15.	M/s Sungold Industries, C-36, Lajpath Marg, 'C' Scheme, Jaipur.	60 M.T.
16.	M/s Mridula Steel and Wires Ltd., Amer Cinema Buildings, Sansar Chandra Road, Jaipur.	288 M.T.
17.	M/s Modern Industries, C-66-a, Siwar Area, Bapu Nagar, Jaipur.	34 M.T.
18.	M/s Alwar Udyog, A-30, Alwar House, Shastri Nagar, Jaipur.	34 M.T.
19.	M/s Nand Prestress Udyog, 69-C, Kabir Marg, Bani Park, Jaipur.	80 M.T.
20.	M/s Swastic Prestress Udyog, Kamal Bhavan, Motilal Atal Road, Jaipur.	34 M.T.
21.	M/s Rahul Allied Industries, Opposite Railway Station, Mahamandir, Jodhpur.	34 M.T.
22.	M/s M. A. Prestress Works, Mandor Road, Jodhpur.	48 M.T.
23.	M/s Sankhala Udyog, 14, Ram Mohalla, Outside. Nagorigate, Jodhpur.	34 M.T.
24.	M/s Mehta Udyog, D-154, Gulabniwas, Shastri Nagar, Jodhpur.	34 M.T.
25.	M/s Ashoka Steel and Chemicals, 11-F, Ballabanagar, Kota.	18 M.T.
26.	M/s Janhit Construction, 28/124, Gumanpura (Jhalawar), Kota.	34 M.T.
27.	M/s Arawali Concrete, Kuchaman Kutir, 71, Vallabh Bari, Kota.	15 M.T.
28	M/s Chambal Prestress Udyog, 1-B-1, Vijainagar, Kota.	34 M.T.
29.	M/s Cimco Pipes, P. O. Jhuntha, Via Raipur, (Pali)	18 M.T.
30.	M/s Sri Umaid Cement Udyog, Nimaj District Pali.	34 M.T.

1	2	3
31.	M/s Vijay Laxmi Prestress Industries, Polaram Sankhla, Near Bus Stand, Sojatcity (Pali)	34 M.T.
32.	M/s Singhvi Udyog, 1. Industrial Area, Sheoganj (Sirohi)	90 M.T.
33.	M/s Rural Electrification Pole Industries, Officers Bunglow, No. 2, Man Industrial Corporation, Near Loco, Jaipur.	48 M.T.
34.	M/s National Preestress Industries, Kanwat (Sikar)	34 M.T.
35.	M/s Kamal Udyog, Station Road, Reengus, Distt. Sikar.	34 M.T.
36.	M/s Maheshwari Asbestos Udyog, Piprali Road, Sikar.	72 M.T.
37.	M/s Singhvi Udyog, Cement Pvt. Ltd., 266, Ashok Nagar, Road No. 18, Udaipur.	84 M.T.
38.	M/s Vikas Cement Udyog, F-150, Mewar Industrial Area, Udaipur.	85 M.T.
39.	M/s Siroya Cement Udyog, Saroj Villa, Bhat-Ji-Ki-Bari, Udaipur.	34 M.T.
40.	M/s K. K. Cement Works, Laxmi Cloth Market, Beawar (Ajmer)	45 M.T.
41.	M/s. Lions Prestress Udyog, Niwai (Tonk)	18 M.T.
42.	M/s Matrabhumi Udyog, Baggar (Distt. Jhunjhunu)	34 M.T.
43.	M/s Jaipur Pole Udyog, Santosh Niketan, O/11, Ashok Marg, 'C' Scheme, Jaipur.	30 M.T.
44.	M/s Surana Cement Works, Mangal Market, Beawar (Ajmer)	49 M.T.

परिशिष्ट-6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 147 की सूची)

ग्रामीण आवासीय योजना (अनुदान) 1980-81 के अन्तर्गत आवंटित राशि

पंचायत समिति, इटावा (जिला कोटा)

क्र. सं.	नाम व वल्दियत	ग्राम	अनुदान देने की तिथि	अनुदान राशि	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
	1 ग्राम पंचायत, लुहावद				
1.	श्री बिरदीलाल / श्योलाल बैरवा	लुहावद	22-4-81	750)	
2.	,, रामलाल / जयलाल नायक	गनेश बडा	..	750)	
3.	,, नाथूलाल ग्यारसीलाल बैरवा	लुहावद	..	750)	
4.	,, मूलीलाल शंकरलाल माली	गनेशखेडा	..	750)	
5.	,, भैरुलाल / लक्ष्मीनारायण	लुहावद	..	750)	
6.	,, कंवरलाल हीरालाल धोबी	..	..	750)	
7.	,, कस्तूरा ओंकार बैरवा	..	..	750)	
8.	,, हरिशंकर जगलाल कोली	..	..	750)	
9.	,, गोपालशंकर खाती	..	..	750)	
10.	,, सूरजमल जयलाल मीना	..	..	750)	
11.	,, गोराबाई भैरुलाल कोली	..	..	750)	
12.	,, कालू / नारायण बैरवा	गनेशखेडा	..	750)	
				9000)	
	2. ग्राम पंचायत, डोपरी				
1.	श्री छोटू / भूरा बैरवा	डोपरी	23-4-81	750)	
2.	,, माधो कालू बैरवा	..	..	750)	
3.	,, ओंकार शंकर	..	..	750)	
4.	,, सीताराम भवाना	..	..	750)	
5.	,, हेमलाल शंकर	..	..	750)	
6.	,, मांगीलाल गोबिन्दा मीना	..	..	750)	
7.	,, बिरदा भूरा बैरवा	..	..	750)	
8.	,, गोवरीलाल भैरु	..	..	750)	
9.	,, चन्द्रमा / भूरा	..	..	760)	

(248)

1	2	3	4	5	6
10.	श्री कंवरिया / भैरु	ढोपरी	23-4-81	750)	
11.	,, हरिशंकर / माधो	..	..	750)	
12.	,, तेजमल / मथरा	..	..	750)	
				9000)	

3. ग्राम पंचायत, भियाना

1.	श्री चतरा / कंवरलाल बैरवा	नामोला	14-5-81	750)	
2.	,, केसरा / चन्द्रा	..	..	750)	
3.	,, रमेश / हजारी हरिजन	..	..	750)	
4.	,, खेडिया / गरीबा हरिजन	..	..	750)	
5.	,, देवलाल / कंवरलाल बैरवा	..	..	750)	
6.	,, देव्या / भैरु	..	..	750)	
7.	,, शिवनाथ / अमरनाथ नाथ	..	..	750)	
8.	,, कल्याण / नाथू बैरवा	..	..	750)	
9.	,, गंगाराम / कंवरलाल	..	..	750)	
10.	,, गोमदा / नाथू बैरवा	..	..	750)	
11.	,, बद्रीलाल / अमरा हरिजन	..	..	750)	
12.	,, प्रहलाद / अमरा	..	..	750)	
13.	,, श्रवण / नाथू बैरवा	..	..	750)	
14.	,, मथुरा / अमरा	..	..	750)	
15.	,, बद्रीलाल / चन्दरया	..	19-5-81	750)	
16.	,, चौथमल / भंवर लाल	..	20-5-81	750)	
				12,000)	
			कुल योग ..	30,000)	

पंचायत समिति, सुलतानपुर (कोटा)

1. ग्राम पंचायत, मोरपा

1.	श्री छोटूलाल / भैरुलाल खटीक	मोरपा	20-6-81	750)	
2.	,, गंगाराम / अमरलाल चमार	,,	,,	750)	
3.	,, श्योपाल / नारायण बलाई	,,	,,	750)	
4.	,, गोपाल / भैरु बलाई	,,	,,	750)	
5.	,, मोहन लाल / पांचू नायक	,,	,,	750)	
				3,750)	

1	2	3	4	5	6
	2. ग्राम पंचायत, कोटड़ा दीपसिंह				
1.	श्री बृजमोहन / भवाना कोली	कोटड़ा दीपसिंह	18-6-81	750)	
2.	,, रंगलाल / भंवरलाल कुम्हार	,,	30-6-81	750)	
3.	,, जगन्नाथ / गोपाल बैरवा	,,	18-6-81	750)	
4.	,, मांगालाल / कंवर लाल कोली	,,	,,	750)	
5.	,, कालू नाथ / भूरा नाथ नाथ	,,	,,	750)	
6.	,, लड्डूलाल / बजरंगा नाथ	,,	,,	750)	
7.	,, रामकरण / कन्हैयालाल तेली	,,	,,	750)	
				5,250)	
	3. ग्राम पंचायत, बनैठिया				
1.	श्री प्रहलाद / देवलाल बैरवा	बनैठिया	24-6-81	750)	
2.	,, तेजमल / पन्नालाल मेहर	,,	,,	750)	
3.	,, बाली बाई पत्नि कालूलाल बैरवा	,,	28-6-81	750)	
4.	,, अब्दुल गफूर / नूरदीन मुसलमान	,,	,,	750)	
5.	श्रीमती पाराबाई / धन्नालाल जाटव	उम्मेदपुरा	24-6-81	750)	
6.	श्री रमजान / यासीन खां मुसलमान	जागीरपुरा	,,	750)	
	4. ग्राम पंचायत, दीगोद				
1.	श्री किशना / भैरू बलाई	दीगोद	18-6-81	750)	
2.	,, मथुरालाल / कजोड़ बैरवा	,,	,,	750)	
3.	,, मोतीलाल / मकरा बलाई	,,	,,	750)	
4.	,, हीरालाल / भंवरलाल हरिजन	,,	,,	750)	
				3,000)	
	5. ग्राम पंचायत, सुल्तानपुर				
1.	श्री देवलाल / गणेशराम मेघवाल	सुल्तानपुर	30-6-81	750)	
2.	,, छोटू / गोरधन मेघवाल	,,	,,	750)	
3.	,, प्रहलाद / खेमा मेघवाल	,,	,,	750)	
				2,250)	

1	2	3	4	5	6
		6. ग्राम पंचायत, खेड़ली तंवरान			
1.	श्री रामा / घासी बलाई	खेड़ली तंवरान	29-6-81	750)	
2.	,, फून्द्या / आनन्दीलाल	,,	,,	750)	
3.	,, नन्दकिशोर / शंकर माली	खेड़ली	,,	750)	
4.	,, गुड़कीलाल / माधोलाल भील	,,	,,	750)	
5.	,, छीतर / अमरा चमार	,,	24-6-81	750)	
		..		3,750)	
		7. ग्राम पंचायत, मण्डावरा			
1.	श्री रामनाथ / देवा रेगर	मण्डावरा	24-6-81	750)	
2.	,, छोटू / चन्दा हरिजन	,,	,,	750)	
3.	,, भंवर लाल / लालू हरिजन	,,	30-6-81	750)	
				2,250)	
		कुल योग ..		24,750)	

परिशिष्ट--7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 150 की सूची)

क्र. सं.	नाम तहसील	स्थान का नाम जहां आवश्यक वस्तुओं के वितरण की दुकान स्थित है।	दुकानों की संख्या
1	2	3	4
1.	झालरापाटन	1. झालावाड़	10
		2. झालरापाटन	13
		3. डोण्डा	1
		4. झुमकी	1
		5. कलमण्डी कलां	1
		6. समराई	1
		7. भवरासा	1
		8. असनावर	1
		9. डूंगरगांव	1
		10. बड़ोदियां	1
		11. जूना खेड़ा	1
		12. दूकतांमा	1
		13. गोरधन पुरा मण्डाविर	1
		14. वकानी भोवड़िया खुर्द	1
		15. रीझोन करलगांव	1
		16. मोडी आंगरियां कुंपुलेपुरा	1
		17. नागोर बड़ मि	1
		18. देवनगर	1
		19. बड़बड़	1
		20. सलायद	1
		21. पीपलोद	1
		22. कनवाड़ा	1
		23. तीतरवासा	1
		24. गोविन्द पुरा पाल में खानपुरिया	1
		25. दुर्ग पुरा	1
		26. गागरोन	1
		27. रुण्डलाव	1
		28. रुपारेर	1
		29. लावायल	1
		30. पांटलिया कुंभी-री[illegible]	1
		31. रटलाई	1
		32. देवरी	1
		33. गुराड़ खेड़ा	1
		34. पनवासा	1

1	2	3	4
2.	खानपुर	1. खानपुर	4
		2. सारोला	2
		3. गोलाना	1
		4. सूमर	1
		5. मूण्डला	1
		6. मालमवासा	1
		7. लीमी	1
		8. लायपल	1
		9. आकोड़िया	1
		10. हरींग	1
		11. बाघेढ़	1
		12. दहीखड़ा	1
		13. जोल्या	1
		14. डीबरा	1
		15. खण्डी	1
		16. तारज	1
		17. मऊ बोरदा	1
		18. पखराना	1
		19. भगवानपुरा	1
		20. पिपलाज	1
		21. सोजपुरा	1
		22. अकावदखुर्द	1
		23. धानोदा कलाँ	1
		24. करनवास	1
		25. बरेड़ा	1
		26. जरगा	1
		27. गाडर वाड़ा नूरजी	1
		28. कवंरपुरा	1
		29. मरायता	1
3.	पचपहाड़	1. पचपहाड़	3
		2. भवानी मण्डी	6
		3. कुण्डीखेड़ा	1
		4. मोगरा	1
		5. मिश्रोली	1
		6. नाहर धट्टा	1
		7. गुराडिया जोगा	1
		8. सरोद	1
		9. गुढ़ा	1
		10. गुराडिया माना	1
		11. सूलिया	1

1	2	3	4
3.	पचपहाड़ (क्रमशः)	12. आंवली कलां	1
		13. गणेश पुरा	1
		14. पिपलिया	1
		15. श्री छत्रपुरा	1
		16. भिलवाड़ी	1
		17. सिलहगढ़	1
		18. करावन	1
		19. पगारिया	1
		20. गुराडिया कलां	1
		21. आवर	1
		22. सिंह पुर	1
		23. खस्तुनियां	1
4.	गंगधार	1. गंगधार	1
		2. मण्डी राजेन्द्रपुर (चौमहला)	2
		3. रखायरा	1
		4. कूण्डला	1
		5. रावनगराड़ी	1
		6. परापीपली	1
		7. पाडलिया	1
		8. सुनारी	1
		9. किरिया	1
		10. तालावली	1
		11. उन्हेल	2
		12. कूभठिया	1
		13. रामपुरा	1
		14. कछनारा	1
		15. बरडिया वीरजी	2
		16. केलू खेड़ा	1
		17. चाड़ा	1
		18. रोझाना	1
		19. देवगढ़	1
		20. तिसाई मुठभड़का	1
		21. डग	3
		22. डोडी	1
		23. डोबड़ा	1
		24. दुधालिया	1
		25. मन्दिरपुर	1
		26. लुहारिया (नन्दपुर)	1
		27. जगदीशपुरा	1
		28. क्यासरा	1
		29. धतुरिया	1

256

1	2	3	4
4.	गंगधार (क्रमश:)	30. ढाबला	1
		31. हरनावदा	1
		32. पिपल्या खुर्द	1
		33. गुराडिया झाला	1
5.	पिड़ावा	1. पिड़ावा	4
		2. सुनेल	2
		3. धरोनिया	1
		4. गोडिया खेड़ी	1
		5. डोला	1
		6. कोटड़ी	1
		7. खारया कलां	1
		8. नोलाई (भूखेड़ी)	1
		9. ढावला भोज	1
		10. सिरपोई	1
		11. सांगरिया	1
		12. गोविन्द पुरा	1
		13. ढाबला खीची	1
		14. सलोतिया	1
		15. उन्हेल	1
		16. कड़ोदिया	1
		17. शेरपुर	1
		18. हिम्मतगढ़	1
		19. फतहगढ़	1
		20. दातां पिड़ावा	1
		21. रामपुर	1
		22. हनोतिया दुबलिया	1
		23. मसीसपुर	1
		24. ग्रोसाव	1
		25. हरनावदा गजा	1
		26. रमायदलपत	1
		27. रामपुरिया	1
		28. खैराना	1
		29. काली तलाई	1
		30. पुवांस	1
		31. गादिया	1
		32. सोमला	1
		33. सालरी	1
		34. दीवल खेड़ा	1
		35. चंछलाव	1
		36. हेमड़ा	1
		37. कनवाडी	1

1	2	3	4
6.	अकलेरा	1. अकलेरा	3
		2. थड़ोल	1
		3. गेहूंखेड़ी मैठून-थनापद	1
		4. आमेठा	1
		5. धाटोली-आसलपुर	1
		6. भालता बोरखेड़ी गूजरान	1
		7. लसूडिया शाह	1
		8. समरोल	1
		9. तुरकाडिया	1
		10. पचोला	1
		11. गोपालपुरा	1
		12. गुलखेड़ी	1
		13. उमरिया	1
		14. बेरागढ़ बिन्दाखेड़ा	1
		15. सरखण्डिया	1
		16. कोहडीझर	1
		17. सरड़ा	1
		18. बांसखेड़ी लोटान	1
		19. देवरी कलां-सहास	1
		20. सरेड़ी	1
		21. वासखेड़ा	1
		22. चुरेलिया	1
		23. कोलूखेड़ी कलां	1
		24. आंवल हेडा-बांसखेड़ी मेपतियान	1
		25. मनपसर	1
		26. पन्डोला	1
		27. खाताखेड़ी चांदपुरा भीलान	1
		28. गरबोलिया	1
		29. दागीपुरा	1
		30. मनोहर थाना	1
		31. सेमलीहार	1
		32. कोलू खेड़ी मालियान	1
		33. टोडरी जगन्नाथ	1
		34. खास्यां	1
		35. टोडरी मीरा	1
		36. बनेठ	1
		37. ठीकरिया	1
		38. चन्दीपुर	1
		39. खेरखेड़ा	1
		40. शोरती	1
		41. जावर	1
		42. बड़बड़	1

परिशिष्ट-8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 156 की तालिका)

श्री कल्याण अस्पताल, सीकर में स्वीकृत 150 स्वीकृत रोगी शैय्याओं के अनुसार स्टॉफ की कमी की तालिका (1968 के पेटर्न के अनुसार)

क्र सं.	नाम पद	पद संख्या
1.	चिकित्सक	6
2.	मैट्रन श्रेणी I	1
3.	सिस्टर	1
4.	फिजियोथेरेपिस्ट	1
5.	आकोपेशनल थेरापिस्ट	1
6.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (वार्ड बॉय, हरिजन, धोबी आदि)	45

परिशिष्ट-9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 157 की सूची)

नाथद्वारा विधान सभा क्षेत्र के गांव देलवाड़ा की पी.एच.सी. में रिक्त पदों की सूची :—

(1)	वरिष्ठ लिपिक	एक
(2)	वाहन चालक	एक
(3)	संगणक (कम्प्यूटर)	एक
(4)	परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायक	चार

———